षष्ठम् माला, खंड 6, अंक 41, शुक्रवार, 29 जुलाई, 1977/7 श्रावण, 1899 (शक)
Sixth Series, Vol. VI, No. 41, Friday, July 29, 1977/Sravana 7, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

6th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र]
[Second Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं]
[Vol. VI contains Nos. 41 to 48]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translations of speeches etc. in English/Hindi.]

[redacted]SS/77

विषय सूची/Contents

अंक 41, शुक्रवार 29 जुलाई, 1977/7 श्रावण, 1899 (शक)
No. 41, Friday, July 29, 1977/Sravana 7, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1—14
ता० प्र० संख्या	S. O, Nos.	
*तारांकित प्रश्न संख्या 685 और 687 से 691	*Starred Questions Nos. 685 and 687 to 691	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 27	Short Notice Question No. 27	15—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर :—	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :	
तारांकित प्रश्न संख्या 686 और 692 से 704	Starred Questions Nos. 686 and 692 to 704	19—159
अतारांकित प्रश्न संख्या 5304 से 5314, 5316 से 5358 और 5360 से 5489	Unstarred Questions Nos. 5304 to 5314, 5316 to 5358 and 5360 to 5489.	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	159—160
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	160, 187
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bill	160
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	160-161
'ए मार्डन अबरोल टू इंग्लिश ग्रामर एण्ड कम्पोजीशन' नामक पुस्तक के उपयोग के बारे में शेष का समाचार	Reported resentment against the use of the book entitled "A Modern Approach to English Grammar and Composition."	160
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the sittings of the House .	161
दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत	Second Report presented	161

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign† marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

सभा का कार्य	Business of the House	161—162
श्री रविन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma .	161—162
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under Rules 377	163
(एक) आपात स्थिति के दौरान मिग विमानों के लिए घटिया इंजनों की स्वीकृति दिये जाने का समाचार	(i) Reported clearance of sub-standard engines for MIGS during Emergency . . .	
(दो) देश में मद्यनिषेध	(ii) Prohibition in the country	
(तीन) बिहार के वैशाली जिले में काल अजार का फैलना	(iii) Spreading of Kalaazar in Vaisshali district of Bihar .	
(चार) बढ़ते हुए मूल्यों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के निवास स्थान के समक्ष प्रदर्शन	(iv) Demonstration in front of the Prime Minister's House on Soarding Prices	
(पांच) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में मजदूरों की छंटनी का समाचार	(v) Reported retrenchment of the 'Mazdoors' in Andaman and Nicobar Islands . . .	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 20वें, 21वें और 22वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Twentieth, Twenty First and Twenty Second Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. .	165—171
श्री मंगल देव	Shri Mangul Deo	
श्री कुसम कृष्ण मूर्ति	Shri Kusuma Krishna Murthy	
श्री रामानन्द तिवारी	Shri Ramanand Tiwary .	
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder	
श्री शरद यादव	Shri Sharad Yadav	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति —— चौथा प्रतिवेदन स्वीकृत	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—Fourth Report adopted . .	172
विधेयक पुर: स्थापित	Bills Introduced .	172—177
1. संविधान (संशोधन) विधेयक श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा (अनुच्छेद 324 का संशोधन)	1. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 324) by Shri C. K. Chandrappan .	172
2. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16 का संशोधन) श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	*Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 16) by Shri C. K. Chandrappan . .	172

3. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 326 का संशोधन) श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	3. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 326) by Shri C. K. Chandrappan . .	173
4. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 81 और 82 का संशोधन) श्री सी० के० चन्द्रप्पन द्वारा	4. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 81 & 82) by Shri C. K. Chandrappan .	173
5. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 16 का प्रतिस्थापन और अनुच्छेद 320 आदि का संशोधन) श्री मधु लिमये द्वारा	5. Constituion (Amendment) Bill (Substitution of article 16 and amendment of article 320, etc.) by Shri Madhu Limaye . .	173
6. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 37, 45 आदि का संशोधन) श्री मधु लिमये द्वारा	6. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 37, 45 etc.) by Shri Madhu Limaye .	173
7. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 24 और 326 का संशोधन) श्री मधु लिमये द्वारा	7. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 24 and 326) by Shri Madhu Limaye .	174
8. छावनी (संशोधन) विधेयक (धारा 13 का संशोधन धारा 14 आदि का लोप) श्री मधु लिमये द्वारा	8. Cantonements (Amendment) Bill Amendment of section 13, omission of section 14, etc.) by Shri Madhu Limaye . .	174
9. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छद 124 का संशोधन) श्री पी० के० देव द्वारा	9. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 124) by Shri P. K. Deo . . .	174
10. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 371 का संशोधन) श्री पी० के० देव द्वारा	10. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 371) by Shri P. K. Deo . . .	174
11. अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक (धारा 3, 4 आदि का संशोधन) श्री राम जेठा मलानी द्वारा	11. Advocates (Amendment) Bill (Amendment of sections 3, 4 etc.) by Shri Ram Jethmalani .	175
12. संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक (धारा 8क का संशोधन) श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी द्वारा	12. Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill (Amendment of section 8A) by Shri G. Narsimha Reddy . . .	175
13. संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 140क का अन्तः स्थापन) श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा	13. Constitution (Amendment) Bill (insertion of new article 140A) by Shri Om Prakash Tyagi .	176

14. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 335 का संशोधन) श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा	14. Constitution (Amendment) Bill 1977 (Amendment of article 335) by Shri Om Prakash Tyagi .	176
15. संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 222 का संशोधन) श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा	15. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of atricle 222) by Shri Om Prakash Tyagi . .	176
16. संविधान (संशोधन) विधेयक (सातवीं अनुसूची का संशोधन) श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा	16. Constitution (Amendment) Bill Amendment of Seventh Schedule) by Shri Om Prakash Tyagi .	176
17. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर राष्ट्रीय अवकाश दिन विधेयक, 1977, श्री समर गुह द्वारा	17. National Holiday on Netaji Subhas Chandra Bose's Birthday by Shri Samar Guha .	177
18. श्री आर० डी० गट्टानी का संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक 1977 (धारा 1 का संशोधन और धारा 8क का लोप)	18. Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament, (Amendment) Bill (Amendment of Section 1 and omission of section 8A) by Shri R. D. Gattani . .	177
19. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (नई धारा 7क का अन्त: स्थापन) श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा	19. Representation of the People (Amendment) Bill (Insertion of new section 7A) by Shri Om Prakash Tyagi . . .	177
लोकपाल विधेयक	Lokpal Bill—	178—180
श्री पी० के० देव द्वारा विचार करने का प्रस्ताव	—by: Shri P.K. Deo Motion to consider —	178—180
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	
संविधान (संशोधन) विधेयक अनुच्छेद 352 का संशोधन) श्री हरि विष्णु कामत द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 352) by Shri Hari Vishnu Kamath .	180—187
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider —	
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	180—182
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe . .	182—184
श्री नाथू सिंह	Shri Nathu Singh .	184—185
श्री सी० एम० स्टीफ़न	Shri C.M. Stephen	185—187

लोक सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 29 जुलाई, 1977/ 7 श्रावण 1899 (शक)

Friday, Ju'y 29, 1977/Sravana 7, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

व्यापार मेलों में भारत का भाग लेना

*685. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन देशों में भारत का निर्यात व्यापार नहीं बढ़ा है और जिनमें इसके अग्रेतर विस्तार की संभावनाय हैं उन देशों में भारतीय सामान को लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में पूर्व सरकारों द्वारा किये गये उपायों के अतिरिक्त सरकार क्या उपाय कर रही है ;

(ख) क्या वाणिज्य, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में हमारी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिये निकट भविष्य में भारत में किसी व्यापार मेले के आयोजन की सम्भावना है ; और

(ग) विश्व के अन्य भागों में वर्ष 1977-78 में आयोजित किये जा रहे किन व्यापार मेलों में भारत भाग ले रहा है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) निर्यात संवर्धन उपाय सतत् आधार पर करने पड़ते हैं और नये बाजारों में पैठने के लिये प्रदर्शनियों के आयोजन, प्रचार तथा व्यापार दल भेजने के रूप में प्रयत्न किये जा रहे हैं । ये विदेशों में हमारे उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की आधुनिक तकनीकें हैं । सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि विदेश स्थित हमारे मिशनों के वाणिज्यिक विभागों को सुदृढ़ बनाया जाए जिससे वे अधिक कारगर ढंग से व्यापार संवर्धन के उपाय कर सकें ।

(ख) जी हां । 1977-78 के दौरान भारत में आयोजित किये जाने वाले मेलों की एक सूची संलग्न है (अनुबन्ध I) ।

(ग) एक सूची संलग्न है (अनुबन्ध II) ।

अनुबन्ध I

1977-78 के दौरान प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले मेलों की सूची

1. भारतीय कृषि प्रदर्शनी	14 नवम्बर से 13 दिसम्बर 1977
2. द्वितीय इंजीनियरी व्यापार मेला	2 से 13 फरवरी, 1978
3. तृतीय विश्व पुस्तक मेला	11 से 20 फरवरी, 1978

अनुबन्ध II

वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिये भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा विदेशों में मेलों में भाग लेने/प्रदर्शनियों का कार्यक्रम

क्रमांक	अवसर	अवधि
1.	भारतीय व्यापार प्रदर्शनी, क्वालालम्बपुर .	10–20 अप्रैल, 1977
2.	मिलान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, मिलान (इटली) .	14–23 अप्रैल, 1977
3.	द्वितीय एशियाई व्यापार मेला, मेलबौर्न (आस्ट्रेलिया)	28 मई से 5 जून, 1977
4.	प्रोडक्शन शो टोरोन्टों (कनाडा) .	16–20 मई, 1977
5.	पोजनान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, पोजनान (पौलैंड)	12–21 जून, 1977
6.	दार-ए-सलाम अन्तर्राष्ट्रीय मेला (तंजानिया)	1–9 अगस्त, 1977
7.	मोजाम्बिक अन्तर्राष्ट्रीय मेला (मौजाम्बिक)	27 अगस्त से 11 सितम्बर 1977
8.	तेहरान अन्तर्राष्ट्रीय मेला, तेहरान (ईरान)	19 सितम्बर से 1 अक्टूबर, 1977
9.	बर्नो आटम अन्तर्राष्ट्रीय मेला बर्नी (चकोस्लोवाकिया)	14–22 सितम्बर, 1977
10.	जगरेव आटम अन्तर्राष्ट्रीय मेला, जगरेव (युगोस्लाविया)	9–18 सितम्बर, 1977
11.	बगदाद अन्तर्राष्ट्रीय मेला, बगदाद (इराक)	1–15 अक्टूबर, 1977
12.	भारतीय वस्त्र प्रदर्शन, कनाडा .	सितम्बर, 1977
13.	लीमा अन्तर्राष्ट्रीय मेला, लीमा (पेरू) . .	16–27 नवम्बर, 1977
14.	शारजाह अन्तर्राष्ट्रीय मेला, शारजाह (फारस की खाड़ी)	नवम्बर, 1977
15.	खारतूम अन्तर्राष्ट्रीय मेला, खारतूम (सूडान) .	19–27 जनवरी, 1978
16.	काहिरा अन्तर्राष्ट्रीय मेला, काहिरा (ए० आर० ई०)	मार्च, 1978
17.	लिपजिग बसंत अन्तर्राष्ट्रीय मेला, लिपजिंग (ज० लो० ग०) .	मार्च, 1978

SHRI SUSHIL KUMAR DHARA : How much success is expected to be achieved in the negotiations going on with the countries of Eastern Europe regarding promotion of Indian trade ?

SHRI MOHAN DHARIA : Mr. Speaker, we export ready-made garments to East European countries. It is our endeavour that the trade with them should be within the

specified terms and conditions, but they have taken certain decisions arbitrarily which have created several difficulties for our industry. The talks in this regard are going on with them and it will be premature for me to say anything at this stage. But I can assure that we will try our best to protect the interests of our industry and the people engaged in it.

SHRI SUSHIL KUMAR DHARA : You have supplied a list. But I would like to know how much allocation you have made in 1977-78 budget for organising trade fairs in India and participating in such exhibitions abroad ?

श्री मोहन धारिया : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विदेशों को निर्यात की जाने वाली फसलों या वस्तुओं विशेषकर गुड़, जिसका मूल्य घट रहा है, के बारे में कोई अनुमान लगाया है।

श्री मोहन धारिया : कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले वास्तविक उत्पादन पर ध्यान रखना पड़ता है। हमें अनुमान लगाना होता है कि हमारी आंतरिक खपत कितनी है, कितनी मात्रा हमारे पास अतिरिक्त है और कहां तक हम उसका निर्यात कर सकते हैं। ऐसा विचार निरंतर तथा स्थायी रूप से किया जाता है। गुड़ की कीमत अभी अधिक है और ऐसी स्थिति में हम गुड़ का निर्यात नहीं करना चाहते।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर में यह कहा गया है कि कीमतें कम हो रही हैं और इसीलिए मैंने इस बारे में पूछा है।

SHRI RAMANAND TIWARI : The Minister has stated that we should re-inforce the commercial wings of our missions abroad. I want to know from him whether we have not reinforced them so that we may export more and more ?

SHRI MOHAN DHARIA : Mr. Speaker our export at present is about worth rupees 5,000 crores. It clearly indicates that our export is increasing.

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : How much was it before ?

SHRI MOHAN DHARIA : At the time of independence it was 200 to 300 crore rupees.

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : He says we got independence in 1977.

SHRI MOHAN DHARIA : Trade relationship with China has restarted after Janata Party came into power. Our trade delegation visited North Vietnam in the month of July. We are trying to increase our trade with that country. We want to organise a big exhibition in Moscow in the summer of 1978. It will be our endeavour to export more and more goods to communist countries. New measures are being adopted besides the measures already adopted.

SMT. CHANDRAWATI : I want to know from the Hon. Minister as to how many persons went abroad during the year 1975-76 to popularize Indian goods and how much money was spent thereon ?

SHRI MOHAN DHARIA : I shall require notice in this regard.

श्री ए० सी० जार्ज : हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने सब्जियों तथा फलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। आज के समाचार पत्र में विस्तार से यह लिखा हुआ है कि सब्जियों, फलों तथा तत्संबंधी वस्तुओं पर लगे तथा-कथित प्रतिबंध से मूल्यों में कोई गिरावट नहीं आई है। अनुमान लगाया गया है कि जब इन वस्तुओं का देश में अधिकत्तम उत्पादन हुआ तब भी केवल 0.2 प्रतिशत भाग का ही निर्यात हुआ। क्या मंत्री जी मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि बिना किसी आधार के इस तरह तदर्थ उपाय करने से निर्यात सम्भाव्यता के दीर्घकालीन हितों को हानि पहुंचेगी क्योंकि उनका निर्यात खाड़ी तथा नए धनी देशों में रह रहे भारतीय लोगों के लिये किया जाता है। इस तरह के तदर्थ उपायों से देश को हानि पहुंचेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही हेतु सुझाव है।

श्री मोहन धारिया : नहीं ; श्रीमान् मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। बम्बई के बाजार में, जहां से सब्जियों का अधिकतम निर्यात होता है, इनके मूल्य 30 प्रतिशत गिर गए हैं। यह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बता दूं। (**व्यवधान**) मैं यह बात सभा में स्पष्ट कर दूं कि आंतरिक खपत की वस्तुओं को निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। उनका उपयोग देश में ही किया जायेगा।

SHRI RAM MURTI : I want to know from the Hon. Minister whether his Ministry propose to organise any international fair in Delhi so that goods may be exported and imported ?

SHRI MOHAN DHARIA : I have already pointed out in my reply that Indian Agriculture Exposition, Second Engineering Trade Fair and World Book Fair—III are being organised in Delhi for this purpose.

SHRI KANWAR LAL GUPTA : I want to know whether the U.S.A. has also extended some facilities to us to export garments to that country, because we used to export considerable quantity of garments to them. We get hard currency from there. So what facilities they have provided us and what is the impact there of ? I agree with the Hon. Minister that essential commodities should not be exported. Prices have come down in the wake of the steps taken by the Hon. Minister. I would like to congratulate the Hon. Minister on this account. But there are certain commodities which are not available to common man but are exported. What action Government is taking in this regard ?

श्री मोहन धारिया : सरकार ने मूंगफली के तेल, मूंगफली, खाद्य तेल, दालों तथा आलू आदि के निर्यात पर रोक लगा दी है जबकि प्याज के निर्यात को नियमित कर दिया गया है। ये सभी आवश्यक वस्तुएं हैं। औद्योगिक वस्तुओं के मामले में भी जहां यह महसूस किया गया कि वस्तु विशेष की मांग बहुत अधिक है, तो वैसी ही कार्यवाही की जायेगी। पर साथ ही हम सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। जब हम महसूस करेंगे कि उत्पादकों को नुक्सान उठाना पड़ रहा है तो उन्हें संरक्षण देने के लिये हम निर्यात की अनुमति भी दे सकते हैं। हम सही विनियमन में रुचि रखते हैं ताकि उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों को लाभ हो।

जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं सदन में पहले बता चुका हूं, अमरीका सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के बाद ही उन्होंने हथकरघा उत्पादों के आयात पर लगाई गई रोक हटाई। उन्होंने कुछ प्रतिबंध हटा लिये हैं और कुछ अन्य शर्तें भी हैं जिन पर आगे विचार विमर्श किया जा सकता है।

श्री वी० दण्डयुपाणि : क्या खंडसारी के निर्यात के बारे में सरकार के पास कोई ठोस प्रस्ताव है। दूसरे जहां चीनी मिलें नहीं हैं, वहां किसानों को नुक्सान हो रहा है क्योंकि वे उन चीनी मिलों में नहीं जा सकते जहां वे पंजीकृत नहीं हैं। क्या सरकार खंडसारी को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिये संगत नीति अपनायेगी ?

श्री मोहन धारिया : खंडसारी पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है। जहां तक इसके निर्यात का प्रश्न है, देश में ही इसके मूल्य ऊंचे हैं फिर भी यदि आवश्यकता हुई तो मैं कृषि मंत्री से बात करूंगा।

CHOWDHARY BALBIR SINGH : Is it a fact that the export price of potatoes was just double the procurement price and producer did not get any profit out of that would the hon. Minister compensate such producers and issue such institutions that the producer should not suffer and exporter does not swallow the whole profit.

SHRI MOHAN DHARIA : I agree with the suggestion of the Hon. Member. I want that producers should form a cooperative society and the marketing work should be performed by the producers so that producers should not suffer at the hands of middlemen. I hope that all the Hon. Members will give their cooperation in this regard.

CHOWDHRY BALBIR SINGH : He has not stated whether or not the producers will be compensated ?

SHRI MOHAN DHARIA : It is not possible. There is no such law. It was better if they had not sold it. But once they have sold it. I cannot help it.

श्री अब्दुल अहद वकील : क्या सरकार का विचार काजू के निर्यात के लिये इसकी सीधे वसूली करने का है ताकि बिचौलियों को समाप्त किया जा सके और काजू उत्पादकों को लाभ की दर अच्छी मिल सके ?

श्री मोहन धारिया : सरकार की नीति यथा सम्भव बिचौलियों को समाप्त करने की रही है इसलिये मैंने सुझाव दिया था कि उत्पादकों या सहकारी समितियों से माल खरीदने वाले 'नापेड' जैसे संस्थानों को मजबूत बनाया जाए। उनका सीधा सम्पर्क होता है और यदि इस सम्पर्क को मजबूत बनाया जाये तो उत्पादकों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिल सकेगा।

SHRI LAXMAN RAO MANKAR : Bidis and lac are not essential commodities. Has the Government any special plan to enhance the export of these commodities.

SHRI MOHAN DHARIA : Every possible cooperation will be given to increase the export of Bidis and lac.

श्री वयालार रवि : मेरा प्रश्न व्यापार मेलों में भाग लेने से सम्बन्धित है। क्या मंत्रालय ने हाल में ऐसा परिपत्र जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया हो कि व्यापार मेलों में भाग लेने वालों को विपणन विकास निधि, जो निर्यात गृहों को उपलब्ध है, से कोई सहायता नहीं दी जायेगी। यदि हां, तो व्यापार मेलों में भाग लेने वाले छोटे व्यापारियों के साथ भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहन धारिया : देश में सैंकड़ों निर्यातकर्ता हैं, और यदि हम उन्हें ये सुविधायें देने का निर्णय करते हैं, तो सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी भारी राशि की आवश्यकता होगी। स्वभावतः हमें इन सस्थाओं या संघों को मजबूत बनाना होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कल मैं ब्रिटेनिया बिस्कुट कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदन को पढ़ रहा था यह कम्पनी अपने आप को भाग्यशाली समझ रही है कि वे समुद्री खाद्य वस्तुओं की वे अन्य किस्मों के बदले में जमी छोटी मछली का निर्यात कर रहे हैं और इससे उन्होंने काफी धन कमाया है। क्या वाणिज्य मंत्री यह बतायेंगे कि वह गत सरकार की नीति अपनाकर समुद्री खाद्य पदार्थों की सभी किस्मों का अन्धाधुन्ध निर्यात करके देशवासियों को प्रोटीन से वंचित क्यों कर रहे हैं ? इस बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री मोहन धारिया : मैं मामले की जांच करूंगा।

DR. RAMJI SINGH : I would like to know from the Hon. Minister as to how much money goes to middlemen every year and whether Government have a mind to abolish this middlemen system, if so, the steps contemplated by the Government and in how many phases this work will be completed ? To get rid of these middlemen, why don't the Government nationalise export trade ?

SHRI MOHAN DHARIA : The policy of the Government would always be such that middlemen do not make huge money. Therefore, we have given all those amenities to small scale industrialists which are being enjoyed by the export houses. To reduce the profit of middlemen more and more amenities would be given.

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : The Hon. Minister has stated that Government have a plan to intensify trade with China, Indonesia and East Germany. I would like to know whether our Government will hold negotiations with Isreal to have trade relations ?

श्री मोहन धारिया : अध्यक्ष महोदय ।

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : He knows Hindi and therefore he should speak in Hindi.

SHRI MOHAN DHARIA : Yes, I shall speak in Hindi.

श्री ए० सी० जार्ज : यही लोग वातावरण खराब करते हैं ।

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : अनुवाद की व्यवस्था है ।

श्री ए० सी० जार्ज : प्रश्न अनुवाद सुविधा का नहीं है । यह रवैया गलत है । यह इनकी मनोवृति है ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसमें मनोवृति की क्या बात है । हिन्दी में पूछे गये प्रश्न का उत्तर भी हिन्दी में दिया जाना चाहिए ।

श्री ए० सी० जार्ज : अंग्रेजी में उत्तर देने में क्या हर्ज है जबकि मंत्री महोदय अंग्रेजी में धाराप्रवाह बोल सकते हैं ? भाषावाद ही कठिनाईयां पैदा करता है । क्या श्री रामचन्द्रन् तमिल में जवाब दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस पर ध्यान नहीं देंगे ।

SHRI RAMANAND TIWARI : I rise on a point of Order.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ।

SHRI MOHAN DHARIA : Isreal's consulate works in Bombay. It is a commercial consulate. We would like to have trade relations with other countries but we have also to see our policy.

श्री के० लकप्पा : अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारत द्वारा भाग लेने का उद्देश्य अन्य देशों में हमारे उत्पादों की खपत की सम्भावयता की खोज करना है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकांश बड़े निर्यातकर्त्ता एकाधिकार गृह वाले हैं और वे न केवल सट्टा व्यापार करते हैं बल्कि अपना व्यापार बदल लेते हैं ।

अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि ऐसे सट्टे तथा बदलने वाले व्यापार को रोकने के लिए मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगें ?

श्री मोहन धारिया : जहां तक शिष्टमंडल का संबंध है, मैंने पहले ही यह अनुदेश जारी कर दिए हैं कि इन शिष्टमंडलों में एकाधिकार गृहों या निर्यात गृहों को अधिकाधिक संख्या में समाविष्ट न किया जाए, जैसा कि पहले किया जाता था तथा इन शिष्ट मंडलों में लघु उद्योग वाले निर्यातकर्ताओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, कुछ भी कहना कठिन है, परन्तु हम इसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहते ।

श्री सी० एन० विश्वनाथन् : मंत्री महोदय ने बताया है कि विदेशों में भारतीय वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है । क्या सरकार ने हथकरघा

की बनी वस्तुओं के निर्यात के बारे में कुछ किया है। मांग के अभाव में हथकरघा उत्पाद देश में जमा हो रहा है। क्या जनता सरकार के आने के बाद हथकरघा से बनी वस्तुओं के निर्यात के बारे में कुछ करार किये गए हैं ? इन उत्पादों का निर्यात स्थिर हो गया है और तमिलनाडु एवं केरल के बुनकरों को काफी कठिनाई हो रही है। क्या सरकार ने हथकरघा की वस्तुओं के निर्यात के लिये कुछ रचनात्मक कदम उठाए हैं ?

श्री मोहन धारिया : मैं माननीय सदस्य की चिंता को भली भांति समझता हूं। इसी दिशा में हमने अमरीकी सरकार से बातचीत की है और उन्होंने हथकरघा के कपड़ों और अन्य वस्तुओं पर लगी रोक हटा ली है।

इसी प्रकार हम यूरोपीय साझा बाजार से भी बात कर रहे हैं। साथ ही हम अन्य देशों को इन वस्तुओं के निर्यात करने के बारे में प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

बड़े पैमाने पर कॉफी का उत्पादन करने वाले देशों द्वारा कॉफी का निर्यात रोका जाना।

†687. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस तथ्य का पता है कि बड़े पैमाने पर काफी का उत्पादन करने वाले कुछ देशों ने विदेशी बाजारों को कॉफी का निर्यात, इसके कई अवस्थाओं में सट्टा व्यापार के प्रभावाधीन रहने के कारण रोक दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विदेशों को निर्यात की जाने वाली भारतीय कॉफी के हितों की सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) हाल ही में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए थे जिसमें यह संकेत मिलता है कि कोलम्बिया ने, जो कि एक प्रमुख कॉफी निर्यातक देश है, तीन महीने के लिये कॉफी के निर्यात स्थगित कर दिये हैं। हमारे विचार में ये गलत है।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर उपयुक्त उपाय किये जायेंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारा देश विश्व में सबसे बढ़िया कॉफी पैदा करने वाला देश है।

हमने हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी करार किया है जिसके परिणामस्वरूप हमें अरबों रुपयों का घाटा उठाना पड़ा है और इस बारे में यह टिप्पणी की गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी करार निर्यात के मामले में भारत के अनुकूल नहीं है।

हम सबसे बढ़िया कॉफी पैदा करते हैं, फिर भी हमें उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले मूल्य का छोटा-सा भाग ही मिल पाता है। क्या यह सत्य है अथवा नहीं कि कोलम्बिया के कृषि मंत्री श्री एलवारो एरोथू जानो गोवेरा ने सट्टे के दबाव के कारण कॉफी के बीजों को न बेचने के लिये स्पष्ट तौर से कहा है कि यद्यपि कॉफी के निर्यात से उन्हें काफी विदेशी मुद्रा मिलती है।

अमरीका और फ्रांस कठिनाई पैदा करने वाले देश हैं । क्या कोलम्बिया और ब्राजील ने प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रीय कॉफी निधि बनाई है ? उन्होंने अमरीका एवं फ्रांस के शरारतपूर्ण रवैये को निपटने के लिये 60 किलो ग्राम वाले 15 लाख थैले पहले ही जमा कर लिये हैं ।

श्री मोहन धारिया : प्रश्न की सूचना प्राप्त होने के बाद मुझे यह जानकारी मिली है कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

जहां तक कॉफी के निर्यात का संबंध है, हमने 151 करोड़ रुपये की कॉफ़ी निर्यात की । यह निर्यात की मुख्य मद है । हमारा देश कॉफी के कुल निर्यात का 2 प्रतिशत भाग निर्यात करता है । मुख्य रूप से ब्राजील तथा कोलम्बिया अतिरिक्त कॉफी वाले देश हैं और स्वभावतः वे साथ देते हैं । कॉफी के क्षेत्र में हम भी काफी आगे हैं । देश की हितों की रक्षा के लिये सभी सम्भव सावधानी बरती जाती है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या हम ब्राजील, कोलम्बिया, ग्वाटेमाला के साथ मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी समुदाय का निर्माण कर रहे हैं जिससे हमारे हितों की रक्षा हो सके और साथ ही राष्ट्रीय कॉफी बागान निधि का निर्माण किया जा सके जिससे हमें घाटे पर कॉफी न बेचनी पड़े ? इस संबंध में सरकार ने क्या किया है ? विदेशों में कॉफी का मूल्य बढ़ने के क्या कारण हैं ? पिछले कुछ महीनों में कॉफ़ी पर निर्यात शुल्क 2,200 रुपये से घटा कर 1,600 रुपये प्रति क्विंटल क्यों कर दिया गया है । इससे देश में कॉफी का मूल्य बढ़ जायेगा ।

श्री मोहन धारिया : उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये कॉफी बोर्ड सारी खरीद करता है और निर्यात शुल्क में अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय और देशी बाजार के मूल्यों पर निर्भर है । हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है ।

हम देश में उपभोक्ताओं और उत्पादकों का पूरा ख्याल रखते हैं और विदेशी बाजार पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

नये पर्यटन केन्द्रों का विकास

*688. **श्री विजय कुमार मंडल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल वर्तमान पर्यटन केन्द्रों का ही विकास हेतु चयन किया जाता है अथवा नये पर्यटन केन्द्रों का पता लगाने के लिये भी प्रयास किये जाते हैं;

(ख) वर्ष 1974 से जून, 1977 तक कितने नये पर्यटन केन्द्रों में इस प्रयोजनार्थ कार्य आरम्भ किया गया और विकसित किये गये ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल राज्य में पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने योग्य समुद्र तट पर कोई पर्यटन केन्द्र है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में उस राज्य में किसी स्थान का चयन किये जाने की संभावना है ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) Besides continuing to develop facilities at the existing tourist centres wherever necessary, it is also the endeavour of the Department of Tourism to develop new tourist centres. This is in pursuance of the policy to diversify our tourist attractions, and to spread the tourist traffic over different regions of the country as far as feasible.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(c) and (d) : There are two sea beach resorts in West Bengal, Bakkahali and Digha. The latter, however, is more popular with domestic tourists. Facilities by way of accommodation have been provided at Digha by the State Department of Tourism and in the private sector.

STATEMENT

The following are the new centres where facilities have been provided/work initiated between June 1974 and June 1977 :——

I. DEPARTMENT OF TOURISM

Centre	Facility Provided
1. Amritsar .	Youth Hostel
2. Aurangabad	Youth Hostel
3. Bhopal	Youth Hostel
4. Dalhousie	Youth Hostel
5. Darjeeling	Youth Hostel
6. Gandhinagar	. Youth Hostel
7. Hyderabad	. Youth Hostel
8. Madras	. Youth Hostel
9. Mysore	. Youth Hostel
10. Nainital	. Youth Hostel
11. Panaji	. Youth Hostel
12. Panchkula .	. Youth Hostel
13. Patni Top	. Youth Hostel
14. Puri .	. Youth Hostel
15. Pondicherry	. Youth Hostel
16. Trivandrum	. Youth Hostel
17. Darjeeling	. Tourist Bungalow
18. Dharamsala	. Tourist Bungalow
19. Jaisalmer .	. Tourist Bungalow
20. Ludhiana .	. Tourist Bungalow
21. Mantralayam	. Tourist Bungalow
22. Porbander .	. Tourist Bungalow
23. Sewagram .	. Yatri Niwas
24. Warangal .	. Tourist Bungalow
25. Dandeli .	. Forest Lodge
26. Bharatpur .	. Forest Lodge
27. Jaldapara .	. Forest Lodge
28. Kaziranga	. Forest Lodge
29. Sasangir	. Forest Lodge
30. Sahibi Nadi	. Cafetaria-cum-retiring room

II. INDIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION

The ITDC has constructed hotels at Patna, Calcutta airport and Kovalam, and has converted the Lalitha Mahal Palace Hotel at Mysore for operation as a hotel.

डा० विजय मंडल : दिघा और बोखाली को समुद्री पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। बोखाली सुन्दरबन क्षेत्र में है और प्राकृतिक सुन्दरता से भरा है। इन सब तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार इन स्थानों का समुद्री पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये कदम उठाएगी।

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : Mr. speaker, both of these are sea beaches ..

श्री आर० मोहनरंगम : यह प्रथा है कि यदि जिस भाषा में प्रश्न किया जाए और वह भाषा मंत्री महोदय को आती हो तो वह उसी भाषा में उसका उत्तर दें । अन्यथा दक्षिण के सदस्य अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलेंगे और सदन के लिये एक कठिन स्थिति पैदा हो जायेगी । दक्षिण के लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री, यह समझें कि वह अंग्रेजी में अपनी बात भली प्रकार नहीं समझा सकता तो वह हिन्दी में उत्तर देने को स्वतंत्र है । इस संबंध में कृपया कोई विवाद न खड़ा करें ।

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : The two sea beaches mentioned by the hon. member are visited by domestic tourists in a great number. Such tourist centres are to be developed by state governments. The centre give help for the development of such centres which are frequented by foreign tourists. As both of these places are visited by domestic tourists generally state government is primarily responsible for their development. As soon as the foreign tourists begin to come there, the centre will come forward.

डा० विजय मण्डल : क्या सरकार बिशनपुर और करमपुर जैसे ऐतिहासिक स्थानों, जो रामकृष्ण परमहंस और जयरम्बती के जन्म स्थान हैं, का भी विकास करेगी क्योंकि वहां विदेशों और देश से काफी मात्रा में यात्री आते हैं ।

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : For this again will have to see whether these places are visited by domestic tourists or foreign tourists. If they are important from the point of view of foreign tourism then we will see what can be done.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : May I know whether any tourism development scheme will be drawn up for Sikkim because thousands of foreign tourists are coming there.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : We will surely draw up a scheme after visiting situation. For this I invite hon. member to accompany me.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : In my area Kausani and Piudori Glacier in Almora and Milam and Namig Glacier in Pithauragarh, are two such areas which are visited by foreign tourists in a great number. May I know whether government is formulating any scheme to develop these International tourist centres. Their names are not in this list.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : For developing the tourist centres in the whole of the country. I have written to all the States Ministers of Tourism that they should make a 'Master Plan' for the development of tourist centres from the point of view of domestic and foreign tourists and inform us about them. Along with this they have been asked to let us know the financial participation they can make and the help they want from the centre. After that we will try to develop tourist centres are also going to convene a meeting of the State Ministers of Tourism.

श्री के० मालन्ना : ये पर्यटक केन्द्र विदेशी मुद्रा अर्जित करने के मुख्य साधन हैं । क्या सरकार पर्यटन केन्द्रों का सर्वेक्षण करेगी? यदि हां, तो कौन-कौन से केन्द्रों का ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : As I have already stated all the State Ministers have been asked to prepared a Master Plan, because the primary responsibility is that of the States. No doubt we will earn foreign exchange from the development of tourism, but our main aim is not to earn foreign exchange. Our main aim is to increase the curiosity of the foreigners in our culture and history. We do not want that only rich tourists should come here, we want that other tourists who want to spend less should also come to our country. We want to remove the wrong impression about our country.

SHRI BIRENDRA PRASAD : In Bihar Rajgir is a popular tourist centre. Shri Morarji Desai has been Chairman of its development Committee. May I know whether government will formulate any scheme for its development ?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : We are preparing a Master Plan for the development of Rajgir, Nalanda and Bodhgaya as tourist centres.

SHRI SHARAD YADAV : Why government is not taking any step for the development of Meda ghat near Jabalpur which is full of natural beauty and visited by thousands of domestic and foreign tourists.

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK : I know about Medaghat as I belong to the same area. It can be developed as an important tourist centre. I will try my level best to see that it is developed as a tourist centre.

विदेशी बैंकों के खातों के जमा कर्त्ताओं को दी जाने वाली ब्याज दर में कमी

*689. **श्री शिव सम्पत्ति राम**
श्री कचरूलाल हेमराज जैन } : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशी बैंकों ने जमाकर्ताओं को अदा की जाने वाली ब्याज की दर में कमी की घोषणा की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : भारत में कारोबार करने वाली विदेशी बैंकों की शाखाओं द्वारा जमाओं पर दिये जाने वाली ब्याज की दरों में किये गये परिवर्तन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इस विषय में जारी किये गये निदेशों के अनुरूप हैं। ये निदेश भारत में कारोबार करने वाले विदेशी बैंकों की शाखाओं पर भी लागू होते हैं।

SHRI SHIV SAMPATI RAM : What is the guarantee that Foreign Banks will follow this direction fully ? What action is proposed to be taken by the government in this respect ? Why the instructions of the Reserve Bank are not applicable to non-Scheduled Banks ? If they are not applied there is danger of drainage of money out of the country. What attitude has government taken in this respect ?

श्री एच० एम० पटेल : विदेशी बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण को न मानने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वे पूरी तरह से उनका पालन कर रहे हैं। गैर अनुसूचित बैंकों को भी उनका पालन करना होता है।

SHRI KACHRULAL HEMRAJ JAIN : How many non-Scheduled Banks are there in India ? What is the difference between the Scheduled and non- Scheduled Banks ? May I know whether non-Scheduled Banks give loans to big industrialists only ? When the instructions of the Reserve Bank of India are not applicable to non-Scheduled Banks and these banks and Post-offices have not reduced the rate of interest, people will open their account in these banks only and this deposit cannot be used for government work ? What control government is going to have in view of this ?

श्री एच० एम० पटेल : यह प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न से सम्बद्ध तो नहीं है पर मैं इसका उत्तर दूंगा। रिजर्व बैंक के निदेश इन बैंकों पर भी लागू होते हैं क्योंकि बैंक विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों के ऊपर है।

SHRI SANGAT RAI : Foreign banks have been sending foreign exchange out of India. They have been violating the Foreign Exchange Regulations. We, in the days of our Congress Government nationalised 14 banks. May I know whether government will nationalise Foreign Banks to stop drainage of money to foreign countries.

श्री एच० एम० पटेल : यह प्रश्न इससे कोई सम्बन्ध नहीं रखता।

डा० वसंत कुमार पंडित : क्या माननीय वित्त मंत्री हमें बतायेंगे कि क्या विदेशी बैंकों द्वारा कम लाभ कमाए जाने के कारण ही जमा राशियों पर ब्याज की दर कम हुई है क्योंकि वे तकनीकी जानकारी मुख्यालय व्यय आदि पर व्यय दिखाकर अवैध ढंग से धन देश

से बाहर भेज देते हैं । यदि हां तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री एच० एम० पटेल : जहां तक लाभ की राशि को देश से बाहर भेजने का संबंध है, इस पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये विनियमों को लागू किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन निदेशों का पालन किये बिना किसी तरह की राशि न भेजी जाये। जब कभी मुख्यालय व्ययों आदि पर होने वाले व्यय का अनुमान का बहाना बनाकर कोई राशि बाहर भेजी जाती है तो आयकर विभाग द्वारा उसकी जांच की जाती है।

श्री डी० एन० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि ब्याज की दर में कितनी कमी की गई है और क्या ऋण देने की दर में भी इसी तरह की कटौती की जाती है। यदि हां तो कितनी ?

श्री एच० एम० पटेल : वास्तव में ऋण देने में कमी करने की कोशिश की जा रही है। इस नई ब्याज नीति को लागू करने का यह भी एक कारण है।

श्री डी० एम० तिवारी : कहां तक कमी की गई है।

श्री एच० एम० पटेल : कुछ मध्यम अवधि ऋणों पर दर 15 प्रतिशत से घटाकर 12 1/2 प्रतिशत कर दी गई है।

SHRI SUSHIL KUMAR DHARA : I want to know why the previous Government did not nationalize foreign banks where as the national banks were nationalized.

श्री एच० एम० पटेल : मेरा विचार है कि इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री बशीर अहमद : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि विदेशी बैंकों में ब्याज की दर में की गई कमी का भारतीय बैंकों में की गई जमा धनराशि के ब्याज पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

श्री एच० एम० पटेल : इस तरह की कोई बात हमारी ध्यान में नहीं आई किन्तु मेरे लिये अभी यह कहना कि इसका क्या प्रभाव क्या होगा, उचित नहीं होगा।

वित्तीय सहायता के लिये पटसन मिल के मालिक द्वारा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को आवेदन पत्र

*690. **श्री चित्त बसु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : (क) क्या किसी पटसन मिल के मालिक ने मिलों का आधुनिकीकरण करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को कोई आवेदन पत्र भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो आवेदन पत्र देने वाले मिलों का ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री **(श्री मोहन धारिया) :** (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 864/77**]

श्री चित्त बसु : मुझे यह विवरण नहीं मिला है । फिर भी मैं अपना प्रश्न पूछता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय ने पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण की समस्या पर गहराई से विचार किया है। यदि हां, तो क्या वह चाहते हैं कि इस उद्योग को सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस प्रायोजन के लिये स्थापित की गई समिति की सिफारिशों के अनुसार ऋण आदि की स्वीकृति दी जाये । क्या तदनुसार कार्यवाही करने संबंधी कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे ।

श्री मोहन धारिया : श्री नरसिम्हा की अध्यक्षता में एक कार्यदल की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त श्री बोस-मलिक की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति भी की गई थी । इन दोनों निकायों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने इस उद्योग के आधुनिकीकरण की विभिन्न योजनायें स्वीकार की हैं ।

श्री चित्त बसु : क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि 3 जुलाई को कलकत्ता में उनकी अध्यक्षता में हुई तीन पक्षीय बैठक के बावजूद भी पटसन मिल मालिकों को बड़ी संख्या में छटनी करनी पड़ी, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में कई पटसन मिलों में दूसरी पारी बंद हो गई जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 20,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। क्या यह भी सही है कि उनका कलकत्ता का दौरा करने के बाद भी लगभग 12 मिलें या तो बंद हो गई हैं या उन पर ताला-बंदी हो गई । क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि कल वहां आम हड़ताल थी ?

अध्यक्ष महोदय : आप दो से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

श्री चित्त बसु : 14 सूत्री मांगों में कच्चे पटसन की समस्याओं की जांच, उसके उत्पादन, पटसन वस्तुओं की बिक्री तथा निर्यात, आपातस्थिति के दौरान की गई अनियमितताओं को ठीक करना आदि सम्मिलित हैं। क्या वह बतायेंगे कि उनकी इन घटनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मोहन धारिया : यद्यपि यह प्रश्न उद्योग के आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है, फिर भी, मैं सभा को विश्वास में लेना चाहूंगा । मैं इन समस्याओं से भली भांति अवगत हूं । मैं वहां कच्चे पटसन की कमी के कारण गया था जो कि पटसन मिलों के लिये आवश्यक है। हमने कुछ प्रबंध किये हैं। मुझे कुछ शिकायतें भी मिली हैं । पश्चिम बंगाल के मख्य मंत्री कल यहां राज्यों के मुख्य मंत्रियों के होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिये आयेंगे । मैं उनके साथ इस मामले पर विचार विमर्श करूंगा ।

श्री चित्त बसु : उन्होंने मामला स्पष्ट नहीं किया । उन्होंने भारतीय पटसन मिल ऐसोसियेशन को जो निदेश दिए हैं, उनका उल्लंघन किया गया है ।

श्री मोहन धारिया : मुख्य मंत्री के साथ इस मामले पर बातचीत करने के पश्चात् ही मुझे सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी और तब यदि पता चलेगा कि किसी व्यक्ति ने समझौते का उल्लंघन किया तो फिर हम सोचेंगे कि उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : पूर्वी क्षेत्र में कई पटसन मिलों ने बन्द या तालाबन्दी की घोषणा कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 2 लाख श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। और स्थिति गंभीर हो गई है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या यह सही है

कि औद्योगिक वित्त निगम से वित्तीय सहायता न मिलने के कारण 13 मध्यम तथा छोटी पटसन मिलें बन्द हो गई हैं, और यदि हां तो, सरकार का इस संबंध में क्या करने का प्रस्ताव है।

श्री मोहन धारिया : जहां तक रुग्ण पटसन मिलों का संबंध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप लगभग 5 मिलें पुनः खुल जायेंगी और शीघ्र ही उत्पादन आरंभ कर देंगी। कच्चे पटसन की सप्लाई आधुनिकीकरण जैसी कई और भी समस्यायें हैं। हम इन सब बातों को ओर ध्यान दे रहे हैं और पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्य सरकारों के विचार विमर्श तथा सहयोग करके हम इस मामले को हल करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री वेदव्रत बरूआ : मंत्री महोदय के वक्तव्य में लगभग सभी बड़ी पटसन मिलों को सम्मिलित किया गया है। उनमें से कई रुग्ण हैं या बन्द हो चुकी हैं, या पुनः खुल रही हैं। इसमें करोड़ों रुपया लगेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन्हीं प्रबन्ध व्यवस्थाओं के कारण आज इन मिलों की यह दशा हुई है, सरकार की इस बारे में क्या नीति है। यदि आप इनका प्रबंध ठीक नहीं करेंगे तथा इनकी प्रबंध व्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण नहीं रखेंगे तो फिर उन मिलों की वैसी ही दुर्दशा हो जायेगी। मुझे पता नहीं है कि अन्य वित्तीय संस्थाओं से उनके पास कितना पैसा आ रहा है। दुसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार विनिर्मेयता खंड को लागू करना चाहती है, जिसे भूतपूर्व सरकार ने लागू किया था। इस खंड का उद्देश्य यह है कि यदि मिल में सुधार नहीं होता तो सरकार उसे अपने अधिकार में ले लेगी। क्या सरकार ऐसा करने जा रही है।

श्री मोहन धारिया : मैं इस सुझाव को अपने ध्यान में रखूंगा। किन्तु साथ ही मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि जहां कहीं संस्थागत वित्त उपलब्ध किया जाता है, वहां हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक हमें गारंटी नहीं मिलेगी कि प्रबंध व्यवस्था उचित होगी तब तक वह धनराशि उपलब्ध नहीं की जायेगी।

आयातित खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ाने का निर्णय

*691. **श्रीमती वी० जयलक्ष्मी**
श्री के० ए० राजन : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आमतित खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ाने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इसका उपभोगताओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) व (ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खरीदे गये खाद्य तेलों के मूल्यों के बढ़ जाने के परिणामस्वरूप, वनस्पति उद्योग को सप्लाई किए जाने वाले आयातित सोयाबीन के तेल तथा ताड़ के तेल का निर्गम मूल्य जुलाई-सितम्बर, 1977 की तिमाही के लिए बढ़ा दिया गया है। इस तिमाही के लिए आयातित तेलों के कोटे को 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने का भी निर्णय किया गया है। 75 प्रतिशत कोटे के लिए यह वृद्धि 500 रुपए प्रति मीटरी टन है और शेष 15 प्रतिशत कोटे के लिए यह वृद्धि 2250 रुपए प्रति मीटरी टन है।

(ग) इसके परिणामस्वरूप खाद्य तेलों, जिसमें वनस्पति घी भी शामिल है, के खुदरा मूल्यों में वृद्धि नहीं की जाएगी। वनस्पति घी विनिर्माता एसोसियेशन ने आश्वासन दिया है कि वे वनस्पति घी का मूल्य नहीं बढ़ाएंगे। इस बारे में हर प्रकार की सावधानी बरती जा रही है कि उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत केवल दिल्ली जैसे महानगरों को खाद्य तेलों की सप्लाई की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य तेल कम कीमत पर सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं क्योंकि उपभोक्ताओं की संख्या वहां अधिक है।

श्री मोहन धारिया : जहां तक वनस्पति का सम्बन्ध है, समुचे देश में इसका मूल्य समान है। यह सही है कि हमने परिशोधित तेल बड़े बड़े केन्द्रों में भेज दिया है। किन्तु, हमें पूरा विश्वास है कि बड़े बड़े केन्द्रों को खाद्य तेल की सप्लाई करने से इसकी सप्लाई उचित कीमतों पर ग्रामीणों क्षेत्रों में भी होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि खाद्य तेल ग्रामीण क्षेत्रों में भी उचित दर पर उपलब्ध हो।

श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : कहा गया है कि अब आवश्यकता के 90 प्रतिशत भाग का आयात किया जायेगा। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों को कितना प्रतिशत भाग दिया जायेगा। यद्यपि, उपभोक्ताओं की अधिक संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है तथापि, उन्हें खाद्य तेल की सप्लाई नहीं हो रही है।

श्री मोहन धारिया : जहां तक 90 प्रतिशत का सम्बन्ध है, यह वनस्पति निर्माताओं को कच्चे खाद्य तेल की सप्लाई के बारे में है। 75 प्रतिशत की बजाय हम उन्हें 90 प्रतिशत दे रहें हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि वनस्पति की कीमत न बढ़े।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम सांविधिक मुल्य निर्धारण

†27. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ के न्यूनतम सांविधिक मूल्य निर्धारण में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि रबड़ का मूल्य कम होने के कारण रबड़ के छोटे उत्पादकों को हानि उठानी पड़ रही है; और

(घ) क्या सरकार रबड़ उत्पादकों के लिए लाभप्रद न्युनतम सांविधिक मूल्य की घोषणा करेगी?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं। सरकार इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि छोटे उपजकर्त्ताओं को अपने उत्पाद की उचित कीमत नहीं मिल रही है। रबड़ की कीमत घटती-बढ़ती रही है। अगस्त, 1974

में लाट रबड़ (ग्रेड 3, 4 तथा 5) की कीमत बढ़ कर 10-12 रु० प्रति क्विंटल हो गई जब कि सरकार द्वारा ग्रेड 1 रबड़ (आर० एम० ए० 1-X) की न्यूनतम कीमत 520 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित की गई थी। अक्तूबर, 1976 में लाट रबड़ की कीमत गिरकर 520 रु० प्रति क्विंटल रह गई। इस समय यह कीमत 640 रु० प्रति क्विंटल के आस पास चल रही है। न्यूनतम अधिसूचित कीमत बढ़ाने की एक प्रस्तावना विचाराधीन है।

(घ) आशा है कि निकट भविष्य में निर्णय ले लिया जाएगा)।

श्री वयालार रवि : केरल में सभी लोगों के लिए यह चिन्ता की बात है और श्रीमान आपने यह प्रश्न स्वीकार किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री, श्री मोहन धारिया केरल के रबड़ उत्पादकों की सहायता करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। साथ ही मैं उनका ध्यान रबड़ उत्पादकों की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 1,77,000 टन के कुल उत्पादन में से 71 प्रतिशत का उत्पादन छोटे-छोटे उत्पादकों द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : वह इन सब बातों को जानते हैं। आपने स्वयं कहा है कि वह एक योग्य मंत्री हैं। कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री वयालार रवि : कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए। सभा को भी समस्या की गंभीरता को महसूस करना चाहिए। इन 1,77,000 टनों का उत्पादन 1,03,000 छोटे-छोटे उत्पादकों द्वारा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कृपया प्रश्न से सम्बन्धित बात कीजिए।

श्री वयालार रवि : इससे 1,60,000 लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। उत्पादन लागत ...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा इसे रिकार्ड में नहीं रखा जायेगा। आप प्रश्न पूछिए।

श्री वयालर रवि : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है।

श्री वयालर रवि : 1970 में रबड़ का सांविधिक मूल्य निर्धारित करने के कारण इसकी उत्पादन लागत बढ़ गई है। न्यूनतम मजूरी 3.50 रु० से बढ़कर 8.50 रुपये हो गई है और उर्वरक मूल्य जो 1970 में था, वह बढ़कर लगभग दूगने से भी अधिक हो गया है। इसके अरिरिक्त अन्य अपेक्षित वस्तुओं, जिनमें कीटनाशी दवा भी है, के मूल्य भी बढ़ गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तथा साथ ही सरकार तथा निर्माताओं के बीच 1975 में हुए समझौते को मद्दे नजर रखते हुए ...

अध्यक्ष महोदय : मेरे आदेशों का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। आप प्रश्न पूछिए . . .

श्री वयालार रवि : मुझे अपने अधिकारों का पता है। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक प्रश्न पर दो प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं। इस लिए दो से अधिक प्रश्न एक साथ नहीं जोड़े जा सकते। हांलांकि नियमों के अन्तर्गत केवल एक ही प्रश्न

की अनुमति है । इस सत्र में दो प्रश्न जोड़ने की अनुमति दे रहा हूं। यदि दो से अधिक हुए तो मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री वयालार रवि : इसके लिए मुझे पृष्ठ भूमि भी बतानी है । पता नहीं आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं। मैं रबड़ उद्योग का प्रतिनिधित्व करता हूं और उनकी समस्याओं से भली भांति अवगत हूं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : जो कोई भी चिल्लाता है, उसे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(**व्यवधान**)

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह सारी गड़बड़ी इसलिए हुई है कि आपने उनको जोर से कहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए मुझे खेद है। मैंने जोर से इसलिए कहा क्योंकि वह निदेशों की निरंतर अवहेलना कर रहे थे।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : उन्होंने आपकी बात की अवहेलना नहीं की है। आपने उनसे प्रश्न पूछने के लिए कहा और उन्होंने खड़े होकर प्रश्न पूछा है।

श्री वयालार रवि : हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। इसके लिए मुझे खेद है।

केरल में 3.8 लाख लोगों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय उस निर्णय पर शीघ्र अमल करेंगे जो कि दो वर्षों से सरकार के समक्ष निलंबित पड़ा हुआ है?

श्री मोहन धारिया : माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त चिन्ता से सरकार भली भांति अवगत है। रबड़ की न्यूनतम कीमत निर्धारित करते समय उनकी विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जायेगा। हम उत्पादकों तथा रबड़ उद्योग में कार्य कर रहे श्रमिकों के हितों को भी ध्यान में रखेंगे।

श्री वयालार रवि : क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि कुल प्राकृतिक रबड़ के 80 प्रतिशत भाग का उपयोग बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जाता है। क्या मूल्य निर्धारण का प्रश्न गत दो वर्षों से वित्त मंत्रालय के पास निलम्बित पड़ा हुआ है और क्या इस बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभाव से हर चीज पर रोक लगी हुई है? वे एक क्विंटल प्राकृतिक रबड़ की कीमत 1,000 रुपये वसूल करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राकृतिक रबड़ की न्यूनतम कीमत निर्धारित करने में ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां वित्त मंत्रालय पर किसी प्रकार का प्रभाव न डालें?

श्री मोहन धारिया : मैं इस बात का खण्डन करना चाहता हूं कि एकाधिकार कम्पनियों का वित्त मंत्रालय पर कोई प्रभाव है। इसके विपरीत फाइल मंत्रि-मंडल को भेज दी गई है। अब यह मंत्रि-मंडल के विचाराधीन है, और यथा संभव शीघ्र इस पर निर्णय ले लिया जायेगा। मैं आपको यह भी बता दूं कि जब से जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से एकाधिकार गृहों का प्रभाव समाप्त हो गया है।

SHRI UGRASEN : From the reply given by the Hon. Minister it appears that this matter has been under the consideration of the Government for the 2½ years and they have not taken any decision thereon. I want to know from the Hon. Minister as to what were the factors responsible for this delay. As this a important matter relating to about 3 lakhs of workers. I want to know by what time Government will be able to take decision in this regard ?

SHRI MOHAN DHARIA : Mr. Speaker, this matter is regarding the fixation of support price of rubber. Last time its price was fixed at Rs. 520/- and as I have stated just now the producers said that it was not remunerative price. We will keep in view the interests of produces as well as the industry while fixing the support price. The interest of the country will also have to be kept in view while doing so.

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : क्या यह सही है कि प्राकृतिक रबड़ का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की थी। क्या यह भी सही है कि उनका प्रतिवेदन आने के बाद उस प्रतिवेदन की लागत लेखा विशेषज्ञों ने जांच की और उन्होंने भारत सरकार को न्यूनतम मूल्य की सिफारिश की है। यदि हां तो, क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि न्यूनतम मूल्य निर्धारण करने में किन कारणों से विलम्ब हुआ है ?

श्री मोहन धारिया : यह सही है कि इस प्रश्न की एक समिति द्वारा जांच की गई है और समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद इस पर वाणिज्य मंत्रालय ने विचार किया। स्वाभाविक रूप से इस पर वित्त तथा उद्योग मंत्रालय को भी विचार करना था। जब उन्होंने भी इसकी जांच कर ली तो यह मंत्रि मंडल के पास भेजा गया है। इन तीन मंत्रालयों ने इसकी जांच की है और अब इस पर मत्रिमंडल निर्णय लेगा। माननीय सदस्य की इस मामले के बारे में जो चिन्ता है, उसका हमें पूरा पता है और हम यथा संभव शीघ्र इस पर निर्णय ले लेंगे।

डा० वी० के० सईद मुहम्मद : रबड़ बोर्ड के चेयरमैन के हाल के वक्तव्य से ऐसा लगता है कि 1977 में लगभग 70,000 टन रबड़ बजार में आ जायेगा जिसके फलस्वरूप इसके मूल्य में काफी गिरावट आयेगी। क्या सरकार इस के मूल्य में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

सरकार या तो अतिरिक्त मात्रा खरीद ले अथवा इसका निर्यात बढ़ा दे।

श्री मोहन धारिया : हमें पता है कि शायद इसका आंतरिक उत्पादन हो और इसलिए उत्पादकों के हित को ध्यान में रखते हुए हमने इस वर्ष 12,000 टन रबड़ के निर्यात का निर्णय लिया है। दूसरे यदि आवश्यक हुआ तो बोर्ड यथा संभव अधिकाधिक रबड़ की खरीद कर लेगा।

श्री वी० एम० सुधीरन : 1976 में रबड़ का कुल उत्पादन 1,70,000 टन हुआ। इसमें से कुल 1,30,000 टन रबड़ खरीदा गया। इस वर्ष शेष 40,000 टन रबड़ फालतू रह गया। मैं जानता हूं कि गत 3 वर्षों में केवल 20,000 टन रबड़ का निर्यात किया गया। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि देश में जो अतिरिक्त रबड़ है, उसके निर्यात के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्री मोहन धारिया : शायद माननीय सदस्य को याद नहीं होगा कि रबड़ की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत हमारे देश में चल रही कीमत से कम है। यदि हम इसका निर्यात करेंगे तो हमें इसके लिए राज सहायता देनी पड़ेगी। फिर भी उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय उर्वरक निगम, नंगल यूनिट के कर्मचारियों के वेतनों से गेहूं ऋण की वसूली

*686. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नंगल यूनिट ने सरकारी उद्यम ब्यूरो के अनुदेश पर मई, 1977 में गेहूं की खरीद के लिये कर्मचारियों को दी गई समस्त 300 रुपये की अग्रिम राशि की वसूली उनसे ब्याज के बिना दस बराबर किस्तों में करने की बजाय ब्याज सहित एक मुश्त में करने के आदेश जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार, सरकारी उद्यम ब्यूरो को अपने अनुदेश पुनरीक्षित करने के निदेश जारी करेगी विशेषकर उन राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के बारे में जो अपनी आवश्यकता से अधिक गेहूं का उत्पादन करते हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। जिन कर्मचारियों ने अनाज खरीदने के लिए ली गई अग्रिम राशि का या तो बिल्कुल उपयोग नहीं किया या खुले बाजार से अनाज खरीदा था, उनसे इस रकम की ब्याज सहित एक मुश्त वसूली करने का निर्णय, ऐसी ही परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बारे में अपनाई गई सरकारी नीति के अनुसार किया गया था।

(ग) अब सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामले में यह निर्णय किया है कि इनमें से जिन कर्मचारियों ने खुले बाजार से अनाज खरीदा था, उनसे अग्रिम राशि ब्याज सहित छः बराबर मासिक किस्तों में वसूल की जाय और कर्मचारियों के लिए खरीद की कोई रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। सरकारी उद्यम कार्यालय ने भी सभी सरकारी उद्यमों को तदनुरूप अनुदेश जारी कर दिये हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में उच्चतम पदों पर रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों का नियुक्त किया जाना

*692. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों में उच्चतम पदों पर रिज़र्व बैंक आफ इंडिया के अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और उद्देश्य क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के उच्चतम पदों पर रिज़र्व बैंक और सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाय। सरकार

का यह निश्चित विचार है कि उच्चतम पदों पर ऐसी नियुक्तियां उपलब्ध सर्वोत्तम व्यक्तियों में से तथा प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर की जानी चाहिए ।

'रुग्ण' कपड़ा एककों को 'स्वस्थ' एककों के साथ मिलाना

†693. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिगृहीत 'रुग्ण' कपड़ा एककों को एक ही क्षेत्र अथवा राज्य में मिलाकर एक सक्षम एकक बना देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्व बैंक से सहायता में कमी

†694. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी मुद्रा संसाधनों में सुधार के कारण विश्व बैंक ने भारत को विदेशी सहायता देने में कमी कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और भारत सरकार ने विश्व बैंक से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता है ।

टिम्बर पर उत्पाद शुल्क

*695. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के कुमाऊं, गढ़वाल तथा उत्तराखण्ड मंडलों के वनों से निकाले गए टिम्बर के विक्रय मूल्य पर 1 प्रतिशत यथा मूल्य उत्पादन शुल्क लगाने के लिए गत चार वर्षों में कोई अधिसूचना जारी की थी ।

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी ;

(ग) इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्रति वर्ष कितने राजस्व की वसूली हुई; और

(घ) क्या इस अधिसूचना में टिम्बर को, जो कि एक कच्चा माल है, काष्ठ उत्पाद माना गया है और यदि हां, तो उक्त मान्यता का क्या आधार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) प्रश्न में उल्लिखित प्रकार की कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है ।

(ख), (ग) तथा (घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, इन तीनों भागों में उठाए गए प्रश्न नहीं उठते है ।

EXPORT OF CUTLERY

*696. SHRI ISHWAR DHOUDHARY : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Indian cutlery is gaining popularity in foreign countries and if so, the names of the countries which are purchasing crockery from India;

(b) the quantity and the value of the crockery exported by India during the last two years; and

(c) the efforts being made to promote the export of cutlery ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) and (b) Both Indian cutlery and crockery are being exported to a number of countries. While in the case of cultlery the major importing countries are U. K., Hungary, Poland and United Arab Emirates, the major importers of Indian crockery are Dubai, France, Kuwait, Nepal, Malawi and U.S.A. The quantity figures of exports are not available. The value of exports of cutlery and crockery during the last two years is as under :

Rs. lakhs

1975—76		1976—77	
Cutlery	Crockery	Cutlery (April-Feb. 77)	Crockery
63.69	10.50	54·18	7.50

(c) The measures taken for promoting exports of cutlery cover (i) market survey in potential markets (ii) display of Indian cutlery in the showroom of the Engineering Export Promotion Council, London and (iii) inclusion of cutlery exporters in the Sales Team/Delegation sponsored by the Council. In the case of crockery, the chemicals and Allied Products Export Promotion Council is sponsoring during the current year a six member Joint Sales Team for ceramic Industry including crockeryware to USA, Canada, U.K. and West Germany. Besides exports of cutlery and crockery are also encouraged by grant of export incentives such as import replenishment.

दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए मोटा कपड़ा उपलब्ध न होना

†697. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में निर्बल वर्ग के लोगों के लिए निर्मित मोटा कपड़ा उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या ठोस कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) स्पष्टतः कंट्रोल के कपड़े की ओर संकेत है । 1 जनवरी, 1977 से कंट्रोल के कपड़े की संशोधित योजना के अनुसार हर तिमाही में 10 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन-स्तर रखा गया है । जनवरी-मार्च, 1977 की तिमाही के दौरान लगभग 9.6 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन स्तर प्राप्त हुआ । अप्रैल-जून, 1977 की तिमाही के दौरान अनन्तिम रूप से उपलब्ध आंकड़े लगभग 8.3 करोड़ वर्ग मीटर के लगभग हैं ऐसी संभावना है कि उत्पादन की पूरी सूचना मिल जाने के बाद

इन आंकड़ों में वृद्धि हो जाएगी । कंट्रोल के कपड़े की प्राप्यता काफी हद तक प्रस्तावित उत्पादन-स्तरों के अनुरूप ही है । फिर भी, उत्पादन दायित्व को संपूर्ण रूप में पूरा करने के लिए तथा कंट्रोल के कपड़े की और अधिक प्राप्यता निश्चित करने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

पटसन उत्पादकों को वास्तविक मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए कार्यवाही

*698. **श्री दिनेश जोरदर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको भारतीय पटसन निगम के प्राथमिक बाजार में कच्चे पटसन को खरीदने के केन्द्रों पर व्याप्त भारी भ्रष्टाचार की जानकारी है ;

(ख) क्या इन कदाचारों को रोकने के लिये कोई सतर्कता व्यवस्था है ;

(ग) जब पटसन उत्पादक भारतीय पटसन निगम केन्द्रों पर पटसन लाते हैं, उस समय उनकी वास्तविक किस्म और मात्रा के लिये वास्तविक मूल्य दिलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय पटसन निगम का पुनर्गठन करने का है ताकि पटसन उत्पादकों की समस्याओं और आन्दोलनों से सम्बन्धित अधिक व्यक्ति उसमें लिये जाएं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) सरकार खरीद केन्द्रों में चल रहे कुछ भ्रष्टाचार से अवगत है। प्राथमिक बाजारों में भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद में कदाचार रोकने के उद्देश्य से पर्याप्त सतर्कता व्यवस्था कायम की गई है। ऐसे सभी मामलों में, जिनकी सूचना मिलती है, अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है ।

(ग) उत्पादकों को उनके माल के लिये सही कीमतें प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करने के लिये विस्तृत कार्य-विधियां बनाई गई हैं ।

(घ) जी नहीं ।

पेरिस में एड इंडिया कन्सोर्टियम के देशों की बैठक

†699. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में 13 देशों के एड इंडिया कन्सोर्टियम की भारत की आर्थिक समस्याओं और संभावनाओं का पुनरीक्षण करने के लिए पेरिस में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) सरकार ने उस से कितनी सहायता की मांग की थी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां । भारत सहायता संघ की बैठक (विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ और तेरह देश जिनके सदस्य हैं) 4 और 5 जुलाई, 1977 को पेरिस में हुई थी ।

(ख) सहायता संघ की बैठक के बाद विश्व बैंक द्वारा जारी की गई प्रैस प्रकाशनी की प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-865/77] सहायता संघ के सदस्यों द्वारा वर्ष 1977-78 के लिए कुल मिलाकर 2.1 अरब अमरीकी डालर की सहायता का वचन दिये जाने की सम्भावना है।

(ग) परम्परा से यह बात चली आ रही है कि भारत सरकार द्वारा किसी खास रकम की मांग नहीं की जाती।

कम मूल्य वाले होटल, मोटल, होस्टल तथा बंगलों के निर्माण की योजना

***700. श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1977-78 के दौरान स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों के लिये देश में कम मूल्य वाले परन्तु आरामदायक पर्यटक होटल, मोटल, होस्टल तथा बंगले आदि बनाने हेतु कोई ठोस योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) 1977-78 के पुनरीक्षित योजनागत परिव्यय में सम्मिलित की गयी स्कीमों का एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

I. 1977-78 की पुनरीक्षित वार्षिक योजना में सम्मिलित की गयी स्कीमों का विवरण :--

1. **भुवनेश्वर में यात्री लॉज का विस्तार**

   रेस्टोरैंट व कॉफी शॉप, केन्द्र प्रचालित गर्म पानी की सप्लाई, दुकानों, टेलिफोनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए चेनल संगीत, कार पार्किंग तथा स्थल दृश्य योजना आदि जैसी सहायक सुविधाओं सहित 24 कमरों की वृद्धि।

2. **जयपुर में स्वागत केन्द्र-व-मोटल -- 44 कमरे**

   सम्मेलन पार्टी कक्ष, रेस्टोरैंट, बार, दुकानें, काउंटर आदि।

3. **कार्बट राष्ट्रीय उद्यान (उत्तर प्रदेश) में फॉरेस्ट लॉज :**

   गुसलखानों सहित 24 डबल शय्याओं वाले कमरे।

4. **बांदीपुर वन्य जीवकरण स्थल (कर्णाटक) में फॉरेस्ट लॉज।**

   गुसलखानों सहित 24 डबल शय्याओं वाले कमरे।

5. **कान्हा राष्ट्रीय उद्यान (मध्य प्रदेश) में फॉरेस्ट लॉज।**

   गुसलखानों सहित डबल शय्याओं वाले 24 कमरे।

6. **गंगटोक** (सिक्किम) में युवा होस्टेल--44 शय्याएं।

7. **शिलांग** (मेघालय) में युवा होस्टल——44 शय्याएं।

8. **गोरखपुर** (उत्तर प्रदेश) में पर्यटक बंगला —— 30/40 शय्याएं।

9. **नौगढ़** (उत्तर प्रदेश) में पर्यटक बंगला ——30/40 शय्याएं।

10. **अजमेर** (राजस्थान) में पर्यटन बंगले का विस्तार——12 डबल कमरे।

11. **डीग** (राजस्थान) में पर्यटक बंगले का विस्तार——14 डबल कमरे।

II. कार्यान्वित की जा रही स्कीमें

(1) दो युवा होस्टलों ——मैसूर (कर्नाटक) तथा पांडिचेरी में एक-एक पर इस समय कार्य चल रहा है और पूरा होने पर प्रत्येक में पांच रुपए प्रति शय्या प्रति रात्रि की दर से 46-46 शय्याओं की व्यवस्था होगी। जेसलमेर (राजस्थान) के पर्यटक बंगले में 17 शय्याओं तक के अतिरिक्त आवास स्थान का निर्माण किया जा रहा है। किराया प्रति शय्या प्रति रात्रि 15/- रुपए से 45/- रुपए के बीच होगा। सेवाग्राम (महाराष्ट्र) में पर्यटक बंगले (यात्री निवास) का जिसमें 92 शय्याओं की व्यवस्था होगी, निर्माण का आरम्भ किया जा रहा है।

2. ससनगिर (गुजरात) में फॉरेस्ट लॉज

गुसलखानों सहित 24 डबल कमरे।

III. प्रस्तावित स्कीमें

कम धनाढ्य विदेशी पर्यटकों तथा अन्तर्देशीय पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, सरकार का नई दिल्ली में एक जनता होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है। यह होटल किसी केन्द्रीय स्थान पर स्थित होगा तथा प्रथम चरण में 500 शय्याओं की व्यवस्था करेगा, जिसमें एक स्वयं सेवा वाले केफेटारिया तथा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। स्कीम की जांच की जा रही है।

अमरीका में हथकरघा कपड़े की लोकप्रियता

701. **श्री निहार लास्कर :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में एक नये प्रकार के हथकरघा कपडे की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को बड़ी संख्या में क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। लेकिन वह कपड़ा समिति द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण बुक किये गये माल को भेजने में असमर्थ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या-क्या मुख्य आपत्तियां उठाई गई और सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने और उन्हें माल भेजने की अनुमति देने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) ऐसे संकेत हैं कि कुछ मेटलिक यार्न से बने हथकरघा वस्त्र, तैयार सामान तथा परिधान संयुक्त राज्य अमरीका में लोक प्रिय हो रहे हैं।

(ख) तथा (ग) सरकार को कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि कुछ प्राइवेट निर्यातकों द्वारा कतिपय आजमायशी क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। इन निर्यातों को रोका नहीं जा रहा है।

वस्त्र समिति ने सरकार से इन निर्यातों से सम्बन्धित कतिपय मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा था अब इन मामलों का स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

CONSTRUCTION OF HOTELS IN PRIVATE SECTOR

*702. SHRI MANI RAM BAGRI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to accord their approval for construction of hotels in private sector; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) The Department of Tourism is already approving hotel projects in private sector also which conform to the prescribed minimum standards. Such approval is given as and when project proposals are received.

(b) The private sector is encouraged to set up more hotels conforming to prescribed standards because of the substantial gap between the hotel accommodation presently available in the country and the accommodation actually required.

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये सांविधिक लेखापरीक्षक

***703. श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इन्डिया किस आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये सांविधिक लेखा-परीक्षक नियुक्त करता है ; और

(ख) क्या केवल कुछ चार्टर्ड एकाउन्टेंटों को ही बार-बार यह काम सौंपा जाता है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) सभापटल पर एक विवरण रखा जा रहा है।

विवरण

(क) और (ख) बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10 (1) के अधीन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की वार्षिक लेखा परीक्षा करने के लिए लेखा-परीक्षकों (आडिटर्स) की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से, बैंकों के निदेशक मण्डलों द्वारा की जानी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखा कार्य में सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षा और शाखाओं की लेखापरीक्षा शामिल होती है। राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा नियुक्त सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक समग्रत: उस बैंकिंग कम्पनी के लेखों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शाखाओं की लेखापरीक्षा, केन्द्रीय लेखापरीक्षकों और शाखा लेखापरीक्षकों, दोनों ही द्वारा आबंटन की एक योजना के अधीन की जाती है जिसके अनुसार सामान्यत: अपने मुख्यालयों की निकटवर्ती शाखाएं उन्हें आबंटित हो जाती हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के विषय में निम्नलिखित प्रथा का अनुसरण किया जाता है :—

केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षा :

राष्ट्रीयकृत बैंकों में केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में भारत के नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक ने अप्रैल, 1970 में, सरकार को 56 लेखापरीक्षक फर्मों की एक

नामिका दी थी जिन पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने के लिए विचार किया जाना था। सरकार ने यह सूची भारतीय रिज़र्व बैंक को भेज दी। बाद में रिज़र्व बैंक ने इसमें दो नाम और बढ़ाये। भारतीय रिज़र्व बैंक उक्त सूची में से एक—सूची बनाकर सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों को भेजता है। इन नामों को भेजने में भारतीय रिज़र्व बैंक अनेक बातों का ध्यान रखता है, जैसे फर्म का गठन, इसके भागीदारों की संख्या, फर्म के दफ्तर/शाखाओं के स्थान जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों का केन्द्रीय कार्यालय/प्रधान कार्यालय है उससे लेखापरीक्षा फर्म की निकटता आदि। रिज़र्व बैंक लेखापरीक्षा के कार्य का विविधीकरण भी सुनिश्चित करता है और यथासंभव यह निश्चित करता है कि कोई विशेष लेखापरीक्षा फर्म एक से अधिक बैंकों की सांविधिक लेखापरीक्षा से सम्बन्ध न हो।

इस बात को देखते हुए कि फर्मों की अनुमोदित सूची में केवल 58 ही नाम थे, लेखापरीक्षकों की कुछ फर्मों राष्ट्रीयकृत बैंकों की सांविधिक लेखापरीक्षा करने के लिए बारम्बार नियुक्त हो जाया करती थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना दी है कि इस संबंध में 1974 वर्ष से आगे लेखापरीक्षकों की फर्मों की क्रम निर्धारण (रौटेशन) का अनुसरण किया जा रहा है और इसका उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए नामिका में से लेखापरीक्षकों की नयी फर्मों को अवसर दिया जाये। इस नीति के अनुसरण में प्रायः लेखापरीक्षकों की फर्मों को, किसी खास बैंक के लिए लेखा कार्य की 3 वर्ष की अवधि के बाद बदल दिया जाता है और कोई भी फर्म किसी बैंक की लेखा परीक्षक के रूप में 5 वर्ष से अधिक नहीं रखी जाती।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सांविधिक लेखापरीक्षा कुछ ही हाथों में केन्द्रित न हो जाये, सरकार ने हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया है कि वह केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों की नामिका के वर्धन के प्रश्न पर विचार करे जिससे चयन और नियुक्ति का कार्य व्यापकतर विचार क्षेत्र में से हो सके।

शाखाओं की लेखापरीक्षा :

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के सिलसिले में भारत के नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक ने अप्रैल, 1970 में लेखापरीक्षा फर्मों की 60 नामों की एक नामिका प्रस्तुत की थी जिन पर शाखा लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार हो सकता था। भारत के नियन्त्रक तथा महा लेखापरीक्षक समय-समय पर नामों की और सूचियों से उपर्युक्त सूची में शामिल करने के लिए भेजते रहे हैं। इस समय, इस सूची में लेखापरीक्षा फर्मों के दो हजार से अधिक नाम शामिल हैं। शाखा लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रति वर्ष लेखापरीक्षा फर्मों का प्रारम्भिक चुनाव रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त सूची में से भेजी गयी फर्मों की सूची में से किया जाता है। इन लेखापरीक्षा फर्मों की सूची राष्ट्रीयकृत बैंकों को उपलब्ध कराते समय भारतीय रिज़र्व बैंक जिन बातों पर विचार करता है, वे ये हैं :—बैंक का परिचालन क्षेत्र, इसकी शाखाओं का जाल, लेखापरीक्षा फर्म के कार्यालयों की अवस्थिति और बैंक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए चुनी गयी शाखायों की संख्या। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से चुने गये लेखापरीक्षा फर्मों के नाम, अधिनियम की अपेक्षा के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन फर्मों के नाम अनुमोदित हो जाने के बाद शाखा-लेखा परीक्षा कार्य का फर्मों के बीच वास्तविक नियतन स्वयं बैंकों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बतलाया है कि वर्ष 1976 के लिए 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कुल मिलाकर शाखा-लेखापरीक्षा के

लिए लगभग 1500 लेखापरीक्षा फर्मों का अनुमोदन/नियुक्ति की थी। इस विषय में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि मुकस्तिल क्षेत्रों में प्रधान कार्यालय वाली अधिकांश लेखापरीक्षा फर्मों को राष्ट्रीयकृत बैंकों का लेखापरीक्षा कार्य आबंटित किया गया है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली आदि महानगरीय केन्द्रों में लेखापरीक्षा फर्मों का घना जमाव है। बैंकों की इन स्थानों पर सीमित संख्या में ही ऐसी शाखाएं हैं जो 3 वर्षीय क्रम (रौटेशन) की प्रणाली के अधीन हर वर्ष लेखा-परीक्षा के लिए चुनी जाती है। अतः भारतीय रिजर्व बैंक इन केन्द्रों पर भी शाखा-लेखापरीक्षा की रौटेशन प्रणाली चालू करने पर विचार कर रहा है ताकि जो लेखापरीक्षक बहुत लम्बे समय तक लगातार लेखापरीक्षा कार्य से संबंद्ध रहे हैं, उन्हें कुछ समय के लिए रोक दिया जाये और उनके स्थान पर नामिका में से लेखापरीक्षकों की दूसरी फर्मों को लेखापरीक्षा कार्य सौंपा जा सके ताकि न्याय पूर्ण वितरण सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों का विलय

*704. **श्री सौगत राय :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चार राष्ट्रीयकृत सामान्य बीमा कम्पनियों का एक कम्पनी में विलय करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर अभी विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा क्लर्कों/टाइपिस्टों के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा

5304. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक ने क्लर्कों, टाइपिस्टों और ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षा की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं की है जिन्हें दिसम्बर, 1976 से स्थगित किया जाता रहा है, जबकि एस० ए० एस० परीक्षा और आडिटरों के लिए रेवेन्यू आडिट एग्जामीनेशन जैसी अन्य परीक्षाएं, जिन्हें इसी भांति स्थगित किया गया था, बाद में ली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और इस अन्याय को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) क्लर्कों/टाइपिस्टों और समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए सितम्बर/अक्तूबर, 1977 में विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं लेने का निर्णय किया गया है।

3—767 LSS/77

LAPSE OF L.I.C. POLICIES

5305. SHRI CHAUDHARY MOTIBHAI : Will the Minister of FINANCE ANI REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the date on which the rule providing for lapse of L.I.C. policies on non-payment o annual premia for five years instead of two years was introduced and the reasons therefor

(b) whether Government are aware that this has adversely affected mostly the pooi and the rural people; and

(c) whether Government propose to revert to the old rule of two years keeping in view the convenience of the poor and the rural people ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) The LIC has not so far introduced a rule to the effect that a life insurance policy would lapse, if premiums thereunder have not been paid for five years. Under the rules of the LIC currently in force, which are in conformity with the provisions of the Insurance Act, 1938 in this regard, a policy issued by the LIC would lapse, only if premiums thereunder have not been paid for at least three consecutive years.

In this connection, it may be stated that a policy issued by the LIC acquires surrender value if premiums are paid for three consecutive years. Further, a policy which has acquired surrender value has to be kept alive for a paid-up sum insured, even if further premiums are not paid. With effect from 1-1-1976 the provision in the Act in regard to grant of paid up policies was modified to the effect that premiums should have been paid for five years or one-fourth of the original premium paying period, whichever is less, subject to minimum of three years of premium payments. This condition for eligibility for paid-up sum insured does not affect the polyholder's right to obtain the surrender value under a policy secured in terms of the relevant rules pertaining to surrender value.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा सरकार के निदेशों को क्रियान्वित किया जाना

5306. **श्री अहसान जाफरी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन बैंक आफ इंडिया ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामलों में विभागीय पदोन्नति देने हेतु भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार के मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/11/73 इ० एस० टी० (एस० सी० टी०) दिनांक 12 सितम्बर, 1974 द्वारा दिये गये निदेशों का पालन बिल्कुल भी नहीं किया है ; और

(ख) यूनियन बैंक आफ इंडिया द्वारा विभागीय पदोन्नति के लिए की गई गत परीक्षा के बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को कितने प्रतिशत पदोन्नतियां दी गई हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख) सीधी भरती द्वारा पदों को भरने में, सरकारी क्षेत्र के बैंक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विषयक सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं । जन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 12 सितंबर, 1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/11/73-ईएसटी (एस० सी० टी०) में दिए गए आदेशों सहित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण विषयक सरकार के आदेशों को सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग प्रणाली पर लागू किए जाने तक, बैंकों को 1975 में सलाह दी गई है कि वे लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार

पर पदोन्नति करने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों में योग्यता के अंकों में छूट देने पर विचार करें।

यूनियन बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसने कर्मचारियों के संघ के साथ हुए समझौते के अनुसार उसके अधिकारियों के ग्रेड II काडर में 25 प्रतिशत नियुक्तियां पात्र कर्मचारियों में से की जायेगी बशर्ते कि उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा और साक्षात्कार में कुल 55 प्रतिशत न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किए हों। बैंक ने आगे सूचित किया है कि 185 रिक्त पदों के वास्ते पदोन्नति के लिए ली गई परीक्षा में बैठने वाले 1404 व्यक्तियों में से 25 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थे। उनके मामले में छूट देकर योग्यता के मानक को कुल 50 प्रतिशत तक कर देने पर भी उनमें से कोई व्यक्ति पदोन्नति के लिए वांछित स्तर तक नहीं आ सका।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को नये अनुसंधान कार्यक्रम के लिए अनुदेश

5307. **श्री के मलन्ना :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार में परिवर्तन हो जाने पर, नयी सरकार ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को नया अनुसंधान कार्यक्रम बनाने के लिए अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या अनुदेश दिए गए हैं; और

(ग) इस संस्थान को आगामी तीन वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि सहायता की मात्रा वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर निर्धारित की जाती है इसलिए अगले 3 वर्ष के दौरान ऐसी सहायता की मात्रा बताना संभव नहीं होगा।

NUMBER OF OCCASIONS WHEN AIRBUSES WENT OUT OF ORDER

5308. SHRI BHAGIRATH BHANWAR : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) on how many occasions each of the three airbuses operating on various routes at present went out of order and the reasons therefor; and

(b) whether this was due to technical or manufacturing defects in the airbuses ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) During the period 1st December 1976 to 30th Junc 1977 technical defects were found on 47 concessions in Airbus aircraft (18 on VT EDV, 13 on VT EDV and 16 on VT EDX). The defects encountered were mainly of technical nature.

इंडियन एयरलाइन्स के सिटी बुकिंग कार्यालय, नई दिल्ली का स्थानान्तरण

5309. **श्री माधवराव सिन्धिया:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस ने किन कारणों से मल्होत्रा बिल्डिग, जनपथ नई दिल्ली स्थिति अपने सिटी बुकिंग कार्यालय को कंचनजंगा बिल्डिंग में स्थानान्तरित किया है ;

(ख) दोनों इमारतों के किराये में कितना अन्तर है ;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस की यह कार्यवाही उचित है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या तथ्य हैं ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (घ) : इंडियन एयरलाइंस का मल्होत्रा भवन स्थित पहले वाला सिटी बुकिंग कार्यालय कार्पोरेशन ने इंडियन नेशनल एयरवेज़ से लिया था । जिन्होने इसे 1940 के आस-पास किराये पर लिया था । तब से लेकर, इंडियन एयरलाइंस के परिचालनों में काफी विस्तार हो गया है तथा मल्होत्रा भवन उपलब्ध स्थान यात्री सुविधाओं के दृष्टिकोण से अपर्याप्त हो गया था। मल्होत्रा भवन स्थित बुकिंग कार्यालय में भी कुछ खामियां थीं, जिनमें बुकिंग कार्यालय कम्प्लेक्स का तीन मंजिलों में विस्तार होना सम्मिलित था जिसके कारण प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न होने लगी थी तथा यात्री सेवाओं में विलम्ब होने लगा था । विभिन्न विकल्पों पर विचार करने के बाद, कारपोरेशन ने यह पाया कि कंचनजंगा भवन में उपलब्ध स्थान कारपोरेशन की आवश्यकताओं के लिए सब से उपयुक्त था ।

(ख) बुकिंग कार्यालय को खाली करने से पहले मल्होत्रा भवन के लिए अदा किया जाने वाला किराया 4,500/- रुपए प्रति मास था जबकि कंचनजंगा भवन का किराया 54,672.50 रुपए प्रति मास है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में पुराने नोटों का बदला जाना

5310. **श्री रामजी सिंह :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार का ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री आर० के० शेषाद्रि के 8 जून, 1976 के उस नोटिस की ओर दिलाया गया है, जो उन्होंने सभी बैंकों को भेजा है ।

(क) क्या सरकार का विचार उस नोटिस के क्रमांक संख्या 2 में यह सुनिश्चित करने हेतु संशोधन करने का है कि ऐसा करेन्सी नोट जिसका एक छोटा टुकड़ा गुम हो गया हो और ऐसा नोट भी जिसके दो टुकड़े अलग अलग हो गये हों, उन पर गारन्टी और पूरे हस्ताक्षर उपलब्ध होने पर बदल दियें जाए ; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक किन कारणों से राष्ट्रीयकृत बकों को ऐसे खराब और कटे-फटे नोटों को बदलने की शक्ति नहीं देता है और लोगों को इस प्रयोजन हेतु रिजर्व बैंक जाने के कष्ट से नहीं बचाता है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक इस बात की जांच कर रहा है कि आम जनता के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए नोट रिफंड रूल्स, 1975 में कैसे बढ़िया से बढ़िया संशोधन किया जा सकता है और उन्हें सरल एवं उदार बनाया जा सकता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि झूठे दावे न किए जा सकें। 8 जून, 1976 के नोटिस में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार, इस जांच का परिणाम आ जाने पर उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(ग) सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को गंदे और कुछ कटे-फटे नोटों को बदल देने की हिदायतें दे दी गई हैं। रिजर्व बैंक इस बात की जांच कर रहा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों कटे-फटे नोटों को उनका मूल्य अदा करने के लिए स्वीकार करने अथवा उनको बदलने के लिए क्या और कहां तक प्राधिकृत किया जा सकता है।

निर्यात निरीक्षण परिषद्

5311. श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात निरीक्षण परिषद की एक ऐसे एसोसियेशन से बातचीत चल रही है, जो आपात स्थिति के दौरान 20-सूत्री और 4-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लगा हुआ था ; और

(ख) भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण एजेंसी का क्या दर्जा है और उसके कर्मचारियों की सेवा शर्तों को इस समय किस प्रकार विनियमित किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस समय 10 एसोसिएशनें निर्यात निरीक्षण परिषद अभिकरणों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। किन्तु इन एसोसिएशनों से प्राप्त अभ्यावेदनों को परिषद में ऐसे माना जाता है मानो वे कर्मचारियों के किसी समूह से प्राप्त हुए हों और उन पर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(ख) भारत सरकार द्वारा निर्यात (क्वालिटी कन्ट्रोल तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963, (1963 का 22) की धारा 3 के अन्तर्गत निर्यात निरीक्षण परिषद का गठन किया गया था ताकि क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण के जरिये निर्यात व्यापार के स्वस्थ विकास की व्यवस्था की जा सके।

इस अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत भारत सरकार ने अधिनियम के अन्तर्गत समाविष्ट की गई वस्तुओं का क्वालिटी नियन्त्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण करने के लिये निर्यात निरीक्षण अधिकरण स्थापित किये हैं। ये निर्यात निरीक्षण अभिकरण परिषद के प्रशासनिक तथा तकनीकी निरीक्षण के अधीन रखे गये हैं।

इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन परिषद द्वारा समय समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार किया जाता है।

राष्ट्रीय युवा उद्यमी संघ द्वारा आयोजित मेले में सरकारी उपक्रमों के पेविलियन

5312. **श्री किशोर लाल : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1976 से फरवरी, 1977 तक लाल किले के बाहर राष्ट्रीय युवा उद्यमी संघ द्वारा आयोजित एक मेले में सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों ने अपने-अपने पैविलियन खोले थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पैविलियन खोले गये थे और उन उपक्रमों के नाम क्या है; और

(ग) इस मेले में प्रत्येक उपक्रम में कुल कितनी राशि खर्च की ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	नाम और पता	रकम (रुपयों में)
1.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, नई दिल्ली	48,500
2.	गार्डन रीच वर्कशाप, कलकत्ता	43,125
3.	कोल इण्डिया, रांची	42,800
4.	भारत अर्थ मूवर्स, नई दिल्ली	19,000
5.	भारत इलक्ट्रानिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली	19,000
6.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली	19,000
7.	माझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई	49,500
8.	भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	55,500
9.	भारी इंजीनियरिंग निगम, नई दिल्ली	28,500
10.	खनिज एवं धातु व्यापार निगम, नई दिल्ली	9,500
11.	स्कूटर्स इण्डिया लमिटेड, लखनऊ	9,500
12.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, नई दिल्ली	9,500
13.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, दिल्ली	19,000
14.	इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर	9,500
15.	माइनिंग एण्ड अलायड मशीनरी कारपोरेशन लमिटेड, नई दिल्ली	9,500
16.	भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली	19,000
17.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, नई दिल्ली	70,200
18.	प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद	9,500
19.	ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता	9,500
20.	बर्न एण्ड कम्पनी, हावड़ा	9,500
21.	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर (उत्तर प्रदेश) (सरकार के प्रबन्धाधीन)	9,500
22.	नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लि०, नई दिल्ली	19,000

EXCISE DUTY ON AERATED WATER

5313. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether a representation regarding imposition of excise duty on aerated water was sent by the Soda-water Manufacturers Association Jamnagar (Gujarat) on 5th July, 1977 and if so, the demands made therein;

(b) the action taken or proposed to be taken by Government thereon;

(c) the quantum of raw material used in manufacturing Soda-water on which excise duty is levied and the amount of excise duty levied; and

(d) whether excise duty is levied on small industrialists also ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir. The Association had demanded exemption from excise duty on aerated waters manufactured by small units.

(b) Action has been taken by liberalising the concessions admissible to small manufacturers of aerated waters. Aerated waters produced in non-power operated units enjoy complete exemption from payment of excise duty in respect of the output of two filling machines (one of crown-cork type and the other of marble or goli type). The use of power to the extent of 1 h.p. for carbonation of water and ½ h.p. for washing of bottles has also been allowed without any duty liability.

(c) The quantum of raw material used in manufacture of sodawater varies from factory to factory. The main raw materials are carbon dioxide gas which attracts a duty of rupee one and twenty paise per kilogram, glass bottles which are subject to a levy 30% *ad valorem* and crown corks which pay a duty of 2 paise each.

(d) Excise duty has been exempted on aerated waters manufactured in non-power operated units to the extent indicated in the answer to part (b) of the question. In the case of other units, a concessional rate of duty of 25% *ad valorem* has been prescribed in respect of the first clearances of 50 lakh bottles of sweet aerated drinks in a financial year. This concession is, however, not admissible to aerated waters containing extracts of kola (cola) nuts. These have to pay duty at 55% *ad valorem.*

PROPOSAL TO REVIEW THE WORKING OF EXPORT INSPECTION COUNCIL

5314. SHRI KALYAN JAIN : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether Government propose to review the working of the Export Inspection Council and the agencies connected therewith and to reorganise them; and

(b) if so, the details in this regard ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) and (b) Government propose to review the working of the Export Inspection Council and the agencies connected therewith. The details are being worked out.

सैंट्रल एक्साइज कलेक्टोरेट, इलाहाबाद तथा कानपुर के कर्मचारियों का बहाल किया जाना

5316. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैंट्रल एक्साइज क्लेक्टोरेट, इलाहाबाद तथा कानपुर के कुल कितने कर्मचारी आपात-काल के दौरान सेवा से निकाल दिये गये थे ;

(ख) इस बीच उनमें से कितने कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया है ; और

(ग) जो कर्मचारी बहाल नहीं किये गये हैं उनके ऐसे कितने मामले हैं जिनमें अभी तक ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ नहीं दिये गये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 28

(ख) 7

(ग) जो व्यक्ति बहाल नहीं किये गये उनके ऐसे मामलों का विवरण नीचे दिया गया है जिनमें सेवा-निवृत्ति लाभ, अर्थात् पेंशन और/अथवा ग्रेच्युटी अभी तक नहीं दिये गये हैं :—

(i) एक मामले में अनन्तिम पेंशन मंजूर की गयी है, जबकि ग्रेच्युटी सतर्कता के मामलों में दोषमुक्त होने तक रोक रखी गयी है ;

(ii) एक अन्य मामले में, सेवा रिकार्ड पूर्ण नहीं थे और उन्हें तुरन्त पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है, जिससे सेवा-निवृत्ति लाभों की मंजूरी दी जा सके ;

(iii) एक दूसरे मामले में, संबंधित अधिकारी से पेंशन के लिए दरख्वास्त केवल 6 मई, 1977 को ही प्राप्त हुई है तथा उस पर कार्यवाही की जा रही ; और

(iv) चौथे मामले में, अधिकारी को 14 मार्च, 1977 को सेवा-निवृत्त किया गया था और पेंशन के लिए उसकी दरख्वास्त की प्रतीक्षा है।

संबंधित समाहर्ताओं को इन मामलों में शीघ्र कार्यवाही करने के निदेश दिये गये हैं। यह बात भी दोहरायी गयी है कि सेवा-निवृत्त अधिकारियों द्वारा पेंशन के लिए दरख्वास्त दिये जाने की प्रतीक्षा नहीं करके, सेवा-निवृत्त लाभों की मंजूरी देने के लिए विभागाध्यक्षों को स्वयं उनसे आवश्यक ब्यौरे प्राप्त करने चाहिए ।

आयकर के मामलों की लेखापरीक्षा

5317. श्री आर० के० महालगी : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्यक्ष कर विधि, 1975 के एस० 142 (2ए०) उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए कुछ आयकर के मामलों को विस्तृत लेखा परीक्षा के लिये सौंपा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इसका एक कारण यह है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने लेखा परीक्षा के लिये लेखा परीक्षकों का पैनल नहीं बनाया है अथवा इसके लिये अनुरोध नहीं किया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा धनराशि का भेजा जाना

5318. **श्री आर० के० अमीन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने उत्पादों का 80 प्रतिशत बाहर भेजने के प्रतिबन्ध के होते हुए कोका कोला निर्यात निगम अपने उत्पाद बाहर भेज रहा है और क्या यह नकद आधार पर है अथवा उपार्जित आधार पर है ;

(ख) क्या कैलेण्डर वर्ष 1973 से 1975 तक लाभ के आधार पर 2.18 करोड़ जारी किये गये लाइसेंसों के आधार पर 40.93 लाख रुपये और मुख्यालय के खर्च के रूप में 35.49 लाख रुपये भेजे गये ;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि में 2.39 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया ; और

(घ) कोका कोला निर्यात निगम के विरुद्ध 80 प्रतिशत निर्यात से अधिक धन राशि भेजे जाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा धन बाहर भेजने की सुविधाओं का हिसाब नकद आधार पर लगाया जाता है।

(ख) कारपोरेशन को 1973 से 1975 तक की अवधि में जितनी रकम बाहर भेजने की अनुमति दी गई है उसकी सूचना लोक सभा के दिनांक 8 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2889 के उत्तर में दे दी गई है।

(ग) कारपोरेशन को इस अवधि में निर्यात से जो आमदनी हुई वह इस प्रकार है :—

वर्ष	रुपए
1973	1,88,31,127
1974	1,21,08,754
1975	5,43,328

(घ) कारपोरेशन को धन बाहर भेजने की जो सुविधाएं दी गई, वे 80 प्रतिशत की संक्रिय हकदारी के फार्मूले के अन्तर्गत है।

सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा दी गई सिफारिशें

5319. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों में चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और अन्य कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्तियों के बारे में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने वर्ष 1976 में कितनी सिफारिशें की ;

(ख) सरकार प्रत्येक श्रेणी में कितनी सिफारिशों से सहमत हुई ; और

(ग) सरकार कितनी सिफारिशों से सहमत नहीं हुई और इसके संक्षिप्त कारण क्या हैं।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ग) सरकारी उद्यम चयन-मण्डल का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के उद्यमों के अंशकालिक अध्यक्षों, अध्यक्ष, एवं प्रबन्ध निदेशकों और पूर्णकालिक निदेशकों के पदों के लिए किये जाने वाले सेलेक्शनों से

रहता है। 1976 के दौरान सरकारी उद्यम चयन-मण्डल ने 77 सिफारिशें की थीं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है —

पद	की गई सिफारिशों की संख्या
1 अंशकालिक अध्यक्ष	11
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	45
3. पूर्णकालिक निदेशक	21

77 सिफारिशों में से 7 सिफारिशें सरकार ने स्वीकार नहीं की थीं। इन नियुक्तियों के सम्बन्ध में सरकारी उद्यम चयन-मण्डल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा सर्वोच्च स्तर पर विचार किया जाता है। इन 7 में से एक मामले में परियोजना प्रबन्धक को कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया गया था और एक अन्य मामले में कार्यकारी निदेशक के पद को प्रास्थगित रखने का निर्णय किया गया था। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के एक पद पर उद्यम का ही एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय ले लिया गया था। शेष मामलों में चयन मण्डल ने जिन उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की थी वे सरकार द्वारा उपयुक्त नहीं समझे गये और चार में से तीन पदों पर अन्य व्यक्ति नियुक्त कर दिये गये। बाकी बचे एक पद के लिए जिस व्यक्ति की सिफारिश की गई थी वह अनुपयुक्त पाया गया और उस पद पर अभी तक नियमित रूप से किसी को नियुक्त निहीं किया गया है।

छोटे पैमाने के स्टैनलैस स्टील रीरोलिंग फर्मों को राहत

5320. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के स्टेनलैस स्टील के रिरोलरों को आयात शुल्क बढ़ाकर 220 प्रतिशत कर देने से हुई राहत इस उद्योग को बन्द होने से रोकने के लिये पर्याप्त है ;

(ख) क्या दो वर्ष पूर्व लगाई गई 220 प्रतिशत आयात-शुल्क के रहते छोटे री-रोलर काम कर रहे थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन री-रोलरों (अर्थात् सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा निर्मित स्टेनलैस स्टील राउन्ड्स बिलेट्स आदि) द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला कच्चा माल 17 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध नहीं था जबकि उसका वर्तमान मूल्य 24 रुपये है और क्या बर्तन बनाने के लिए उस समय स्टनलस स्टील की चादरों के आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगा था ; और

(घ) यदि हां, तो अब जबकि शुल्क 220 प्रतिशत निर्धारित कर दिया गया है सरकार इन छोटे री-रोलरों के हितों की रक्षा कैसे करेगी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) अविनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त स्टेनलैस स्टील की प्लेटों, चादरों और पट्टियों पर शुल्क की 220 प्रतिशत दर निर्धारित करने में सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ स्टेनलैस स्टील री-रोलर्स उद्योग और स्टैनलैस स्टील के देशी निर्माताओं के भी हितों को ध्यान में रखा था। यह सच है कि स्वदेश में निर्मित स्टेनलैस स्टील के घेरों/छड़ों आदि की कीमतों में

वृद्धि हुई है लेकिन ग्रायात की गयी स्टेनलैस स्टील की चादरों की कीमतों में भी उसी अवधि के दौरान तदनुसार अथवा शायद उससे अधिक वृद्धि हुई है। जहां तक आयात नीति का संबंध है, स्टेनलैस स्तील की चादरों के आयात की अनुमति, बर्तनों के निर्माताओं को अक्तूबर, 1975 से तदर्थ आधार पर दी गयी है। 1977-78 की आयात नीति में बर्तनों के निर्माताओं की आवश्यकताओं की वैसी ही व्यवस्था की गयी है जैसी पूर्ववर्ती वर्ष 1976-77 की आयात नीति में की गई थी।

आगरा में सिविल हवाई अड्डा

5321. श्री एस० एन० चतुर्वेदी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

क्या आगरा में खाड़िया असैनिक हवाई अड्डे पर लगी प्रवेश की रोक के कारण जनता को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार जनता के नियंत्रित प्रवेश के लिए पृथक द्वार बनाने की वांछनीयता पर विचार कर रही है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : आगरा में खाड़िया विमान क्षेत्र पर इंडियन एयरलाइंस एन्क्लेव वायु सेना तकनीकी क्षेत्र के अहाते के अन्दर स्थित है। इंडियन एयरलाइन्स एन्क्लेव के अन्दर जाने/वहां से बाहर आने की वर्तमान प्रक्रिया वायु सेना प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर ही निर्धारित की गयी है। वायु सेना काम्प्लेक्स के ले-आउट तथा इस के अन्तर्गत ही सिविल एन्क्लेव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इंडियन एयरलाइंस एन्क्लेव में अन्दर जाने/वहां से बाहर आने के लिए सुरक्षा प्रबंधों में बिना हस्तक्षेप किये किसी अलग द्वार की व्यवस्था करने की कोई संभावना नहीं है।

IMPORT OF BEADS OF 'RUDRAKSHA'

5322. SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARY
SHRI JANESHWAR MISHRA : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether small beads of 'Rudraksha' are imported in the country from foreign countries;

(b) if so, the names of the countries from which these beads are imported and the quantity and value of small beads of Rudraksha imported during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 year-wise; and

(c) the names of the authorised firms in foreign countries from which these beads are imported and the number and names of the persons in India who have been given licences for importing them ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) Information regarding the names of the countries from which these beads are imported is being collected and will be paid on the Table of the House;

(ii) Year-wise value of import licences issued during the period 1974-77 is given below :

1974-76	Rs. 7,5000/-
1975-76	Rs. 20,000/-
1976-77	Rs. 12,500/-

(c) (i) Government does not have information about firms in foreign countries which supply these beads.

(ii) The following firms/persons were given licences/customs clearance permits during the period 1974-77 :—

1. M/s. Bhawani Giri & Sons, Hardwar;
2. M/s. Narain Dutt Prabhu Dayal, Varanasi;
3. Shri Dina Nath, Varanasi;
4. Shri Mouni Baba, Varanasi (Customs Clearance Permit for Rs. 2500/- was issued).
5. Bharat Sadhu Samaj, New Delhi.

DEVELOPMENT OF HALDI GHATI REGION AS TOURIST SPOT

5323. SHRI LALJI BHAI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether the Government of Rajasthan propose to develop with Central aid the Haldi Ghati region as tourist spot in memory of Maharana Pratap; and

(b) if so, the details of this scheme ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) The State Government proposes to develop Haldi Ghati as a tourist spot. The related schemes are the development of roads, improvements to Chetak Chabutra, construction of Chattries, and beautification of the area. It is understood from the State Government that an expenditure of Rs. 5.29 lakhs has been incurred on the implementation of the above schemes. The Central Department of Tourism contributed an amount of Rs. 1 lakh towards the beautification of the Haldi Ghati tourist complex.

TAKEOVER OF R.B.H.M. JUTE MILLS, KATIHAR

5324. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether the former Labour Minister, Bihar and the Commissioner, for Industrial Development, Bihar, had written letters in 1976-77 to the former Union Commerce Minister, Shri D. P. Chattopadhyaya and Industry Secretary, Government of India, respectively, to the effect that there was no option left before the Government of India but to takeover the R.B.H.M. Jute Mills, Kathihar;

(b) whether the Industrial Development Commissioner, Bihar, in his letter of March, 1976, had pleaded with the Government of India that they could takeover and run the said mill under Section 18A(a) of the Industries (Development and Regulation) Act;

(c) whether the R.B.H.M. Jute Mills, Katihar Private Limited is lying closed since April, 1976; and

(d) if so, whether Government propose to take over this mill and run it in the interest of starving mill workers and that of farmers, and if so, when; and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) to (d) Rai Bahadur Harduttarai Motilal Jute Mills, Katihar has been lying closed since 24th December, 1976. The Government of Bihar have been raising the question of takeover of this mill with the Government of India at various levels including their former Labour Minister and the present Industrial Development Commissioner. They had proposed that this mill should be taken over by the Government of India under Industries (Development and Regulation) Act. Before deciding upon the taking over of any mill company, it is necessary to ascertain its viability. The Government of Bihar was asked to have a feasibility report prepared. Recently, the management of R.B.H.M. Jute Mills have got a viability study carried out by a firm of consulting engineers which has been submited to the State Government. Depending on the viability report, the decision about the take over of the mill will be taken soon.

MISAPPROPRIATION OF MONEY BY BANK NOTE PRESS, DEWAS, MADHYA PRADESH

†5325. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether lakhs of rupees have been misappropriated in the deal of linseed oil purchased for manufacturing ink by the Bank Note Press, Dewas (Madhya Pradesh);

(b) whether Government have received complaints in this regard; if so, the number thereof along with the names of the persons who lodged them; and

(c) the action taken by Government so far in this regard and the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c) Government have received some complaints alleging corruption in the purchase of alkali refined and bleached linseed oil by the Bank Note Press, Dewas. The relevant papers have been looked into and the results are indicated in the Annexure.

STATEMENT

Government received the following three complaints alleging corruption in the purchase of alkali refined and bleached linseed oil by the Bank Note Press, Dewas (M.P.) :—

(i) Complaint dated 25-4-1977 signed by an employee of Bank Note Press, received in the first week of May, 1977.

(ii) Copy of an anonymous complaint dated 26-3-77 addressed to the Central Bureau of Investigation, received in the first week of June, 1977.

(iii) Undated complaint from the Bank Note Press Karamchari Parishad, Dewas, received in the middle of June, 1977.

2. The following allegations have been made in the above-mentioned complaints :

(i) Although for the purchase of alkali refined and bleached linseed oil, the Bank Note Press had available with them a cheaper quotation received from M/s. Gwalior Oil Mills, Indore, officering to supply at the rate of Rs. 5.30 per kilogram yet the Press placed orders on another supplier at a rate of about Rs. 9/- per kilogram.

(ii) The order for 30 tons of the said linseed oil placed by the Press in December, 1976 was much more than their normal requirement and it has, therefore, resulted in overstocking.

3. The complaints have been looked into and the factual position is indicated below :—

(i) In September 1976, an advertisement was issued by the Bank Note Press, Dewas, through the Directorate of Advertising and Visual Publicity, Ministry of Information and Broadcasting, in various newspapers (including 'Nai Duniya' of Indore) for purchase of 30 Tons of alkali refined and bleached linseed oil which is used in the manufacture of inks in the Ink Factory of the Press. The last date for receipt of offers was fixed as 10th November, 1976. In response to this tender only 2 bids were received, that of M/s. M. K. Enterprises of Indore who quoted at Rs. 9.50 per kilogram plus taxes and M/s. Ashoka Traders of Indore who quoted at Rs. 9/- per Kg. plus taxes. Although M/s. Gwalior Oil Mills of Indore, in a letter dated 9-1-1976, addressed to the Bank Note Press, had volunteered to supply the said linseed oil at the rate of Rs. 5.30 per kilogram plus taxes, (which offer could not be considered at that time because another contract, signed in August 1975, on the basis of bids received in response to advertisement in newspapers—M/s. Gwalior Oil Mills did not quote—was already under execution and the Press had sufficient stocks of the oil), yet they did not give any offer in response to the aforesaid tender of September, 1976. The order was, therefore, placed in December, 1976, on the lowest bidder in the tender, namely M/s. Ashoka Traders of Indore. The total value of the contract was about Rs. 2.85 lakhs including taxes. The offer received from M/s. Gwalior Oil Mills in January, 1976 *i.e.* about 9 months before the tender was actually issued and evaluated by the Bank Note Press, could not obviously be taken into consideration. If M/s. Gwalior Oil Mills were interested in making supplies, they should have given an offer in response to the tender of September, 1976. The Press has, therefore, followed the correct procedure of evaluating only the valid offers received in response to the tender.

(ii) As regards the allegation of overstocking, the requirement of 30 tons of linseed oil was computed by the Bank Note Press after taking into account the supplies of inks likely to be made by its Ink Factory to the sister organisation *viz.* India Security Press, Nasik Road. However, on account of unforseen delay in the approval of ink samples by the Nasik Press, the manufacture of inks for the Press has not been substantial and, therefore, the linseed oil stocks have not been consumed substantially. The approval of samples is being expedited by the Nasik Press. The Management of Dewas Press has also been instructed to place orders for a readily available item like linseed oil after careful computation of the reuirements so that no overstocking results.

4. The purchases have been made after following proper procedure, though the calculations about the level of production and off-take have not come out correct due to unforeseen delays in acceptance of ink samples by ISP Nasik which has resulted in relatively high level of inventory of linseed oil for the time being.

IMPORT OF CHICKS

5326. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the names of the companies and the amount of foreign exchange provided to each of them for importing chicks from abroad for the development of poultry farming in 1974-75 1975-76 and 1976-77;

(b) whether Government have conducted enquiry from time to time to check up that these companies have imported right type of chicks, and if so, the report thereof; and

(c) the names of the countries which supply chicks free of cost to some companies or private farms as assistance in the name of development and whether an enquiry would be conducted to find out the factual position of such transactions ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) Year-wise details of licences issued in favour of the different companies, on the recommendation of the Ministry of Agricultre, are given below :

	1974-75	1975-76	1976-77
	Rs.	Rs.	Rs.
M/s Arbor Acres, Poona	2,00,000	1,43,580	Nil
M/s Rani Shaver, New Delhi	1,88,600	1,41,450	Nil
M/s. Babcock Venkateshwara Hatcheriss Pvt. Ltd, Poona	2,02,800	2,01,786	Nil
M/s CSR Poultry Research & Breeding Farm, New Delhi	Nil	Nil	9,83,665

(b) Ministry of Agriculture which are responsible for poultry development programmes have not received any complaint about the quality of imported chicks. They have not, therefore, made any such enquiry.

(c) Chicks have not been supplied by any foreign country free of cost.

INVESTMENT BY FOREIGNERS IN COMPANIES IN INDIA

5327. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the total number of those companies in India in which more than fifty per cent of the capital is invested by foreigners;

(b) the amount of profit of the above companies shared by the foreigners each year during the past three years;

(c) the names of first ten companies at the top from which foreigners have been earning maximum profits and the amount of profit earned by foreigners from each such company annually; and

(d) whether Government are formulating any scheme so as to reduce foreign capital investment in India; and if so, the steps proposed to be taken in this direction ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) As on 31st March 1976, there were 171 Indian Subsidiaries of foreign companies operating in the country.

(b) Profits and dividends remitted abroad by foreign companies during the three years 1972-73 to 1974-75 (April—December) are as under :

(Rs. in crores)

Year	Profits	Dividends
1972-73	15·54	39·08
1973-74	21·91	37·51
1974-75 (April-Dec.)	3·78	14·19

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Under the FERA, foreign companies have to dilute their non-resident interest to 40 or 51 or 75% depending on the nature of their activities in India. Apart from this, there is no other proposal under the consideration of the Government.

जाली नोटों का बरामद होना

5328. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में लगभग एक पखवाड़े पहले "डेक्कन हैरल्ड" में प्रकाशित समाचार के अनुसार एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति के पास से जाली नोट बरामद हुए थे जो एक गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक के एक निदेशक का रिश्तेदार है ; यदि हां, तो उक्त समाचार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार ने नकली करेंसी नोट बनाने के लिए कई व्यक्तियों को गिरफ्तारी के बारे में, 20 जून, 1977 के "डेक्कन हैराल्ड" में छपा समाचार देखा है। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि यद्यपि इस मामले में गिरफ्तार किये गये एक व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वह एक गैर राष्ट्रीयकृत बैंक के एक निदेशक का रिश्तेदार है, उस गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से कोई नकली नोट बरामद नहीं हुआ है। जाली नोटों की छपाई और उनके परिचालन में गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक के उस निदेशक के शामिल होने का भी कोई सबूत नहीं है।

(ख) राज्य सरकार इस अपराध के बारे में उचित कार्रवाई कर रही है।

चिट फंड

5329. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार "चिट फंड" नामक वित्तीय योजनाओं पर रोक लगाने का है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : सरकार निम्नलिखित विधेयकों को अधिनियमित करने के बारे में विचार कर रही है :—

(1) इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) विधेयक,

(2) चिट फण्ड विधेयक।

प्रथम विधेयक का प्रयोजन इनामी चिटों और मुद्रा परिचालन, लाभ और बचत योजनाओं पर रोक लगाना है क्योंकि वे जनहित के लिए हानिकारक हैं। दूसरे विधेयक का उद्देश्य सारे देश में समान आधार पर चिट फण्ड कम्पनियों के कार्यकलापों को नियमित और नियंत्रित करना है।

APPOINTMENTS IN THE OFFICE OF A.G. C.W. & M.

5330. SHRI HUKMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of FINANCE be pleased to state ;

(a) Whether an examination was held on 14th February, 1976, for making appointments in the office of the Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous and a list of successful candidates prepared on the basis of merit;

(b) Whether appointments have been made from outside instead of from this list;

(c) The reasons for causing inconvenience to the candidates by holding this examination if there was no vacancy or the vacant posts were to be filled by seniority;

(d) Whether Government propose to make appointments from this list now and take action against those who were responsible for the delay in making these appointments; and

(e) If not, the reasons there for

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) to (e) : The examination was held with the intention of providing qualified Divisional Accountants in the place of unqualified persons who were drawn either from the Accountant General's Office or from the CPWD, and also to meet the additional requirements of Divisional Accountants. Consequent on departmentalisation of accounts, the entire scheme for manning Divisional Accountants' posts was reviewed. It was felt that the functions of accounts keeping and financial advice to be available in the Divisions needed to be strengthened and persons who have passed the Junior Accounts Officers (Civil) Examination or the Subordinate Accounts Service Examination of the Indian Audit and Accounts Department should hereafter be posted as Divisional Accountants. Besides, promotional avenues in the cadre of Divisional Accountants being not comparable to those of Subordinate Accounts Service personnel, it was considered that further in-take into the letter should be restricted. The question of appointing persons who qualified in the examination held by A.G., C.W. & M. against suitable existing vacancies will be considered after the results of the Junior Accounts Officers' examination held in June, 1977, are known.

महालेखापाल, इलाहाबाद के कार्यालय के श्री कृपा शंकर तथा अन्य कर्मचारियों की बहाली

5331. **श्रीमती कमला बहुगुणा :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक कारणों से निलम्बित किये गये अथवा सेवा से निकाले गये महालेखापाल, इलाहाबाद के कार्यालय के श्री कृपा शंकर तथा अन्य कर्मचारियों को अब तक बहाल न किये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : श्री कृपा शंकर को संविधान के अनुच्छेद 311(2) (सी) के अन्तर्गत दिसम्बर, 1976 में सेवा से हटाया गया था क्योंकि उनकी गतिविधियां इस प्रकार की थी जिससे उनको सेवा से हटाए जाने का औचित्य बनता था। सेवा में बहाल किए जाने के संबंध में उनके अभ्यावेदन पर सरकार भारत के नियंत्रक और लेखा महापरीक्षक से परामर्श करके ध्यान दे रही है। दो अन्य कर्मचारी सर्वश्री डी० वी०

पराश्री और कल्प नाथ सिंह मई, 1977 में सेवा में बहाल कर दिए गए हैं। अन्य दो कर्मचारियों अर्थात् सर्वश्री डी० एन० मिश्रा और एन० के० शर्मा, दोनों लिपिकों की सेवाएं 15-9-75 से केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अन्तर्गत समाप्त की गई थी। श्री मिश्रा ने अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है और इसलिए यह उचित नहीं होगा कि उनके मामले का जो न्यायालय में निर्णय के लिए पड़ा है, पुनरीक्षण किया जाए। श्री एन० के० शर्मा के अभ्यावेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और उन्हें सेवा में बहाल किया जाना संभव नहीं पाया। गया है

जे० के० काटन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी,
कानपुर का बन्द होना

5332. **श्री उग्रसेन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष से जे० के० काटन मैन्युफ़ैक्चरिंग कम्पनी, कानपुर (उत्तर प्रदेश) बन्द पड़ी हुई है, तीन हजार श्रमिक बेरोज़गार हो गये हैं और भुखमरी की हालत में हैं, उन्हें उनकी मजूरी और उपदान, बोनस, जबरन छुट्टी की बकाया राशि अदा नहीं की गई और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार इसका अर्जन करेगी और राष्ट्रीय कपड़ा निगम के माध्यम से उसका सामान्य कार्यकरण व्यवस्थित करेगी; और

(ग) इस कम्पनी पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की करों की कितनी राशी बकाया है इस बारे में व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जे० के० काटन मैन्युफ़ैक्चरिंग कम्पनी, कानपुर 1-10-1976 से बन्द पड़ी है जिससे 2276 श्रमिक बेरोज़गार हो गये हैं तथा उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द हुई हैं। यह राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित अनुमति देने से इन्कार करने के बावजूद बन्द हुई हैं। प्रबन्ध इस पर अड़ा हुआ है कि मिल औपचारिक रूप से बन्द नहीं की गई है, अपितु केवल उत्पादन रोक दिया गया है। श्रम आयुक्त ने अवैध रूप से मिल बन्द किये जाने के लिये प्रबन्ध के विरुद्ध मुकदमा चलाया है। यह बताया गया है कि मासिक मजदूरी के बिल 9 लाख रु० के लगभग होगा लेकिन प्रबन्ध ने, जब से मिल बन्द हुई है, तब से 1.5 लाख रु० के सिवाय, जिसे राज्य प्राधिकारियों के दबाव पर बांटा गया था, मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। 12 लाख रु० के बोनस का भी अभी भुगतान नहीं किया गया है। इन देयों का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही करना राज्य प्राधिकारियों का काम है।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम पहले ही 105 वस्त्र मिलों के प्रबन्ध की भारी जिम्मेदारी उठा रहा है, अतः सरकार इस पक्ष में नहीं है कि निगम और अधिक वस्त्र मिलें अपने प्रबन्ध में लें। फिर भी, यदि राज्य सरकार के प्रबन्ध के अधीन मिलों को फिर से खोलने की जीवन-क्षम प्रस्थापना प्राप्त होती है, तो केन्द्रीय सरकार सभी सम्भव सहायता प्रदान करेगी।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

परियोजना भत्ते

5333. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

4—767LSS/77

(क) क्या अंकलेश्वर में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों, जैसे बैंक कर्मचारियों, डाक तथा तार कर्मचारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी, को परियोजना भत्ता अदा किया जा रहा है।

(ख) क्या यह सच है कि कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को अब भी परियोजना भत्ता नहीं मिल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी श्रेणियां कौम-कौन सी हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

COOPERATIVE SCHEMES IN RAJASTHAN

5334. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the amount invested by Government in the various cooperative schemes in Rajasthan during the last years; and

(b) the main features of the schemes and the names of places where these schemes have been launched ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Name of the Scheme.	Financial assistance provided by the Central Govt. during the last 3 Years. (Rs. in Laks)	Main features of the Schemes.	Places where the schemes have been launched.
1	2	3	4
A. CENTRALLY SPONSORED SCHEMES			
1. Margin Money for distribution of Fertilisers etc.	10·00 (1974-75 23·27 (1975-76) Nil 1976-77	For expanding and improving the marketing and distribution operations of the State/Regional Level Marketing Federations.	The scheme is operated by Rajasthan State Coop. Marketing Federation, Jaipur.
2. Development of Consumer Co-operatives.	(i) 6·82 for the last three years.	To strengthen the Consumer Cooperative Institutions having growth potential in order to enable them to play an effective role under the Public distribution system.	Assistance utilised for setting up Departmental Stores at Udaipur and Ajmer and for expansion of business of 7 selected Consumer Coop. Institutions.
	(ii) Nil (1974-75) 12·03 (1975-76) Nil (1976-77)	For Providing margin money for assistance controlled cloth for business to Coop. Institutions, in order to expand their business.	The State coop. Consumers Federation at Jaipur, and 36 other Cooperatives including Wholesale/ Central Consumer Coop. Stores and Coop. Marketing Societies located in various parts of the State.

1	2	3	4
B. CENTRAL SECTOR SCHEMES			
1. Central Committee for Coop. Training & assistance to NCUI . .	2·00 (1974-75) 2·39 (1975-76) 4·02 (1976-77)	(i) For intensification of Cooperative Education in Cooperatively less developed State.	(i) Jaipur & Udaipur
		(ii) Cooperative Training through Cooperative College.	(ii) Kota
		(iii) **Special scheme**	
		(a) Strengthening of existing Junior level centres.	(a) Bharatpur
		(b) Subsidy for weaker institutions deputing candidates for training in Jr. Training Centres and Coop. Training Colleges.	(b) Kota, Jaipur, Jodhpur and Bharatpur.
2. Assistance to Coop Marketing, Processing & Storage programmes in under developed States. . . .	14·93 (1974-75)	(i) For strengthening the Share capital base of Coop. Marketing Societies to improve and expand their business activities.	Scheme is implemented by various Primary Marketing Coop. Societies in different districts of Rajasthan.
	48·40 (1975-76)	(ii) Assistance for purchase of Transport vehicles to marketing and processing societies.	Assistance Provided to 2 societies at Dungarpur and Banswara.
	79·70 (1976-77)	(iii) Cooperative Agricultural Processing Schemes for establishment of Agrobased processing units and also for establishment of Cotton ginning and pressing units, Cattle Field Plants etc.	Bilara, Bhilwara, Kota, Anta, Anoopgarh, Gajsinghpur, Shreeganganagar, Bundi and Barodia.
		(iv) Cooperative Store Scheme under which the State Govt. is providing assistance for construction of godowns by marketing and processing Societies.	Operated upon by various Societies in different districts of Rajasthan.

1	2	3	4
		(v) Cooperative Cold Storage scheme enables the growers to store their purchases during the flash season and dispose it during the lean season.	Only one unit at Kota.
		(vi) Cooperative Dairy Scheme is meant for organising small and medium size dairy processing plants and milk chilling centres.	Bhilwara, Ajmer and Jodhpur.
3. Share capital participation in Cooperative Spinning Mills.	6·25 (1974-75) 31·25 (1975-76) Nil (1976-77)	To supplement the funds for the State Govt. for share capital participation in the spinning Mills.	Gulabpura and Ganganagar.

विदेशी चाय कम्पनियों का भारतीयकरण

5335. **श्री शंकरसिंहजी वाघेला**
श्री अनन्त दवे } : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी और कौन-कौन सी स्टर्लिंग चाय कम्पनियां काम कर रही हैं ;

(ख) उन्होंने अपने भारतीयकरण के लिये विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम (ए० ई० आर० ए०) के उपबन्धों का कहां तक पालन किया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कौन सी अंतिम तारीख निश्चित थी और यह तारीख कितनी कितनी बार बढ़ाई गई और अब अन्तिम रूप से क्या तारीख निश्चित की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) ऐसी चाय कम्पनियों का एक विवरण संलग्न है जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदनपत्र दिए हैं। इस विवरण में उप कम्पनियों के नाम अलग दिखाए गए हैं जिन्होंने अभी निर्देशों का पालन करना है।

(ग) इसके लिए दो वर्ष का समय दिया गया था और बहुत से मामलों में यह अवधि वर्ष के अंत में और अन्य मामलों में अगले वर्ष की पहली छमाही में पूरी हो जाएगी। किसी भी मामले में अवधि नहीं बढ़ाई गई है।

विवरण

क्र० सं०	नाम	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1.	असम ब्रुकर्स एस्टेट लि०, कलकत्ता	धारा 29(2) के अन्तर्गत अनुमति आवश्यक नहीं थी ।
2.	बुड्ला बेटाटी कम्पनी लि० , कलकत्ता	〃
3.	दावरशोला टी० कम्पनी प्रा लि० कुनूर	〃
4.	दीमा टी कम्पनी लि० कलकत्ता	〃
5.	दि कचरीगांव टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	〃
6.	दि० निदीम टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	〃
7.	थियाशोला टी कम्पनी प्रा० लि० कुनूर	〃
8.	असम कन्सोलिडेटिड टी एस्टेट (इंडिया) प्रा० लि० कलकत्ता	इन कम्पनियों ने केवल अपने कारबार को समाप्त करने के लिए भारत में कार्यालय रखे हुए हैं ।
9.	दूलाधार टी कम्पनी, कलकत्ता	〃
10.	दि धूली टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	〃
11.	दि रोमाई टी कम्पनी लि० कलकत्ता	〃
12.	एनामलाइस एण्ड नीलगिरि प्लानटेशन कम्पनी पोलाची	विदेशों में बस गए भारतीय मूल के व्यक्ति इन कम्पनियों के मालिक हैं । इस शर्त के साथ उन्हें अनुमति दी गई है कि न तो उनमें लगाई गई पूंजी और न उनसे प्राप्त आय देश से बाहर वापस भेजी जाएगी ।
13.	ग्लेन गर्ग टी एस्टेट कम्पनी नीलगिरि	〃
14.	मकुम टी कम्पनी (ई०) लि० मारथेरिटी	इन कम्पनियों ने पहले ही अपना कारबार भारत में काम कर रही अनुमत गैर-निवासी 'शेयर पूंजी वाली भारतीय कम्पनियों को

विवरण—जारी

(1)	(2)	(3)
15.	नोमडेंग टी० कम्पनी (ई०) लि०, असम ।	स्थानान्तरित कर दिया है अथवा उन्हें मौजूदा आधार पर अनुमति दे दी गई है ।
16.	बोरहोला असम टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	भारतीय कम्पनियां (40 प्रतिशत से कम गैर निवासी शेयरों वाली) जिन्हें केवल मौजूदा गैर निवासी शेयर धारिता के आधार पर अपने को भारतीय कम्पनियों में बदलाया है ।
17.	दोलू टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	
18.	जालिंग टी कम्पनी लि० कलकत्ता	
19.	जालान नगर साऊथ एस्टेट लि०, कलकत्ता	
20.	रूकनी टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	
21.	बाग्राकोटे टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	सम्पदा बेच दी गई है।
22.	लंकापाड़ा टी कम्पनी लि०, लंदन	
23.	ट्रावनकोर टी० एस्टेट्स कं० लि०, कोचीन	
24.	दि रंगाजौन टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	
25.	बाधमैन (ट्रावनकौर) टी कम्पनी लि०	
26.	जार्टिगा वैली टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	इन कम्पनियों को बेचने की अनुमति दे दी गई है ।
27.	डोग्रार्स टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	
28.	दि दार्जिलिंग कं० लि०, कलकत्ता	
29.	अधाबम टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	इनका पहले ही भारतीयकरण हो चुका है ।
30.	दि० अमलगेमेटिड टी एस्टेट कं० लि०, कलकत्ता	
31.	दि ऐंग्लों अमेरिकन डायरेक्टर टी ट्रेडिंग कम्पनी लि०, कलकत्ता	
32.	दि बोरहार टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	
33.	दि चुबवा टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	
34.	दि कन्सोलिडेटिड टी एण्ड लैंड कम्पनी (ई०) लि०, कलकत्ता	
35.	दि कानन देवन हिल्स प्रोड्यूस कम्पनी लि० कलकत्ता	
36.	दि जोकाई (असम) टी कम्पनी लि०, कलकत्ता	भारतीयकरण का प्रस्ताव मंजूर हो गया है ।

उन चाय कम्पनियों की सूची जिन्हें अभी अपनी गैर निवासी शेयर पूंजी कम करनी है :—

1. अमगूरी टी ऐस्टेट्स लि०, कलकत्ता।
2. असम फ्रंटियर टी कम्पनी लि०, कलकत्ता।
3. असम कम्पनी लि०, कलकत्ता।
4. असम ऐस्टेट्स लि०, कलकत्ता।
5. अत्तारीखाट टी कम्पनी लि०।
6. असम डूआर्स टी कं० लि०।
7. वरगैंग टी कम्पनी, कलकत्ता।
8. वोरडुवी टी कं० लि०, कलकत्ता।
9. ब्वायेई टी कं० लि०, कलकत्ता।
10. दि ब्रिटिश इंडियन टी कं० लि०, कलकत्ता।
11. ब्वायेली टी कं० लि०, कलकत्ता।
12. दि वामगांव टी कं० लि०, कलकत्ता।
13. बजालोनी टी कं० लि०, कलकत्ता।
14. बक्सा डोर्स टी कं० लि०, कलकत्ता।
15. दि ब्रिटिश दार्जिलिंग टी कं० लि०,
16. ब्रिटिश असम टी कं० लि०, कलकत्ता।
17. बंगाल यूनाइटिड टी कं० लि०, कलकत्ता।
18. ब्रे एंड चिंगूर टी० ऐस्टेट्स लि०, कलकत्ता।
19. वालिजान टी कम्पनी लि०।
20. बेलसेरी टी कं०, लि०।
21. वादुलीपड़ टी कं० लि०, कलकत्ता।
22. काछार एण्ड डूआर्स टी कं० लि०, कलकत्ता।
23. कोआपरेटिव होलसेल सोसाइटी लि०।
24. कोर्रामोर टी कं० लि०।
25. दि क्रेगमोर लैंड प्रोड्यूस कं० लि०।
26. दि० चुल्लसा टी कं० लि०।
27. डूम डूमा टी कं० लि०।
28. दार्जिलिंग कंसालिडेटिड टी कं० लि०, कलकत्ता।
29. डांगुआ-झर टी कं० लि०।
30. डुआमारा टी कं० लि०।

31. देजू टी कं० लि० ।
32. दिगूली टी कं० लि० ।
33. डेखाड़ी टी कं० लि० ।
34. ऐम्पायर प्लांटेशंस लि० ।
35. ईस्टर्न असम टी कं० लि० ।
36. ऐंडोग्राम टी कं० लि० ।
37. गिगिग्रा टी कं० लि० ।
38. ग्रीनवुड टी कं० लि० ।
39. हालिम टी कं० लि०, कलकत्ता ।
40. हरमुधी टी कं० लि० ।
41. होप टी कं० लि० ।
42. हातिमारा टी कं० लि० ।
43. इंटाखूली टी कं० लि० ।
44. इम्पीरियल टी कं० लि०, कलकत्ता ।
45. हुंग्राल टी कं० लि० कलकत्ता ।
46. ईसा-भील टी कं० लि०, कलकत्ता ।
47. जोरहाट टी कं० लि० ।
48. दि झांझी टी ऐसोसियेशन लि० ।
49. कूमसांग टी कं० लि० ।
50. लकटरिया लि० ।
51. लेबांग टी कं० लि० ।
52. लीश रिवर टी कं० लि० ।
53. लोंगाई वेली टी कं० ।
54. मरांगी टी० कं० लि० ।
55. माजुली टी कं० लि० ।
56. मोग्राबंद टी कं० लि० ।
57. मद्रास टी ऐस्टेट्स लि० ।
58. मोरान टी ऐस्टेट्स लि० ।
59. मींग्लैस टी कं० लि० ।
60. पब्बोजान टी कं० लि० ।
61. राजभाई टी कं० लि० ।
62. रूपाजुली टी कं० लि० ।
63. रूपाई टी कं० लि० ।

64. दि रजत अली टी कं० लि० ।
65. सदर्न इंडिया टी ऐस्टेट्स कं० लि० ।
66. स्टैनमोर अनामले ऐस्टेट्स लि० ।
67. सिंग्लों टी कं० लि० ।
68. स्काटिश असम टी कं० लि० ।
69. सलोना टी कं० लि०
70. दि सोनाभील असम टी कं० लि० ।
71. थनाई टी कं० लि० ।
72. टिंग्री टी कं० लि० ।
73. दि तारा टी कं० लि० ।
74. अपर असम टी कं० लि० ।
75. जलोनी टी ऐस्टेट्स लि० ।

HUNGER STRIKE AND AGITATION AGAINST BRANCH MANAGER OF STATE BANK, BHARTHANA (U.P.)

5336. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether he has received a telegram and a letter from a Member of Lok Sabha regarding State Bank Branch, Bharthana, District Etawah (Uttar Pradesh);

(b) whether he is aware that the traders of Bharthana are on hunger strike and agitation against the Branch Manager therefor the last 20 days; and

(c) whether Government propose to take necessary action against that officer and conduct an enquiry ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) Government are aware of the relay hunger strike from 6th June, 1977 undertaken against the Branch Manager of the State Bank of India, Bharthana, for his having abruptly withdrawn certain credit facilities from the traders. These facilities have since been restored and the strike was called off on 21-6-1977.

(c) The State Bank of India has reported having issued orders for the transfer of the Branch Manager. Departmental action, on the basis of an enquiry, is also contemplated by the Bank.

दिल्ली की औषध फर्मों द्वारा करों की चोरी

5337. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के औषध विक्रेता, यथा, ला मेडिका, ड्रगडील कारपोरेशन तथा मेडिपैक तथा उनके मालिक करों की चोरी तथा सम्पत्ति के कम मूल्यांकन इत्यादि गंभीर मामलों में अन्तर्ग्रस्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) दिल्ली के औषध-विक्रेताओं के इस समूह से संबंधित कर-अपवंचन के मामलों की जिनमें सम्पत्ति का काम मूल्यांकन भी शामिल है, आयकर विभाग द्वारा जांच की जाती रही है।

सितम्बर, 1974 में तलाशी तथा माल-पकड़ने की एक कार्यवाही की गई थी जिसके परिणामतः कुछ बहुमूल्य परिसम्पत्तियों के अलावा लेखा-पुस्तकें/दस्तावेज पकड़े गये थे। इस समूह के सदस्यों द्वारा, स्वेच्छा आय तथा धन प्रकटीकरण अध्यादेश, 1975 (जो अब एक अधिनियम है) की धारा 14 (1) और 15(1) के अन्तर्गत, इस समूह के सदस्यों द्वारा कुल 61,56,000/- रु० की अघोषित आय तथा 1,31,63,500/- रु० के अघोषित धन की घोषणा की गई थी।

इस समूह के सदस्यों ने, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245-सी/धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 22-सी के अन्तर्गत, समझौता आयोग के समक्ष आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किये हैं। ये अभी अनिर्णीत पड़े हैं।

मैसर्स ला मेडिका फर्म के भागीदारों अर्थात् श्री एस० के० जैन, श्रीमती कमला जैन, श्रीमती निर्मला जैन, पर तथा श्रीमती निर्मला जैन के पति श्री एस० पी० जैन पर, आयकर अधिनियम की धारा 277/278 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193/196 के अन्तर्गत मुकदमें चलाये गये। इस बीच न्यायालय द्वारा इन व्यक्तियों को बरी कर दिया गया है। आगे की कार्यवाही के बारे में निर्णय लेने के लिये न्यायालय के फैसले की जांच की जा रही है।

अनधिकृत रूप से आयात करने तथा आयातित औषधियों के न्यून मूल्यांकन किये जाने के तीन मामलों में भी ला मेडिका एण्ड ड्रगडील अन्तर्ग्रस्त है। सभी तीनों खेपों में अन्तर्ग्रस्त गैर-कानूनी माल को जब्त कर फर्मों पर, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत, दण्ड लगा दिया गया था। पार्टियों ने न्याय-निर्णयादेशों के विरुद्ध, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के समक्ष, अपीलें दायर कर दीं हैं और वर्तमान में इन अपीलों की सुनवायी बोर्ड की एक अपीलीय पीठ द्वारा की जा रही है।

पांच लाख रुपए से अधिक आयकर से बकाया राशि

5338. **श्री कुवर लाल गुप्त : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आयकरदाताओं के नाम तथा पते क्या हैं जिन पर पांच लाख रुपये से अधिक आयकर की मांग है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) कितने मामलों में ऐसे आयकरदाताओं की सम्पत्ति कुड़क कराई गई है ; और

(घ) उन आयकरदाताओं के नाम व पते क्या हैं जिनके विरुद्ध मुकद्दमा चलाया गया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिन कर-निर्धारितियों की तरफ (निगम कर सहित) आय कर की सकल बकाया, 31 मार्च 1977 की स्थिति के अनुसार 5 लाख रुपये से अधिक थी उनकी संख्या 1523 है। प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) में मांगी गयी विस्तृत सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और देश भर में फैले हुए क्षेत्रीय कार्यालयों से उसे एकत्रित करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा।

यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मामले अथवा मामलों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वह एकत्रित करके प्रस्तुत की जा सकती है।

(ग) आय-कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अदा किये जाने वाले किसी भी कर, अर्थ-दण्ड अथवा ब्याज की अदायगी से बचने की जानबूझ कर की गयी कोशिश के कारण उक्त अधिनियम की धारा 269ग(1) के उपबन्धों के अन्तर्गत इस्तगासे की कार्यवाही करने का कोई प्राधिकार नहीं दिया गया है और कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गयी है।

विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा भेजी गई राशि

5339. **श्री के० कुन्हम्बू :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में रह रहे भारतीयों से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि भारत में विदेशी मुद्रा बाहर से भेजे जाने को प्रोत्साहित करने के लिए छूट और अन्य सुविधाएं दी जायें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) विदेशों में रहने वाले भारतीय समय-समय पर सरकार को बाहर से विदेशी मुद्रा भेजे जाने को प्रोत्साहन देने के लिए रियायतें और अन्य सुविधाएं दिये जाने के बारे में सुझाव देते रहते हैं। आमतौर पर इन सुझावों में इन रियायतों की मांग की जाती है जैसे सीमा-शुल्क की अदायगी विदेशी मुद्रा में करके कारों का आयात, विदेशी मुद्रा में अदायगी करके प्राथमिकता के आधार पर अचल सम्पत्ति की खरीद, विदेशी मुद्रा में सीमा शुल्क की अदायगी की शर्त के साथ घरों के लिए फिक्सचर और फिटिंग का आयात, विदेशी करेंसी खातों के लिए कम्पनियों और न्यासों को पात्र बनाने के उद्देश्य से इसके क्षेत्र को व्यापक करना, भारत में बाह्य खातों में जमा कराई जाने वाली रकमें उस भारतीय बैंक की विदेशी शाखा में स्वीकार किए जाने की अनुमति जिन में यह खाता खोला गया हो, आदि।

यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, मुंडियापल्ला द्वारा साउथ इंडिया स्टील एंड शुगर लिमिटेड को दिया गया ऋण

5340. **श्री आर० एम० लक्ष्मीनारायणन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनाइटेड कार्माशियल बैंक, मुंडियापल्ला द्वारा साउथ इंडिया स्टील एण्ड शुगर लिमिटेड को कितनी राशि का ऋण दिया गया है ;

(ख) क्या यह ऋण सरकार द्वारा बनाये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप था ;

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप न होने के कारण उक्त कारखाने को एक बार ऋण को नामंजूर कर दिया गया था और वही ऋण बाद में उक्त सिद्धांतों का उल्लंघन करके मंजूर कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त ऋण किस शर्त पर दिया गया था और क्या वह सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप था ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) युनाइटेड कार्मशियल बैंक ने इस कम्पनी के चीनी प्रभाग को 165 लाख की नकद ऋण सीमा और 35 लाख रुपये की सकार तथा कटौती (एक्सेप्टेंस कम डिसकाउंटिंग) सीमा मंजूर की है।

(ख) ये ऋण सीमाएं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चीनी मिलों को ऋण देने के बारे में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

(ग) और (घ) बैंक ने सूचित किया है कि किसी समय ऐसा कोई ऋण आरम्भ में अस्वीकार नहीं किया गया, जिसे बाद में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों की अवहेलना करके दिया गया हो। उक्त सीमाओं को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी ऋण प्राधिकरण योजना के अंतर्गत यथाविधि अनुमोदित किया गया है।

वर्ष 1977-78 में विदेशी ऋण

5341. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 के दौरान विशेष परियोजनाओं के लिये निर्धारित विदेशी ऋणों अथवा सहायताओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : वर्ष 1977-78 के दौरान विदेशी ऋणों तथा अनुदानों के अंतर्गत (नए वचनों को छोड़कर) 1665.32 करोड़ रुपये की सकल प्राप्तियों का अनुमान है जिसमें से परियोजना सहायता के लिए 809.67 करोड़ रुपए मिलने की आशा है।

आन्ध्र स्टील कारपोरेशन इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स, कलकत्ता का इण्डोनेशिया में संयुक्त उपक्रम में भाग लेना

5342. **डा० वसंत कुमार पण्डित** : क्या **वाणिज्य तथा नगरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र स्टील कारपोरेशन इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता को पी० टी० आन्ध्र स्टील, इण्डोनेशिया बनाने के लिये संयुक्त उपक्रम में भाग लेने की अनुमति दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कम्पनी ने अपने स्तर के बारे में धोखा दिया और विदेश में इस प्रकार के संयुक्त उपक्रम में भाग लेने के लिये उसके पास अपेक्षित तकनीकी जानकारी नहीं है।

(ग) क्या किसी बाह्य गैर-सरकारी प्रभाव के कारण इसकी मंजूरी दी गई थी ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या पी० टी० आन्ध्र स्टील, इण्डोनेशिया बनाने के लिये दी गई उक्त अनुमति के विरुद्ध बाद में शिकायतें दर्ज की गई थीं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ङ) प्रारम्भ में इण्डोनेशिया में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये मैसर्स आन्ध्र स्टील कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 16 अप्रैल, 1974 को दिया गया था। बाद में मैसर्स ए० एस० सी० इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स लिमिटेड के नाम से एक संशोधित आवेदन-पत्र दिनांक 28 नवम्बर, 1975 को प्राप्त हुआ। उन्होंने यह बताया कि मैसर्स ए० एस० सी० इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स, मैसर्स आन्ध्र स्टील कारपोरेशन लिमिटेड का अनुषंगी कार्यालय है। आवश्यक कार्यवाही करने के बाद, 6 अप्रैल, 1976 को ए० एस० सी० इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स लि० (आन्ध्र स्टील कारपोरेशन लि० का अनुषंगी निकाय) के नाम से एक अनुमोदन पत्र दिया गया था।

2. तत्पश्चात् ऐसा प्रतीत हुआ कि मित्तल परिवार की सम्पत्ति के बटवारे के बारे में कुछ पारिवारिक विवाद उठ खड़ा हुआ और साथ ही आन्ध्र स्टील कारपोरेशन लि० के निदेशकों के बीच इन बातों को देखते हुए 6 अप्रैल, 1976 को अनुमोदन-पत्र रद्द कर दिया गया था।

3. मै० ए० एस० सी० इंजीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स लि० ने पुनः 22 जनवरी, 1977 को एक अर्जी पेश की। परिवार के सदस्यों के बीच सम्पत्ति के बटवारे के बारे में आर्बिट्रेशन अवार्ड की एक प्रतिलिपि भी पेश की गई। इस अर्जी पर कार्यवाही की गई और 11 मार्च, 1977 को नया अनुमोदन-पत्र जारी कर दिया गया। रिकार्ड में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि इस मामले में किसी व्यक्ति का पक्ष लिया गया था या बाहरी प्रभाव डाला गया था। तथापि, इस मामले की जांच की जा रही है।

ग्रामीण बैंक द्वारा प्राप्त जमा राशियां तथा दी गई अग्रिम राशियां

5343. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 के दौरान ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल कितनी राशि की जमाराशियां प्राप्त की गईं तथा कुल कितनी राशि की अग्रिम राशियां दी गईं ; और

(ख) क्या ये बैंक अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुए हैं?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : 1976 के वर्ष के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल 8.02 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई थी। दिसम्बर, 1976 के अंतिम शुक्रवार को उनकी कुल जमाएं 7.83 करोड़ रुपये थीं। 1976 वर्ष के लिए इन बैंकों की जमाओं और ऋणों के बारे में कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे।

महाराष्ट्र की रुई एकाधिकार खरीद योजना के लिए वित्तीय सहायता

5344. **श्री बसन्त साठे :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य रुई उत्पादक संघ के एक शिष्टमंडल ने उनसे तथा वाणिज्य मंत्री से भेंट की थी और राज्य सरकार की रुई एकाधिकार खरीद योजना को जारी रखने और उक्त योजना की क्रियान्विति के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो शिष्टमंडल द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों और सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य कपास उत्पादक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल कपास की एकाधिकार वसूली चालू रखने के बारे में वाणिज्य मंत्री से तो मिला था किन्तु इस प्रकार का कोई प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री से मिला हो ऐसा नहीं लगता।

वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि वाणिज्य मंत्री को दिये गये ज्ञापन पर वह मंत्रालय विचार कर रहा है।

सुपर बाजार, कनाट प्लेस का कार्यकरण

5345. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली के गठन के क्या लक्ष्य तथा उद्देश्य थे ;

(ख) क्या वह उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये कार्य कर रहा है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार को कुल कितनी राशि दी गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति कौर सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) को-आपरेटिव स्टोर लिमिटेड (सुपर बाजार), नई दिल्ली के उद्देश्य उसकी उपविधियों में की गई व्यवस्था के अनुसार ये हैं--उपभोज्य वस्तुओं तथा आवश्यक वस्तुओं का थोक तथा फुटकर वितरण करना और बहुविभागीय भण्डार खोलना, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच प्रभावी संपर्क विकसित करना; वस्तुओं की किस्म सुधारना तथा उनका स्तर बनाये रखना, वितरण लागत घटाना और नियत मूल्य आदि जैसी न्यायोचित तथा बेहतर व्यापार पद्धतियां लागू करना, बाजार समर्थन और प्रबंध संबंधी सलाह के माध्यम से नए उत्पादों और नई विनिर्माण यूनिटों के विकास को बढ़ावा देना और उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को सूचना सेवा उपलब्ध करना।

(ख) उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयास किए जा रहें हैं।

(ग) 47.91 लाख रुपए।

कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाना

5346. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
डा० हेनरी आस्टिन } : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1977 में 5 कम्पनियों को 10 करोड़ 50 लाख रुपये की पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह अनुमति और आदेश केवल 18 महीनों के लिए वैध हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस समय-सीमा के मुख्य कारण क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) मई, 1977 में पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत 44 गैर-सरकारी कम्पनियों को 26.25 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाने की, अनुमति दी गई थी। तत्संबंधी ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस अनुमति की वैधता की सामान्य अवधि बोनस शेयर जारी करने के संबंध में 6 महीने और अन्य शेयरों के मामले में 18 महीने है। यह अवधि इन कम्पनियों को बोनस और अन्य प्रकार के नए शेयर जारी करने से संबंधित विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए यथेष्ट समय देने के विचार से निर्धारित की गई है।

विवरण

गैर-सरकारी कम्पनियों की सूची जिन्हें पहली मई, 1977 से 31 मई, 1977 तक पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई :--

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	निर्गम का स्वरूप	अनुमत राशि (लाख रुपए)
1.	मुकैरियां पेपर लि० . . .	प्रारम्भिक	130.00
2.	चौगूले मैट्रिक्स होव्स लि० .	प्रारम्भिक	67.00
3.	जोकाई इं० लि० .	प्रारम्भिक	250.00
4.	यूनियन होम प्राडक्ट्स लि० .	प्रारम्भिक	35.00
5.	डनलप इं० लि० . .	अतिरिक्त	33.30
6.	सिंगर टी० वी० एस० लि०	अतिरिक्त	2.49
7.	वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि०	अतिरिक्त	10.00
8.	एलोरा पेपर मिल्स लि० . .	अतिरिक्त	75.00
9.	कम्मिन्स डीजल सैल्स एण्ड सर्विस (इं०) लि०	अतिरक्त	30.00
10.	गुजरात अल्कलीज एण्ड कैमिकल्स लि०	अतिरिक्त	170.00
11.	महीन्द्रा स्पाइसर लि०	अतिरिक्त	84.80
		ऋण पत्र	20.00
12.	सर्वोदय पेपर मिल्स लि०	अतिरिक्त	130.10
		ऋण आदि	130.00
13.	के० एस० बी० पंप्स लि० .	अतिरिक्त	20.00
		बोनस	25.00
14.	इंटरनेशनल कंम्बसचन (इंडिया) लि० .	अतिरिक्त	9.98
		बोनस	15.00

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	निर्गम का स्वरूप	अनुमत राशि (लाख रुपए)
15.	ओरिएंट पेपर मिल्स लि०	बोनस	190.87
16.	केटालिस्ट्स एण्ड कैमिकल्स इंडिया (वैस्ट एशिया) लि०	बोनस	6.36
17.	वेयर इंडिया लि०	बोनस	392.25
18.	मोटर एण्ड जनरल फाइनेंस लि०	बोनस	50.00
19.	ग्रोल्ड विलेज इंडस्ट्रीज लि०	बोनस	2.57
20.	एसोसियेटिड स्टोन इंडस्ट्रीज (कोटा) लि०	बोनस	8.88
21.	सीमेन्स इंडिया लि०	बोनस	240.00
22.	हीरो साइकल्स लि०	बोनस	19.73
23.	ग्राड्को इंडिया लि०	बोनस	25.73
24.	प्रेस मेटल कारपोरेशन प्रा० लि०	बोनस	5.00
25.	यशवंत ग्राइरन एण्ड स्टील वर्क्स लि०	बोनस	1.05
26.	बैबकाक वेंकटेश्वर हैचरीज प्रा० लि०	बोनस	7.08
27.	सिलिका वेयर (प्रा०) लि०	बोनस	1.65
28.	जे० बी० बोडा मैरीन एण्ड जनरल सर्वे ऐजेंसीज प्रा० लि०	बोनस	0.25
29.	देसाई कंसल्टेंट्स एण्ड कंस्ट्रेक्टर्स प्रा० लि०	बोनस	0.50
30.	जमीरा टी कं० लि०	बोनस	10.00
31.	तिरूपुर टैक्सटाइल्स प्रा० लि०	बोनस	15.00
32.	जनरल सैल्स प्रा० लि०'	बोनस	1.00
33.	ग्राइरन एण्ड मैटल ट्रैडर्स प्रा० लि०	बोनस	1.60
34.	दीपक नाइटराइट लि०	बोनस	36.00
35.	हाइवे साइकल इंडस्ट्रीज़ लि०	बोनस	8.40
36.	सुपर स्पिनिंग मिल्स लि०	बोनस	37.50
37.	मैसूर सेल्स इंटरनेशनल लि०	बोनस	8.00
38.	प्रीमियर मिल्स (सी० बी० ई०) लि०	बोनस	50.00
39.	रौशे प्राडक्ट्स लि०	बोनस	100.00
40.	महिन्द्रा स्पाइसर लि०	ऋण ग्रादि	8.00
41.	चौगुले एण्ड कं० प्रा० लि०	ऋण ग्रादि	185.10
42.	किर्लोस्कर न्योमेटिक कं० लि०	ऋण ग्रादि	4.99
43.	रीड रिलेस एण्ड इलेक्ट्रानिक्स इं० लि०	ऋण ग्रादि	21.00
44.	लक्षमण ग्राईसौला लि०	ऋण ग्रादि	50.00
	जोड़		2625.45

वनस्पति की कमी

5347. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975-76 और वर्ष 1976-77 के दौरान देश में वनस्पति की अत्यधिक कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इसी अवधि के दौरान वनस्पति के मूल्य में वृद्धि का क्या ब्यौरा है ; और

(घ) इसके मूल्य में वृद्धि रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान देश में वनस्पति घी की कोई अत्यधिक कमी नहीं हुई है। अप्रैल, 1975 में वनस्पति घी के 16.50 कि० ग्रा० टीन का मूल्य, 189 रु०—191 रु० के लगभग था। उसके बाद फरवरी, 1976 के आसपास मूल्य में कमी हुई और फिर मई, 1977 में 168 रु० तक बढ़ गया। तथापि, मार्च, 1977 में सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण वनस्पति विनिर्माताओं को ऐसोसियेशन ने, उन मामलों को छोड़कर जहां चालू मूल्य इस मूल्य से कम थे, मूल्य घटाकर 158 रु० कर दिया है। यह मूल्य इसी स्तर पर स्थिर हो गया है। मार्च, 1977 से सरकर इस उद्योग की आवश्यकता के 75% भाग की पूर्ति आयातित तेलों द्वारा करती रही है। जुलाई-सितम्बर, 1977 की तिमाही के लिए यह बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है। मूल्यों को और कम करने के लिये सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं।

बिहार में किसानों को दिया गया ऋण

5348. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान बिहार राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किसानों को कुल कितना ऋण दिया ;

(ख) ऋण समझौतों के अन्तर्गत विशिष्ट अवधि तक कुल कितना ऋण वसूल किया गया ; और

(ग) ऋण वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

5—767LSS/77

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित) द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋणों की दिसम्बर, 1976 के अंत की (हाल की ताजा उपलब्ध) स्थिति निम्नलिखित है :—

(लाख रुपये)

	बकाया राशि :		
	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	जोड़
भारतीय स्टेट बैंक समूह . .	1965.91	1002.43	2968.34
राष्ट्रीकृत बैंक	1532.36	1241.06	2773.42
जोड़ . .	3498.27	2243 49	5741.76

(ख) इन बैंकों द्वारा जून, 1976 (हाल की ताजा उपलब्ध) के दौरान वसूल किये गये ऋणों की राशियां निम्नलिखित हैं :—

	बकाया राशि	मांग	वसूली
स्टेट बैंक आफ इंडिया समूह	1317.00	627.00	319.00
राष्ट्रीयकृत बैंक	1289.44	765.67	317.59
जोड़ . . .	2606.44	1392.67	636.59

(ग) कुछ ऋण खातों में वसूली न होने के कारणों में फसल न होना, सूखे की स्थिति, बाढ़, किसानों की व्यक्तिगत कठिनाइयां आदि शामिल हैं।

सुपर बाजार में वस्तुओं की ऊंची दरों पर बिक्री

5349. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनता की ओर से इस आशय की शिकायतें हैं कि सुपर बाजार में वस्तुएं खुले बाजार की तुलना में ऊंची दरों पर बेची जा रही हैं; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : इस प्रकार की कोई आम शिकायत नहीं है। तथापि, कभी-कभी किसी-किसी वस्तु के बारे में कुछ ग्राहकों द्वारा शिकायतें की जाती हैं, जिनका तत्परता से जांच की जाती है और उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। सुपर बाजार "सक्रिय मूल्य नीति" पर चलता है, अर्थात् उसी प्रकार की अथवा उनके मुकाबले की वस्तुओं के चालू बाजार भावों से कम मूल्य पर वस्तुएं बेचना। अपने मूल्यों को प्रतियोगी बनाये रखने के लिए सुपर बाजार अपनी बाजार आसूचना यूनिट के माध्यम से नियमित रूप से बाजार सर्वेक्षण करता है।

वाणिज्यिक बैंकों की सहायता से लघु औद्योगिक एककों का नमूना सर्वेक्षण

5350. श्री के० एल० राजन : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों की सहायता से लघु औद्योगिक एककों का देशव्यापी नमूना सर्वेक्षण शुरू किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें और मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) ऋण आयोजन के महत्व और छोटे पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों के बढ़ते हुए हिस्से को ध्यान में रखकर सर्वेक्षण किया जा रहा है। लगभग 15,000 छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों का सर्वेक्षण किया जायेगा, इसलिए आशा है कि अखिल भारतीय और क्षेत्रीय स्तरों के महत्वपूर्ण औद्योगिक समूहों के पूंजी ढांचे, निधियों के स्रोत और उपयोग, पूंजी निर्माण, उत्पादन के मूल्य और व्यय के तरीके जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व के सांख्यिकी दृष्टि से प्रामाणिक अनुमान प्राप्त होंगे। इसके अलावा इस सर्वेक्षण से एककों का प्रबन्ध करने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की पृष्ठ भूमि, एकक के बारे म बैंक का मूल्यांकन और एकक के बैंकर द्वारा की जाने वाली ग्राहक सेवा के बारे में उसके विचारों जैसे पहलुओं के गुणात्मक प्रकार के बारे में सूचना प्राप्त होने की संभावना है।

EXCISE DUTY ON HANDLOOM AND POWERLOOM CLOTH

5351. SHRI MAHI LAL : Wil the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state the date from which excise duty has been levied on handloom and powerloom cloth after calendering and the rate thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : There is no duty on cloth when calendered with other than grooved rollers. However, duty on handloom and powerloom cloth when calendered with grooved roller was imposed with effect from 24-4-62. The following rates of duty were prescribed :—

Description	Rate of duty			
	If processed by composite mill		If processed by independent processor	
	Paise per Sq. meter		Paise per Sq. meter	
	Basic	Addl.	Basic	Addl.
1	2	3	4	5
Handloom and powerloom cotton fabrics calendered with grooved rollers	25	Nil	20	Nil
Art Silk Fabrics (Man-made-fabrics)	3·5	3·6	3·5	3·6
Woollen Fabrics	5% ad. val.	5% ad. val.	3⅓% ad. val.	3⅓% ad. val.

The rates have undergone change from time to time. The present rates are as follows :—

COTTON FABRICS

Sl. No.	Description	Rate of duty			
		Handloom Fabric		Powerloo Fabri	
		processed by Composite Mill	Processed by independent processors	Processed by Composite Mill	Processed by independent processors
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Cotton Fabrics in which the average count of yarn is 41s or more.	15% ad. val.	Rate specified in Col. (3) reduced by 60 per cent subject to maximum reduction of 6% ad. valorem.	Same as in Col. (3).	Rate specified in Col. (3) reduced by 30 per cent subject to maximum reduction of 3% ad. valorem.
2.	Others	Varies from 2% ad-valorem to 15% ad-valorem depending upon the value of the fabric.			

WOOLLEN FABRICS

Sl.	Description	Rate of duty			
		If processed by Composite Mill		If processed by Independent processor	
		Basic	Addl.	Basic.	Addl.
1	2	3	4	5	6
1.	Shoddy blankets, blankets made from indigenous wool and Melton Cloth (Made of shoddy yarn) . . .	4% ad. val.	4% ad. val.	2% ad. val.	2% ad. val.
2.	Others . . .	4% ad. val.	4% ad. val.	2·5% ad. val.	2·5% ad. val.

ART SILK FABRICS (Man-made Fabrics)

Sl. No.	Description	Rate of duty	
		Basic	Additional
1.	Processed manmade fabrics	Nil	Rate varying from 1% to 5·5% ad.-valorem depending upon the value of the fabrics.

The above rate of duty shall be reduced by 40% if the man made fabrics are processed with the aid of machines operated without the aid of power or steam. other than the process of calendering with plain rollers, whether done with or without aid of power or steam.

गुजरात में रुई का जमा होना

5332. श्री प्रसन्न भाई महता : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के रुई निगम के पास लम्बे रेशे वाली रुई भारी मात्रा में जमा हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या गत चार महीने से गुजरात रुई निगम के पास रुई की गांठों के जमा हो जाने की समस्या से कपास उत्पादकों में भारी असंतोष व्याप्त है ;

(ग) यदि हां, तो उक्त समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) क्या भारतीय रुई निगम ने भी उनसे जुलाई मास में कम मूल्यों पर कुछ रुई खरीदी थी ; और

(ङ) गुजरात निगम को इस सम्बन्ध में कुल कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ङ) कुल 52,563 गांठों में से 9 मई, 1977 को गुजरात राज्य सहकारी रुई विपणन फैडरेशन अहमदाबाद के पास लम्बे रेशे की रुई की 33,799 गांठें जमा पड़ी थीं।

स्टाक का निपटान न होने के कारण, गुजरात राज्य सहकारी विपणन फैडरेशन का धन फंस गया था और इसके परिणामस्वरूप कपास उपजकर्त्ता, सहकारी समितियों तथा उनके खेतिहर सदस्यों के लिये कठिनाइयां उत्पन्न हो गई।

गुजरात के कपास उपजकर्त्ताओं को सहायता करने की दृष्टि से तथा उनके संकट को और बढ़ने से रोकने के लिये सरकार ने भारतीय रुई निगम से कहा है कि वह गुजरात राज्य सहकारी रुई विपणन फैडरेशन से रुई खरीदने के लिये विशेष उपाय करे।

भारतीय रुई निगम ने अब तक बाजार में विद्यमान कीमतों पर संकर–4 की 8963 (26-7-77 को) गांठें तथा वी–797 किस्म की रुई की 137 गांठें खरीदी हैं और आगे खरीदारी चल रही है। भारतीय रुई निगम ने यह रुई बाजार में विद्यमान कीमतों पर खरीदी है। सरकार को गुजरात राज्य सहकारी रुई विपणन फैडरेशन द्वारा उठाये गये घाटे के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

राज्य व्यापार निगम का खाद्य तेलों की कीमत बढ़ाने का निर्णय

5353. डा० हेनरी आस्टिन : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्य 20 से 30 प्रतिशत कम हो गये हैं और यदि हां, तो क्या कम कीमतों को ध्यान में रखते हुए उद्योग ने राज्य व्यापार निगम से अपना स्टाक बनाने के लिये सुझाव दिया है;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने खाद्य तेल की कीमतें बढ़ाने का भी निर्णय किया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो कितना और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की चालू कीमतें अप्रैल, 1977 की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत तक कम हैं। विद्यमान स्थिति में स्टाक तैयार करने के लिये राज्य व्यापार निगम को उद्योग से कोई विशेष सुझाव नहीं मिला है। तथापि, राज्य व्यापार निगम, बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इसे बताई गई आवश्यकताओं की समग्र रूप-रेखा के भीतर कार्य कर रहा है।

(ग) तथा (घ) वनस्पति उद्योग को सप्लाई किये जाने वाले आयातित सोयाबीन के तेल तथा ताड़ के तेल की बिकी कीमत जुलाई-सितम्बर, 1977 तिमाही के लिये बढ़ा दी गई है, इसकी वजह यह है कि इस अवधि के दौरान सप्लाई करने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदे गये खाद्य तेलों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें ऊंची रही। इस तिमाहीं के लिये आयातित तेलों का कोटा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत तक करने का भी विनिश्चय किया गया है। 75 प्रतिशत कोटे के सम्बन्ध में यह वृद्धि 500 रु० प्रति मे० टन और बाकी 15 प्रतिशत कोटे के लिये यह वृद्धि 2250 रु० प्रति मे० टन है। तथापि, इसके फलस्वरूप वनस्पति सहित खाद्य तेलों की फुटकर कीमतें नहीं बढ़ेगी।

NEW POSTS CREATED IN MINISTRIES DURING EMERGENCY

5354. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the number of posts carrying a salary of more than Rs. 1500 for reduction of which directives have been issued to various Ministries;

(b) whether Government propose to abolish the new posts created in various Ministries during the emergency; and

(c) if so, the number and names of higher posts for not filling of which orders have been issued ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) Apart from the general measures of economy circulated *vide* Finance Secretary's D.O. letter dated 13-5-77 and O.M. dated 27-5-77 which have already been placed on the Table of the House in answer to Unstarred Question No. 902 replied on 17th June, 1977, no specific orders/instructions have so far been issued to Ministries/ Departments for reduction of posts carrying a salary of more than Rs. 1500 or for abolition of new posts created in various Ministries during the emergency.

(c) Does not arise.

दिल्ली में रत्न और आभूषण संग्रहालय की स्थापना

5355. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक रत्न और आभूषण संग्रहालय की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संग्रहालय के लिए 'कोहेनूर' हीरा प्राप्त करने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) देश की कुछ अमूल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति को एक केन्द्रीय स्थान पर एकत्र करने, उसे आम जनता के देखने के लिए सुलभ कराने, शैक्षिक अध्ययन का अवसर प्रदान करने के लिए तथा सम्भवतः अमूल्य वस्तुओं का देश से तस्कर निर्यात किये जाने की गुंजाइश को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली में एक रत्न तथा जवाहरात संग्रहालय की स्थापना करने के एक प्रस्ताव को सरकार ने स्वीकृति दे दी है।

(ख) संग्रहालय के लिए 'कोहेनूर' को प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, यद्यपि, आशा की जाती है कि उक्त संग्रहालय में अन्य देशों के संग्रहालयों की वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए उन देशों के संग्रहालयों के साथ वस्तुओं के आदान-प्रदान करने की व्यवस्था की जा सकेगी।

तिरुपति से दिल्ली तक सीधी विमान सेवा

5356. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से तिरुपति तक सीधी विमान सेवायें उपलब्ध हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन्हें आरम्भ करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) फिलहाल नहीं।

(ख) तिरुपति से दिल्ली के लिए सीधी हवाई उड़ानें चालू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

हवाई अड्डों पर दुकानें आवंटित करने संबंधी प्रक्रिया

5357. डॉ० बापू कालवाते : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न हवाई अड्डों पर दुकानों के आवंटन के संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ख) क्या बिना टेंडर आमंत्रित किये भी कोई दुकानें आवंटित की गई हैं; और

(ग) ऐसी दुकानें किन हवाई अड्डों पर आवंटित की गई और ऐसे आवंटन के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) अंतर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्र—भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के विमान-क्षेत्रों पर सामान्यतया टेंडर आमंत्रित कर के दुकानें आबंटित करता है। पार्टी का चयन करते समय, भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता है :—

(i) फर की गयी लाइसेंस फीस की राशि।

(ii) पार्टी द्वारा सभी टैंडर अपेक्षाओं की पूर्ति।

(iii) पार्टी की हैसियत तथा अनुभव।

चुनी गयी पार्टी को एक निर्धारित फार्म में एक करार करना होता है, जिसमें ठेके की विस्तृत शर्तें दी होती हैं।

अन्तर्देशीय विमान क्षेत्र

ट्रैवलर्स रेक्विज़िट स्टॉलों, क्यरियों स्टॉलों तथा बुक स्टॉलों के मामले में, नियमित आबंटन टेंडर मंगा कर किया जाता है। परन्तु जहां प्रारंभिक रूप से, अथवा मौजूदा व्यवस्था के भंग हो जाने के परिणामस्वरूप, चार महीने तक की अवधि के लिए प्रबंध किये जाते हैं, जिन्हें 30 दिन का नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है, टैंडर मंगाने की प्रणाली को बंद कर दिया गया है और ये प्रबन्ध नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा यथा संभव अनुकूलतम उपलब्ध शर्तों पर किये जायेंगे।

नागर विमानन के महानिदेशक द्ववारा ऐसे मामलों में, जिनमें बिक्री 50,000/- रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होती, बातचीत कर के कुछ शर्तों के अन्तर्गत ठेके दिए जाते ह अथवा उनकी अवधि बढ़ाई जाती है।

(ख) और (ग)

अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र

दिल्ली, बम्बई तथा कलकत्ता के विमान क्षेत्रों पर एक-एक दुकान टैंडर मंगाए बिना संबंधित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों के उद्यमों को आवंटित की गयी है।

अंतर्देशीय विमान क्षेत्र

सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विद्युत्चालित करघे

5358. **श्री आर० कोलनथाइवेलू :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एवं तमिलनाडु में विद्युतचालित करघों की संख्या कितनी है ;

(ख) भारत एवं तमिलनाडु में इन कारखानों का वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ग) भारत में तथा तमिलनाडु में अनधिकृत कारखानों की संख्या कितनी है ; और

(घ) कितने अनधिकृत कारखानों का पता लगाया गया और उनके विरुध दंडात्मक कार्यवाही की गई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) सूती तथा गैर-सूती शक्तिचालित करघों की कुल संख्या, जिनके लिये 31-3-1976 तक परमिट जारी किये गये हैं, 3.47 लाख रुपये हैं इस प्रकार के करघों की संख्या तमिलनाडु में 327.81 है।

(ख) सूती तथा नकली रेशम दोनों के शक्तिचालित करघों के उत्पादन का अनुमान हमेशा देश में होने वाली कोन यार्न की खपत के आधार पर लगाया जाता है। अनधिकृत शक्तिचालित करघों सहित शक्तिचालित करघा क्षेत्र द्वारा कपड़े का अनुमानित उत्पादन 300 करोड़ मीटर प्रति वर्ष है? तमिलनाडु में शक्तिचालित करघे के कपड़े के उत्पादन आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारत में अनधिकृत शक्तिचालित करघों के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अनधिकृत शक्तिचालित करघों की, जिनमें तमिलनाडु के करघे शामिल हैं अनुमानित संख्या 75,000 से 1,00,000 शक्तिचालित करघों के बीच हो सकती है।

(घ) जिन राज्य सरकारों ने, जिन्हें अनधिकृत शक्तिचालित करघों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये शक्ति प्रदान की गई है उन्होंने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में विनिश्चय किया है कि वह स्थिति से सख्ती से निपटेगी तथा उद्योग को समुचित तरीके से नियमित करेगी।

EXPORT OF LOCKS AND BUILDING FITTING MATERIAL

5360. SHRI RAM PRASAD DESHMUKH : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether locks and building fitting materials are exported every year from Aligarh District and whether there has been a decline in exports; and

(b) whether Government are aware that there has been shortage of raw material in Aligarh in past years and if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government for its availability ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) Locks and building fitting materials, manufactured in Aligarh District, are being exported. There has been no decline in their exports.

(b) No, Sir.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत का दिया जाना

5361. श्रीमती वी० जयलक्ष्मी : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन निर्वाह सूचकांक पर पुनर्विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति द्वारा रिपोर्ट दिये जाने तक सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने के प्रश्न पर विचार किया है जिससे वे बढ़ते मूल्यों के कारण जीवन निर्वाह लागत में हुई वृद्धि को संतुलित कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए महंगाई भत्ते के सूत्र के अनुसार औद्योगिक कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (1960–100) के 12 महीने के औसत में 200 अंकों से ऊपर प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि के पश्चात् केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देय था। इस सूत्र के आधार पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते की जो 13 किश्तें वर्तमान में पा रहे हैं उनसे 304 के औसत सूचकांक स्तर तक मूल्य वृद्धि की पूर्ण और अंतिम रूप से पूर्ति हो जाती है। इसलिए इस बीच में कर्मचारियों को किसी अन्तरिम राहत की अदायगी का प्रश्न ही नहीं उठता।

विशाखापत्तनम को 'बी-2' श्रेणी का शहर घोषित करना

5362. **श्री द्रोणमराजू सत्यनारायण** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम की जनसंख्या अब पांच लाख से बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम को 'बी०-2' श्रेणी का शहर घोषित करने का है ।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते और प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के प्रयोजन के लिए किसी नगर को श्रेणी 'बी०-2' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पिछली दशवर्षीय जनगणना में व्यक्त हुए अनुसार उसकी जनसंख्या 4 लाख से अधिक होनी चाहिए । 1971 की जनगणना के अनुसार विशाखापत्तनम शहरी समूह की जनसंख्या केवल 3,63,467 थी और इसकी नगरपालिका की जनसंख्या 3,52,504 थी । इस लिए विशाखापत्तनम 'बी०-2' नगर के रूप में वर्गीकृत किए जाने योग्य नहीं है ।

ADVERTISEMENTS GIVEN BY PUNJAB NATIONAL BANK AFTER NATIONALISATION

5363. SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the number of advertisements given every year after the nationalisation of Punjab National Bank till the date of the appointment of the present Manager and the value of advertisements so given; and

(b) the total number of advertisements given after the present Manager assumed charge and the names of news papers to which these advertisements have been given ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) During the period July 19, 1969 *i.e.* the date of nationalisation of 14 Major Indian banks in the country, to 31st July, 1975 *i.e.* the date after which the present Chairman took over, the Punjab National Bank has reported having given 7342 insertions including general press advertisements, advertisements for souvenirs, brochures, recruitments, tenders for opening of branches and advertisements intimating change of addresses consequent on the shifting of branches at a total cost of Rs. 34,77,279.90. Year-wise figures are given in Annexure-I. [Placed in Library. *See* No. L.T.—866/77]

(b) 2341 insertions are reported to have been released to the Press during the period 1-8-1975 to 30-6-1977. Names of newspapers/periodicals are given in Annexure-II. [Placed in Library. See No. L.T.—866/77]

UNEMPLOYED TRAINED PILOTS IN BIHAR

5364. SHRI BIRENDRA PRASAD : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state the number of trained pilots facing problems of unemployment in Bihar State ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

जम्मू तथा काश्मीर में पर्यटन केन्द्रों का विकास

5365. **श्री बलदेव सिंह जसरोथा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जम्मू तथा कश्मीर में पूंछ तथा नूरीछम्ब को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का केन्द्रीय क्षेत्र में कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : जी, नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सफदरजंग हवाई अड्डे को खाली किया जाना

5366. **श्री सूरज भान :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग जयपुर, उदयपुर और अन्य स्थानों में कुछ हैंगरों को हटा कर उन्हें सफदरजंग हवाई अड्डे पर लाने पर विचार कर रहा था ताकि श्री संजय गांधी के मारुति टेक्नीकल सर्विसेज को वहां स्थापित किया जा सके ;

(ख) क्या सरकार ने इंडियन एयरलाइंस को भी मारुति टेक्नीकल सर्विसेज के लिए सफदरजंग में अपना हैंगर खाली करने पर दबाव डाला था ;

(ग) यदि हां, तो इन हैंगरों को हटाने की लागत क्या थी ;

(घ) क्या सरकार ने मारुति टेक्नीकल सर्विसेज को गैर अनुमोदित फर्म घोषित किया था और इस संबंध में विमानचालकों को अपेक्षित अधिसूचना जारी कर दी थी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो वैमानिकी निरीक्षण विभाग अनेक विमान चालकों और राज्यों द्वारा खरीद के लिए उक्त फर्म द्वारा दिये जाने वाले सामान का अनुमोदन तथा सिफारिश किस प्रकार कर रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है तथा जांच पूरी हो जाने के पश्चात् इस मामले के तथ्यों को सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(घ) सरकार ने मारुति टेक्नीकल सर्विसेज़ लिमिटेड को एक अनुमोदित फर्म के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की थी अतः कोई भी अधिसूचना जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता था ।

(ङ) नागर विमानन विभाग ने किसी भी स्टेज पर किसी भी राज्य सरकार अथवा विमान परिचालक को मारुति टेक्नीकल सर्विसेज़ लिमिटेड से कोई भी माल खरीदने की सलाह नहीं दी थी ।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण बैंक

5367. **श्री विजय सिंह नाहर :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में कितने ग्रामीण बैंक हैं इनके द्वारा राज्य के छोटे तथा सीमान्त किसानों, बेरोजगारों तथा भूमिहीनों को ऋण के रूप में जिलावार कितनी राशि वितरित की गई ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : आजकल पश्चिम बंगाल में चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। इन बैंकों के कार्य क्षेत्र के जिलों में इन बैंकों द्वारा मई, 1977 के अन्तिम सप्ताह तक वितरित की गई राशियां नीचे दी जा रही हैं :—

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	स्थापना की तारीख	कार्य क्षेत्र के जिले	वितरित की गई राशि (हजार रुपयों में)
गौड़ ग्रामीण बैंक, माल्दा	2-10-1975	पश्चिम दीनाजपुर, माल्दा और मुर्शिदाबाद	15109
मल्लभूम-ग्रामीण बैंक, बांकुरा	9-4-1976	बांकुरा, पुरुलिया और मिदनापुर	1823
मयूराक्षी ग्रामीण बैंक सूरी	16-8-1976	बीरभूम	891
उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कूच बिहार	7-3-1977	जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और दार्जिलिंग	2
		जोड़ :	17825

कुनैन/सिनकोना का निर्यात

5368. **श्री राम सागर** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से विश्व के भिन्न-भिन्न भागों को कुनैन/सिनकोना का भारी मात्रा में निर्यात किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और कितना निर्यात किया गया तथा उस समय उस के सामान्य मूल्य क्या थे ;

(ग) क्या इतनी बड़ी मात्रा में निर्यात किये जाने के कारण देश के बाजार की मांग पूरी होने में भारी कठिनाई हो रही है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त वस्तुओं की मांग और सप्लाई कितनी-कितनी थी ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) कुनैन/सिनकोना के निर्यात आकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

	मात्रा (मी० टन)	मूल्य (लाख रु० में)	कीमत रुपये प्रति कि० ग्रा०
1974-75	18.2	257	1412
1975-76	13.4	199	1485
1976-77 (अप्रैल-फरवरी)	6.8	105	1544

(ग) जी नहीं। हालांकि निर्यातों की अनुमति दी जा रही है लेकिन यह आन्तरिक मांग को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(घ) विगत तीन वर्षों के उत्पादन आकड़े नीचे दिए जाते हैं :—

	(मी० टन)
1974-75 .	21.964
1975-76	19.984
1976-77 . .	19 (अनुमानित)

इस मद का उत्पादन केवल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। स्थानीय मांग का हिसाब लगाने के बाद जो मात्रा बचती है उसे निर्यात के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

पश्चिम बंगाल में पटसन का उत्पादन

5369. **श्री जी० एम० बनतवाला**
श्री मुख्तयार सिंह मलिक
श्री मनीराम बागड़ी
: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों के, महीनेवार, पश्चिम बंगाल में पटसन का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या मार्च, 1977 की तुलना में जून, 1977 में पटसन के उत्पादन में 16 प्रतिशत की कमी हुई है ;

(ग) उत्पादन में इस कमी के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उत्पादन में इस कमी के कारण पश्चिम बंगाल में 20,000 मजदूर बेरोज़गार हो गये हैं ; और

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) विगत छः महीनों के दौरान पश्चिम बंगाल में पटसन माल का उत्पादन निम्नोक्त प्रकार था :—

महीना	मात्रा (हजार मे० टन)
जनवरी, 77 . . .	98.0
फरवरी, 77 .	93.6
मार्च, 77 .	100.5
अप्रैल, 77	92.2
मई, 77	91.0
जून, 77	86.9

(ख) तथा (ग) मार्च, 1977 की तुलना में जून, 1977 में पश्चिम बंगाल में पटसन के उत्पादन में जो गिरावट आई वह लगभग 13.5 प्रतिशत ठहरती है। इस गिरावट के कारण ये थे :—

(1) कच्चे पटसन की कमी,

(2) पश्चिम बंगाल में बिजली की कटौती,

(3) मार्च की तुलना में जून में एक कार्य दिवस का कम होना।

(घ) तथा (ङ) : पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल स्थित पटसन मिलों द्वारा हाल में किसी स्थायी अथवा विशेष बदली कर्मचारी की छंटनी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

सामान्य बीमा कम्पनियों के फील्ड कर्मचारियों की मांगें

5370. **श्री सौगत राय :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया इन्श्योरेंस फील्ड वर्कर्स एसोशियेशन से जनरल इंश्योरेंस कम्पनियों में फील्ड अफिसरों की सेवा शर्तों में परिवर्तन तथा उन की मांगों से संबंधित कोई अभ्यावेदन मिला; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार मामले पर विचार कर रही है।

पालम हवाई अड्डे पर प्रदर्शन और हड़ताल

5371. **श्री बशीर अहमद :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 11 जुलाई, 1977 को गैर-मान्यता प्राप्त यूनियन के कुछ सदस्यों ने पालम हवाई अड्डे पर प्रदर्शन और हड़ताल की थी और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या ऐसी गैर-मान्यता प्राप्त यूनियनें भूतपूर्व प्रधान मंत्री के 20-सूत्रीय कार्यक्रम की वकालत करती रही हैं और इन सदस्यों की कार्रवाई तोड़-फ़ोड़ करने की है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी संघ (गैर मान्यता प्राप्त) के सदस्यों ने 11 जुलाई, 1977 को दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रदर्शन किया था। उनकी कुछ मांगे सीधी भर्ती बंद करने तथा खाली पदों को कैजुअल मजदूरों से भरने, स्क्रीबिंग मशीन के परिचालन को रोक देने, एक कर्मचारी को दिये गए दंड को वापस ले लेने आदि से संबंधित थीं। परन्तु कोई हड़ताल नहीं हुई।

(ख) यह संघ भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम का समर्थन किया करता था। इस प्रकार की तोड़-फ़ोड़ की कोई घटना अब तक विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबंधकवर्ग के नोटिस में नहीं आयी है।

कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा केरल के लिए अनुमोदित योजना

5372. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा गत दो वर्षों के दौरान केरल के लिए अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि देने का वचन दिया गया है ;

(ग) क्या इन योजनाओं में से किसी योजना पर विश्व बैंक अथवा अन्तराष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों का उपयोग किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में ऋण दिए जायेंगे और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) इस प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित अवधि के संदर्भ में राज्यों द्वारा प्रस्तुत और कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम द्वारा अनुमोदित योजनाओं, उनकी वित्तीय वचनबद्धता विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रीय विकास एजेंसी के ऋणों के उपयोग के बारे में सापेक्षिक आकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) कृषि पुर्नवित्त और विकास निगम द्वारा केरल में गत दो वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई योजनाओं की कुल संख्या इनमें निगम की बचन बद्धता और उनके लिये दी गई पुर्नवित्त सहायता की राशि नीचे लिखे अनुसार है :—

(राशि लाख रुपयों में)

वर्ष	स्वीकृत की गई योजनाओं की संख्या	कृ० पु० वि० निगम की बचनबद्धता	पिछली योजनायों सहित सभी स्वीकृत योजनाओं के लिये दी गई राशि।
1975-76	9	88	204
1976-77 . . .	43	1276	246

(ग) और (घ) केरल में गत दो वर्षों के दौरान अन्तराष्ट्रीय विकास संघ की कोई विशिष्ट कृषि ऋण परियोजनाएं कार्यरत नहीं रही हैं। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विकास निगम ऋण परियोजना नामक ऋण का एक सामान्य स्रोत स्वीकृत किया था। केरल में, कृषि पुर्नवित्त और विकास निगम ऋण परियोजना के अन्तर्गत उल्लिखित परियोजना ऋण शर्तों और निबंधनों को पूरा करने वाली योजनाओं को गत दो वर्षों के दौरान इस परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया अथवा लाया गया था। अभी तक, केरल म इस परियोजना के अन्तर्गत 44 योजनायें स्वीकृत की गई है जिनमें कृषि पुर्नवित्त और विकास निगम की बचनबद्धता 652 करोड़ रुपये की है जिसमें से वित्तीय संस्थायें 30 जून, 1977 के अन्त तक 61 लाख रुपये की पुर्नवित्त सहायता ले भी चुकी हैं। नवम्बर, 1976 में सरकार और कृषि पुर्नवित्त और विकास निगम ने केरल के लिये केरल कृषि विकास परियोजना (केरल एग्रीकलचरल डवेलपमेंट प्रोजेक्ट) नाम की एक विशिष्ट ऋण परियोजना के वास्ते अन्तराष्ट्रीय विकास संघ से बातचीत की है। यह परियोजना हाल में 29 जून, 1977 को ही लागू की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता 3 करोड़ डालर की है जिसमें से 2 करोड़ 8 लाख डालर कृषि पुर्नवित्त और विकास निगम के माध्यम से दिये जायेंगे।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नारियल और काली मिर्च जैसी वृक्ष फ़सलों की उत्पादकता में सुधार लाना और साथ ही साथ छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने पर जोर दे देना है।

(ङ) केरल को छोड़कर अन्य विभिन्न प्रांतों में गत दो वर्षों के दौरान कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम द्वारा स्वीकृत की गई योजनायें, इनमें निगम की वचन बद्धता और इसके द्वारा दी गई राशि नीचे लिखे अनुसार है :—

(राशि लाख रुपयों में)

राज्य संघ राज्य क्षेत्र	1975-76 योजनाओं की संख्या	1975-76 कृ० पु० वि० नि० की बचन-बद्धता	1975-76 दी गई राशि	1976-77 योजनाओं की संख्या	1976-77 कृ० पु० वि० नि० की बचन-बद्धता	1976-77 दी गई राशि
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र/प्रदेश	91	4441	1295	122	2364	2131
2. आसाम	3	90	5	12	88	70
3. बिहार	36	2313	1318	100	2855	1710
4. गुजरात	20	364	333	88	1489	397
5. हरियाणा	27	2097	1569	94	3130	1760
6. हिमाचल प्रदेश	2	24	16	13	219	3
7. जम्मू व कश्मीर	2	19	17	2	18	7
8. कर्नाटक	77	1534	1946	200	3843	2211
9. मध्य प्रदेश	102	1242	1932	118	2317	2615
10. महाराष्ट्र	193	3180	2248	245	2928	1933
11. मनीपुर	1	37	5	1	3	8
12. मेघालय	—	—	—	3	53	—
13. नागालैंड	—	—	2	1	15	4
14. उड़ीसा	53	985	338	80	2230	562
15. पंजाब	34	3051	1306	60	1645	1727
16. राजस्थान	57	3353	536	72	2139	801
17. तमिलनाडु	48	1582	1228	86	1035	1601
18. त्रिपुरा	3	21	1	2	40	1
19. उत्तर प्रदेश	108	4172	2598	269	1766	3704
20. पश्चिम बंगाल	31	997	159	52	1389	575
21. दिल्ली	4	46	28	—	—	10
22. गोवा	7	36	23	6	99	19
23. पांडेचेरी	1	19	4	—	—	—
	900	29603	16907	1626	29665	21849

पिछले दो वर्षों (1975-76 और 1976-77) के दौरान निगम द्वारा दी गई 387.56 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 282 करोड़ रुपये की राशि विश्व बैंक की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा व्याप्त योजनाओं के अन्तर्गत दी गई थी।

अशोक होटल, बंगलौर, के कर्मचारियों की मांगे

5373. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन एक यूनिट, अशोक होटल, बंगलौर के कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा है कि उनके द्वारा सीधी कार्यवाही करने और अनिश्चित कालीन हड़ताल का निर्णय लेने से पहले ही उनकी मांगों का समाधान किया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें भारत, पर्यटन विकास निगम के अधीन अन्य सभी यूनिटों पर लागू की गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो भारत पर्यटन विकास निगम के अधीन होटल डीविजन के कर्मचारियों पर ये सिफारिशें क्यों नहीं लागू की गई हैं ; और

(घ) अशोक होटल, बंगलौर के कर्मचारियों की मांगे पूरी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें किसी भी सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं की जाती। ये भारत पर्यटन विकास निगम के किसी होटल/मोटल अथवा खान-पान प्रतिष्ठान के कर्मचारियों पर भी लागू नहीं की गयीं हैं। ये कर्मचारी खान-पान उद्योग में क्षेत्रवार प्रचलित नियमों व परिपाटी के अनुसार वेतन के अधिकारी होते हैं तथा उनकी वेतन संरचना एवं पद्धति दिल्ली के होटलों तथा रेस्टोरेंटों के लिये दिए गये 'वेज बोर्ड एवार्ड' पर आधारित होती है। भारत पर्यटन विकास निगम के गैर-खान-पान प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों तथा होटल प्रभाग सहित मुख्यालय के कर्मचारियों के लिय, जो उनके समकक्ष केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन पाने के अधिकारी होते हैं, तीसरे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकारी निर्णयों के अनुरूप वेतन में संशोधन की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

(घ) सरकार भारत पर्यटन विकास निगम में वेतन संरचना को युक्ति संगत बनाने के लिए एक समिति का गठन कर रही है। समिति अन्य बातों के साथ-साथ कारपोरेशन के अधिकारियों से भिन्न समस्त कर्मचारियों को, उनके कार्य-कलापों के क्षेत्र पर विचार किए बिना, एक मानक वेतन, संरचना, जिसमें सामान्य मंहगाई भत्ता फार्मूला भी सम्मिलित है, लागू करने की संभावना पर विचार कर रही है।

6—767LSS/77

रुपये का मूल्य

5374. **श्री के० मालन्ना :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पौंड, स्टर्लिंग मार्क, येन और डालर की तुलना में रुपए की सरकारी और गैर-सरकारी विनियम-दर कितनी है; और

(ख) विनियम-मूल्य में गत तीन वर्षों के दौरान क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार पहली जुलाई, 1977 को सरकारी दरें इस प्रकार थीं ।

करेंसी	प्रति यूनिट करेंसी की सरकारी दर (रुपयों में)
पौंड स्टर्लिंग	15.20
अमरीकी डालर	8.8377
मार्क	3.7778
येन	0.0331

जहां तक गैर-सरकारी दरों का सम्बन्ध है, वे अनधिकृत लेनदेनों की होती है और इसलिए उनका कोई खास महत्व नहीं होता । उपलब्ध सूचना के अनुसार, पहली जुलाई, 1977 को लन्दन के बाजार में पौण्ड स्टर्लिंग की तुलना में रुपए की गैर-सरकारी दर प्रति पौंड 16 रुपए थी । अन्य करेंसियों की गैर-सरकारी दरें उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) रुपयों में स्टर्लिंग अमरीकी डालर, मार्क और येन की सरकारी दरें (मध्य दरें) नीदे दी गई हैं ।

तारीख	पौण्ड	डालर	मार्क	येन
1-7-74	18.80	7.8760	3.0744	0.0276
2-1-75	18.80	8.0574	3.3289	0.0267
1-7-75	18.80	8.5068	3.5981	0.0287
2-1-76	18.1284	8.9543	3.4188	0.0293
1-7-76	16.00	8.9385	3.4688	0.0301
4-1-77	15.20	8.8954	3.7929	0.0306
1-7-77	15.20	8.8377	3.7778	0.0331

दिल्ली में ट्रैवल एजेंसियों द्वारा विमान-यात्रा टिकटों की बिक्री

5375. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में ट्रेवल ऐजेंसी/एजेंसियों द्वारा विमान यात्रा टिकटों की बिक्री इंडियन एयरलाईंस की अपेक्षा कहीं अधिक होती है; और

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाईंस और ट्रैवल एजेंसियों-दोनों ही द्वारा गत दो वर्षों के दौरान विमान यात्रा टिकटों की बिक्री से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : जी, हां ।

(ख) : पिछले दो वर्षों के दौरान विमान टिकटों की कुल बिक्री, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वाहकों के कार्यालयों द्वारा की गयी बिक्री सम्मिलित नहीं है, निम्न प्रकार है :—

वर्ष	1975-76	1976-77
इंडियन एयरलाईंस के कार्यालयों द्वारा सीधी की गयी बिक्री	854.57 लाख रुपए	965.73 लाख रुपए
ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से की गई बिक्री	954.68 लाख रुपए	1177.61 लाख रुपए

दिल्ली हवाई अड्डे में निर्यात माल टर्मिनल

5376. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरलाईंस के लिए माल रखने की जगह बनाने और निर्यात माल का द्रुतनिपटान संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे में निर्यात माल टर्मिनल ने काम करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान प्राधिकरण द्वारा दी गई सहायता का क्या ब्यौरा है ;

(ग) भारत में बनाये जाने वाले अन्य माल टर्मिनलों की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नगर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) : भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सहायता निम्न-प्रकार थी :—

(अ) विभिन्न एयरलाइनों के लिए स्टोरेज तथा कार्यालय स्थान ।

(आ) सीमा-शुल्क प्राधिकारियों, कार्गो एजेंटों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के लिये कार्यालय का स्थान तथा जांच क्षेत्र ।

(इ) सामान उतारने के लिए ट्रक डाक तथा गन्तव्य कार्गो के लिए "पैलेट मेकिंग" क्षेत्र ।

(ई) कर्मचारियों तथा कार्गो टर्मिनल में जाने वालों के लिए सुविधाएं।

(ग) बम्बई तथा कलकत्ता में 'मल्टीपल आक्युपेंसी कार्गो टर्मिनल' पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं। इस प्रकार का एक टर्मिनल मद्रास विमानक्षेत्र पर भी बनाया जा रहा है। इसकी मुख्य मुख्य बातें ये हैं :--

(अ) एक्सपोर्ट कार्गो की क्लीयरेंस के लिए एक सामान्य स्थान पर शुल्क, सीमा नियामक एजेंसियों तथा बैंकों जैसी सरकारी एजेंसियों का स्थान निर्धारण।

(आ) कोल्ड स्टोरेज, जोखिम वाले गोदामों तथा पशु शेडों जैसी सुविधाएँ।

(इ) काम्पलैक्स के ही अंदर कार्गो एजेंटों तथा एयरलाईंस कार्यालयों के लिये स्थान की सुविधायें।

(ई) कार्गो के "पैलेटाइज़ेशन" के लिए सुविधायें तथा कार्गो को विमान तक आसानी से एवं शीघ्रता से ले जाने के लिए ट्रक डाक।

EXPORT OF ROSE-WOOD AND SANDAL-WOOD

5377. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the names of countries to which rose-wood and sandal-wood were exported last and the quantum thereof;

(b) the amount of foreign exchange earned thereby; and

(c) the measures taken to increase their exports ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) and (b). A statement showing country-wise exports of rosewood and sandalwood during April 1976—February 1977 is attached.

(c) No special measures have been taken to increase their exports. On the contrary the whole issue is being reconsidered with a view to have exports with added value.

STATEMENT

Rosewood

Countries	1976-77 (April-February,'77)	
	Quantity (Cubic metres)	Value (Rupees)
1	2	3
Australia		3331
Belgium	72	199062
Canada	21	276943
Denmark	398	1656901
Dubai	9	76145
France	305	2320174
German FRP	1332	10928236
Greece	6	11201
Hongkong	668	925297
Israel	1	5166
Italy	2896	25676606
Japan	13609	54415465

1	2	3
Mauritius	1	5433
Oman	14	121355
Netherlands	141	435142
New Zealand	7	48666
Norway	79	544542
Saudi Arabia	8	48475
Singapore	14	131604
Spain	174	771083
Sweden	16	95341
Switzerland	39	224455
U.K.	332	1058066
U.S.A.	623	3920712
	20755	103899401

Sandalwood

	Quantity (Tonnes)	Value (Rupees)
1	2	3
Dubai	3	21000
France	5	178000
Hongkong	165	5866775
Japan	34	1645013
Oman	—	10100
Saudi Arabia	12	367772
Singapore	40	2151905
Spain	1	12743
Sudan	64	1637706
U.K.	2	53000
U.S.A.	2	30103
	334	11974117

अल्प मात्रा में होने वाले खनिजों के निर्यात में वद्धि

5378. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में गत वर्ष अल्प मात्रा में होने वाले खनिजों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय खनिज उद्योग ने देश के निर्यात व्यापार और अर्थ-व्यवस्था में अल्प मात्रा में होने वाले खनिजों की भूमिका का विश्लेषण किया था; और

(ग) यदि हां, तो किये गये विश्लेषण का क्या परिणाम रहा ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : सरकार को भारतीय खनिज उद्योग फेडरेशन द्वारा हाल ही में किये गये किसी विश्लेषण की जानकारी नहीं है । परन्तु अल्प मात्रा में होने वाले खनिजों के निर्यात बढ़ाने के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने मार्गीकृत तथा गैर-मार्गीकृत दोनों प्रकार के अल्प मात्रा में होने वाले खनिजों तथा अयस्कों के निर्यातों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए एक नया प्रभाग खोला है और वे इस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं ।

महालेखाकार के कार्यालयों के कर्मचारियों के सैलेक्शन ग्रेड लेखा परीक्षा

5379. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महालेखाकार के कार्यालयों के सेलेक्शन ग्रेड लेखा परीक्षकों के पदों में वर्ष 1973 से गतिरोध है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कर्मचारियों से कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो गतिरोध वाले संवर्गों में सेलेक्शन ग्रेड लागू किए जाने के बारे में राजस्व मंत्रालय के परिपत्र कार्यालय ज्ञापन सं० एफ़० 7(21)-ई०III (ए)/74, दिनांक 10 जनवरी, 1977 के अनुसार उन्हें राहत देने के लिए आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां । चयन ग्रेड के कुछ लेखा परीक्षक 2 जनवरी, 1973 से और उसके बाद की तारीखों से अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुए हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 'लेखापरीक्षकों के ग्रेड के चयन ग्रेड में गतिरोध को हटाने' संबंधी विषय पर भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की विभागीय परिषद् की पिछली बैठक में और आगे विचार करने के लिए चर्चा हुई और इस विषय को परिषद की एक समिति को सौंप दिया गया । कर्मचारियों के आभ्यवेदनों पर कोई कार्रवाही नहीं की जा सकी क्योंकि यह विषय पहले से ही विभागीय परिषद् के सामने था । परिषद् की समिति अब नियुक्त कर दी गई है और इस की सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

वित्त मंत्रालय का 10-1-77 का का० ज्ञा० वहां चयन ग्रेड लागू करने से सम्बन्धित है जहां यह पहले से नहीं है ।

लेखा परीक्षकों के लिए एस० ए० एस० राजस्व लेखा परीक्षा हेतु विभागीय परीक्षाएं

5380. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेखा परीक्षकों के लिए एस० ए० एस० राजस्व लेखा परीक्षा हेतु विभागीय परीक्षायें, और क्लर्कों, टाइपिस्टों और ग्रुप अधिकारियों के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षायें, जो 1976 के अन्त में होनी थी, अब हो रही हैं;

(ख) क्या 1976 में होने वाले एस० ए० एस० और राजस्व लेखा परीक्षा की तारीखें बाद में घोषित कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभागों में क्लर्कों, टाइपिस्टों तथा ग्रुप डी० के अधिकारियों के साथ भेदभाव क्यों बरता गया है; और

(घ) क्या सरकार स्थगित परीक्षायें बिना और विलम्ब के आयोजित करना चाहती है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) एस० ए० एस० परीक्षा और राजस्व लेखा परीक्षा संबंधी परीक्षायें पहले ही हो चुकी हैं। क्लर्कों, टाइपिस्टों और समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं सितम्बर/अक्टूबर 1977 में होंगी ।

(ख) एस० ए० एस० परीक्षा फरवरी 1977 में हुई थी और लेखा परीक्षकों के लिए राजस्व लेखा परीक्षा संबंधी परीक्षा नवम्बर 1976 में हुई थी।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है क्लर्कों तथा समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए विभागीय पदोन्नति परीक्षाएं सितम्बर/अक्तूबर 1977 में भी होंगी।

MEMORANDUM FROM JUTE GOODS MERCHANTS ASSOCIATION

†5381. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether two memoranda on sales-tax have been received by Government from the Jute Goods Merchant Association, Delhi and if so, when and the demands made therein; and

(b) the action taken or proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) : Two memoranda were received in the Finance Ministry from the Jute Goods Merchants Association, Delhi in April and June, 1977 respectively. In the first memorandum, the Association requested for waiver of sales tax in Delhi for the period 1st April, 1971 to 27th May, 1972 in the case of manufacturers and for the period 1st April, 1971 to 25th April, 1973 in the case of resellers. The general question in this regard is pending in appeal before Supreme Court. Ministry of Home Affairs, who are concerned with the administration of sales tax in Delhi, have advised the Delhi Administration to defer for the time being the recovery proceedings pertaining to the above period in the concerned cases.

In the second memorandum, the Association has suggested the removal of sales tax on jute goods and its merger with excise duty. Sales tax is a State subject of taxation under the Constitution. It is proposed to have consultations with the State Governments on the question of replacement if sales taffl by additional excise duty after the current budget session of Parliament is over.

चैफर दिल्ली के अनुरक्षण पर व्यय

5382. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान चैफर, दिल्ली के अनुरक्षण पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या यह धनराशि अनुरक्षण पर आवश्यक टेंडर बुलाये बिना ही खर्च की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) : पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में एयर इंडिया के शैफ़ग्रर, फ्लाइट के संधारण पर किये गये कुल व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	व्यय (लाख रुपयों में)
1974-75	2.00
1975-76	3.42
1976-77	2.40
जोड़	7.82

(ख) और (ग) होटल कारपोरेशन आफ़ इंडिया ने, जोकि एयर इंडिया के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक कम्पनी है, शैफ़ेयर, फ्लाइट, किचन के संधारण पर खर्च करने के बारे में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये हैं । इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कम से कम तीन टैंडर/कोटेशन मंगाये जाते हैं । आमतौर पर इस प्रक्रिय का अनुपालन किया जाता है । तथापि, आकस्मिक परिस्थितियों अथवा संधारण कार्यों को कराने के लिये समय के अभाव के कारण शैफ़ैयर के संधारण/मरम्मत आदि पर कभी-कभी तदर्थ व्यय भी करना पड़ता है जो सामान्यत: 4000/- रुपए से अधिक नहीं होता । यह सफाई एवं खाने की चींजों के उच्चतम, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों को सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है क्योंकि इंडियन एयर-लाइन्स, एयर इंडिया तथां अन्य विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय वाहक शैफ़ेयर के जरीये अपनी भोजन सामग्री विमानों में लेते हैं । ऐसे संधारण कार्यों को इस प्रकार कार्यों के लिए होटल कारपोरेशन आफ़ इंडिया या भारत अंतराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पहले से ही अनुमोदित ठेकेदारों के माध्यम से तीन से कम कोटेशनों के आधार पर कराया जाता है, तथा स्वीकृत की गयी दरों की इसी के प्रकार के कार्यों के लिये पहले दिये गये आर्डरों से तुलना करके जांच की जाती है । कम लागत वाले कार्यों को भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण/एयर इंडिया/इंडियन एयरलाईंस के पास हवाई अड्डे पर कार्य कर रहे ठेकेदारों के माध्यम से ही कराया जाता है क्योंकि पालम हवाई अड्डा व्यापार के मुख्य केन्द्रों से काफी दूरी पर स्थित है और सामान्यतया ऐसे कार्यों के लिए पार्टियां कोटेशन भेजने की इच्छुक नहीं होती हैं अथवा कम लागत वाले कार्यों को लेती भी नहीं हैं ।

INCENTIVES FOR EXPORT OF ENGINEERING GOODS

5383. SHRI KALYAN JAIN : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state the action being taken by Government in regard to continuous power supply, concessional cargo freight and other incentives and encouragement for increasing export of engineering goods ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : On the request of the Government, some of the State Electricity Boards have been exemptions of varying degrees to export manufacturers, whenever they have had to impose power cuts. Promotional freight rates are fixed by Conference Lines after discussions with the shippers. Government bring deserving cases to the notice of the Conference or Shipping Lines. Export incentives, such as import replenishment, are made available for engineering goods exporters according to the provisions in the Import Trade Control Policy for Registered Exporters. Cash compensatory support is also extended at rates fixed from time to time. Encouragement for engineering goods exports is given through assistance for participation in international trade fairs and exhibitions, visits of sales or study teams abroad, opening of foreign officers by Engneering Export Promotion Council, etc.

खाद्य तेलों और दालों का निर्यात और आयात

5384. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में देश में खाद्य तेलों और दालों की कुल आवश्यकता कितनी होगी;

(ख) वर्ष 1977-78 में उक्त वस्तुओं का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या उक्त वस्तुओं की कमी के बावजूद उनका निर्यात किया गया था और बाद में आयात किया गया; और

(घ) उपरोक्त अवधि में उनका कितनी मात्रा में निर्यात और आयात किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) वर्ष 1977-78 के दौरान खाद्य तेलों की कुल मांग लगभग 32 लाख मीटरी टन तथा दालों की 130–140 लाख मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) वर्ष 1976-77 में खाद्य तेलों का उत्पादन 23.60 लाख मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है । वर्ष 1976-77 के दालों के उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) तथा (घ) वर्ष 1976-77 (अप्रैल-फरवरी) में खाद्य तेलों तथा दालों का आयात-निर्यात निम्न प्रकार हुआ :—

खाद्य तेल		(मीटरी टन)	
		दालें	
आयात	निर्यात	आयात	निर्यात
1,22,769	3,516	12,845	7,946

खाद्य तेलों/तिलहनों तथा दालों के निर्यात पर अब रोक लगा दी गई है ।

निर्यात और आयात लाइसेंस जारी करने की कसौटी

5385. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यात और आयात लाइसेंस जारी करने की क्या कसौटी निर्धारित की गई; और

(ख) क्या उक्त लाइसेंस जारी करने के बारे में सहकारिता सेक्शन को कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) आयात तथा निर्यात लाइसेंस देने की नीति, विभिन्न श्रेणियों के आयातकों तथा निर्यातकों के लिए भिन्न-भिन्न है और विभिन्न मदों के लिए भी वह अलग-अलग है। आयात तथा निर्यात लाइसेंस देने के सम्बन्ध में मानदण्ड, वर्ष 1977-78 की आयात व्यापार नियन्त्रण नीति पुस्तक (जिल्द 1 तथा जिल्द 2) और निर्यात व्यापार नीति पुस्तक में दिया गया है। इन पुस्तकों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) सहकारिता क्षेत्र के एकक, वास्तविक प्रयोक्ता के रूप में आयात और निर्यात लाइसेंसों के लिए पात्र हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे नोट लेने से इंकार करने के बारे में शोलापुर वाणिज्य मंडल (महाराष्ट्र) से अभ्यावेदन

5386. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जून, 1977 में शोलापुर वाणिज्य और उद्योग मण्डल (महाराष्ट्र) से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें शिकायत की गई है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया सहित राष्ट्रीयकृत बैंक बिल्टी आदि छुड़ाने के लिये काउण्टर पर दिये जाने वाले छोटे नोट लेने से इन्कार करते हैं; और

(ख) यदि हां तो अभ्यावेदन के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है और कब ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) शोलापुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक में अपेक्षया कम मूल्य के नोट भारी मात्रा में प्राप्त होने के कारण उसकी तिजोरी (वाल्ट) में जगह कम पड़ रही थी। इसलिए शोलापुर की उक्त शाखा के लिये कुछ समय के वास्ते अपेक्षया कम मूल्य के नोट लेना सम्भव नहीं रहा था। भारतीय स्टेट बैंक की शोलापुर शाखा में इकट्ठे हो गये गन्दे नोटों को हटाने की व्यवस्था रिजर्व बैंक ने कर दी है। इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक की शोलापुर शाखा में एक अतिरिक्त करेंसी चेस्ट की स्थापना करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे

दी है, ताकि स्टेट बैंक अपने ग्राहकों से तथा अन्य बैंकों से और अधिक मात्रा में नोट लेने में समर्थ हो सकेगा ।

उद्योग मंडल ने सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी खींचा है कि शोलापुर में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा ने अपेक्षया कम मूल्य के नोट स्वीकार करने के लिए अतिरिक्त सेवा प्रभार (सर्विस चार्ज) की मांग की थी । भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात की जांच कर रहा है ।

सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया तथा रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा कोहिनूर मिल्स की कार्यकारी पूंजी का मूल्यांकन

5387. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त तथा रास्जव और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया तथा रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड की कार्यकारी पूंजी के समय-समय पर किये गये मूल्यांकन के क्या निष्कर्ष निकले;

(ख) क्या कम्पनी द्वारा लिये गए ऋण सैण्ट्रल बैंक द्वारा कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता सम्बन्धी मूल्यांकन के आधार पर नियमित कर दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) विगत तीन कलैन्डर वर्षों के दौरान सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोहिनूर मिल्ज कम्पनी लिमिटेड की बदलती स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इसकी कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं का मूल्यांकन व पुनर्मूल्यांकन किया गया है। विभिन्न प्रकार से किये गये मूल्यांकन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जनवरी 1974 में बनाये गये सिद्धांतों के अनुसार ही कोहिनूर मिल्ज कम्पनी लि० की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं को निश्चित एवं मूल्यांकित किया गया था । कार्यकारी पूंजी की राशि 4.75 करोड़ रुपए निर्धारित की गयी थी और भारतीय रिज़र्व बैंक से 30 जुलाई, 1974 को ऋण प्राधिकरण प्राप्त कर लिया गया था ।

(ii) चूंकि कलैण्डर वर्ष 1974 के अन्तिम चरण में कम्पनी को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था अतः गुणवगुण के आधार पर सैन्ट्रल बैंक द्वारा 25 ता० लाख रुपए की सहायता कम्पनी को दी गई थी सैण्ट्रल बैंक ने मार्च, 1975 में कोहिनूर मिल्स कं० लि० की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन 6 करोड़ रुपए किया और इस राशि के लिये ऋण प्राधिकार प्राप्त किया । मई 1975 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन महीने के लिये 50 लाख रुपये की अस्थाई वृद्धि स्वीकार की थी। इसके लिये ऋण प्राधिकार के लिए किया गया । अनुरोध इस वास्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसमें सम्बन्धित शुरु स्पष्टीकरण मांगे गये थे ।

(3) अक्तूबर, 1975 में टंडन समिति के मानकों के आधार पर सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने कोहिनूर मिल कम्पनी लिमिटेड की कार्यकारी पूंजी आवश्यकता 9 करोड़ रुपए आंकी थीं। सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा इस राशि के वास्ते ऋण प्राधिकरण के लिये अनुरोध भी किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया से कहा है कि टाटा इकोनोमिक कंसलटेंसी सर्विसेज (सैन्ट्रल बैंक द्वारा नवम्बर, 1975 में नियुक्त की गई) जिसे कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड की अर्थक्षमता के प्रश्न सहित मिल के मामलों की जांच करने के लिऐ कहा गया था, की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ऋण प्राधिकरण के अपने अनुरोध को नवीनीकरण करे। टाटा इकोनोमिक कंसलटेंसी सर्विसेज ने जुलाई 1976 में कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड विषयक अपनी रिपोर्ट सैण्ट्रल बैंक आफ इंडिया को प्रस्तुत कर दी और कार्यकारी पूंजी आवश्यकता का अनुमान 15.03 करोड़ रुपए लगाया।

सैण्ट्रल बैंक आफ इडिया, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और टाटा इकोनोमिक कंसल्टेंसी सर्विसेज की रिपोर्ट के आधार पर, कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के ऋणों को इन मूल्यांकनों के आधार पर स्वयं विनियमित करता रहा है। परन्तु सैंट्रल बैंक की कार्यकारी पंजी विषयक आवश्यकताओं के बारे में परामर्शदाताओं द्वारा की गई सिफारिशों से भी आगे जाना पड़ा क्योंकि इसकी राय में परामर्शदाताओं द्वारा दिये गये अनुमान उस अवधि के दौरान लागू नहीं थे जब ये सिफारिशें कार्यान्वित की गई थीं। मैसर्स टाटा इकोनोमिक कन्सलटेंसी सर्विसेज द्वारा किया गया कार्यकारी पूंजी विषयक मूल्यांकन और जो कुछ बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया उसके बीच मुख्य अन्तर कपास की उस बहुत अधिक लागत (पहले से 1800/–रुपए प्रति कैन्डी अधिक) के कारण था जो कि मिल को मैसर्स टाटा इकोनोमिक कन्सलटेंसी सर्विसेज द्वारा कूती गयी लागत से अधिक अदा करनी पड़ी थी। बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से और बैंक द्वारा प्रबन्धकों में परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप इस मिल के कार्यचालन में समग्र रूप से सुधार हुआ है और मासिक नकद हानि (ब्याज को छोड़कर) जो अप्रैल-जून 1976 में 57 लाख रुपए थी, जुलाई 1976–मार्च 1977 के दौरान, कम होकर, 23 लाख रुपए रह गई।

सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा कोहिनूर मिल्स के बारे में तकनीकी दायित्व का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

5388. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने टाटा आर्थिक परामर्शदात्री सेवाओं को कोहिनूर मिल्स के बारे में एक तकनीकी दायित्व प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है;

(ख) टाटा परामर्शदात्री सेवाओं ने अपने प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किये और मिल की वित्तीय आवश्यकताओं के मूल्यांकन के बारे में उसकी अल्पावधि और दीर्घावधि सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या उक्त सिफारिशों की बैंक ने क्रियान्विति की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) मैसर्स टाटा इकोनोमिक कन्सलटेंसी सर्विसेज ने जुलाई, 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इसने कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड की कार्यकारी पूंजी विषयक आवश्यकताओं का अनुमान मार्च 1977 के अन्त तक के लिये 15.03 करोड़ रुपए होने का लगाया था। इसके अतिरिक्त इसमें मरम्मत ओवरहालिंग और मशीनों के नवीनीकरण आदि के लिए 3.89 करोड़ रुपए की अल्पकालिक और दीर्घ कालिक सहायता की भी सिफारिश की थी।

(ग) सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि दीर्घकालिक निवेश के बारे में की गई सिफारिशों के कार्यान्वियन में कुछ देर लगेगी। कार्यकारी पूंजी आवयश्कताओं का जहां तक प्रश्न है, बैंक परामर्शदाताओं की सिफारिशों से भी आगे बढ़ गया है क्योंकि परामर्शदाताओं द्वारा की गई सिफारिशें उस अवधि के लिये लागू नहीं थीं जब ये सिफारिशें कार्यान्वित की गईं थीं। मैसर्स टाटा इकोनोमिक कन्सलटेंसी सर्विसेज द्वारा किया गया कार्यकारी पूंजी विषयक मूल्यांकन और जो कुछ बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया उसके बीच मुख्य अन्तर कपास की उस बहुत अधिक लागत-पहले से 1800/- (रुपए प्रति कैन्डी अधिक) के कारण था। जो कि मिल को मैसर्स टाटा इकोनोमिक्स कन्सलटेंसी सर्विसेस द्वारा कूती गयी लागत से अधिक अदा करनी पड़ी थी। बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता से और बैंक द्वारा प्रबंधकों में परिवर्तन किये जाने के फलस्वरूप इस मिल के कार्यचालन में समग्र रूप से सुधार हुआ है और मासिक नकद—हानि (ब्याज को छोड़कर) जो अप्रैल—जून, 1976 में 57 लाख रुपए थी, जुलाई 1976—मार्च, 1977 के दौरान, कम होकर, 23 लाख रुपए रह गई।

विदेशी कम्पनियों द्वारा एकत्र की गई सार्वजनिक जमा राशि

5389. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया की अनुमति अथवा, अनुमति बिना सार्वजनिक जमा राशि एकत्र करने वाली विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ख) उक्त कम्पनियों ने कितनी जमा राशि एकत्र की और उनकी इक्विटी पूंजी कितनी है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : हाल की खाता ताजा 31 मार्च, 1975 की उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत से बाहर निगमित केवल दो विदेशी कम्पनियों के पास, भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से, जमाएं थीं। वे इस प्रकार हैं :

कम्पनी का नाम	31 मार्च, 1975 की स्थिति के अनुसार इकट्ठी की गई जमाओं की राशि
	(लाख रुपए)
1. ई० आई० डी० पैरी लिमिटेड	131.90
2. जेम्स फ़िनले एण्ड कम्पनी लिमिटेड	1.40

चूंकि इन कम्पनियों की भारत में केवल शाखाएं हैं, इसलिए भारत में उनकी साम्या पूंजी नहीं है। जिन विदेशी कम्पनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना जनता से जमाएं इकट्ठी की हैं उनके नाम उपलब्ध नहीं हैं।

कम्पनी (जमाएं स्वीकार करना) नियम, 1975 विदेशी कम्पनियों पर लागू नहीं होते।

AMENDMENT IN GOLD CONTROL ACT

5390. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether Government have received several representations demanding amendment in the Gold (Control) Act and if so, from which organisations and when as also the contents thereof;

(b) the action taken so far or proposed to be taken by Government in this connection; and

(c) whether goldsmiths are facing great difficulty because of the provisions of existing Gold (Control) Act and if so, the action proposed to be taken by Government to remove their hardships ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) to (c) : Government have received representations from a large number of organisations, associations as also individuals since March this year proposing either abolition of the Gold (Control) Act or significant amendment of it. The organisations which have represented include organisation of licensed dealers like, the All India Sarafa Association, the Greater Bombay Jewellers and Bullion Dealers Association, and organisations of goldsmiths, like the Akhil Bhartia Swaranakar Sangh.

Certain proposals for the amendment of the Gold (Control) Act are under consideration.

सहकारिता का विकास

5391. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता चुनाव घोषणा पत्र में दिये वचन की क्रियान्वित के लिये देश में सहकारिता के विकास के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में काम कर रही सहकारिताओं के बारे में सामान्य तथ्य क्या है;

(घ) सहकारिताओं में कितनी सार्वजनिक धनराशि लगाई गई; और

(ङ) वर्ष 1975—77 में सहकारिता आन्दोलन में पाये गये भ्रष्टाचार संबंधी तथ्य क्या हैं?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ख) योजना की मूल बातों का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है

दिल्ली फ्लाइंग क्लब द्वारा अशोक होटल में आयोजित "स्टार नाईट"

5392. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० टी० सी० लिमिटेड, कलकत्ता ने श्री बी० आर० चोपड़ा प्रेसिडेंट, दिल्ली फ्लाईंग क्लब के सहयोग से विगत जनवरी में अशोक होटल में स्टार नाईट का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञापनों और टिकटों के रूप में 15 लाख रुपए की राशि एकत्र की गई थी;

(ग) यह धन किस प्रकार से उपयोग में लाया गया है;

(घ) क्या प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तत्कालिन अध्यक्ष श्री झुनझुनवाला ने उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों पर इस आयोजन के अवसर पर निकाली गई स्मारिका के लिए धन देने हेतु दबाव डाला था; और

(ङ) श्रीमती झुनझुनवाला जो आई० टी० सी० के श्री हकसर के अतिरिक्त समारोह के आयोजकों में से एक थीं, कौन हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) दिल्ली फ्लाईंग क्लब की सहायतार्थ भारतीय तम्बाकू कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक 'स्टार नाइट' का आयोजन 23 जनवरी, 1977 को नई दिल्ली के अशोक होटल में किया गया ।

(ख) और (ग) जी, हां । दिल्ली फ्लाइंग क्लब ने सूचित किया है कि लगभग 15 लाख रुपए एकत्रित किए गए तथा इस उत्सव पर किए गए लगभग 44,000 रुपए के व्यय के बाद बची शेष राशि को क्लब द्वारा एक बैंक में जमा करा दिया गया है ।

(घ) मामले की जांच की जा रही है ।

(ङ) श्री टी० पी० झुनझुनवाला की पत्नी श्रीमती शीला झुनझुनवाला एक समाज सेविका, पत्रकार तथा लेखिका बताई जाती हैं । वह कादम्बिनी नाम की एक हिन्दी पत्रिका की सह-सम्पादिका हैं ।

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम के विरुद्ध आरोपों की जांच

5393. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय इस बात की जांच कर रहा है कि उच्च अधिकारियों ने भूतपूर्व राजनैतिक नेताओं की सांठगांठ से राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम से बहुत बड़ी धनराशियों का घोटाला किया है;

(ख) यदि हां, तो आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें जिन अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों का हाथ था उन के नाम तथा ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर जांच हो रही है । इस समय इस मामले में कोई भी ब्यौरा देना लोकहित में नहीं है ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के प्रबंध निदेशक पर आरोप

5395. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें दिल्ली स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के प्रबन्ध निदेशक पर आरोप लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां तो उन में निहित मुख्य आरोप क्या हैं;

(ग) क्या संबंधित अधिकारियों को छुट्टी पर जाने के लिये कहा गया है और यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों को ऐसा करने के लिये कहा गया है;

(घ) कितने मामलों में और किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध केंद्रीय जाच ब्यूरो ने जांच शुरू की है; और

(ङ) क्या इन होटलों को सुदृढ़ व्यापारिक सिद्धांतों पर चलाने और इनमें भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार का विचार सरकारी होटलों, विशेषकर दिल्ली में स्थित, के कार्यकरण के बारे में जांच करने का है ?

पर्यटन और नागर विमान मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के प्रबंध निदेशक का कोई पद नहीं है । सम्भवतः यह प्रश्न भारत पर्यटन विकास निगम में महाप्रबंधक (होटलों) के बारे में है । इस अधिकारी के विरुद्ध आरोपों के ज्ञापन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (घ) मामले की जांच की जा रही है तथा इस अवस्था में इसका विस्तृत ब्यौरा देना समुचित जांच के हक में नहीं होगा ।

(ग) जी, नहीं ।

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम के दिल्ली में स्थित होटलों सहित सभी होटल सुदृढ़ व्यापारिक सिद्धांतों पर चल रहे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली में स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की लागत, आय तथा लाभप्रदता को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । लाभ कमाने के अतिरिक्त होटलों ने कमरों की लागत के भी उच्च स्तरों को प्राप्त किया है । भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में भ्रष्टाचार के बारे में विशिष्ट शिकायतों की समय-समय पर जांच की जाती है तथा उन पर यथोचित कार्यवाही की जाती है ।

विवरण

1975-76 तथा 1976-77 के दौरान दिल्ली में स्थित भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की लागत, आय तथा लाभप्रदत्ता

क्रम सं०	होटल का नाम	1975-76 (वास्तविक आंकड़े)			1976-77		
		लागत	आय	लाभ	लागत	आय	लाभ
1.	अशोक होटल	74	455.33	93.23	80	541.52	127.30
2.	अकबर होटल	86	158.35	20.00	91	180.00	30.40
3.	जनपथ होटल	86	153.97	18.00	93	182.75	32.65
4.	लोदी होटल	67	65.61	5.88	81	78.93	14.08
5.	रणजीत होटल	59	56.79	0.66	76	72.02	8.00
6.	कुतुब होटल	82	34.90	1.15	88	41.16	1.46
	कुल		924.95	138.92		1096.28	213.89

LINKING OF INDORE WITH MAJOR CITIES OF THE COUNTRY

5395. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether industrialists of Indore, Ujjain and Dewas have submitted a memorandum to the Government in June, 1977 demanding linking of Indore with major cities of the country by air routes;

(b) if so, the main demands contained in the memorandum; and

(c) the action taken by Government in this regard so far and action proposed to be taken in future ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) to (c) : Indian Airlines have received memoranda from the Madhya Pradesh Transport (Rail-Road-Air) User's Association and Madhya Pradesh Stock Exchange, Indore for airlinking Indore with major cities of the country. The main demands are—

(i) introduction of an air service from Delhi to Howrah with halts at Gwalior, Bhopal, Jabalpur, Raipur, Rourkela and Ranchi;

(ii) introduction of an airlink between Indore and Ahmedabad;

(iii) provision of additional flight between Indore and Bombay; and

(iv) a direct connection with Calcutta and Madras *via* Bombay, Nagpur or Delhi.

The Corporation have informed the parties that provision of an additional service on the Bombay-Indore sector is under consideration but it would not be possible to meet the other three demands due to their extremely tight fleet position and other operational as well as comercial considerations at present.

REGIONAL RURAL BANKS FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

5396. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether regional rural banks are proposed to be set up in areas where there are good prospects for agricultural development and these banks have a special liability for making available finances to the weaker sections of the society;

(b) whether Bihar tops the list of backward States and the number of regional rural banks set up there;

(c) the number of agricultural labourers and of marginal farmers benefited thereby; and

7—767LSS/77

(d) the number of regional rural banks proposed to be set up in Bihar in the near future in view of its poverty and in case it is not proposed to do so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) Regional Rural Banks are established in areas which have development pontential but are not adequately served by institutional credit agencies. These banks are expected to assist particularly, the weaker sections of the village community.

(b) Seven Regional Rural Banks are functioning in fourteen districts of Bihar, which is one of the backward States.

(c) These banks have, upto the last Friday of May, 1977, financed a total number of 10,245 persons, out of which 6,586 were small/marginal farmers and agricultural labourers.

(d) The question of setting up more Regional Rural Banks will be considered in the light of the recommendations of the Committee set up by the Reserve Bank of India to evaluate the working of the Regional Rural Banks already set up. The Committee is expected to report shortly.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द किए गए और नष्ट किए गए सड़े गले तथा फटे पुराने नोट

5397. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने वस्तुतः कितने मूल्य के सड़े गले और फटे पुराने नोट रद्द और नष्ट किये; और

(ख) कुछ शाखाओं से, विशेषकर पंजाब, दिल्ली और बम्बई से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला है कि भारी मात्रा में सड़े गले और फटे पुराने नोटों को फिर से करेंसी के रूप में परिचालित किया जा रहा है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 30 जून 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने 2,400 करोड़ रुपए के खराब और कटे फटे नोटों को रद्द किया। रद्द किए गए नोटों को और सत्यापन के बाद नष्ट कर दिया गया। उसी अवधि के दौरान नष्ट किए गए नोटों की कुल रकम के संबंध में ठीक-ठीक सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है, फिर भी संभावना है कि यह रकम लगभग 2,400 करोड़ रुपए की होगी।

(ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर केवल 30 रद्द किए गए नोट, जो 1465 रुपए के मूल्य के थे, रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में बदले जाने के लिए पेश किए गए थे। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

	नोटों की संख्या	रकम
		रुपए
कानपुर	24	955.00
नई दिल्ली	4	310.00
कलकत्ता	1	100.00
बम्बई	1	100.00
	30	1,465.00

आयकर विभाग द्वारा प्रबन्धित कम्पनियां

5398. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा जिन कम्पनियों का प्रबन्ध किया जा रहा था उनमें से बहुतों का प्रबन्ध प्रबन्धकों को फिर से वापस दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत छह मास में जिन कम्पनियों का प्रबन्ध उनके प्रबन्धकों को वापस किया गया उनके नाम क्या हैं; और

(ग) क्या उन का प्रबन्ध वापस करते समय सरकार को देयताओं की पूरी वसूली करली गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री **(श्री एच० एम० पटेल):** (क) से (ग) मांगी गई पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है । यह एकत्र की जायगी और यथासम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

लेकिन एक कम्पनी (श्री चंग देव शूगर मिल्स लि०, बम्बई) के विरुद्ध आय कर की वसूली सम्बन्धी सम्बन्धी कार्यवाही के दौरान, कर वसूली अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये। रिसीवर ने उक्त कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी । रिसीवर की नियुक्ति 16 जनवरी, 1974 को की गई थी और उस तारीख को आय कर की बकाया रकम 1,19,77,050 रु० थी । रिसीवर की नियुक्ति समाप्त पर दी गयी और कम्पनी की प्रबन्ध व्यवस्था 29 जून, 1977 को वापस सौंप दी गई, जिस तारीख तक करों की उपर्युक्त बकाया को पूर्णतया अदा/कम/समायोजित कर दिया गया था। किन्तु, 31 मार्च 1975 के बाद आय कर की जारी की गयी कुछ मांगें अभी भी बकाया पड़ी हैं; इन मांगों के एक भाग के बारे में अपील की गई है और बकाया रकम की वसूली करने के लिए समुचित उपाय किये गये हैं जिनमें परि-सम्पत्तियों का अभिग्रहण भी शामिल है ।

विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों द्वारा पूंजी में कमी करना

5399. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में काम करने वाली उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर अपनी पूंजी को घटाने को सहमत हो गई हैं और इसके लिए उपाय किये हैं;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें भारतीय रिर्जव बैंक ने पूंजी कम करने के बारे में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने के निदेश भेजे हैं; और

(ग) कितनी कम्पनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक को उत्तर भेज दिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 31 मई, 1977 की स्थिति के अनुसार उन कम्पनियों की सूची दी गई है जिन्होंने अपनी गैर-निवासी सामान्य शेयर पूंजी घटा ली है।

(ख) इस विवरण में जिन कम्पनियों के नाम दिए गए हैं उनके अलावा उन कम्पनियों को भी जिनके नाम लोक-सभा के दिनांक 8 जुलाई 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2943 के उत्तर में दिए गए थे भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी-अपनी गैर-निवासी सामान्य शेयर पूंजी को घटाने के लिए कहा है।

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले निवेश कानूनी किस्म के होते हैं और कम्पनियों को उनका पालन करना ही होता है।

विवरण

(31 मई, 1977 की स्थिति के अनुसार)

उन कम्पनियों के नाम जिन्होंने अपनी गैर-निवासी शेयर पूंजी 40 प्रतिशत तक घटा दी है :

1. ब्लंडेल इअोमाइट पेन्ट्स लि०, बम्बई
2. ब्रिटिश मेटल कारपोरेशन (इंडिया) प्रा० लि०, कलकत्ता
3. इंडो निप्पन कैमिकल कं० लि०, बम्बई
4. इंडियन आयल ब्लैंडिंग लि०, बम्बई
5. जे० एल० मारिसन, सन एण्ड जोन्स (इंडिया) लि०, बम्बई
6. मल्होत्रा स्पीयर जैक्सन सांज मैनुफेक्चरिंग कं० लि०, बम्बई
7. मुल्लर एण्ड फिप्स (इंडिया) लि०, बम्बई
8. नैशनल स्टैण्डर्ड डंकन लि० बम्बई
9. स्मिथ एण्ड नेफ्यू इंडिया लि०, बम्बई
10. एल० एण्ड टी० ग्रिलिंग इक्विपमेंट लि०, बम्बई
11. इंडियन एप्लाइसिंग (मकैनिकल) एण्ड एक्सेसरीज लि०, कलकत्ता
12. यूनिवर्सल लैम्प मैन्युफैक्चरिंग कं० प्रा० लि०, कलकत्ता
13. ज्योति मार्केटिंग एण्ड प्राजेक्ट्स लि०, बड़ौदा
14. बिन्नी लि० मद्रास
15. सिफ्को लि०, बम्बई
16. बुश इंडिया लि०, बम्बई
17. कैमटैक्स इंजीनियरिंग आफ इंडिया लि०, बम्बई
18. मार्टिन एण्ड हैरिस (प्रा०) लि०, कलकत्ता
19. मर्फी इंडिया लि०, बम्बई
20. कलकत्ता कोल्ड स्टोरेज लि०, कलकत्ता
21. ए० सी० ई० सी० इंडिया प्रा० लि०, बम्बई
22. मोरारजी डोरमैन स्मिथ लि०, बम्बई
23. वजीव सुल्तान टोबैको कं० लि०, हैदराबाद
24. एंड्र्यू यूल एण्ड कं० लि०, कलकत्ता

25. स्टील एज इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई
26. कापर्स इंडिया प्रा० लि०, कलकता
27. के० एम० डब्ल्यू०—जान्सन लि०, कलकता
28. जे० के० हैलन कर्टिस लि०, बम्बई
29. ग्लैडस्टोन लायल एण्ड कम्पनी लि०, कलकता
30. इंडोपोल लि०, बम्बई
31. टी० आई० एण्ड एम० सेल्स लि०, मद्रास
32. मंट्टूर वीयर्ड सेल्स लि०, मद्रास
33. कर्सन्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी आफ इंडिया लि०, बम्बई
34. टेलर इंस्ट्रूमेंट कं० (इं०) लि०, फरीदाबाद
35. बोहरिंगर—नाल लि०, बम्बई
36. स्टप (इं०) लि०, बम्बई
37. मैक्नैली भारत इंजीनियरिंग कं० लि०, कलकत्ता
38. इंडियन ट्यूब कं० लि०, कलकत्ता
39. ब्रैडमा आफ इंडिया लि०, बम्बई
40. हिंदुस्तान क्लाक्नर स्विचगीयर लि०, बम्बई
41. वाटन पम्प्स (इंडिया) प्रा० लि०, मद्रास
42. सैंप्ट टैक्सटॉयल प्राडक्ट्स (इं०) लि०, बम्बई
43. टैक्सटाइल पोर्ट (प्रा०) लि०, बम्बई
44. ईस्टर्न सीरामिक्स लि०, बम्बई
45. फार्मिग इंडिया लि०, बम्बई
46. महिन्द्रा आवैन लि०, पूणे
47. बंगाल इन्गाट कं० लि०, कलकत्ता
48. ए० सी० सी०—वाइकर्स बेबकाक लि०, बम्बई
49. डेंटल प्राडक्ट्स आफ इंडिया लि०, बम्बई
50. ब्रेनफोर्ड इलैक्ट्रिक (इंडिया) लि०
51. फोर्धम प्रेसिंग्स (इंडिया) प्रा० लि०
52. बिट्कार्प प्रा० लि०, गुण्टूर (आं० प्र०)
53. गल्फ आयल (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई
54. डोड्सल प्रा० लि०, बम्बई
55. एक्सयू हिक्सन लि०, कलकत्ता
56. कैटालिस्ट्स एण्ड कैमिकल्स (वेस्ट एशिया) लि०, बम्बई
57. एच० एण्ड आर० जानसन (इं०) लि०, बम्बई
58. दाइ ह्वार्ड वाल्डी रिफाइनरी (प्रा०) लि०, कलकत्ता
59. यू० एस० विटामिन एण्ड फार्मास्युटिकल कारपोरेशन (इं०), बम्बई
60. इंटरनेशनल जनरल इलैक्ट्रिकल कम्पनी (इंडिया) लि०
61. ड्रासबैक मानेकलाल प्रा० लि०, बम्बई
62. डी० के० इं० लि०, बम्बई
63. फेसिट एशिया लि०, बम्बई

64. जोशी फार्मूलेक्स लि०, राजकोट
65. पाइरेने-राइ मैटल टरीटमेंट्स लि०, बम्बई
66. स्नोसैम इं० लि०, बम्बई
67. फरमैग वाच कं० बम्बई
68. जैम्स फिन्लै एण्ड कं० लि०, कलकत्ता
69 जे० ब्रेसवेल प्रा० लि०, बम्बई
70. मेरीडियन वाच कं०, बम्बई
71. रोलेक्स वाच कं० (प्रा०) लि०, बम्बई
72. वेडेल (इं०) लि०, कलकत्ता
73. लंकापाड़ा टी कं० लि०।

भाग–II. उन कम्पनियों के नाम जिन्होंने अपनी गैर-निवासी शेयर पूंजी 40 प्रतिशत तक घटा दी है।

1. एसवेस्टस सीमेंट लि०, नई दिल्ली
2. मेटालिक्स इंडिया, कलकत्ता
3. टोयो इंजीनियरिंग कारपोरेशन इं०, बम्बई।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को रोजगार

5400. **श्री विजय कुमार मंडल :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कोटे और प्रतिशततायें पूरी तरह भर लिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि सरकार की नीति तथा भिन्न-भिन्न निदेशों आदि का पूरी तरह पालन किया जाये; और

(ग) उन्हें क्रियान्वित न कर सकने वाले उपक्रमों के मामले में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री **(श्री एच० एम० पटेल) :** (क) सरकारी उद्यमों में नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे को विशेषकर श्रेणी I और श्रेणी II के पदों के मामले में पूरा नहीं किया जा सका। इससे नीचे श्रेणी III और श्रेणी IV में आरक्षित कोटे का उपयोग संतोषजनक है।

(ख) और (ग) पदों के आरक्षण के बारे में सरकारी उद्यमों को औपचारिक रूप से निदेश जारी कर दिये गये हैं। इन नियमों में यह कहा गया है कि स्वयं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरक्षित कोटे का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने और अनुसूचित जातियों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सुलभ कराने के लिए निरन्तर सचेष्ट रहेगा। इन निदेशों के कार्यान्वय, की सरकार द्वारा सर्वोच्च स्तर पर नियतिकालिक समीक्षा की जाती है।

जिन मामलों में कमी पाई जाती है, उनमें सरकार सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी से सीधे पूछताछ करती है, कि इन जातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित कोटे पूरे करने के लिए क्या उपाय किये जाएं।

PAYMENT OF L.I.C. PREMIUM BY DETENUS IN MADHYA PRADESH

5401. SHRI PHOOL CHAND VERMA : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether Government are considering the cases of those MISA detenus who could not make payments of L.I.C. premiums and other Government loans on account of their being detained in jails and whether they are proposed to be provided facilities in this regard; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (b) Information regarding cases of the type referred to by the Hon'ble Member is being collected.

सरकारी कार्यालयों में बेरोजगार हुए व्यक्ति

5402. **श्री कचरुलाल हेमराज जैन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मितव्ययता अभियान के नाम में केंद्र तथा राज्यों में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और छंटनी किए गए इन कर्मचारियों को अन्यत्र खपाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (**श्री एच० एम० पटेल**) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत में पर्यटकों की रुची के केन्द्रों पर बेहतर स्थिति पैदा करना

5403. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विशेषज्ञों ने सरकार के कहने पर अथवा, अन्यथा यह अध्ययन करने कि जिन देशों में नियमित रूप से बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं वहां क्या-क्या सुविधाएं, आकर्षण तथा अन्य सहूलियतें उपलब्ध हैं और अपने देश में भी पर्यटकों की रुचि के केन्द्रों पर उसी प्रकार की अथवा उनसे बेहतर सुविधाएं जुटाने के लिए सरकार को सलाह देने के कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण हैं कि हमारे पर्यटन-स्थल अपेक्षित रूप में पर्यटन यातायात को आकर्षित करने में समर्थ नहीं हो रहे हैं; और

(ग) अब इस सम्बंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (**श्री पुरुषोतम कौशिक**) : (क) यद्यपि विदेशों में सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए भारतीय पर्यटन विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्ति करने का कोई नियमित कार्यक्रम नहीं है, केन्द्रीय तथा राज्य पर्यटन विभागों और भारत पर्यटन विकास निगम

के अधिकारी समय-समय पर विदेशों में ऐसी अध्ययन यात्राएं करने अथवा अल्पावधिक पर्यटन पाठ्यक्रमों/वर्कशापों/सेनिनारों में भाग लेने के लिए, जो पर्यटन का विकास एवं अभिवृद्धि करने के लिए अन्य देशों द्वारा किए जाने वाले उपायों का परिचय प्रदान करते हैं, प्रतिनियुक्त किए जाते रहे हैं। यह अनुभव उन्हें भारत में पर्यटन सुविधाओं की आयोजना, सुधार एवं व्यवस्था करने में अधिक प्रभावी योगदान करने के योग्य बनाता है।

(ख) भारत आने वाले पर्यटक यातायात में बड़ी उत्साहजनक वृद्धि हुई है। 1975 के आंकड़ों की तुलना में 14.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है तथा 1977 के पहले छः महीनों के दौरान 1976 की इस अवधि के तुलना में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) नई पर्यटन मार्किटों का पता लगाने तथा भारत आने वाले पर्यटक यातायात में और वृद्धि करने की दृष्टि से, तेहरान (ईरान), ओसाका (जापान), बैंकाक (थाईलैंड, कुआलालम्पपुर (मलेशिया), पर्थ तथा मेल्बार्न (आस्ट्रेलिया) में पर्यटन कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, हमारे पर्यटन आकर्षणों को विविधता प्रदान करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि पर्यटक यातायात यथासंभव देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल सके।

पटसन और पटसन के सामान के निर्यात के लक्ष्य

5404. **श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन और पटसन से बने सामान के निर्यात-लक्ष्यों को बनाये रखने में भारत कहां तक सफल रहा है ;

(ख) पटसन का उत्पादन करने वाले अन्य देशों के साथ हाल के वर्षों में हमारा देश कहां तक मुकाबला कर सका है ; और

(ग) हमारे पटसन व्यापार को बढ़ाने की और क्या सम्भावनायें हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री **(श्री मोहन धारिया) :** (क) से (ग) कच्चे पटसन के हमारे निर्यात मामूली ही हैं और इसलिए उनके निर्यात का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। जहां तक पटसन माल का संबंध है, 1976-77 के लिए 5.7 लाख मे० टन का निर्यात का लक्ष्य था जबकि वास्तविक निर्यात लगभग 4.4 लाख मे० टन रहे। यह मुख्य रूप से संशलिस्ट एवजी माल तथा अन्य पटसन उपजकर्ता देशों से प्रतियोगिता के कारण हुआ।

इस स्थिति का मुकाबला करने तथा संभावनाओं को बढ़ाने के लिए निम्नोक्त कदम उठाये गए हैं जिनसे विदेशी बाजारों में हमारी संभावनायें बढ़ने की आशा है :—

(1) पटसन से बने सभी प्रकार के माल पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(2) गवेषणा तथा विकास, पटसन के नए अन्तिम उपयोगों का संवर्धन करने, उत्पादों का विविधीकरण तथा उत्पादन लागत को कम करने के लिए उदार रूप से सहायता दी जा रही है।

(3) विदेशी बाजारों में पटसन माल के निर्यात को प्रतियोगी बनाने तथा विनिर्माताओं के लिए अधिक लाभकारी बनाने के लिए कतिपय उपाय भी किए गए हैं।

नई दिल्ली स्थित सफदरजंग हवाई अड्डे का खाली किया जाना

5405. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमति इन्दिरा गांधी के पुत्र श्री संजय गाधी के नियंत्रण के अधीन एक कम्पनी, मारुति एवियेशन लि० ने नागर विमानन के महानिदेशक के माध्यम से इंडियन एयरलाइंस से नई दिल्ली के सफ़दरजंग हवाई अड्डे को खाली करने के लिए कहा था जिससे मारूति एवियेशन लि० उन हवाई जहाजों को रखने के लिए वहां अपनी केंद्रीय वर्कशाप की स्थापना कर सके जिन्हें वह फ्लाईंग क्लबों, राज्य सरकारों, सरकारी उपक्रमों और प्राइवेट पार्टियों को बेच रही थी;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्यौरा है; और

(ग) जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों ने इस षडयंत्र में मारुति एवियेशन की सहायता की, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री **(श्री पुरुषोत्तम कौशिक) :** (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है तथा इससे संबंधित तथ्यों की जांच पूरी हो जाने के बाद सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

5406. **श्री विजय कुमार मण्डल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी करने की दिशा में कोई सफलता नहीं मिली है और इनमें पुनः अधिक से अधिक वृद्धि हो रही है;

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा जनता को उचित मूल्य का खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए जिन्हें मूल्य वृद्धि, जमाखोरी, चोरबाजारी और मिलावट के लिए दोषी पाया गया है, क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ती के रुख को रोक दिया गया है, जबकि दूसरी वस्तुओं के मामले में इसे कम करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मार्च से जुलाई, 1976 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में 9.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जबकि वर्ष 1977 को उसी अवधि में 3.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) मूल्यों में बढ़ती की प्रवृत्ति कुल मांग तथा कुल पूर्ति के बीच के अंतर के कारण हैं। वर्ष 1976-77 में मुद्रा सप्लाई में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राष्ट्रीय आय में 2 प्रतिशत से भी कम वृद्धि होने का अनुमान है। पिछले वर्ष सब्जी, तेलों, कपास

तथा दालों जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की उपज में भारी कमी हुई । इस समय हम कमी के मौसम में से गुजर रहे हैं । इस मौसम में कृषि वस्तुओं, विशेषकर खरीफ़ की फ़सल की वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ती का रुख होना आम बात है ।

जनता को खाद्य तेल उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए गए हैं । राज्य व्यापार निगम तथा निजी व्यापारियों के माध्यम से वनस्पति उद्योग तथा सीधी खपत दोनों ही के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्य तेलों का आयात जारी रखा जा रहा है । जुलाई-सितम्बर की तिमाही में वनस्पति उद्योग द्वारा आयातित तेल के उपयोग की मात्रा 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी गई है; ताकि सीधी खपत के लिए देसी तेलों की उपलभ्यता की स्थिति सुधारने में मदद मिल सके । अधिक खपत वाले चुने केंद्रों में सीधी खपत के लिए 8.50 रुपए प्रति किलोग्राम के फुटकर मूल्य पर आयातित परिष्कृत तेल की बिक्री शुरू हो गई है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इस तेल की बिक्री बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता से प्रयास किए जा रहे हैं । स्वेच्छा से किये गये प्रबंधों के माध्यम से वनस्पति घी के 16.5 किलोग्राम के टिन का मूल्य घटाकर 158 रु० पर ला दिया गया है । वनस्पति घी के मूल्यों में घटी का रुख बना है । आगामी त्यौहार के मौसम में वितरण हेतु 20,000 मीटरी टन मूंगफली के तेल का आयात करने के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से व्यवस्था की गई है ।

(ग) असामाजिक गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा वस्तुओं का स्टाक जमा करने, मूल्य प्रदर्शन आदि से सम्बन्धित इसी तरह के कानूनों के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का पूर्ण उपयोग करें । राज्य प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा अचानक छापे मारे तथा निरीक्षण किए जाते हैं और दोषी लोगों पर अभियोग चलाए जाते हैं ।

BUNGLING IN THE DISTRIBUTION OF CONTROLLED CLOTH AND KEROSENE OIL AT FAIR PRICE SHOPS

5407. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) whether the number of fair price shops in rural areas is more than 1,86,000 and there is bungling on large scale in the distribution of controlled cloth and kerosene oil and these were not mostly supplied to the people at fair price; and

(b) if so, the measures taken to bring about qualitative improvements and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) There are about 1,87,000 fair price shops in rural areas which deal mainly in food-grains and levy sugar. Separate retail outlets are set up for sale of controlled cloth and kerosene oil in the rural areas which are about 45,189 and 1,82,000 respectively. The quotas for distribution of controlled cloth and kerosene oil for each State are allocated by the Government of India and it is the responsibility of the State Governments to make arrangements for distribution keeping in view the guide-lines laid down in regard to distribution and prices. No reports about bungling have been received by the Government of India in respect of distribution of controlled cloth and kerosene oil. Complaints received are being dealt with by State Governments, who have advised to take suitable action in such matters.

(b) Does not arise. However, Government of India have suggested various measures to State Governments for improving distribution arrangements of these commodities, particularly in the rural areas.

दिल्ली में 'सिंगल स्टोरी स्प्लेंडर' का कम मूल्यांकन

5408. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 अगस्त, 1975 के ब्लिट्ज में "सिंगल स्टोरी स्प्लेंडर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है जो संपत्ति के कम मूल्यांकन के गंभीर मामले के बारे में है;

(ख) क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध केस दायर किया है जो इस कार्य में संलग्न थे; और

(ग) यदि हां, तो उनके तथ्य क्या हैं तथा यह मामला अब किस स्थिति में है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) "मैसर्स ला मेडिका" नामक फ़र्म के भागीदार श्री एस० के० जैन, श्रीमति कमला जन, श्रीमति निर्मला जैन और साथ ही श्रीमति निर्मला जैन के पति श्री एस० पी० जैन के विरुद्ध "मैसर्स ला मडिका" के मामले में खरीददारियों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने तथा आय को छिपाने के कारण आयकर अधिनियम की धारा 277/278 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193/196 के अन्तर्गत इस्तगासे की कार्यवाही की गई थी। न्यायालय ने इन व्यक्तियों को अब छोड़ दिया है। आगे की कार्यवाही की रूपरेखा पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय के फ़ैसले की जांच की जा रही है।

जहां तक 16 अगस्त 1975 के ब्लिट्ज में प्रकाशित "सिंगल स्टोरीज स्प्लेंडर अण्डर वैल्यूड" शीर्षक में उल्लिखित 'इन्द्र लोक' नामक सम्पत्ति का सम्बन्ध है, मूल्यांकन अधिकारी ने 31 मार्च, 1971 की स्थिति के अनुसार इसका मूल्य 16,34,000 रु० आंका, जबकि इसका स्वीकृत मूल्य 11,88,700 रु० था। 31-3-1972, 31-3-1973, 31-3-74 और 31-3-75 की स्थिति के अनुसार इस सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य अभी निर्धारित किया जाना है।

इस समूह के सदस्यों ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 245-सी धन अधिनियम, 1957 की धारा 22-सी के अन्तर्गत समझौत आयोग के समक्ष दरख्वास्तें पेश की हैं इन पर विचार किया जा रहा है।

भारत की अमरीकी सहायता बंद किया जाना

5409. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 में अमरीका द्वारा भारत को सहायता देना बन्द कर देने के क्या कारण थे ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 6 दिसम्बर, 1971 को स्थगित कर दी थी। स्थगन की घोषणा करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने यह कहा था कि आमतौर से गैर-परियोजना सहायता, मदद

पाने वाले देश की सामान्य अर्थव्यवस्था को और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को सहारा देने के लिए दी जाती है और यह भी कहा था कि उस समय भारत में जैसी परिस्थिति थी उसमें यह उद्देश्य पूरा नहीं होता था ।

बाद में, मई 1973 में, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने अदा न की गई रकमों को, जिनका भुगतान दिसम्बर 1971 में स्थगित कर दिया गया था, फिर से बहाल कर दिया ।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने दिसम्बर 1971 के बाद से कोई नई विकास सहायता मंजूर नहीं की है ।

मारुति लिमिटेड को शेयरधारी कम्पनियों को वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा दिये गए ऋण

5410. **श्री के० ए० राजन**
श्री पी० के० कोडियन : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स मारुति लिमिटेड की शेयरधारी कई कम्पनियों को सरकारी वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ऋण दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी समस्त तथ्यों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा;

(ग) ये ऋण किस आधार पर मंजूर किए गए; और

(घ) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं, प्रत्येक को कितना ऋण मिला है तथा प्रत्येक पर ब्याज की कितनी राशि बकाया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सदन के पटल पर रख द जायेगी।

सुपर बाजार, कनाट प्लेस में गैर-व्यापार कार्यों के लिए आहातों को किराये पर देना

5411. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट सर्कस, नई दिल्ली में सुपर बाजार का छतदार क्षेत्र लगभग एक लाख वर्ग फुट है;

(ख) क्या सुपर बाजार केवल 48,000 वर्ग फुट क्षेत्र का उपयोग कर रहा है और शेष 52,000 वर्ग फुट क्षेत्र गैर-सरकारी पार्टियों, सरकारी विभागों मन्त्रालयों को दिया हुआ है;

यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चौथी मंजिल को गैर-व्यापार कार्यों अर्थात् कार्यालय के लिए कृषि मन्त्रालय को किराए पर दिया हुआ है;

(ङ) क्या 4000 वर्गफुट क्षेत्र राष्ट्रीय कपड़ा निगम को किराये पर दिया हुआ है; और

(च) यदि हां, तो क्या सुपर बाजार में अहातों को गैर-व्यापार कार्यों के लिए किराये पर देने का उद्देश्य सस्ते मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं सप्लाई करना है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) यद्यपि कनाट सर्कस में सुपर बाजार को बिल्डिंग का कुल छतदार क्षेत्र 1,39,870 वर्गफुट है, तथापि प्रयोज्य लायक क्षेत्र 1 लाख वर्गफुट से थोड़ा कम है।

(ख) व (ग) कुल 1,39,870 वर्गफुट क्षेत्र में से लगभग 30,000 वर्गफुट क्षेत्र सरकारी विभागों और सरकारी ऐजेन्सियों को दिया गया है और लगभग 15,000 वर्गफुट क्षेत्र का प्रयोग प्राइवेट पार्टियों के साथ की गई विशेष व्यवस्था के अन्तर्गत एजेन्सी अथवा कमीशन आधार पर सुविधाग्राही विभाग (कंसेशनर डिपार्टमेंट) चलाने के लिए किया जा रहा है। इनमें बेची जाने वाली वस्तुओं की किस्म, मूल्यों, बिक्री तथा सर्विस चार्जिस पर सुपर बाजार का नियंत्रण रहता है। शेष क्षेत्र का उपयोग सुपर बाजार द्वारा अपनी व्यापारिक गतिविधियों, कार्यालयों तथा भण्डारण आदि के लिए किया जा रहा है।

(घ) चौथा तल कृषि तथा वित्त मन्त्रालयों को कार्यालय के प्रयोजन के लिए दिया गया है, क्योंकि उस समय यह जगह सुपर बाजार के पास फालतू पड़ी थी। सुपर बाजार के प्रबन्धकों ने अब इन संगठनों को इस जगह को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए हैं, क्योंकि अब इस जगह को उन्हें अपनी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए आवश्यकता है।

(ङ) 4,000 वर्गफुट क्षेत्र राष्ट्रीय वस्त्र निगम, जोकि सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, को उपभोक्ताओं को कपड़ा बेचने के लिए विशेष मामले के रूप में दिया गया है।

(च) सुपर बाजार को जितने क्षेत्र की आवश्यकता नहीं थी, वह हानि को कम करने तथा समिति की कुल आर्थिक स्थिति को सुधारने की दृष्टि से किराये पर दे दिया गया था।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया में कर्मचारियों के भर्ती के बारे में विज्ञापन

5412. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया में कर्मचारियों की भर्ती सम्बन्धी विज्ञापन दैनिक समाचार पत्रों में नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भर्ती की नीति में संशोधन करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि नियमित अधिकारी काडर (परिवीक्षाधीन अधिकारी) की भरती के लिए, जो अखिल भारतीय आधार पर की जाती है, आवेदन पत्र मंगाने के विज्ञापन अंग्रेजी और हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। बैंक ने सूचित किया है कि लिपिक काडर की भरती के सम्बन्ध में, जोकि क्षेत्रीय /प्रादेशिक आधार पर की जाती है, भरती के क्षेत्र (जोन) के रिक्त स्थानों की सूचना, सम्बन्धित रोजगार कार्यालयों, विभिन्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण का ध्यान रखने वाले मान्यता प्राप्त संघों/निकायों, भरतीपूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों, भूतपूर्व सैनिक कक्षों और अलग-अलग भरती क्षेत्रों के अपंगों के विशेष नियोजन अधिकारियों को दे दी जाती है। रोजगार कार्यालयों के निदेशकों के साथ हुए बैंक के समझौते के अनुसार लिपिक काडर के रिक्त स्थानों के विज्ञापन समाचार पत्रों में देने के बारे में बैंक पर पाबन्दी लगी हुई है। आरक्षित रिक्त स्थानों की पिछली बकाया संख्या को पूरा करने के लिए कभी कभी विशेष रूप से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। जिनके द्वारा केवल अनुसूचित जाति/असूनुचित जनजाति के व्यक्तियों के आवेदन पत्र मंगाये जाते हैं तथा ऐसे उम्मीदवारों के लिए ही विशेष परीक्षा ली जाती है।

स्टेट बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि अधीनस्थ कर्मचारियों की भरती अधिकतर शाखा के आधार पर ली जाती है और आवेदन पत्र मंगाने का तरीका वही है जो लिपिक कर्मचारियों की भरती के लिए है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधीनस्थ अधिकारियों और लिपिकों की सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की चयन करने के वास्ते सरकार ने बैंकिंग सेवा आयोग अधिनियम, 1975 के अधीन एक बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना 21 फरवरी, 1977 को की है। आयोग ने बैंकों के लिए, भरती करना अभी आरम्भ नहीं किया है।

बम्बई हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय ट्रांसिट लांज में कपड़ों की दुकान का नियतन

5413. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हवाई अडडे के अन्तर्राष्ट्रीय लांज में कपड़ों की एक दुकान का नियतत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दुकान का नियतन करने के लिए टैण्डर आमंत्रित किए गए थे; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, हां। हां।

(ग) टेंडर मंगाने का नोटिस 24-3-77 को स्थानीय समाचार-पत्रों में जारी किया गया था। टेंडर भेजने वाली पार्टियों के नाम तथा उनके द्वारा ऑफर की गयी राशि निम्न प्रकार है :—

पार्टी का नाम	ऑफर की गई राशि
(*i*) मैसर्स रामलाल रामनाथ	25,251/- रुपए प्रति मास
(*ii*) मैसर्स प्रभुदास हीरजी	21,111/- ,, ,, ,,
(*iii*) मैसर्स निप्पन एंटरप्राइजेज	18,141/- ,, ,, ,,
(*iv*) मैसर्स स्टर्लिंग एक्सपोर्टस	18,135/- ,, ,, ,,
(*v*) मैसर्स प्रकाश इंटरनेशनल	16,611/- ,, ,, ,,
(*vi*) मैसर्स सत्यजित ट्रेडर्स	16,251/- ,, ,, ,,

भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने निम्नलिखित बातों को दृष्टि में रखते हुए यह दुकान मैसर्स सत्यजित ट्रेडर्स को दे दी :—

(क) टेंडर औपचारिकताओं की पूर्ति;

(ख) इस लाइन में अनुभव;

(ग) विगत का कार्य-निष्पादन; तथा

(घ) किसी भी पार्टी को ट्रांज़िट लौंज में एक से अधिक दुकानें नहीं दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय बैंकों में आकस्मिक नियुक्तियां

5414. **श्रीमती मृणाल गोरे**
डा० बापू कालदाते : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक समय-समय पर आकस्मिक नियुक्तियां करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन बैंकों के प्रमुखों को इस बारे में विवेकाधिकार दे रखे हैं; और

(ग) आकस्मिक श्रमिकों को रोजगार देने के बारे में क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने सूचित किया है कि वे नैमित्तिक (कैजुअल) मजदूर उस काम के लिए रखते हैं जो विशुद्ध नैमित्तिक हैं जैसे संदूकों/फर्नीचर आदि की उठाई-धराई। कुछ बैंक स्थायी अधीनस्थ कर्मचारियों की छुट्टी से खाली स्थान पर, अधीनस्थ काडर में, दैनिक मजदूरी के आधार पर अस्थायी कर्मचारी भी रखते हैं।

नैमित्तिक मजदूरों को रखने की कोई निर्धारित प्रणाली नहीं है क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को रखने की आवश्यकता नैमित्तिक प्रकार की होने के कारण पहले से उसके बारे में अंदाजा

नहीं लगाया जा सकता। इसलिए उचित प्रचलित मजदूरी पर सरलता से उपलब्ध होने की दशा में कोई भी व्यक्ति ग्रामतौर से रख लिया जाता है। नैमित्तिक मजदूर रखने के लिए सरकार से किन्हीं विवेकाधीन विशेष ग्रधिकारों की प्राप्ति की ग्रावश्यकता नहीं है। नैमित्तिक मजदूर/ग्रस्थायी कर्मचारियों की भरती के नियमों ग्रौर विनियमों में, परिस्थिति की ग्रावश्यकता के ग्रनुसार, एक बैंक से दूसरे बैंक में ग्रंतर हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की ब्याज की कम दरें

5415. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या **वित्त तथा राजस्व ग्रौर बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सलाह दी है कि राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रपनी ब्याज की दरें कम रखें;

(ख) क्या इससे मुद्रास्फीती को रोकने में मदद मिली है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, ग्रौर

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया है?

वित्त **तथा राजस्व ग्रौर बैंकिग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल)** (क) (ख), ग्रौर (ग) वर्ष 1977-78 के लिए 27 मई, 1977 को घोषित ऋण नीति के ग्रंग के रूप में, रिजर्व बैंक ने ग्रनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कहा है कि वे ब्याज की दरों को युक्तिसंगत बनायें। तत्सम्बन्धी ब्यौरा इस प्रकार है।

(1) पहली जुलाई, 1977 से चैक सम्बन्धी सुविधाग्रों वाले बचत बैंक खातों पर ब्याज की दरें कम करके 3 प्रतिशत कर दी गई हैं ग्रौर चैक सुविधाग्रों के बिना बचत बैंक खातों पर ब्याज की दर मौजूदा 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष ही रहेगी।

(2) यद्यपि 3 महीने तक ग्रौर 5 वर्ष से ग्रधिक तक की सावधि जमा रकमों के ब्याज की दरों में कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन छह महीने से 5 वर्षों तक की भिन्न-भिन्न परिपक्वता ग्रवधि की ग्रन्य जमा रकमों के ब्याज की दरें ग्राधा प्रतिशत से 2 प्रतिशत तक कम कर दी गई हैं।

(3) जमा रकमों की लागत में कमी होने ग्रौर रोकी गई जमा रकमों के ब्याज की दरें बढ़ा दिए जाने से बैंकों को जो बचत होगी, उसे देखते हुए उनसे क्या कहा गया है कि वे ऋणों की लागत में होने वाले लाभ का कुछ हिस्सा उधार देने की दरों में यथोचित फेरबदल करके ग्रपने ऋणकर्त्ताग्रों, खासकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋणकर्त्ताग्रों को भी दें।

(4) इस विचार से कि उद्योगों, द्वारा पूंजी-निर्माण की दर में तेजी लाई जाए, 3 वर्ष से ग्रधिक ग्रौर 7 वर्ष तक के सावधि ऋणों पर ब्याज की दर 15 प्रतिशत से घटा कर 12.5 प्रतिशत ग्रौर 7 वर्ष से ग्रधिक की ग्रवधियों के लिए 14 प्रतिशत कर दी गई है।

संशोधित ब्याज दर सम्बन्धी नीति का मुख्य उद्देश्य बैंकों के लागत ढांचे को युक्ति-संगत बनाना ग्रौर उत्पादन लागत को कम करना था।

(घ) जी, नहीं।

सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा गैर-सरकारी औद्योगिक फर्मों को दिये गए ऋण

5416. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 से 1977 तक सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा (एक) गैर सरकारी औद्योगिक फर्मों (दो) सरकारी औद्योगिक संस्थानों और (तीन) कृषकों को कितनी-कितनी राशि के ऋण दिए गए;

(ख) इन ऋणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उन गैर सरकारी औद्योगिक फर्मों के क्या नाम हैं जिन्हें 25 लाख रुपये की राशि के वार्षिक ऋण प्राप्त हुए; और

(घ) गैर सरकारी औद्योगिक फर्मों को और वर्ष 1977 तक इन ऋणों की कितनी राशि बकाया थी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एम० एम० पटेल): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया कारोबार

5417. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा 1974 से 1977 के दौरान किए गए कारोबार का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न राज्यों को (1) बड़े उद्योगों (2) मध्यम एवं लघु क्षेत्र के उद्योगों (3) मकान निर्माण (4) टैक्सी, बस और मिनी बस तथा (5) कृषि के विकास के उद्देश्य से दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) भारतीय जीवन बीमा निगम के नए जीवन बीमा कारबार के अलग-अलग राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1973-74 से 1976-77 तक किए गए नए कारबार के सम्बन्ध में प्रभाग-वार सूचना अनुबन्ध "क" [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-8667/77] में दी गई है।

(ख) (i), (ii) और (iii) : सूचना अनुबन्ध "ख", "ग" और "घ" [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी०-8667/77] में दी गई है।

(iv) जीवन बीमा निगम, टैक्सियों, बसें और मिनि बसें खरीदने के लिए सीधे ऋण नहीं देता।

(v) जीवन बीमा निगम कृषि विकास के लिए सीधे ऋण नहीं देता। लेकिन निगम केन्द्रीय सहकारी भूमि विकास बैंकों और कृषि पुनर्वित और विकास निगम के बांड और शेयर

8—767LSS/77

खरीद कर उनके लिए संस्थागत वित्त की व्यवस्था करता है। फिर ये एजेंसियां कृषि विकास के लिए कृषकों और किसानों को मध्यावधिक और अल्पावधिक ऋण देती है। भारतीय जीवन बीमा निगम केन्द्रीय भांडागार निगम के शेयरों में भी धन लगाता है जो अनाज और अन्य कृषि-वस्तुएं रखने के लिए गोदाम बनाने का कार्य करता है। जीवन बीमा निगम द्वारा इन सभी एजेन्सियों में लगाई गई सकल पूंजी का राज्यवार ब्यौरा अनुबन्ध "ङ" [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8667/77] में दिया गया है।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम

5418. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम, दिल्ली में प्रबन्ध निदेशकों की संख्या कितनी थी तथा प्रत्येक अधिकारी की सेवाकाल की अवधि कितनी थी;

(ख) उपरोक्त अवधि में निगम को प्रत्येक वर्ष कितनी शुद्ध हानि लाभ हुआ; और

(ग) वर्ष 1975; 1976 और 1977 में प्रत्येक वर्ष (एक) विज्ञापन और प्रचार और (दो) दिल्ली में प्रबन्ध निदेशक के कार्यालयों को सुसज्जित करने पर पृथक-पृथक कितनी धन राशि व्यय हुई।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली में प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारियों का ब्यौरा निम्नोक्त दिया जाता है :—

नाम	अवधि	
1. श्री ए० एन० बनर्जी, अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक (श्री बनर्जी ने औद्योगिक विकास मन्त्रालय में विशेष सचिव के अपने कार्य के अतिरिक्त अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक का पद भी संभाला)	29 सितम्बर, 1973 से 4-6-74 (पूर्वाह्न तक)	
2. श्री जे० सी० जेटली, प्रबन्ध निदेशक	30-9-74 (अपराह्न)	24-6-76 (अपराह्न)
3. श्री पी० एन० बहल, प्रबन्ध निदेशक	24-6-76 (अपराह्न)	1-4-77 (अपराह्न)
4. श्री पी० पी० सिंगला, प्रबन्ध निदेशक (वे वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मन्त्रालय, वस्त्र विभाग में विशेष कार्य अधिकारी (संयुक्त सचिव) के रूप में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम में प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार)	1-4-77 (अपराह्न)	आज तक

(ख) राज्य वस्त्र निगम लि०, नई दिल्ली (नियंत्रक कम्पनी) ने विगत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित लाभ अर्जित किए हैं :—

(लाख रु० में)

वर्ष	लाभ
1974-75	69.83
1975-76 (अनन्तिम)	91.62
1976-77 (अनन्तिम)	388.11

(ग) (1) 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 वर्षों के दौरान विज्ञापन एवं प्रचार पर नियंत्रक कम्पनी द्वारा खर्च की गई धनराशि निम्नोक्त है :—

(लाख रु० में)

1974-75	0.01 अनन्तिम
1975-76	1.10 ,,
1976-77	1.92 ,,

(2) दिल्ली में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशकों के कार्यालयों की सज्जा पर खर्च की गई धनराशि नीचे दी गई है। अधिकांश धनराशि अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के कमरे फिर से पृथक-पृथक करने पर खर्च की गई ताकि इन कमरों को आकार में छोटा बनाकर इनसे पृथक बोर्ड कक्ष तैयार किया जा सके।

1974-75	शून्य
1975-76	364 रु०
1976-77	32,300 रु०

भारतीय रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक आफ इन्डिया द्वारा अपने कर्मचारियों को मकानों के निर्माण/खरीद के लिये दिये ऋण

5419. **डा० मुरली मनोहर जोशी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने कर्मचारियों को मकान बनाने अथवा खरीदने के लिए दिए गए ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता अथवा बिल्कुल नाममात्र ब्याज लिया जाता है;

(ख) उपरोक्त बैंकों ने वर्ष 1975-76 और 1976-77 में अलग-अलग अपने कर्मचारियों को उक्त प्रयोजनों के लिए ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी; और

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा जीवन बीमा निगम द्वारा 1975-76 और 1976-77 में मकानों के निर्माण अथवा खरीद के लिए कितनी राशि के ऋण दिए और प्रत्येक बैंक द्वारा वित्त किस दर पर ब्याज लिया गया ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि वह अपने कर्मचारियों से, उन्हें मकान बनाने और खरीदने आदि के लिए दिए गए अग्रिमों पर, 3 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज वसूल करता है और यदि वह मकान किराये पर उठाया जाय तो अवधि से अधिक 7 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज वसूल किया जाता है।

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया कि यद्यपि उसके आवासन ऋण ब्याज मुक्त हैं फिर भी ये ऋण उसके स्टाफ के सदस्यों द्वारा बनायी गयी सहकारी आवास समितियों तक ही सीमित हैं। स्टाफ के विभिन्न वर्गों को दिये जाने वाले आवास ऋणों की उच्चतम सीमा 12,000 रु० से 50,000 रु० के बीच है। यदि कोई कर्मचारी बैंक की सहायता से बनाये गये मकान में स्वयं नहीं रहता है तो उसे अपने पूंजी-निवेश और कुछ अपनी जेब से खर्च की गयी राशि पर आधारित, मितव्ययी किराये पर ही वह मकान बैंक को देना होता है। यदि बैंक को उस मकान की जरूरत न हो और कर्मचारी उस मकान को दूसरों को किराये पर दे तो उसे अपने और बैंक के निवेश के अनुपात में बैंक के साथ उस किराये का बटवारा करना पड़ता है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भेजी गयी सूचना अनुबन्ध I [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 868/77] में दी गयी है। भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय वर्षानुसार आंकड़े नहीं रखता है इस लिये उससे सम्बन्धित सूचना 1975, 1976 और 1977 के कैलेण्डर वर्षों के अनुसार दी जा रही है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और जीवन बीमा निगम द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये ऋणों विषयक सूचना अनुबन्ध II [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 868/77] में दी गयी है।

कुछ बैंकों के बारे में सूचना कैलैण्डर-वर्षानुसार ही दी गयी है क्योंकि वे अपने अभिलेख वित्तीय-वर्षानुसार रखने की प्रथा का अनुसरण नहीं करते हैं।

क्योंकि रिहायशी इमारतें बनवाने के लिये दिये जाने वाले ऋणों का संवितरण कई स्टेटों में किया जाता है, उनके कर्मचारियों को मकान बनाने खरीदने के लिये दिये गये ऋणों के बकाया की स्थिति अलग अलग तारीखों के बारे में दी गयी है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम को मिलों द्वारा नियंत्रित कपड़े का उत्पादन बन्द किया जाना

5420. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों ने "नियन्त्रित कपड़े" का उत्पादन बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश के निर्धन वर्ग के लाभ के लिए इन मिलों को पुनः उत्पादन आरम्भ करने के निदेश जारी करने का है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के मामले में आर्थिक रूप से कमजोर मिलों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में वस्त्र आयुक्त ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों की दिसम्बर, 1977 के अन्त तक नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के दायित्व से छूट दे दी है क्योंकि वे वित्तीय रूप से कमजोर मिलों की कसौटी पर खरी उतरती है। तथापि सम्पूर्ण मामले पर पुनः विचार किया जा रहा है।

गुजरात राज्य में औद्योगिक एककों के आयात लाइसेंस रद्द करना

5421. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1976-77 में गुजरात राज्य में कितने औद्योगिक एककों के लाइसेंस रद्द किए और उनके नाम क्या हैं; और

(ख) लाइसेंस रद्द करने के क्या कारण थे?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिले हुए कपड़ों का निर्यात

5422. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 में कितने मूल्य के सिले हुए कपड़ों का निर्यात किया गया; और

(ख) ये निर्यात किन-किन देशों को किए गए?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) निर्यात किए गए सिले हुए कपड़ों के मूल्य निम्नोक्त हैं:—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1974-75	102.11
1975-76	191.32
1976-77	251.95

(ख) जिन प्रमुख बाजारों को ये सिले हुए कपड़े निर्यात किए गए, वे हैं :—सं० रा० अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी संघीय गणराज्य, इटली, बेनेलक्स देश, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, स्विटजरलैंड, नार्वे, फिनलैंड, सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जापान, इराक, कुवैत, सिंगापुर, नाइजीरिया तथा मारिशस।

गुजरात में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाखाते

5423. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में गुजरात में खातों में कितनी धनराशि जमा की गई और इनमें से प्रत्येक बैंक ने वर्ष 1974, 1975 और 1976 में राज्य के भीतर ऋण के रूप में कितनी धनराशि वितरित की;

(घ) अन्य राज्यों के बारे में क्या आंकड़े हैं;

(ग) क्या अन्य राज्यों के मुकाबले में गुजरात में बैंकों में खाते में जमा की गई राशि और वितरित ऋण में अनुपात ठीक नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) यथा सम्भव आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और सदन के पटल पर रख दिए जायेंगे।

HOTELS FOR RICH AND MIDDLE CLASS TOURISTS

5424. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state the number of hotels constructed by Government for the rich and middle class tourists so far ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : Of the 265 hotels in the country on the approved list of the Department of Tourism, 16 are in the public-sector. These hotels, along with their star categorisation are :

Name of the Hotel	Star rating	Anticipated Star Rating (Not yet) classified)	Run by
Centaur Hotel, Bombay . . .			H.C.I.
Ashoka Hotel, New Delhi . . .	Deluxe		I.T.D.C.
Hotel, Ashoka, Bangalore . . .		*****	,,
Akbar Hotel, New Delhi . . .		*****	,,
Qutab Hotel, New Delhi . . .		*****	,,
Janpath Hotel, New Delhi . . .	***		,,
Lodhi Hotel, New Delhi . . .	**		,,
Ranjit Hotel, New Delhi . . .	**		,,
Aurangabad Hotel, Aurangabad . .		**	,,
Khajuraho Hotel, Khajuraho . . .		**	,,
L.V.P. Hotel, Udaipur		***	,,
Varanasi Hotel, Varanasi . . .		****	,,
Kovalam Hotel, Kovalam . . .		****	,,
L.M.P. Hotel, Mysore		****	,,
Airport Hotel, Calcutta		****	,,
Hotel Patliputra, Patna . . .		***	,,

Although there is no distinction between hotels constructed for rich and middle class tourists except in the matter of facilities by and large 4 and 5-Star hotels are more expensive and visited by the affluent visitors, 1-3 Star categories of hotels are usually frequented by middle income group visitors.

बैंक नोट प्रेस कर्मचारी संघ, देवास (मध्य प्रदेश) से प्राप्त ज्ञापन

5425. श्री बसन्त साठे : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंक नोट प्रेस कर्मचारी संघ देवास (मध्य प्रदेश) से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ श्रमिकों को परेशान करने और प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों की उचित मांगों का दमन करने पर प्रकाश डाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो संघ द्वारा की गई महत्वपूर्ण मांगों का ब्यौरा क्या है और उस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) बैंक नोट प्रेस कर्मचारी संघ, देवास (मध्य प्रदेश) से दिनांक 5 जून, 1977 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन में विभिन्न विषयों पर 51 मांगों की सूची दी गई है जैसे कि :

(I) कर्मचारी संघ के तीन पदाधिकारियों का कथित उत्पीड़न और आपातकाल में कथित ज्यादातियां ;

(II) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें जैसे खाली पदों का भरा जाना, कर्मचारियों को स्थायी करना, कुछ पदों का दर्जा ऊंचा करना और वेतनमान में संशोधन करना, कुछ वर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नति की सम्भावनाओं को बढ़ाना, भर्ती नियमों में संशोधन करना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करना, समयोपरि भत्ते का हिसाब लगाने का तरीका, अतिरिक्त छुट्टियां, आदि;

(III) कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था जैसे मकान, चिकित्सा सुविधायें, मनोरंजन और खेलकूद की सुविधायें, शहर जाने के लिए पहुंच सड़क आदि मांगों पर विचार किया गया है और स्थिति इस प्रकार है:——

(1) संघ के पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुए अभ्यावेदनों की, जिनमें उन्हें परेशान करने के आरोप लगाए गए थे, जांच की गई और यह पाया गया कि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों के बारे में यदि कोई विशेष आरोपों की ओर ध्यान खींचा जाएगा, तो उनकी जांच की जाएगी।

(2) उन खाली पदों को भरने के लिए पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है जो बार बार विज्ञापन देने के बावजूद खाली हैं। जून, 1977 से पहले घोषित किए गए स्थायी पदों पर कर्मचारियों को स्थायी करने का काम पूरा हो गया है। यदि बाद में स्थायी बनाए गए पदों पर कर्मचारियों को स्थायी करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पदों का दर्जा ऊंचा करने, वेतनमानों में संशोधन करने, पदोन्नति की सम्भावनाओं में सुधार करने और भर्ती नियमों में संशोधन करने आदि के सम्बन्ध में मांगों की जांच की जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए हर कोशिश की जाती है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के पदों के आरक्षण से सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों का पालन किया जाए;

आरक्षित पदों को भरने के लिए बार बार विज्ञापन दिया जाता है ताकि उपयुक्त प्रत्याशी मिल सकें अतिरिक्त छुट्टियां, समयोपरि भत्ते का हिसाब लगाने के लिए मकान किराया भत्ते को भी शामिल किए जाने आदि जैसी मांगें सरकार के सामान्य आदेशों के अनुरूप नहीं हैं अतः वे स्वीकार नहीं की जा सकती।

(3) सरकार 300 अतिरिक्त रिहायशी यूनिटों के निर्माण, दवाखाने के विस्तार और केन्द्रीय स्कूल आदि की योजना पहले ही स्वीकार कर चुकी है। मनोरंजन और खेलकूद की वर्तमान सुविधाओं में वृद्धि करने के प्रश्न पर यथासम्भव विचार किया जाएगा। शहर जाने के लिए पहुंच सड़कों की व्यवस्था के सम्बन्ध में नगर पालिका प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

सुपर बाजार, नई दिल्ली के महाप्रबन्धक को दिये गये भत्ते

5426. **श्री एस० जी० मुरुगप्पन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार, नई दिल्ली के महाप्रबन्धक को प्रतिमाह लगभग 9,000 रुपये की राशि वेतन और भत्ते के रूप में दिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें प्रतिमाह दिए जाने वाले विभिन्न भत्तों का क्या ब्यौरा है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) महाप्रबन्धक को उतना ही वेतन दिया जाता है जितना कि उनके सुपर बाजार में प्रतिनियुक्ति पर न जाने की दशा में भारत सरकार से मिलता। उनके वेतन तथा भत्तों का विवरण नीचे दिया गया है :—

वेतन . . .	2125.00 रु०
विशेष वेतन	300.00 रु०
महंगाई भत्ता	25.00 रु०
नगर प्रतिकर भत्ता	75.00 रु०
योग :	2525.00 रु०

इसके अलावा कोआपरेटिव स्टोर महाप्रबन्धक को निःशुल्क असज्जित मकान, वास्तविक व्यय की शर्त के साथ 350/- रु० प्रति माह की दर से आतिथ्य भत्ता तथा अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वाहन के निःशुल्क प्रयोग की सुविधा देता है।

सुपर बाजर द्वारा चीनी की खरीद

5427. **श्री एस० जी० मुरुगप्पन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले तक सुपर बाजार राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ से 400 रुपये 390 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सी-30 किस्म की चीनी की खरीद करता था;

(ख) क्या 30 मार्च, 1977 से सी०-30 किस्म की चीनी दिल्ली के ठाकुरदास बाला मुकन्द से 413 रुपये से 423 रुपये प्रति क्विटल की दर से खरीदी जा रही है।

(ग) यदि हां, तो ऊंचे मूल्य देने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सौदे के सम्बन्ध में जांच करने का है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सुपर बाजार, नयी दिल्ली ने मार्च, 1977 के अन्तिम सप्ताह में 400/- रु० प्रति क्विटल की दर से सी-30 किस्म की चीनी की 100 बोरियां खरीदीं।

(ख) चूंकि यह चीनी सुपर बाजार द्वारा अपेक्षित कोटि की नहीं थी, इसलिये इसकी और खरीद नहीं की गई। दो पार्टियां जिनमें ऊपर लिखी फर्म भी शामिल है, से विभिन्न दरों पर खरीद की गयी। सी-30 किस्म की चीनी की खरीद की दरें 30-3-1977 से 12-5-1977 के दौरान 414/- रु० से 425/- रु० प्रति क्विटल के बीच थी और 30 मई, 1977 से 26 जुलाई, 1977 के दौरान जब कि मूल्यों में कमी आई थी, उसी किस्म की चीनी की दरें 425/- रु० से 401/- रु० प्रति क्विटल के बीच थी।

(ग) चीनी की खरीद बाजार के उस समय के न्यूनतम भावों पर की गयी थी। यह भी उल्लेख है कि सुपर बाजार में चीनी के खुदरा भाव बाजार के चालू भावों से कम हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा भारत को वस्तुएं बेचने की पेशकश

5428. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत को अनेक वस्तुएं बेचने की पेशकश की है जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार को अधिक सन्तुलित बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो पेशकश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पेशकश पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि कोई निश्चित ब्यौरे नहीं दिए गए हैं फिर भी पाकिस्तान सरकार ने संकेत दिया है कि भारत को तुरन्त निर्यात के लिए निम्नोक्त मदों की अच्छी संभावना है :—

(1) चावल (2) कपास (3) सूती धागा (4) सेंधा नमक (5) फल तथा मेवे (6) जिप्सम (7) औद्योगिक अल्कोहल (8) तम्बाकू (9) आनिक्स तथा (10) दवा की जड़ी बूटियां।

(ग) देश की आवश्यकता के अनुसार इन मदों के आयात की अनुमति दी जाएगी।

इंडोनेशिया में संयुक्त एकक के लिये मंजूरी

5429. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया में संचलित कंक्रीट बार आदि के संयुक्त उद्यम एकक की अप्रैल, 1976 में धोखे से मंजूरी लेने के बारे में एक भारतीय कम्पनी के विरुद्ध अनेक शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी के विरुद्ध क्या शिकायतें हैं और उसने क्या क्या धोखाधड़ी की और उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल थे;

(ग) क्या भारत सरकार ने उक्त शिकायतों की उपेक्षा की थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में, विशेषकर विदेशी मुद्रा में भारतीय मुद्रा के भेजने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) उच्च-तनाव-प्रवलित कंक्रीट बार के विनिर्माण के लिए इंडोनेशिया में एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए मैसर्स ए० एस० सी० इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स लि० को दिए गए अनुमोदन के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) ऐसा अभिकथन था कि आवेदक कम्पनी की हैसियत के बारे में तथ्यों की गलत बयानी करके अनुमोदन पत्र प्राप्त किया गया था और इसे रद्द किया जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संयुक्त उद्यम की स्थापना के लिए मूल आवेदन पत्र मै० आन्ध्र स्टील कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया गया था। बाद में दिनांक 28 नवम्बर, 1975 को मैसर्स ए० एस० सी० इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड से संशोधित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह बताया था कि मैसर्स ए० एस० सी० इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स मैसर्स आन्ध्र स्टील कार्पोरेशन लिमिटेड का अनुषंगी निकाय है। आवश्यक कार्यवाही करने के बाद, 6 अप्रैल, 1976 को ए० एस० सी० इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स लि० (आन्ध्र स्टील कार्पोरेशन लि० का अनुषंगी निकाय) के नाम से एक अनुमोदन पत्र दिया गया था।

तत्पश्चात् ऐसा प्रतीत हुआ कि मित्तल परिवार की संपत्ति के बंटवारे के बारे में कुछ पारिवारिक विवाद उठ खड़ा हुआ और साथ ही आन्ध्र स्टील कार्पोरेशन लि० के निदेशकों के बीच इन बातों को देखते हुए 6 अप्रैल, 1976 को अनुमोदन पत्र रद्द किया गया था।

मै० ए० एस० सी० इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स लि० ने पुनः 22 जनवरी, 1977 को एक अर्जी पेश की। परिवार के सदस्यों के बीच सम्पत्ति के बंटवारे के बारे में आर्बिट्रेशन अवार्ड की एक प्रति लिपि भी पेश की गई। इस अर्जी पर कार्यवाही की गई और 11 मार्च, 1977 को नया अनुमोदन पत्र जारी कर दिया गया।

(ग) तथा (घ) मामले की जांच की जा रही है।

पालम हवाई अड्डे पर प्रवेश शुल्क

5430. श्री के० मालन्ना : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम हवाई अड्डे पर दर्शकों के लिये प्रवेश शुल्क क्या है; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार पालम हवाई अड्डे पर दर्शकों के लिये वर्तमान प्रवेश शुल्क को कम करने का है जैसा कि रेलवे में प्लेटफार्म टिकट के मामले में किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) प्रत्येक प्रवेश के लिये प्रति व्यक्ति दो रुपये ।

(ख) जी, नहीं ।

EXPENDITURE INCURRED ON TOURIST CENTRES IN GUJARAT

5431. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred by the Central Government on each tourist centre in Gujarat State during the last three years or grants that have been given to Government of Gujarat with a view to attract tourists in the country and abroad and the names of tourists centres on which expenditure has been incurred or for which grants have been given; and

(b) the amount of expenditure proposed to be incurred in 1977-78 and in the remaining years during the Fifth Plan and how and when it will be spent and the details in this regard ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) An expenditure of Rs. 27.87 lakhs has been incurred by the Central Department of Tourism on the following schemes in Gujarat during the Fifth Plan. The expenditure incurred in the last three years has been as follows :—

Sl. No.	Scheme	Expenditure incurred during 1974-75	Expenditure incurred during 1975-76	Expenditure incurred during 1976-77
1	2	3	4	5
1.	Youth Hostel at Gandhinagar (completed) .	—	43,700	—
2.	Tourist Bungalow at Porbandar (completed)	—	1,10,320	—
3.	Forest Lodge at Sasangir . (Civil works completed)	1,11,000	39,174	2,13,474

A subsidy of Rs. 11,516/- was given to the Government of Gujarat during 1976-77 for meeting the salaries of the Warden and Assistant Warden of the Youth Hotel at Gandhinagar.

(b) An amount of Rs. 6.59 lakhs is being provided by the Central Department of Tourism during 1977-78 for furnishing and equipping the Forest Lodge at Sasangir which is expected to be commissioned during the current financial year.

EXCISE DUTY ON SUGAR

5432. SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the excise duty per quintal levied on the sugar manufactured by big sugar factories and that levied on the khandsari produced by small factories;

(b) the amount of excise duty per quintal levied on sugar during the past three years;

(c) the criteria followed in imposing excise duty on sugar production; and

(d) whether Government propose to reduce the existing excise duty on sugar and, if so, to what extent ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) It is presumed that by 'big factories' the Hon. Member is referring to vacuum pan sugar factories. The rates of central excise duty leviable on sugar depend on the circumstances and are shown in the statement attached.

(b)

	1974-75	1975-76	1976-77
	(Rs. per quintal)		
Free sale sugar	117·04	133·17	136·43
Levy sugar	32·86	33·14	32·36
Khandsari units working under normal procedure . . .	36·76	44·12	47·74
Khandsari units working under the compounded levy system.	Duty realisations are related to the number and size of centrifugals and not to the quantity of sugar produced.		

(c) Sugar is subjected to excise duty as a revenue measure. The statutory rate of duty is 45% *ad valorem* [37½% under the CentralExcises and Salt Act, 1944 and 7½% under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957]. This statutory level of duty is applicable to sugar released for free sale in the open market. However, in respect of the sugar, amounting to 65% of the production, which is sold at a controlled price through the public distribution system, the basic as well as the additional excise duties have been reduced to 10% and 5% respectively through exemption notifications. This, combined with a lower price, results in a substantially lower quantum of duty on such sugar, which goes to meet the essential needs of the weaker sections of society.

In respect of khandsari sugar, a rate of duty substantially lower than the statutory rate has been adopted, keeping in view the lower recovery of sugar by khandsari plants and also on the construction that manufacture of khandsari sugar is primarily a rural industry.

(d) Some representations have been received for reduction of the compounded levy rates on khandsari sugar to the level prevailing prior to 30-4-1974. The request is under the consideration of Government.

STATEMENT

(I) *Excise duty levied per quintal on vacuum pansugar* :

(i) *Free sale sugar* :

45% (37.5% Basic Excise duty plus 7.5% Additional Excise duty) on tariff value as fixed from time to time. (Tariff value for July, 1977 is Rs. 275/- per quintal.)

(ii) *Levy sugar* :

15% (10% Basic Excise duty plus 5% Additional Excise duty) of the price fixed by Government (weighted average Rs. 168/- per qtl.).

(II) *Khandsari Sugar under Normal Procedure* :

17.5% (15% Basic Excise duty plus 2.5% Additional Excise duty) of the normal price.

(III) *Khandsari units working under the compound levy scheme with or without sulphitation plants* :

CENTRIFUGAL	Height	Diameter		With Sulphitation	Without Sulphitation
Exceeding cms.	Not Exceeding cms.	Exceed. cms.	Not Exceed. cms.	Weekly	rates
	22·9	..	45·7	4400/-	2360/-
22·9	30·5	45·7	61·0	5900/-	3120/-
30·5	45·7	61·0	76·2	8600/-	4640/-
Not otherwise specified.				11400/-	6080/-

In the case of khandsari factories working under the compound levy system, the duty is based on the number and size of the centrifugals and not on the actual quantity of sugar produced. The actual incidence of the duty is substantially less than the statutory rate.

आवश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी और जमाखोरी रोकने के लिये पृथक प्राधिकरण का गठन

5433. श्री मनोरंजन भक्त : वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आवश्यक वस्तुओं की चोरबाजारी और जमाखोरी को रोकने और इस बारे में जनता की शिकायतें दूर करने के लिये एक पृथक प्राधिकरण गठन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब और इसके सदस्य और मुख्य कृत्य क्या होंगे ?

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर और धनकर का अपवंचन

5434. मनोरंजन भक्त : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अपना व्यापार या वाणिज्य करने वाले लोग आयकर और धन कर का बड़ी मात्रा में अपवंचन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) ऐसे अपवंचन को रोकने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है और क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) देश में अपना व्यापार और वाणिज्य करने वाले व्यक्तियों की आय और धन के संबंध में की गयी कर की चोरी का सरकार ने कोई अनुमान नहीं लगाया है।

इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1971-72 से 1975-76 तक के पांच वर्ष की अवधि में आय/धन को छिपाने के कारण लगाये गये अर्थदण्डों की संख्या और आय/धन

को छिपाने और/अथवा भारतीय दण्ड संहिता के उल्लंघन में किये गये अपराधों के सिलसिले में चलाये गये मुकद्दमों की संख्या निम्नलिखित थी :—

वित्तीय वर्ष	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76
आय छिपाने के कारण लगाए गए अर्थ दण्डों की संख्या	18051	12544	12407	8216	8234
धन छिपाने के लिए लगाए गए अर्थ-दण्डों की संख्या	593	368	833	955	908
मुकदमों की संख्या	13	30	108	61	111

इन आकड़ों में अपना व्यापार और वाणिज्य करने वाले व्यक्तियों के मामले शामिल हैं।

(ग) जिन मामलों में भारी कर-अपवंचन किये जाने का संदेह होता है उन्हें विस्तृत जांच के लिये आय कर आयुक्तों (सेंट्रल) के अधिकार क्षेत्रों में आय-कर अधिकारियों को दे दिया जाता है जो खास तौर पर सौंपे गये मामलों के संबंध में (अपने) क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में, पांच सेंट्रल अधिकार क्षेत्र कार्य कर रहे हैं अर्थात बम्बई (सेंट्रल), (मद्रास (सेंट्रल), दिल्ली (सेंट्रल), और कलकत्ता (सेंट्रल)-I और II। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों में भी, जिन मामलों में अपेक्षाकृत अधिक व्यापक जांच की जानी होती है, उन्हें चुने चुने अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। जांच पड़ताल करने वाले अधिकारियों की एक सक्रिय आसूचना तंत्र सहायता करता है। प्रवर्तन/जांच पड़ताल करने वाली अन्य एजेंसियों के साथ पर्याप्त सम्पर्क रखा जाता है। सेंट्रल स्तर पर, आय-कर विभाग के जांच पड़ताल और प्रवर्तन सम्बन्धी कार्यकलापों का निरीक्षण निदेशालय (जांच-पड़ताल) द्वारा समन्वय और पर्यवेक्षण किया जाता है। विनिर्दिष्ट बड़े औद्योगिक घरानों के मामलों में और कुछ अन्य महत्वपूर्ण मामलों में किये गये कर-अपवंचन की प्रभावी तौर पर जांच करने के लिये इस निदेशालय में एक विशेष कक्ष कार्य कर रहा है। विशेष कक्ष के अन्तर्गत ही एक अलग एकक है जो कुख्यात तस्करों और उनके सहयोगियों के मामलों में जांच पड़ताल की कार्यवाही का समन्वय करता है।

कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 ने कर-अपवंचन को रोकने के लिए कानून में नई व्यवस्थाएं की हैं अर्थात् सर्वेक्षण, तलाशी और अभिग्रहण, साक्ष्य की खोज और उसे प्रस्तुत करने, कर दाताओं के कुछ वर्गों द्वारा अनिवार्यत: हिसाब रखने और कुछ मामलों में खातों की लेखा-परीक्षा की व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में आय-कर प्राधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि।

तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति का समापहरण) अधिनियम, 1976 में तस्करों और विदेशी मुद्रा की हेराफ़ेरी करने वालों की गैर कानूनी रूप से अर्जित सम्पत्तियों को जब्त करने की व्यवस्था है।

सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटलों की तुलना में निजी होटलों का कारोबार

5435. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाये जा रहे होटलों की तुलना में निजी होटलों का कारोबार अच्छा है ;

(ख) क्या इसके कारण जानने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं, और

(ग) क्या निजी होटलों में कारोबार बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के कदाचार होते हैं और वे खाद्य तथा उत्पाद शुल्क नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं और यदि, हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) जी, नहीं । पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर भारत पर्यटन विकास निगम के 15 होटलों की वार्षिक औसत लाग 68.5 प्रतिशत और होटल कारपोरेशन ऑफ इंडिया के सेंटोर होटल की 92 प्रतिशत (1976 में) निकलती है, जबकि 100 निजी होटलों की , जिनका ब्यौरा पर्यटन विभाग में उपलब्ध है, वार्षिक औसत लाग 64.6 प्रतिशत है ।

तथापि भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कार्य चालन में सुधार करने के लिए उनके मार्केटिंग एवं प्रोत्साही कार्यक्रमों का निरंतर पुनरीक्षण किया जाता है । भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकांश होटलों की लाग में पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले में सुधार हुआ है ।

(ग) पर्यटन विभाग की अनुमोदित सूची में दिए गए होटलों के बारे में कारोबार के बढ़ाने के लिए कदाचारों का हमें पता नहीं है, यद्यपि विभिन्न होटलों में मुकाबला रहता है । खाद्य एवं उत्पादन शुल्क नियमों की जांच-पड़ताल तथा नियंत्रण का कार्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और जहां कहीं भी होटलों के व्यवहार में त्रुटि पाई जाती है, स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उचित कार्यवाही की जाती ह । तथापि निर्धारित स्तरों के संधारण को सुनिश्चित करने के लिये विभाग भी आवधिक निरीक्षण करता है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के होटलों में कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन

5436. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकालीन स्थिति की समाप्ति के पश्चात् कर्मचारिया द्वारा की जाने वाली हड़तालों के कारण सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों का कारोबार बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) क्या सेवा सुरक्षा के उपबन्ध को, जो कारोबार में हानि तथा बार बार हड़ताल करने तथा अनुशासनहीनता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, हटाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के होटलों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) आपातकालीन स्थिति उठा लिए जाने के बाद, भारत पर्यटन विकास निगम के 15 होटलों में से केवल एक होटल अर्थात् अशोक होटल बंगलौर, में 16 अप्रैल, 1977 से 21 अप्रैल, 1977 तक 6 दिन की अवधि के लिए हड़ताल हुई है। हड़ताल से होटल के कारोबार पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने का फ़िलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। अनुशासन की समस्याओं तथा अवैध हड़तालों सहित झगड़ों से निपटान के लिए वर्तमान श्रम कानूनों में पर्याप्त उपायों एवं उपकरणों की व्यवस्था है।

चांदी का निर्यात

5437. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चांदी के निर्यात के लिए कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो वह मूल्य क्या है ;

(ख) क्या इस प्रकार निर्धारित किया गया मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक है; और

(ग) यदि नहीं, तो विश्व बाजार में भारतीय चांदी को प्रतियोगी बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चांदी काफ़ी प्रतियोगी तथा स्वीकार्य है।

पर्यटन, नागर विमानन विभागों तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम में संरचनात्मक परिवर्तन।

5438. **श्री समरेन्द्र कुन्डू** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने पर्यटन, नागर विमानन विभागों तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम के बहुत से निरन्तर भ्रष्टकार्यों के बारे में कोई जांच कराई है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों की जांच चल रही है और इस समय वे किस स्थिति में हैं ;

(ग) क्या सरकार पर्यटन, नागर विमानन विभागों तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम में कोई संरचनात्मक परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पर्यटन एवं नागर विमानन विभागों तथा भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा भ्रष्टाचार के किन्हीं भी कार्यों को सदा चलते नहीं रहने दिया जाता । अपितु इन विभागों एवं निगम में भ्रष्टाचार के मामलों या सरकार को प्राप्त हुई शिकायतों की समय-समय पर जांच की जाती है तथा उन पर यथोचित कार्यवाही भी की जाती है ।

(ख) फ़िलहाल जिन मामलों पर जांच चल रही है उन का विस्तृत ब्यौरा देना समुचित जांच के हित में नहीं होगा ।

(ग) फ़िलहाल पर्यटन एवं नागर विमानन विभागों के ढांचे में कोई संरचनात्मक परिवर्तन अपेक्षित नहीं है । भारत पर्यटन विकास निगम के पुनर्गठन के लिए 1974 में एक समिति का गठन किया गया था तथा इस की रिपोर्ट के सरकार को शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों को खाद्य तेलों की सप्लाई

5439. श्री समरेन्द्र कुन्डू : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य तेलों विशेषकर परिष्कृत तेल की सप्लाई को वर्तमान दर में वृद्धि करना सम्भव है ताकि तेल 8 रु० 50 पै० प्रति किलो की दर से बेचा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है और गत दो महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों को ये तेल कितनी मात्रा म सप्लाई किए गए ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को आबंटित करने के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम या खाद्य तेल आयात किये जा रहे हैं। आयातित रेपसीड तेल, कच्चे तथा परिष्कृत दोनों ही रूपों में राज्य सरकारों को मांग के अनुसार दिया जा रहा है। पिछले दो महीनों में विभिन्न राज्य सरकारों को वितरण के लिए 13,050 मीटरी टन तेल दिया गया है और उनसे कहा गया है कि वे इसे ज्यादा मात्रा में उठायें ।

उड़ीसा में बैंकों की शाखाएं खोलना

5440. श्री समरेन्द्र कुन्डू : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उड़ीसा में कितने बैंकों को अपनी शाखायें खोलने के लाइसेंस दिए गए ;

(ख) उनमें से कितने बैंकों ने अब तक अपनी शाखायें खोली हैं।

(ग) उड़ीसा में कितने ग्रामीण बैंक खोले गए हैं, और

(घ) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है कि बैंक आफ़ बड़ौदा और बैंक आफ़ इंडिया सभी शाखायें निर्धारित अवधि में खोलें जिनके लिये उन्हें लाइसेंस दिए गए थे ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1974—76 के तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में 295 कार्यालय खोलने के लिए 24 बैंकों को लाइसेंस जारी किए गए थे। इनमें से 225 कार्यालय अब तक खोले गए हैं।

(ग) उड़ीसा में अब तक चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए हैं। इन बैंकों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं :-

(1) बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक, बोलंगीर
(2) कटक ग्राम्य बैंक, कटक
(3) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जयपुर
(4) पुरी ग्राम्य बैंक, पीपली।

(घ) बैंक आफ़ बड़ौदा ने सूचित किया है कि उड़ीसा में शाखा खोलने के लिए उसके पास कोई लाइसेंस बकाया नहीं है। पिछले तीन वर्षों में बैंक आफ़ इंडिया को 14 लाइसेंस जारी किए गए थे। सूचना मिली है कि उसने अब तक 8 लाइसेंसों का उपयोग किया है। बैंक ने सूचित किया है कि वह सितम्बर, 1977 की समाप्ति से पहिले शेष लाइसेंसों में से 5 का उपयोग करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। एक और लाइसेंस अर्थात् पारादीप के लिए लाइसेंस के सम्बन्ध में बैंक का विचार है कि उचित भवन उपलब्ध न होने के कारण स्वयं अपना भवन बनाये, जिसमें कुछ समय लग सकता है।

LOANS ADVANCE BY NATIONALISED BANKS IN BIJNOR DISTRICT, U.P.

5441. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

a) whether the facility of loans by banks to small artisans, craftsmen and rickshaw pullers extended by the former Government has been withdrawn by the present Government; and

(b) if not, the amount of loans advanced by each nationalised bank in Bijnor District in Uttar Pradesh to the small artisans, craftsmen and rickshaw pullers during 1975-76 and 1976-77 ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) No, Sir.

(b) Data to the extent available, through the Basic Statistical Reporting System evolved by the Reserve Bank of India, is being compiled and will be land on the Table of the House.

राष्ट्रीय बैंकों द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए दी गयी राशि

5542. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति के दौरान सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से तदर्थ आधार पर कितनी राशि दिलाई थी ?

वित्त तथा राजस्व ग्रौर बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : यद्यपि सरकारी क्षेत्र के बैंकों से ग्रनुरोध किया गया था कि परिवार नियोजन तरीकों को ग्रपनाने वाले ग्रपने कर्मचारियों को वही सुविधाएं देने के बारे में विचार करें, जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध थीं, किन्तु सरकार ने उनसे यह कभी नहीं कहा, कि ग्रापात स्थिति के दौरान ग्राम परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए तदर्थ ग्राधार पर कोई धन उधार दें। फिर भी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध तथा कुछ संशोधनों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रपनायी गई, नसबन्दी कराने वालों के लिए नकद पुरस्कार ग्रौर विशेष ग्राकस्मिक छुट्टी जैसी छूट ग्रौर सुविधाग्रों के ग्रलावा, जब कभी ग्रावश्यक हुग्रा, विशेष परिवार नियोजन ग्रभियानों, कैम्पों, विज्ञापनों, सेमिनारों, नकद प्रोत्साहन देने ग्रौर ग्रस्पतालों में ग्राप-रेशन सुविधाग्रों ग्रौर बिस्तरों की व्यवस्था के लिए दान देकर परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए, 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लगभग 1,08,431.58 रुपये खर्च करने की सूचना दी है।

राज्य व्यापार निगम ग्रौर खनिज तथा वस्तु व्यापार निगम ग्रध्यक्षों के रिक्त पद

5443. **श्रीमति पार्वती कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति तथा सहका-रिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ग्रौर खनिज तथा धातु व्यापार निगम के ग्रध्यक्षों के पद कुछ समय से रिक्त पड़े हैं; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ग्रौर ग्रध्यक्षों की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) डा० सुबोध चन्द्र भट्टाचार्य को राज्य व्यापार निगम के ग्रध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ग्राशा है कि वह ग्रगस्त के शुरू में कार्यभार संभाल लेंगे। श्री सी० एस० स्वामीनाथन ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम के ग्रध्यक्ष का कार्यभार पहले ही संभाल लिया है।

ब्रसेल्स में पटसन के विषय में हुए गोलमेज सम्मेलन में भारत का भाग लेना

5444. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने ब्रसेल्स में पटसन के विषय पर हुए गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन मुख्य बातों या विषयों पर चर्चा की गई थी; ग्रौर

(ग) क्या निर्णय किए गए ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति ग्रौर सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) जुलाई, 1977 के प्रथम सप्ताह में ब्रसेल्स में हुए पटसन संबंधी गोलमेज़ सम्मेलन

में भारत ने भाग लिया । गोल मेज सम्मेलन में गवेषणा तथा उत्पाद विकास, बाजार संवर्धन तथा संश्लिष्ट ऐवजी माल की प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने वाली समस्याओं में सहयोग की संभाव्यताओं पर विचार विमर्श किया गया । सम्मेलन में निकले महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:--

1. सम्मेलन ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय बाजार में पटसन उत्पादों की सम्भाव्यताओं में वृद्धि हेतु गवेषणा तथा संवर्धन के क्षेत्र में संयुक्त कार्यवाही की आवश्यकता को स्वीकार किया तथा इस प्रयोजन के लिए विशेष परियोजनाओं का पता लगाया गया ।
2. सम्मेलन ने पटसन उत्पादों के बाजारों का संरक्षण तथा विस्तार करने के के लिए कई संवर्धनात्मक कार्यकलापों पर विचार करने की सिफ़ारिश की ।

FILLING OF INCOME TAX RETURNS BY SHRI KAMLAPATI TRIPATHI

5445. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state

(a) the years for which the former Cabinet Minister Shri Kamlapati Tripati has not submitted Income tax Returns;

(b) the action taken by the Income-tax Department so far against him for not filing the said returns; and

(c) the year upto which income-tax assessment has been made in respect of Shri Tripathi and the years for which assessment is pending ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) and (c) Returns have been filed upto-date, but the returns for the years 1974-75 to 1977-78 were filed on 4-7-1977. Hence assessments for the years 1974-75 to 1977-78 are pending.

(b) Does not arise.

UNDER—VALUATION OF PROPERTIES

5446. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) the number of persons who have been served notices under the Income-tax Act for showing less sale value of their property during the financial years 1974-75, 1975-76 and 1976-77;

(b) the number of such cases disposed of and in how many cases the actual value of the property was more;

(c) the number of cases where properties have been acquired by Government during the said period; and

(d) the total value of properties acquired by Government under the Income-tax Act as on 31-3-1977 ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) The number of cases in which notices under section 269-D of the Income-tax Act, 1961 were issued during the financial years 1974-75, 1975-76 and 1976-77 was 3799, 5699 and 3828 respectively.

(b) The total number of cases disposed of during these years were 2083, 2315 and 3196 respectively. Out of these, orders of acquisition under section 269F(6) of the Income-tax Act, 1961 were passed by the Competent Authority (after coming to the conclusion that fair market value of the property exceeded the apparent consideration by the requisite amount) in 110, 96 and 54 cases respectively. In rest of cases, the proceedings were dropped.

(c) None.

(d) Does not arise in view of the answer to part (c) above.

निर्यात निरीक्षण एजेंसी तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता में वृद्धि।

5447. **श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात निरीक्षण एजेंसी तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् के कर्मचारी सरकारी आवास पाने के पात्र नहीं हैं और उन्हें वर्ष 1970 में 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता अदा किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों की इस मांग पर विचार कर रही है कि मकान किराया भत्ता बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाये?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) निर्यात निरीक्षण परिषद् तथा निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के कर्मचारियों को वेतन के 15 प्रतिशत की दर पर अर्थात् केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय दर पर, मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है। मकान किराया भत्ते के लिए वेतन के 15 प्रतिशत की दर वैसी ही है जो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कतिपय अन्य ऐसे ही संगठनों के कर्मचारियों को देय है। इस परिषद् तथा निरीक्षण अभिकरणों के कर्मचारी ऐसे ही अन्य सांविधिक निकायों के कर्मचारियों की तरह सरकारी आवास के हकदार नहीं हैं। इन कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का फ़िलहाल सरकार का कोई इरादा नहीं है।

चीनी, कपड़े से बनी वस्तुओं, इंजीनियरों के सामान और अन्य वस्तुओं को किस्म नियंत्रण तथा जहाज में लदान से पूर्व निरीक्षण परिधि के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव

5448. **श्री सुखेंद्र सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक और पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में विपणन की भारी प्रतियोगिता को देखते हुए सरकार का विचार चीनी, कपड़े से बनी वस्तुओं, इंजीनियरी के सामान, चमड़े की वस्तुओं तथा कुछ अन्य वस्तुओं को किस्म नियंत्रण तथा जहाज में लदान से पूर्व निरीक्षण की परिधि में लाने का है;

(ख) क्या निर्यात निरीक्षण एजेन्सी/निर्यात निरीक्षण परिषद् को खनिजों तथा अयस्कों का जहाज में लदान से पूर्व निरीक्षण करने के लिये मान्यता नहीं दी गई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने 19 मार्च, 1977 से जब कि कार्यवाहक सरकार पदभार संभाले हुए थी 3200 नॉटस से ऊपर कालीन निरीक्षण किस्म और निरीक्षण के प्रतिबंध के बारे में निर्यात निरीक्षण कर्मचारी संघ की 25 मई, 1977 की शिकायत पर विचार किया है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जूते, जतों के हिस्से, तथा कुछ इंजीनियरी माल लदानपूर्व निरीक्षण योजना के अंतर्गत पहले ही शामिल हैं। क्वालिटी नियंत्रण तथा लदानपूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत अन्य मदें लाने के प्रश्न पर सतत विचार किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं । अभी अभिकरणों के पास लदानपूर्व निरीक्षण हेतु अपेक्षित सुविधाएं नहीं हैं । इस मामले का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

(ग) जी, हां। कालीनों की कतिपय किस्मों को क्वालिटी नियंत्रण तथा लदानपूर्व निरीक्षण के कार्यक्षेत्र से अलग करने का निर्णय प्रयोगात्मक आधार पर तथा कालीन विनिर्माताओं /निर्यातकों तथा निर्यात व्यापार के विचारों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद लिया गया था। विदेशी खरीदारों की प्रतिक्रिया तथा निर्यातकों के व्यवहार पर सतत निगरानी रखी जाएगी।

ईस्टर्न मध्य प्रदेश फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब का कार्यकरण

5449. श्री सुखेन्द्र सिंह: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न मध्य प्रदेश फ्लाइंग/ ग्लाइडिंग क्लब के लेखों तथा अन्य पहलुओं संबंधी कार्यकरण के बारे में जांच का आदेश दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम रहे ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। रिपोर्ट से कुछ लेखा संबंधी खामियों का पता चला है।

(ग) निम्नलिखित अनुवर्ती कार्यवाही की गई है :--

(i) निरीक्षण रिपोर्ट को क्लब के पास उनकी टीका-टिप्पणी तथा उसमें बताई गई खामियों के संबंध में उपचारी कार्यवाही करने के लिए भेज दिया गया है ।

(ii) क्लब को यह भी परामर्श दिया गया है कि वह खामियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें ।

(iii) क्लब को यह भी सूचित कर दिया गया है कि इस बात की जांच करने के लिए कि क्या बताई गई समस्त खामियों को दूर कर दिया गया है, एक और लेखा-परीक्षा दल छः महीने बाद भेजा जाएगा।

(iv) निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को भेज दी गई है।

APPOINTMENTS ON HIGHER POSTS IN CENTRAL GOVERNMENT PUBLIC UNDERTAKINGS

5450. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING will be pleased to refer to the reply given to Unstarred

Question No. 2354 on the 1st July, 1977 regarding expenditure on salaries of Chairman of Public Enterprises of Central Government in Delhi and state :

(a) the number and the names of the officers out of the officers mentioned therein who had worked with industrialists and capitalists for more than ten years before joining these Central Government Public Undertakings;

(b) the names of such officers who worked in those factories of the industrialists which produce such goods that are utilised by the undertakings in which they are working at present; and

(c) the rules formulated by Government to ensure that any officer does not give undue benefit to his former employer ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) Out of the 219 in the list referred to by the Hon'ble Member, there are according to available information, 37 officers who had put in more than 10 years service in the Private Sector before joining the Public Enterprises. Out of these, 8 have been in the Public Enterprises for the last more than 10 years and out of the remaining, 9 have served the Public Enterprises for more than 5 years.

In the initial stages, it was necessary for recruitting Managers from the Private Sector for positions in the Public Enterprises. Government have, however, been following a policy of developing internal managerial resources so as to make the Public Enterprises self-reliant. This objective has been to a large extent achieved. The present policy is to first consider those from within the organisation for Top appointments. If suitable candidates from within the organisation are not available, candidates from other Public Enterprises are considered. Only if these two sources fail to throw up suitable candidates, other sources like Government services, Private Sector etc. are to be tapped.

(b) and (c) The Public Enterprises and Government have framed suitable rules and procedures to ensure that the interests of these Enterprises and Government are fully protected in al matters including purchases from Private Sector organisations. These provide for appropriate checks and clearances as well as approvals of Finance and Management before purchases are made or contracts entered into. In cases where the delegated financial powers are exceeded, Govrnment approval is needed. In addition there is audit by the statutory and Government auditors. The specific rules and procedures would, obviously, vary from enterprise to enterprise.

EXPENDITURE ON SALARIES OF CHAIRMAN OF PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

5451. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2354 on the 1st July 1977 regarding expenditure on salaries of Chairman of Public Enterprises of Central Government in Delhi and State :

(a) the reasons for giving higher pay to the Chairman of certain Public Undertakings than the pay drawn by the Secretary to the Government of India;

(b) the other amenities, besides pay, provided to these officers;

(c) whether the facilities enjoyed by the persons holding the posts of Directors included in the list are too much; and

(d) whether Government propose to appoint senior officers of the Ministry to these posts so as to avoid this extravagance and effect savings in Government expenditure ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) The salary structure of Chairman and Managing Directors and full-time Directors of Public Enterprises was decided on the basis of the recommendations of the Committee on Top Posts in Public Enterprises. The Committee had recommended that these posts should be categorised into four Schedules, depending upon their importance to the national economy as well as the complexity of the problems involved in managing their affairs, *viz.* Schedule 'A' (Rs. 3500-125-4000); Schedule 'B' (Rs. 3000-125-3500); Schedule 'C' (Rs. 2500-100-3000) and Schedule 'D' (Rs. 2250-100-2750). These posts carry contractual appointments with a tenure of 5 years terminable on three months notices. For these reasons, it would not be correct to compare the salary structure of Chief Executives of Public Enterprises with those of Secretaries to the Government of India. However, according to rules, no Government servant appointed to a Top Post in public enterprises can draw salary exceeding that of the Secretary to the Government of India.

(b) Besides pay in the appropriate Schedules, the posts normally carry the benefits of residential accommodation, subject to recovery of 10% of pay as rent, staff car for official and private use on payment of Rs. 100/150 per month (subject further to the limit that personal use will be limited to 500 kms per month), leave, provident fund, gratuity and medical benefits.

(c) Government do not consider the salaries and perquisites provided to incumbents of Top Posts in Public Enterprises to be high as these are regulated on strict norms. In fact, there have been cases where it has been found difficult to find suitable persons within the sanctioned scales of pay and perquisites for some of the high technology industries for which top management resources are scarce and private sector compensation levels considerably higher.

(d) The Government services are one of the sources for recruitment to Top Posts in Public Enterprises. The policy of Government, however, is to develop internal managerial resources so as to reduce the dependence of these enterprises on deputationists from Government. The important thing is to improve managerial effectiveness and efficiency so as to get maximum out of the investments in the Public Enterprises. It is important for this purpose to ensure that persons appointed to Top Posts are selected with careful reference to the job requirements. The salaries of the top management constitute too small a percentage of the expenditure of the Companies as to effect savings.

चाय व्यापार निगम द्वारा विदेशों में चाय की बिक्री

5452. श्री पी० राजगोपाल नायडु : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय व्यापार निगम विदेशों को चाय की बिक्री करता है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है; और

(ग) क्या निगम को लाभ हो रहा है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय चाय व्यापार निगम निम्नलिखित देशों को चाय निर्यात करता है :—

यूरोप :

ब्रिटेन, आयरलैण्ड, सोवियत संघ, पोलैण्ड, हंगरी, फ्रांस, बेल्जियम, हालैंड, पश्चिम जर्मनी, आस्ट्रिया, पुर्तगाल, इटली, यूनान, स्वीडन, नार्वे तथा फिनलैण्ड ।

पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देश :

अफगानिस्तान, मस्कट, दुबाई कुवैत, अरब का मिस्र गणराज्य, साउदी अरब, ईरान, इराक, जोर्डन, लीबिया, ट्यूनीशिया तथा सूडान ।

सुदूर पूर्व :

जापान, हांगकांग

संयुक्त राज्य अमरीका तथा कनाडा :

सं० रा० अमरीका तथा कनाडा ।

(ग) जी, हां ।

इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड

5453. श्री पी० राजगोपाल नायडु : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसानों के इण्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड में शेयर मौजूद हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : इण्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर को-आपरेटिव लि० में किसानों के व्यक्तिगत रूप से हिस्से नहीं होते, किन्तु उसमें किसानों की कृषि सहकारी समितियों के हिस्से होते हैं।

राज्यों को राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से सहायता

5454. श्री पी० राजगोपाल नायडु : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उद्योग के विकास और सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिये राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से समान आधार पर सहायता मिलती है और इस स्थिति के कारण राज्य सरकारें इसका पूरा लाभ नहीं उठा सकतीं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार किसी यूनिट को सहायता के 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों द्वारा देने की इस शर्त में ढील देने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा हथकरघा उद्योग के विकास और सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिये अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत भिन्न-भिन्न प्रतिमानों के आधार पर सहायता दी जाती है, जैसाकि संलग्न विवरण [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-869/77] में दिया गया है। अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने अपने हिस्से की सहायता न दे पाने के कारण इन सहायता योजनाओं का लाभ उठाने में अपनी असमर्थता व्यक्त नहीं की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, अहमदाबाद का कार्यकरण

5455. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही के सप्ताहों में स्टेट बैंक आफ इंडिया, अहमदाबाद के मुख्यालय में व्याप्त आन्दोलनों की ओर हड़ताल आदि जैसी अशान्त स्थिति की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार बैंक की स्थिति और कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि 15 जून, 1977 को उसकी अहमदाबाद शाखा के कुछ कामगार एक अधिकारी के कमरे में घुस गये और एक कर्मचारी को, एक विशेष दिन कार्यालय देर से आने और जल्दी चले जाने के कारण बैंक द्वारा छुट्टी के वास्ते आवेदन करने का ज्ञापन जारी करने के विरोध में चिल्लाना, गाली देना, और गुण्डागर्दी करना आरम्भ कर दिया जिसमें अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करना शामिल है। अपराधी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की दृष्टि से बैंक द्वारा कराई जा रही जांच के दौरान अधिकारी संघ ने

उन कर्मचारियों को तत्काल निलम्बित करने की मांग की जो उनके साथी के साथ दुर्व्यवहार में शामिल थे। अहमदाबाद में बैंक के अधिकारियों ने 16 जून, 1977 को सामूहिक रूप से आकस्मिक छुट्टी भी ली।

आवश्यक जांच पूरी करने के बाद बैंक के अहमदाबाद के स्थित स्थानीय मुख्य कार्यालय ने एक कर्मचारी को निलम्बित कर दिया है। निलम्बित कर्मचारी सहित 6 कर्मचारियों को दुर्व्यवहार करने के कारण आरोप पत्र भी जारी किये गये हैं बैंक उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार कर रहा है जो अवैध तरीके से अपने काम से गैर हाजिर रहे।

भारतीय स्टेंट बैंक ने आगे सूचित किया है कि अब अहमदाबाद में स्थिति सामान्य है।

भारतीय हस्तकला वस्तुओं का निर्यात

5456. **श्री पी० जी० मावलंकर : क्या वाणिज्य तथा नागरिक और पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हस्तकला वस्तुओं का निर्यात होता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974, 1975 तथा 1976 के दौरान विदेशों को बेची गई ऐसी वस्तुओं संबंधी मुख्य व्यौरा क्या है, ये वस्तुएं किन-किन देशों को बेची गई और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ;

(ग) क्या कच्छ (गुजरात) से भी हस्तकला वस्तुओं का निर्यात होता है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) हस्तशिल्प वस्तुओं के वस्तुवार तथा देशवार निर्यात संलग्न विवरणों में दिखाये गये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) कच्छ की मुख्य हस्तशिल्प वस्तुएं निम्नोक्त हैं :

(1) बंधानी (गांठ लगाकर की गई रंगाई)

(2) कशीदाकारी

(3) कच्छ का काम (चांदी/सोने के आभूषण)

(4) हाथ ही छपाई (बाटिक)

(5) अजक चित्रकारी (वस्त्रों की हाथ की छपाई की एक अन्य किस्म)

(6) रोगन से छपाई (रोगन की छपी हुई वस्तुओं का उपयोग मुख्यतः मेजपोश पर्दे आदि के रूप में किया जाता है।

राज्य वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण I

1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान हस्तशिल्प के सामान (रत्न एवं आभूषण छोड़कर) के निर्यात का विवरण

(लाख रु० में)

क्र०	मद	1974-75	1975-76	1976-77 (अनन्तिम)
1.	ऊनी कालीन, गलीचे तथा दरियां जिनमें नमदे शामिल हैं	3611.19	4142.96	6143.63
2.	धातु की कलात्मक वस्तुएं	1570.35	1701.08	2634.18
3.	लकड़ी की वस्तुएं . .	684.10	619.06	776.26
4.	हाथ की छपाई वाले वस्त्र और स्कार्फ . . .	822.96	1024.05	2144.23
5.	कृत्रिम आभूषण .	464.56	536.71	453.26
6.	कलात्मक शाल . .	22.24	33.11	119.85
7.	जरी . . .	268.79	401.08	408.60
8.	हाथी दांत का काम . .	50.92	74.13	134.54
9.	सूती कालीन, गलीचे तथा दरियां आदि . .	192.87	337.91	414.41
10.	कशीदे की वस्तुएं . .	184.51	221.39	219.12
11.	हस्तशिल्प की विविध वस्तुएं .	1365.45	1864.55	2769.52
	योग . .	9237.94	10956.03	16217.60

विवरण II

1974-75 तथा 1975-76 वर्षों के लिये मुख्य देशों को किये गये हस्तशिल्प वस्तुओं (रत्न एवं आभूषण छोड़ कर) के निर्यात दर्शाने वाला विवरण।

(लाख रु० में)

क्र०	देश	1974-75	1975-76	1976-77
1	2	3	4	5
1.	बेल्जियम-लक्समबर्ग .	177.26	196.34	इस अवधि के दौरान किए गये निर्यात का देशवार ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है।
2.	फ्रांस . .	255.21	330.39	
3.	प० जर्मनी . .	1837.97	2579.87	
4.	इटली . .	252.90	251.21	
5.	नीदरलैंड . .	189.60	226.16	
6.	डेनमार्क . .	153.55	175.19	
7.	स्वीडन . .	167.20	213.31	
8.	स्विटजरलैंड . .	123.83	237.64	
9.	ब्रिटेन . .	640.29	702.97	

1	2	3	4	5
10.	सोवियत संघ	231.20	221.36	
11.	ग्रस्ट्रेलिया	289.88	277.17	
12.	हांगकांग	35.56	23.40	
13.	जापान	263.55	242.44	
14.	मलयेशिया	22.15	30.74	
15.	सिंगापुर	112.19	139.61	
16.	ग्रदन	7.18	4.52	
17.	कुवैत	71.88	111.62	
18.	लैबनान	32.78	25.15	
19.	सऊदी ग्ररब	330.55	668.93	
20.	सं० रा० ग्रमरीका	2427.34	2303.28	
21.	कनाडा	352.34	343.58	
22.	ग्रन्य देश	1192.22	1558.80	
		9166.63	10863.68	
	हस्तशिल्प वस्तुएं जिनके लिए देशवार व्यौरा उपलब्ध नहीं है ।	71.31	92.35	
	महा योग :	9237.94	10956.03	

दिल्ली-मद्रास के बीच सीधी उड़ान सेवा

5457. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **पर्यटन ग्रौर नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयरलाइन्स ने दिल्ली मद्रास के बीच सीधी उड़ान सेवा बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; ग्रौर

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में किसी उपयुक्त समय से सीधी उड़ान सेवा फिर से चालू करने का है?

पर्यटन ग्रौर नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। दिल्ली-मद्रास की सीधी उड़ान ग्राई० सी०-439/440 का 4 जुलाई, 1977 से प्रतिदिन नागपुर के मार्ग से परिचालन किया जाता है।

(ख) नागपुर को दिल्ली तथा मद्रास के साथ प्रतिदिन विमान सेवा द्वारा जोड़ने की निरंतर मांग को दृष्टि में रखते हुए इंडियन एयरलाइंस ने नागपुर में एक मध्यवर्ती विराम (स्टॉप) चालू करना परिचालन के दृष्टिकोण से व्यवहार्य पाया। नागपुर में दिल्ली तथा मद्रास के लिये चढ़ने तथा उतरने वाले ग्रतिरिक्त यातायात को इस उड़ान पर स्थान दिया जा सकता है।

(ग) इसकी जांच इस मार्ग पर वास्तविक यातायात के परिणाम को दृष्टि में रखते हुए यथासमय की जायेगी।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में जनसम्पर्क अधिकारी

5458. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाए जा रहे पांच स्टार वाले विभिन्न होटलों में जनसम्पर्क अधिकारी होते हैं।

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या, नाम, योग्यताएं तथा अन्य सम्बद्ध विवरण क्या हैं ;

(ग) क्या अब तक के अनुभव के अनुसार इन होटलों में उक्त जनसम्पर्क अधिकारी प्रणाली का जारी रहना ठीक है ; और

(घ) यदि हां, तो उपलब्ध हुए परिणामों तथा लाभों की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम के 15 होटलों में से, 12 होटल 5-स्टार से कम स्तर की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। शेष तीन होटलों में से, केवल नई दिल्ली के अशोक होटल को ही 5-स्टार डीलक्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा नई दिल्ली का अकबर होटल और बंगलौर का होटल अशोक, यद्यपि उन्हें अभी-5 स्टार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, 5-स्टार के स्तर की ही सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इन तीन होटलों में, जनसम्पर्क अधिकारियों के पद हैं। बंगलौर के होटल अशोक में यह पद खाली है तथा उसको विज्ञापित किया हुआ है। नई दिल्ली के अशोक तथा अकबर होटलों में इन पदों पर कार्य कर रहे पदाधिकारियों के ब्यौरे संलग्न हैं।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त होटलों में जनसम्पर्क अधिकारी की प्रणाली की लाभप्रदता की जांच की जा रही है।

विवरण

नई दिल्ली के अशोक होटल तथा अकबर होटल में जन सम्पर्क अधिकारी के पदों पर कार्य करने वाले पदाधिकारियों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	नाम	अर्हताएं	पद संज्ञा	पद का वेतनमान	भा० प० वि० नि० में सेवारंभ की तारीख
1.	कुमारी अमृत कश्यप	दिल्ली विश्वविध्यालय से अंग्रेजी, इतिहास तथा दर्शन शास्त्र के साथ बी० ए०	अशोक होटल, नई दिल्ली में जन सम्पर्क अधिकारी	700—1300 रुपए	3-11-73
2.	कुमारी नय्यस मिर्जा	दिल्ली विश्वविद्यालय से बी० ए० एस आई टी ए (SITA) द्वारा आयोजित दो सप्ताह का पर्यटन संबंधी कोर्स तथा एयर इंडिया स्टाफ कॉलेज, बम्बई से उत्सवायोजन, टिकट विक्रय आरक्षण तथा वैगेज संबंधी चार सप्ताह का कोर्स किया है	अकबर होटल, नई दिल्ली में जन सम्पर्क अधिकारी	700—1300 रुपए	6-8-7

DEVELOPMENT OF SITA KUND AND RISHI KUND AS TOURIST CENTRES

5459. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether besides being places of pilgrimage, beautiful spots and places famous for fairs, hot water falls Sita Kund and Rishi Kund in Monghyr District are historically connected with Jagat Janani Sita; and

(b) if so, the measures proposed to be taken or the scheme being prepared in the Central Sector for the development of these places as tourist centres ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) and (b) While the importance of Sita Kund and Rishi Kund to pilgrims and other domestic tourists is appreciated, the development of tourist facilities at Bodhgaya, Rajgir and Nalanda in Bihar has been given priority in the Central Sector. There is, therefore, no proposal at present to develop facilities at Sita Kund and Rishi Kund in Monghyr District in the Central Sector.

PLACES WHICH FOREIGN TOURISTS ARE INTERESTED TO VISIT

5460. SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV : Will the Minister if TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the places in India which the foreign tourists are interested to visit; and

(b) what Government want to show to them ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUHIK) : (a) A list of places in India visited by international tourists compiled on the basis of the Foreign Tourists Survey, 1972-73 is given in the attached statement.

(b) While the major motivational factor of international tourists visiting India is our cultural heritage as represented by historical and archaeological monuments, efforts are being made to diversify our tourist attractions by developing beach and mountain resorts such as Kovalam, Goa and Gulmarg; selected wild life sanctuaries such as Bharatpur Bird Sanctuary, Kaziranga, Sasangir, Jaldapara, Kanha, Corbett National Park and Bandipur; as also places of religious importance such as selected Buddhist centres of Bodhgaya, Rajgir, Nalanda, Kushinagar and Sravasti.

STATEMENT

List of places in India generally visited by foreign tourists as per the Foreign Tourists Survey, 1972-73.

1. Delhi
2. Bombay
3. Agra
4. Madras
5. Calcutta
6. Banaras
7. Amritsar
8. Jaipur
9. Srinagar
10. Bangalore
11. Khajuraho
12. Tiruchirapally
13. Patna
14. Raxaul
15. Madurai

16. Goa
17. Mysore
18. Aurangabad
19. Cochin
20. Udaipur
21. Nagapatinam
22. Trivandrum
23. Chandigarh
24. Poona
25. Darjeeling
26. Rameshwaram
27. Pondicherry
28. Ahmedabad
29. Hyderabad
30. Mahabalipuram
31. Lucknow
32. Puri
33. Jammu
34. Cape Comorin
35. Pathankot
36. Ooty/Nilgiris
37. Phopal/Gwalior
38. imla/Kasauli
39. Hardwar/Rishikesh
40. Gaya.

विद्युत् चालित करघों का बना आयातित कपड़ा

5461. श्री आर० कोलनथाइवेलु : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत् चालित करघों का निर्यात के लिए बनाया गया कितना कपड़ा अनिर्यातित पड़ा है ;

(ख) कितने समय से इस स्टाक का निर्यात नहीं हुआ है ;

(ग) यह कपड़ा किस किस्म का है और उसमें से कितने प्रतिशत कपड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है ; और

(घ) विद्युत चालत करघे से बने कपड़े के निर्यात में राज्य व्यापार निगम ने ठीक-ठीक क्या भूमिका निभाई है ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) सरकार को शक्तिचालित करघे से बना निर्यात क्वालिटी का कपड़ा अनिर्यातित पड़ा होने की कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) शक्ति चालित करघे के कपड़े के निर्यात में राज्य व्यापार निगम की कोई भूमिका नहीं है ।

अनधिकृत विद्युत् चालित करघों के कारण सरकार की आय कम होना

5462. **श्री आर० कोलनथाइवेलु :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे भारत में और विशेषकर तमिलनाडु में विद्युत चालित करघों के कारखाने स्थापित करने के लिए परमिट की लागत कितनी है और उनसे सरकार को कितनी आय होती है ; और

(ख) भारत में और तमिलनाडु में क्रमशः अनाधिकृत विद्युत चालित करघों के कारण संबंधित आय में अनुमानतः कितनी हानि होती है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वस्त्र परमिट की फीस 100 रु० प्रति करघा है जो परमिट जारी होने के समय देनी होती है । देश में प्राधिकृत विद्युत करघों की संख्या 3.47 लाख है जिनमें से तमिलनाडु के करघों की संख्या 32,781 है । भारत सरकार की इस स्त्रोत से एक बार की आय 3.47 करोड़ रु० होगी । जिसमें से तमिलनाडु से होने वाली आय 32.78 लाख रु० होगी ।

(ख) चूंकि देश में अप्राधिकृत विद्युत करघों की संख्या 75,000 से एक लाख के बीच कितनी भी हो सकती है और वस्त्र आयुक्त के परमिट के बिना चल रहे इन विद्युत करघों के कारण 75 लाख रु० से एक करोड़ रु० के बीच अनुमानित हानि होती है । तमिलनाडु के बारे म अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

FIVE STAR HOTELS

5463. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the number of Five Star Hotels in the public sector at present;

(b) the profit earned by these hotels during 1975-76; and

(c) whether Government propose to construct some new Five Star Hotels ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK) : (a) In the public sector, there is at present one hotel which has been classified as 5-Star Deluxe. However, there are three other hotels which, although yet to be classified, offer facilities of the 5-star category.

(b) During 1975-76, 3 hotels belonging to the India Tourism Development Corporation earned a profit of Rs. 103.66 lakhs while the fourth one belonging to the Hotel Corporation of India, though it earned an operating profit of Rs. 1.93 lakhs, suffered a loss of Rs. 127.61 lakhs after providing for depreciation and interest.

(c) The construction of new 5-star hotels will be considered depending upon the marketing requirements and subject to satisfactory feasibility studies, availability of financial resources and other Government priorities.

PROMOTION OF TOURISM IN RAJASTHAN

5464. SHRI S. S. SOMANI : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) the amount of assistance provided to the Rajasthan Government by the Central Government for the promotion of tourism there from June, 1973 to 30th June, 1976;

(b) whether Government have investigated the cause which hampered the development of tourism in the State; and

(c) whether Government have any special scheme to develop Chittorgarh as a place of tourist attraction because of its historical importance ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUSIK) : (a) Amount of Rs. 32,73,289 has been incurred by the Central Department of Tourism towards the development of tourist facilities in Rajasthan during the period June 1973 to June 1976.

(b) The State Government and the Central Department of Tourism jointly sponsored during 1976 a tourism potential survey of Rajasthan. According to the findings of the Tourism Survey, the factors which hamper the development of tourism in the State are lack of tourist infrastructure and inadequate promotion.

(c) Following the recommendations of the Tourism Survey Team, the State Government is actively considering proposals (a) to provide a canteen with toilet facilities at Chittorgarh; (b) to provide conducted coach tours to and within the Fort; and (c) to explore the possibility of operation of fast trains between Delhi-Jaipur-Chittorgarh-Udaipur.

CLOSURE OF SPINNING AND TEXTILE MILLS IN U.P.

5465. SHRI RAM PRASAD DESHMUKH : Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION be pleased to state :

(a) the total number and the names of spinning and textile mills closed in Uttar Pradesh and the number of spindles therein;

(b) the number of workers rendered jobless as a result of closure of these mills; and

(c) whether Government propose to provide jobs to those workers ?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (SHRI MOHAN DHARIA) : (a) to (c) One cotton textile mill, namely J K Manufacturers Ltd., Kanpur, is lying closed rendering 25,780 spindles and 189 looms idle and about 2,276 workers jobless. The Government of U.P. is making efforts towards re-starting of the mills so that workers are able to go back to the work.

पटसन मिलों से होने वाली हड़तालों के विषय पर त्रिपक्षीय बैठक

4466. **श्रीमती बी० जयलक्ष्मी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग में होने वाली हड़तालों के विषय पर कलकत्ता में त्रिपक्षीय बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें पटसन मिलों के बन्द होने को रोकने के लिए क्या निर्णय किए गए थे?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) कच्चे पटसन की कमी से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में वाणिज्य मंत्री ने 3 जुलाई, 1977 को कलकत्ता में पटसन उद्योग, श्रमिकों तथा पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में निम्नोक्त मुख्य निर्णय लिए गए :

(i) पटसन मिलों के सामूहिक रूप में बंद किए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) वर्तमान कच्चे पटसन की सप्लाई-स्थिति का अध्ययन करने तथा उसके बारे में उपायों की सिफारिश करने के लिए पटसन आयुक्त की अध्यक्षता में तत्काल एक समिति गठित की जाएगी। समिति के सदस्यों में उद्योग श्रमिकों तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

(iii) पटसन आयुक्त से पटसन लाइसेंसिंग तथा नियंत्रण आदेश के अधीन तत्काल एक नोटिस जारी करने के लिए कहा गया था जिसमें कच्चे पटसन के सभी स्टाक-धारियों से यह कहा गया था कि वे 48 घंटे के भीतर अपने स्टाक उनके समक्ष प्रकट करें। इस आदेश का किसी भी प्रकार का उल्लंघन तथा झूठी जानकारी देने वाले के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन सख्ती से निपटा जाएगा। राज्य सरकारों से सभी आवश्यक सहायता देने के लिए कहा गया है।

(iv) राज्य सरकार इस बात पर भी सहमत है कि वह ऊर्जा नियंत्रण आदेश से छूट के लिए अलग-अलग मिलों से मिलने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेगी और जो छूट पहले ही दी जा चुकी है उन्हें तत्काल वापिस ले लिया जाएगा।

(v) पटसन उद्योग के विकास से सम्बन्धित सभी मसलों पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरका ों से निकट समन्वय बनाए रखकर कार्य करेगी।

(vi) कच्चे पटसन तथा पटसन माल की उपलब्धता के अद्यतन आंकड़े एकत्र करने के लिए सरकारी स्तर पर एक प्रभावकारी कार्य प्रणाली तैयार की जाएगी। पटसन आयुक्त द्वारा रखे जाने वाले य आंकड़े सभी सम्बद्धों के लिए जानकारी हेतु होंगे।

ट्रैवल एजेंटों की विदेशी मुद्रा की आय

5467. **श्री ओम् प्रकाश त्यागी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान देश में सबसे बड़े दस ट्रैवल एजेंटों की विदेशी मुद्रा की आय कितनी थी ; और

(ख) इन वर्षों में इन एजेंटों को यात्रा करने, प्रचार करने, अन्य देशों में कार्यालयों के संवर्धन और खोले जाने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और ख) कलैण्डर वर्ष 1975 तथा 1976 के दौरान देश मे दस सबसे बड़े यात्रा अभिकर्ताओं की विदेशी मुद्रा की आय की राशि तथा वित्तीय वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान उन्हें विदेशों में यात्रा, प्रचार तथा प्रोत्साहन के लिए विमोचित की गयी विदेशी मुद्रा को दर्शाने वाले विवरण संलग्न हैं। वर्ष 1977 से संबंधित सूचना केवल चालू वर्ष की समाप्ति पर ही उपलब्ध होगी। विदेशों में कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक सीधे ही यात्रा अभिकर्ताओं को विदेशी मुद्रा का विमोचन करता है।

विवरण

कलेंडर वर्ष 1975 के दौरान भारत में दस सबसे बड़े यात्रा अभिकरणों की विदेशी मुद्रा की आय तथा वर्ष 1975-76 के दौरान विदेशों में यात्रा, प्रचार तथा प्रोत्साहन के लिए विमोचन की गयी विदेशी मुद्रा को दर्शाने वाला विवरण।

(आंकड़े रुपयों में)

यात्रा अभिकरण का नाम	1975 के दौरान अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा	1975-76 के दौरान विदेशों में यात्रा, प्रचार तथा प्रोत्साहन के लिए आबंटित विदेशी मुद्रा
1. सीता वर्ल्ड ट्रैवल्स (आई०) प्रा० लि०, नई दिल्ली।	3,10,47,670	1,55,904
2. ट्रैवल कारपोरेशन (आई०) प्रा० लि०, बम्बई।	2,00,24,226	2,84,778
3. थॉमस कुक्स ओवरसीज़, बम्बई।	1,58,24,591	29,283
4. मर्करी ट्रैवल्स (आई०) लि०, नई दिल्ली।	89,73,288	90,291
5. ट्रेड विंग्स लि०, बम्बई।	83,90,666	75,080
6. मैकीनन्स ट्रैवल सर्विस, बम्बई।	46,85,275	76,960
7. इंडट्रैवल्स, बम्बई।	27,61,521	19,997
8. कॉक्स एण्ड किंग्स एजेन्टस लि०, बम्बई।	26,73,127	57,593
9. ऐम्बैसडर ट्रैवल्स प्रा० लि०, नई दिल्ली।	25,13,804	36,269
10. साहा एण्ड रॉय ट्रैवल्स प्रा० लि०, नई दिल्ली।	19,96,129	16,910

विवरण

कैलेंडर वर्ष 1976 के दौरान भारत में दस सबसे बड़े यात्रा अभिकरणों की विदेशी मुद्रा की आय तथा वर्ष 1976-77 के दौरान विदेशों में यात्रा, प्रचार तथा प्रोत्साहन के लिए विमोचन की गयी विदेशी मुद्रा को दर्शाने वाला विवरण।

(आंकड़े रुपयों में)

यात्रा अभिकरण का नाम	1976 के दौरान अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा	1976-77 के दौरान विदेशों में यात्रा, प्रचार तथा प्रोत्साहन के लिए आबंटित विदेशी मुद्रा
1	2	3
1. ट्रैवल कारपोरेशन (आई०) प्रा० लि०, बम्बई।	4,18,16,857	2,85,573
2. सीता ट्रैवल्स (आई०) प्रा० लि०, नई दिल्ली।	3,74,50,864	1,98,055

1	2	3
3. अमेरिकन एक्सप्रैस, बम्बई ।	3,74,19,836	5,081
4. थॉमस कुक ओवरसीज़, बम्बई ।	2,21,28,641	21,493
5. मर्करी ट्रैवल्स, प्रा० लि०, नई दिल्ली	1,23,13,400	1,17,394
6. ट्रेड विंग्स लि०, बम्बई ।	1,18,91,000	1,52,465
7. मैकीनन्स ट्रैवल्स सर्विस, बम्बई ।	1,05,07,842	73,021
8. कॉक्स एण्ड किंग्स (एजेण्ट्स) लि० बम्बई ।	49,47,151	72,071
9. इंडट्रैवल्स, बम्बई. ।	41,22,595	43,615
10. इंडियाना ट्रैवल्स एण्ड टूर्स, नई दिल्ली ।	40,10,038	शून्य

जम्मू तथा कश्मीर में पुंछ और राजोरी के लिए विमान सेवायें

5468. **श्री बलदेव सिंह जसरोथा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर में विमान सेवाओं की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अधिक मार्गों और उड़ानों की व्यवस्था करने हेतु कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू तथा कश्मीर में पुंछ तथा राजोरी के लिए विमान सेवाएं आरंभ करने के प्रस्ताव पर भी मंत्रालय गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां । इंडियन एयरलाइंस की जम्मू तथा श्रीनगर के बीच 1978 के ग्रीष्मकाल के दौरान प्रति सप्ताह चार शटल उड़ाने परिचालित करने की योजनाएं हैं ।

(ख) जी नहीं ।

बिड़ला बन्धुओं पर करों की बकाया राशि

5469. **श्री कुकम देव नारायण यादव :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला परिवार पर आय-कर, धन-कर, उपहार कर और सुपरकर की राशि कब से बकाया है और इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की बकाया राशि संबंधी ब्यौरा कब से एकत्र किया जा रहा है और अब तक एकत्र किए गए आकड़ों के अनुसार इस मद में कितनी राशि बकाया है और इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 23-7-77 की स्थिति के अनुसार बिड़ला परिवार के जिन सदस्यों की ओर इस प्रकार के कर बकाया थे उनके नाम तथा अन्य सम्बन्धित सूचना अनुबन्ध में दी गई है ।

(ख) 31-12-76 तक बिड़ला समूह की कम्पनियों की तरफ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की 1.21 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी । ये रकमें वसूल नहीं की जा सकीं क्योंकि सम्बन्धित मामलों

में अपील अथवा पुनरीक्षण याचिका दायर की गई अथवा ये मामले न्यायालयों द्वारा दिये गये स्थगन-आदेशों के कारण रुके पड़े रहे अथवा ऐसे रिकार्ड के उपलब्ध नहीं होने के कारण रुके पड़े रहे जो कुछ मामलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा माँगे गये हैं।

सीमा शुल्क के सम्बन्ध में ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सदन-पटल पर रख दिया जायगा

विवरण

निर्धारिती का नाम	हैसियत	बकाया मांग का नाम	बकाया मांग की रकम (हजार रुपयों में)	वित्तीय वर्ष, जिसमें मांग जारी की गयी थी।	इस रकम को वसूल करने के लिए की गयी कार्रवाई
श्रीमती सुशीला देवी बिड़ला	व्यष्टि	आयकर	71	1973-74	इन सभी मागों के विरुद्ध अपील की गई है इसलिये इनकी वसूली स्थगित कर दी गई है।
श्री एम० एम० बिड़ला	यथोपरि	यथोपरि	80	1976-77	
श्री ए० वी० बिड़ला	यथोपरि	यथोपरि	52	1976-77	
श्री ए० के० बिड़ला	यथोपरि	यथोपरि	125	1976-77	
श्रीमती रुक्मणी देवी बिड़ला	यथोपरि	यथोपरि	46	1976-77	
श्री जी० पी० बिड़ला	यथोपरि	यथोपरि	129	1976-77	
एस० के० एस० के० बिड़ला	हिन्दू अविभाजित परिवार	यथोपरि	105	1973-74	
श्रीमती प्रियम्बदा बिड़ला	व्यष्टि	धनकर	4	1976-77	

टिप्पणी : इस विवरण पत्र में कर की वे मांगें शामिल नहीं हैं जो बिड़ला परिवार के कुछ सदस्यों के संबंध में किये गये कुछ कर-निर्धारण के मामले में जारी की गई थीं लेकिन जिनके सम्बंध में कर-निर्धारितियों को अभी तक कर-निर्धारण आदेश तथा मांग नोटिस जारी नहीं किये गये है क्योंकि कर-निर्धारितियों द्वारा दायर की गई रिट-याचिकाओं के कारण उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर रखे हैं। अतः ऐसी मांगे अभी तक अदायगी योग्य नहीं हुई हैं।

अम्बाला के लिये विमान-उड़ानें

5470. **श्री सूरज भान** :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा का कोई भी शहर अभी तक इंडियन एयरलाइन्स के नक्शे में नहीं है ;

(ख) क्या दिल्ली से अम्बाला जाने और वहां से वापिस आने की उड़ान आरम्भ करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या दिल्ली-अमृतसर-श्रीनगर जाने और वहां से वापिस आने के हवाई मार्ग में अम्बाला म विमान ठहरने की व्यवस्था करने का विचार है जहाँ पूरी सुविधाओं वाला हवाई अड्डा है और चण्डीगढ़ की तरह सिविल एन्क्लेव विकसित किया जा सकता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) : जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर विमान सेवा के लिए दिल्ली-अम्बाला सक्टर बहुत छोटा है। इसके अतिरिक्त, इन दोनों शहरों के बीच काफ़ी अच्छी भू-परिवहन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

(ग) जी, नहीं। दिल्ली-अमृतसर-श्रीनगर विमान सेवा पर अम्बाला में एक अतिरिक्त विरामस्थान (हॉल्ट) बना देने से खर्चा बढ़ जाएगा तथा इस सेवा की आर्थिक आत्मनिर्भरता में भी कमी आएगी।

पश्चिम बंगाल से इंजीनियरी की वस्तुओं के निर्यात में कमी

5471. **श्री उग्रसेन :**

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल से किए जाने वाले इंजीनियरी की वस्तुओं के निर्यात की प्रतिशतता में हाल ही में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भिवंडी में विद्युत्त चालित करघा उद्योग की शिकायतों के बारे में अभ्यावेदन

5472, **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिवंडी (महाराष्ट्र) में विद्युत्त चालित करघा उद्योग की शिकायतों के बारे में मंत्री महोदय से हाल ही में अभ्यावेदन किया गया है और उन्हें ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या विशेष शिकायतें की गई हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। स्माल पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन लि०, भिवंडी द्वारा सूती विद्युत्त चालित करघों के सम्बन्ध में एक ज्ञापन, दिनांक 29-6-77, प्रस्तुत किया गया है।

(ख) तथा (ग) विशिष्ट सुझाव तथा शिकायतें इनसे सम्बन्धित हैं ; मिल क्षेत्र की तुलना में विद्युत्त चालित क्षेत्र का पर्याप्त संरक्षण, समुचित कीमतों पर धागे की अपेक्षित मात्रा की व्यवस्था सहकारी समितियां तथा एसोसिएशनों को वित्तीय सहायता, छोटे एककों की सहायता करने के लिए

तकनीकी अर्न्तर्निविष्ट साधनों की व्यवस्था, अखिल भारतीय विद्युत्त चालित करघा जांच समिति की सिफ़ारिशों का क्रियान्वयन करना, अप्राधिकृत विद्युत्त चालित करघों को नियमित करना तथा विद्युत्त चालित करघों पर नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन।

सरकार यथार्थ शिकायतों को दूर करने के लिए सभी संभव कदम उठा रही है।

भारत को ब्रिटेन से सहायता

5473. **श्री जी० एम० बनतवाला : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की यात्रा पर आई ब्रिटेन की ओवरसीज डैवेलपमेंट मंत्री से भारत को ब्रिटेन से प्राप्त आर्थिक सहायता के प्रभावकारी और शीघ्र उपयोग में कठिनाइयों के बारे में हाल में विचार-विमर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? और

(ग) इस मामले में यदि कोई करार अथवा समझौता हुआ है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्रिटेन की ओवरसीज डैवेलपमेंट मंत्री से विचार-विमर्श के दौरान ब्रिट्रेन से प्राप्त सहायता का अधिक उपयोग करने के संबंध में विभिन्न उपायों पर विचार किया गया था और यह समझौता हुआ कि आने वाले वर्षों में ब्रिटेन से मिलने वाली सहायता का प्रभावकारी और शीघ्र उपयोग करने के लिए ऐसी उपयुक्त बड़ी परियोजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के वास्ते संयुक्त रूप से कार्रवाई की जाएगी जो ब्रिटिश परियोजना सहायता की बड़ी रकम का किफ़ायतशारी से उपयोग कर सकें ; ताकि ब्रिटिश सहायता के अन्य तत्वों से मिलने वाली रकमों सहित, भुगतानों का स्तर उस सहायता के बराबर हो जाए जो ब्रिटेन आने वाले अगले 3 अथवा 4 वर्षों में देना चाहता है। ब्रिटेन की ओवरसीज डैवेलपमेंट मंत्री कुछ चुने हुए क्षेत्रों की विशिष्ट परियोजनाओं जैसे परिवार कल्याण, बारानी खेती परियोजनाओं, मीन उद्योग परियोजनाओं की स्थानीय लागत की वित्त व्यवस्था पर विचार करने के लिए भी सहमत हो गई हैं। हमारा यह भी इरादा है कि ब्रिटिश आर्थिक सहायता के प्रभावकारी और शीघ्र उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटेन से भारी मात्रा में औद्योगिक कच्चा माल और/अथवा मध्यवर्ती वस्तुएं खरीदने की योजना पहले से ही तैयार कर लें।

अशोक होटल नयी दिल्ली का मेडिकल आफिसर

5474. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली स्थित अशोक होटल के एक मेडिकल आफ़िसर ने होटल में ठहरी एक आस्ट्रेलियाई महिला से उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए 4000 रुपये लिये थे;

(ख) क्या उक्त मेडिकल आफ़िसर ने राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में आये अनेक विदेशी प्रतिनिधियों से इसी प्रकार बहुत अधिक परामर्श-शुल्क लिया था; और

(ग) यदि हां तो इस भ्रष्ट रवैये को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) :

(क) : अक्तूबर, 1975 में, श्रीमती हैज़ल विल्सन नामक एक आस्ट्रेलियाई महिला ने, जो कि अशोक होटल में नहीं ठहरी हुई थी बल्कि अपने एक मेहमान को देखने के लिए होटल गयी थी, भारत पर्यटन विकास निगम से शिकायत की थी कि अशोक होटल के चिकित्सा अधिकारी ने, जिन्होंने होटल परिसर में उनकी टांग में फ्रैक्चर हो जाने पर उनका इलाज किया था, टांग को सेट व प्लस्तर करने तथा उसका एक्स-रे लेने के लिए उनसे 4,000/- रुपए चार्ज किए थे ।

(ख) लोक सभा के भूतपूर्व महा सचिव श्री एस० एल० शकधर को भी राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में आए कुछ प्रतिनिधियों से (जो अकबर होटल में ठहरे हुए थे) शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि चिकित्सा अधिकारी ने उनसे बहुत अधिक परामर्श फ़ीस चार्ज की थी ।

(ग) फ़रवरी, 1968 में जब उनकी नियुक्ति हुई तो, चिकित्सा अधिकारी को वेतन तथा सामान्य भत्तों के अलावा उनके वेतन का 50% 'नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता' भी मंजूर किया गया था । उनके प्रतिवेदन पर, उन्हें जून, 1975 में इस शर्त पर निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गयी थी कि उनका 'नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता' बन्द कर दिया जायेगा तथा वे निजी प्रैक्टिस अपने ड्यूटी के समय से बाहर करेंगे । चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधिक फ़ीस चार्ज करने संबंधी शिकायत को दृष्टि में रखते हुए, उन्हें प्रदान की गयी निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति जनवरी, 1977 में वापस ले ली गयी ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध शिकायतों की जांच की है । उनकी रिपोर्ट विचाराधीन है ।

BRINGING OUT OF MANUALS, CODES AND RULES AND REGULATIONS IN HINDI IN THE MINISTRY OF FINANCE

5475. SHRI MOHAN LAL PIPIL : Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state :

(a) whether in accordance with official language policy it is proposed to bring out manuals, codes, rules and regulations of his Ministry in Hindi also; and

(b) if so, the number of those out of them available in Hindi and the reasons for not bringing out the remaining ones in Hindi so far ?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL) : (a) Yes, Sir.

(b) 38 manuals, codes, rules and regulations are already available in Hindi. 67 more manuals etc. are in various stages of translation and printing.

आयकर अधिकारियों द्वारा ब्लड बैंक आर्गनाइजेशन पर छापा मारना

5476. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने दिसम्बर, 1976 में ब्लड बैंक आर्गनाईजेशन पर छापा मारा था ;

(ख) क्या ब्लड बैंक ने कोई आयकर नहीं दिया यद्यपि यह प्रति वर्ष लाखों रुपयों का लाभ कमा रहा था ;

(ग) क्या सरकार और दिल्ली प्रशासन को जाली लेखे रखने तथा दोहरी बहियां रखने के बारे में ब्लड बैंक आर्गनाईजेशन के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई हैं ;

(घ) क्या बैंक के मुख्य निदेशक डा० विनोद बिहारी लाल ने भी पूरा आयकर नहीं दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त बैंक तथा इसके मुख्य निदेशक के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा विभाग द्वारा मारे गए छापे का क्या परिणाम निकला ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एम० एम० पटेल) : (क) नई दिल्ली में 4-पूसा रोड स्थित ब्लड बैंक आर्गेनाइजेशन के परिसरों में आयकर अधिनियम की धारा 132 के अन्तर्गत तलाशी लेने तथा अभिग्रहण की कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 133-ए के अन्तर्गत ब्लड बैंक आर्गेनाइज़ेशन के परिसरों का दिसम्बर, 1976 में सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) ब्लड बैंक आर्गेनाइज़ेशन ने अब तक आयकर अदा नहीं किया है। भिन्न-भिन्न वर्षों में अर्जित आय का पता लगाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) डा० विनोद बिहारी लाल ने कर-निर्धारण वर्ष 1964-65 के बाद आय की विवरणियां दाखिल नहीं की थीं। विभागीय नोटिसों के उत्तर में, डा० लाल ने कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 से 1976-77 तक के लिए आय-विवरणियां दाखिल की हैं। मामले की जांच की जा रही है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि उन्हें कोई कर अदा करना है अथवा नहीं।

(ङ) ब्लड बैंक आर्गेनाइज़ेशन के परिसरों का अधिनियम की धारा 133-ए के अन्तर्गत दिसम्बर, 1976 में किये गये सर्वेक्षण-कार्य के परिणामत: कुछ खाता-बहियां कब्जे में ले ली गईं।

ब्लड बैंक आर्गेनाइज़ेशन और इसके मुख्य निदेशक के मामलों में विभिन्न कर-निर्धारण वर्षों के लिए कर-निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। मामलों की जांच की जा रही है।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा विदेश धन भेजना

5477. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम के 1975 के संतुलन पत्र में 3.76 करोड़ रुपए मुख्यालय खर्च और 95 लाख रुपए धन विदेश भेजने के लिए लाभ के शीर्ष में दिखाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि विदेश भेजे जाने के लिए 4.71 करोड़ रुपयों की राशि की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब 80 प्रतिशत फार्मूला के अन्तर्गत अपेक्षित मात्रा में निर्यात किया जाये ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बकाया राशि का सरकार का किस प्रकार निपटान करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) :(क) जी, हां।

(ख) कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा विदेश भेजे जाने के लिए केवल उतनी ही राशि की अनुमति दी जाएगी जितनी राशि की अनुमति निर्धारित फार्मूला के अन्तर्गत दी जा सकती है।

(ग) : यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

DEVELOPMENT OF TOURISM IN KARNATAKA

5476. SHRI K. LAKKAPPA : Will the Minister of TOURIM AND CIVIL AVIATION be pleased to state :

(a) whether Government have received any schemes from Government of Karnataka for making the state more attractive from tourism point of view;

(b) if so, the reasons for not according approval thereon so far; and

(c) the efforts being made by Government for making Karnataka more attractive to tourists ?

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (SHRI PURUSHOTTAM KAUHIK) : (a) Only one proposal has recently been received from the Government of Karnataka requesting financial assistance for the development of Bannerghatta National Park near Bangalore.

(b) This scheme was not accorded approval as the Central Department of Tourism has already two other schemes in Karnataka for developing facilities in the Wild Life sanctuaries at Dandeli and Bandipur.

(c) Besides the facilities provided at various tourist centres in Karnataka in previous Plan periods, the following schemes have been taken up in the Central Sector in the Fifth Plan :—

DEPARTMENT OF TOURISM

(i) Completion of the forest lodge at Dandeli;

(ii) Construction of a forest lodge at Bandipur; (site selection in progress)

(iii) Construction of a youth hostel at Mysore;

(iv) Preparation of Master Plans of Badami, Pattadkal Aihole and Hampi for ensuring their regulated growth and effecting environmental improvement in the area surrounding the monuments at these places. (work in progress).

INDIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION

(i) Expansion of the Asoka Hotel at Bangalore. (completed)

(ii) Renovation of the Lalitha Mahal Palace, at Mysore for operating as a hotel (completed).

(iii) Expansion of the Lalitha Mahal Palace, Mysore by addition of 30 rooms. (proposed).

In addition, ITDC has also enlarged its motel at Hassan which is the base for visiting the Hoysala temples at Belur and Halebid. It has also based a transport unit consisting of imported cars, Ambassador cars and coaches at Bangalore to facilitate tourists in their local sight-seeing and for visits to other places of tourist interest in the State.

The Central Department of Tourism has brought out the following tourist literature and films which cover major tourist centres in Karnataka, and which are widely distributed abroad for publicising the tourist attractions :—

Statement

Titles	Languages
(1)	(2)
I. **Folders :**	
1. Karnataka	English/French/German/Spanish/ Italian.
2. This is India . .	English/French/German/Spanish/Italian/ Arbic/Persian.
3. Discover Madras and the South .	English/French/German/Spanish/Italian
4. Discover India	English/French/German/Spanish/Italian
5. Wild Life	English.
6. Museums and Art Galleries .	English.
7. India the Right Place-Tourist Map .	English.
8. Fairs & Festivals . . .	English/French/German/Spanish Italian.
II. **Inserts :**	
1. North Karnataka	English.
2. South Karnataka	English.
3. South-Hill Resorts	English.
4. Periyar-Madumalai Bandipur-Ranganathittoo Vedanthangal	English.
III. **Posters :**	
1. Mysore	
IV. **Films :**	
1. Holiday in India.	
2. Holiday in South in India.	
3. Our Southern Home Land.	

मशीनरी का आयात

5479. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार ने मशीनरी के आयात को उदार बनाने के लिए कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) 1977-78 की आयात नीति का जो एलान किया गया उसम मशीनरी के लिए आयात नीति भी शामिल है। यह नीति पिछली अवधियों की नीति के मुकाबले कई बातों में अधिक उदार है। इसके ब्यौरे 27 अप्रैल, 1977 को प्रकाशित आयात नीति सम्बन्धी दस्तावेजों में दिये गये हैं। इस नीति में और आगे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

राज्यों को विशिष्ट योजना सहायता

5480. **श्री के० लकप्पा : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए विशिष्ट योजना सहायता देने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : राज्यों को राज्य आयोजनागत परियोजनाओं के संबंध में विश्व बैंक/ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के संवितरणों के 15 से 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पहले से ही दी जा रही है। अब यह प्रस्ताव है कि जारी और नई परियोजनाओं के संबंध में 1978-79 के लिए ऐसे संवितरणों के 70 प्रतिशत तक की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दे दी जाए ।

चाय बोर्ड के कार्यकरण के लिए काफी बोर्ड जैसा ही कानून बनाया जाना

5481. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार चाय बोर्ड के कार्यकरण को काफी बोर्ड के कार्यकरण जैसा ही बनाने के लिए कोई कानून बनाने का है जिसके आधार पर चाय निर्मित होते ही सरकारी सम्पत्ति बन जाय ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या हैं ।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आयकर विभाग द्वारा छापों के दौरान एक लाख रुपये से अधिक आस्तियों का पाया जाना

5482. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में ऐसे कर निर्धारितियों के नाम और पते क्या हैं जिनके भवनों पर छापे मारे गये थे और जहां से एक लाख रुपये से अधिक की आस्तियां पायी गयी थीं ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उनमें से ऐसे कर निर्धारितियों के नाम और पते क्या हैं जिनके मामले आयकर विभाग द्वारा न्यायालयों में दायर किये गये हैं ।

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) आयकर प्राधिकारियों ने, वित्तीय वर्ष 1974-75 से 1976-77 तक 8,235 मामलों में तलाशी लेने और माल पकड़ने की कार्यवाही की। मांगी गयी सूचना को इकट्ठा करने में बहुत अधिक समय और श्रम लगेगा । जिन व्यक्तियों की परिसम्पत्तियां 1975-76 और 1976-77 के दौरान पकड़ी गई थीं और जिनकी पकड़ी गयी परिसम्पत्तियां 5 लाख रुपये से अधिक की हैं

उनके सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उससे सदन -पटल पर रख दिया जाएगा। उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई भी सूचित की जाएगी।

सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

5483. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का समाचार प्राप्त हुआ है कि दिल्ली स्थित सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क के निवारक अधिकारियों ने आपात स्थिति के दौरान विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियां निवारक अधिनियम के उपबंधों के अधीन कुछ निरपराध व्यक्तियों को फंसाया और उन्हें नजरबन्द किया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि दिल्ली समाहर्तालय के सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने आपात स्थिति के दौरान कुछ निरपराध व्यक्तियों को फंसाया और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत उन्हें नजरबन्द करवाया। परन्तु, सरकार को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत, कुछ व्यक्तियों की गलत नजरबन्दी का आरोप लगाते हुए अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। इनकी संबंधित नजरबन्दी प्राधिकारियों द्वारा जांच करके समुचित कार्यवाही की जाती है।

करों की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालना

5484. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनके नाम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के रूप में एक लाख रुपयों से अधिक की बकाया राशि को 1 जुलाई, 1975 से 31 मार्च, 1977 तक की अवधि में बट्टे खाते डाला गया तथा प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : जिन पार्टियों के बारे में प्रत्येक मामले में आयकर (जिसमें निगम कर शामिल है) की 10 लाख रु० से अधिक की बकाया रकमों को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 1-7-75 से 31-3-77 की अवधि में बट्टे खाते डाले जाने की स्वीकृति दी गई थी उनके नामों के बारे में तत्काल उपलब्ध सूचना अनुबन्ध 'क' में दी गयी है।

जिन मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क राजस्व की 1 लाख रुपये से अधिक की बकाया रकमों को 1-7-75 से 31-3-77 तक की अवधि में बट्टे खाते डाला गया उनका ब्यौरा अनुबन्ध 'ख' में दिया गया है।

जिन मामलों में आयकर तथा निगम कर और सीमा शुल्क से भिन्न प्रत्यक्ष करों की 1 लाख रुपये से अधिक की बकाया रकमों को 1-7-75 से 31-3-77 तक की अवधि में बट्टे खाते डाला गया, उन के ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सदन-पटल पर रख दिये जायेंगे।

विवरण (क)

उन मामलों का ब्यौरा, जिनमें 10 लाख रुपये से अधिक की आयकर (जिसमें निगम-कर शामिल है) की बकाया रकम को 1-7-75 से 31-3-77 तक की अवधि के दौरान, बट्टे खाते डाला गया।

क्रम संख्या	कर-निर्धारिती का नाम	बट्टे खाते डालने के लिये मंजूर की गई रकम	बट्टे खाते डालने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)
		रु०	
1.	श्री गोपाल नारायण सेठ मालिक, सेठ ब्रदर्स, कलकत्ता।	15,96,568	कर-निर्धारण एक-पक्षीय आधार पर किया गया था। न तो कर-निर्धारिती मिल सका और न ही कोई ऐसी परिसम्पत्तियों मिली जिनसे कर वसूल किया जा सकता।
2.	श्री एस० टी० शाह मालिक जी० ए० प्रभुदास एण्ड कम्पनी, बम्बई।	31,16,735	कर-निर्धारिती ने अपना कारोबार बंद कर दिया था और उसके पास ऐसी कोई परिसम्पत्ति नहीं थी जिसे कुर्क किया जा सकता।
3.	मैसर्स कमर्शियल यार्न ट्रेडिंग कं०, बम्बई।	61,72,250	फर्म ने अपना कारोबार बंद कर दिया था और उसके पास पर्याप्त परिसम्पत्तियां नहीं थी।
4.	श्री टी० एम० करुण्डिया, बम्बई।	13,36,741	कर निर्धारिती की मृत्यु हो गई और वह पर्याप्त परिसम्पत्तियों नहीं छोड़ गया।
5.	मैसर्स चिमन लाल पोपटलाल, बम्बई।	17,31,847	फर्म ने अपना कारोबार बंद कर दिया और उसके पास पर्याप्त परिसम्पत्तियां नहीं थी।
6.	मैसर्स सांकल चन्द जी शाह एण्ड कम्पनी, बम्बई।	33,11,883	फर्म ने अपना कारोबार बंद कर दिया और उसके पास ऐसी कोई परिसम्पत्ति नहीं थी जिसे कुर्क किया जा सकता।
7.	श्री अब्दुल रजाक अहमद साहब कोकणी, नासिक	13,88,196	कर निर्धारिती के पास पर्याप्त परिसम्पत्तियाँ नहीं थी।

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	श्री भोगीलाल मेहता, मैसर्स प्रवीण ब्रदर्स, बम्बई के भागीदार	10,74,392	फर्म ने अपना कारोबार बंद कर दिया था तथा उसके भागीदारों को दिवालिया घोषित कर दिया गया था।
9.	मैसर्स प्रवीण ब्रदर्स, बम्बई।	17,46,675	
10.	एच० एच० श्रीमत् श्रद्धानन्द जी, कूच बिहार।	25,54,665	न तो कर-निर्धारिती मिला और न ही उसकी कोई ऐसी परिसम्पत्ति मिली जिसमें से वसूली की जा सकती।
11.	श्री एन० जी० शाह, बम्बई।	13,67,509	1965 में कर-निर्धारिती की मृत्यु हो गई थी और वह पर्याप्त परिसम्पत्तियां नहीं छोड़ गया था।
12.	स्वर्गीय श्री जीवनलाल लल्लूभाई, बम्बई।	13,59,412	कर-निर्धारिती की 1962 में मृत्यु हो गई थी और वह पर्याप्त परिसम्पत्तियां नहीं छोड़ गया था।
13.	श्री जयशंकर गौरी शंकर, मालिक, मैसर्स नन्दराम गोविन्दराम, बम्बई।	12,62,180	कर-निर्धारिती ने अपना कारोबार 1951 में बंद कर दिया था। उसकी कोई परिसम्पत्ति नहीं होने के कारण कोई वसूली नहीं की जा सकी।
14.	मैसर्स न्यू एरा टेक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लि०, बम्बई।	22,62,635	कम्पनी का परिसमापन हो गया था और उसकी कोई परिसम्पत्ति नहीं होने के कारण कोई वसूली नहीं की जा सकी।
15.	मैसर्स जयपुरिया ब्रदर्स, तुमसर।	14,24,361	निर्धारिती की पर्याप्त परिसम्पत्ति नहीं होने के कारण रकम वसूल नहीं की जा सकी।
16.	मैसर्स गुदरुघाट माइन्स, तुमसर।	13,79,392	निर्धारिती की पर्याप्त परिसम्पत्ति नहीं होने के कारण रकम वसूल नहीं की जा सकी।
17.	मैसर्स ईस्ट एशिया ट्रेडिंग कारपोरेशन, कलकत्ता।	17,55,982	फर्म ने अपना कारोबार 1954 में बंद कर दिया था। उसकी ऐसी कोई परिसम्पत्ति नहीं थी जिससे कर वसूल किया जा सकता।

विवरण (ख)

जिन मामलों में 1-7-75 से 31-3-77 तक की अवधि में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व की 1 लाख रुपये से अधिक की बकाया रकमों को बट्टे खाते डाला गया उनका व्यौरा ।

क्रम सं०	पार्टी का नाम	रकम	कारण
1.	श्री शफ्फी मुहम्मद पुत्र श्री अब्दुल मजीद, साहावार, जिला एटा, (उत्तर प्रदेश) ।	1,21,548.36	पार्टी एक अपराध के मामले में अन्तर्ग्रस्त थी जिसका न्याय-निर्णय विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्ष 1965 में किया गया था । जिसमें कानूनी रिकार्ड में तम्बाकू को हिसाब में नहीं लिए जाने के कारण कालम 3 में उल्लिखित रकम की मांग जारी की गयी थी । विभाग के पास उपलब्ध वसूली करने से सम्बन्धित सभी साधन नाकामयाब होने के बाद इस मामले में वसूली करने के लिए राज्य प्राधिकारियों को लिखा गया था । चुंकि वे कुछ भी रकम वसूल करने में असमर्थ रहे और उन्होंने वसूली नहीं किये जा सकने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया, इसलिए उक्त रकम को वसूल नहीं की जा सकने योग्य रकम मानकर बट्टे खाते डालना पड़ा ।
2.	श्री नानूभाई अम्बालाल पटेल रंगाईपुर, बड़ौदा ।	1,53,361.00	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों के समाधानप्रद रूप में तम्बाकू को हिसाब में नहीं लिये जाने के कारण पार्टी के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज किया गया ।

राजस्व विंग द्वारा किए जाने वाले कार्य का विभाजन

5485 **श्री मोहनलाल पिपिल** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व 'विंग' द्वारा किये जाने वाले कार्य को तीन पृथक बोर्डों में विभाजित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक व्यय में अनुमानतः कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ग) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, भू-शुल्क और सम्पदा शुल्क के लिय भी पृथक बोर्ड बनाने का विचार है और यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त व्यय होने की सम्भावना है; और

(घ) विभाग के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन के कारण श्रेणी एक के कुल कितने पद बनायें गये हैं अथवा बनाने की सम्भावना है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) राजस्व और बैंकिंग विभाग के राजस्व पक्ष के मुख्यालय-प्रशासन को, तीन स्वतन्त्र बोर्डों में नहीं, अपितु प्रत्यक्ष कर प्रभाग, अप्रत्यक्ष कर प्रभाग तथा केन्द्रीय प्रभाग में विकेंद्रित करने का निर्णय किया गया था ।

(ख) मुख्यालय तंत्र को तीन भागों में विभाजित किये जाने के कारण जो अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय होने की सम्भावना है उसका कोई अनुमान नहीं लगाया गया है । तथापि इस सम्बन्ध में होने वाला अतिरिक्त व्यय अधिक नहीं होगा ।

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, भू-सीमा शुल्क तथा सम्पदा शुल्क के लिये अलग-अलग बोर्डों की स्थापना का कोई विचार नहीं है । अतः, उसके कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) कुछ नहीं ।

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की बकाया राशि

5486. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जुलाई, 1975 और 31 मार्च, 1977 से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की पृथक-पृथक कितनी राशि बकाया थी;

(ख) इस अवधि में कितनी राशि वसूल की गई; और

(ग) कितने मामलों में बकाया राशि बट्टे खाते डाली गई अथवा छूट दी गई तथा उसकी राशि कितनी है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 30-6-75 और 31-3-77 को विद्यमान स्थिति के अनुसार आयकर (जिसमें निगम कर शामिल है), धन कर, दान कर, सम्पदा शुल्क की बकाया का ब्यौरा इस प्रकार है ।

11—767LSS/77

		30-6-75 की स्थिति के अनुसार (करोड़ रु०)	31-3-77 की स्थिति के अनुसार
आयकर (जिसमें निगम कर शामिल है)	सकल बकाया	928.34	873.56
	शुद्ध बकाया	692.84	569.84
धन-कर			
	सकल बकाया	76.24	52.75
	शुद्ध बकाया	64.89	33.82
दान-कर			
	सकल बकाया	4.94	5.90
	शुद्ध बकाया	3.59	3.91
सम्पदा शुल्क			
	सकल बकाया	14.01	15.56
	शुद्ध बकाया	7.88	9.24

ब्याज कर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व की बकाया से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) 1-7-75 से 31-3-77 की अवधि के दौरान वसूल/एकत्र की गई आय कर (जिस में निगम कर शामिल है) ब्याज कर, धन कर, दान कर और सम्पदा शुल्क की कुल रकम निम्नानुसार है :—

रकम करोड़ रु० में

आय कर और निगम कर (जिसमें स्वेच्छया आय तथा धन प्रकटीकरण अधिनियम, 1976 के अंतर्गत की गई वसूली शामिल है)	3962.15*
ब्याज कर	184.73*
धन कर	111.83
दान कर	10.09
सम्पदा शुल्क	20.95

*अनन्तिम आंकड़े

1-7-75 से 31-3-77 की अवधि के दौरान वसूल/एकत्रित किये गये सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व की रकम से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) वित्तीय वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान बट्टे खाते डाले गये मामलों की संख्या और आयकर (जिसमें निगम कर शामिल है) की बट्टे खाते डाली गई कुल रकम का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(बट्टे खाते डाली गई वसूल नहीं की जा सकने योग्य मांगों से सम्बन्धित आंकड़े वित्तीय वर्ष-वार रखे जाते हैं)

वित्तीय वर्ष	मामलों की संख्या	बट्टे खाते डाली गई रकम (करोड़ रु० में)
1975-76	12,485	5.32
1976-77*	95,832	10.66

*अनंतिम आंकड़े

1-7-75 से 31-3-77 की अवधि के दौरान बट्टे खाते डाली गई, आय कर और निगम कर, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क राजस्व से भिन्न प्रत्यक्ष करों की बकाया मांगों के मामलों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

भारतीय वाणिज्य मण्डलों द्वारा आर्थिक नीति के बारे में दिया गया सुझाव

5487. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य मण्डलों ने सम्पूर्ण आर्थिक नीति के बारे में नवीन और साहस-पूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए और बाजार की शक्तियों के निर्बाध संचालन को बढ़ावा देने में सभी बाधाओं को हटाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उनके द्वारा दिये गये अन्य सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें सरकार ने कहां तक स्वीकार किया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) भारतीय वाणिज्य मंडल ने बजट पेश किए जाने से पूर्व एक ज्ञापन दिया था जिसमें उसने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए कई सुझाव दिये थे । बजट बनाने से पूर्व, सरकार के पास जो सुझाव आते हैं, सरकार उनको ध्यान में रखती है और बजट-प्रस्तावों से यह बात प्रकट होती है ।

अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, नई दिल्ली द्वारा कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

5488. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **वित तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिकन एक्सप्रैस बैंक, नई दिल्ली के कर्मचारी बोनस की मांग का मुकदमा लेबर कोर्ट में जीत गये हैं परन्तु रिजर्व बैंक ने इस बैंक को यह सलाह दी है कि इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर दी जाये :

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बैंक के प्रबन्धक बोनस देने को तैयार हैं; और

(ग) यदि हां, तो रिजर्व बैंक द्वारा, इस बैंक को अपील करने की सलाह देने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम 1976 के संदर्भ में यद्यपि बैंक को बोनस संदाय अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया था फिर भी सरकार ने उस समय निर्णय किया था कि बैंक कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित राशि बोनस के बदले अनुग्रह धन के रूप में दी जाये । इस नीति के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्र के बैंकों को, सरकार के परामर्श के बाद, यह बताया कि इन बैंकों के कर्मचारियों को कितना अनुग्रह धन दिया जाता है । भारतीय रिजर्व बैंक के अमेरिकन एक्सप्रेस इन्टरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन से कहा था कि वह 1975 वर्ष के लिए अपने कर्मचारियों को उनके वेतन के 6 प्रतिशत के बराबर अनुग्रह धन की अदायगी करे । अनुग्रह धन का यह प्रतिशत निजी क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को दी जाने वाली दरों में सब से ऊंची थी । भारतीय रिजर्व बैंक के इस निर्देश के अनुसरण में, इस बैंक ने उक्त राशि अदा कर दी और कर्मचारियों को वह अदायगी नहीं दी जो कि वह बैंक और कर्मचारी यूनियन के बीच 17 सितम्बर, 1974 को हुए करार के अधीन मांग रहे थे । उक्त करार के अधीन यह अपेक्षित है कि बैंक अपने कर्मचारियों को बोनस के रूप में वर्ष 1975 के लिए उनके मूल वेतन और भत्तों का $23\frac{1}{2}$ प्रतिशत अदा करें जो अधिक से अधिक 2800 रुपये प्रति वर्ष हो सकता है । कुछ कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के श्रम न्यायालय, नई दिल्ली में इस विषय में आवेदन किया और इस न्यायालय ने 31 मार्च, 1977 को अपने फैसले में, कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया है और अमेरिकन एक्सप्रैस इन्टरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन को निर्देश दिया है कि वह करार में तय किया हुआ बोनस अदा करें ।

2. अमेरिकन एक्सप्रैस इन्टरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन ने इस विषय में जब भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश मांगे तो उसे परामर्श दिया गया कि वह भारत के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन करें । एक वाणिज्यिक बैंक में बोनस अदा किया जाना जबकि बाकी बैंक बोनस संदाय अधिनियम, 1975 के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिये गये हैं, अन्य बैंकों के लिए कठिनाई पैदा कर देगा । इसलिये भारतीय रिजर्व बैंक का यह विचार है कि इस मामले में देश के उच्चतम न्यायालय का निर्णय प्राप्त कर लिया जाना चाहिए ।

3. भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि यदि उसने परामर्श न दिया होता तो अमेरिकन एक्सप्रैस इन्टरनेशनल बैंकिंग कारपोरेशन ने उक्त करार और श्रम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को बोनस अदा कर दिया होता ।

काली सूची में दर्ज फर्मों के नाम और पते

5489. **श्री कंवरलाल गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम और पते क्या हैं, जिन्हें गत पांच वर्षों के दौरान काली सूची में दर्ज किया गया है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उपर्युक्त फर्मों में से कुछ फर्मों के नाम काली सूची में से हटा दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं और उनके नामों को काली सूची में से हटाये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) उनके नामों को काली सूची में से हटाने में अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता के बारे में सरकार ने कोई जांच की है; और

(च) यदि हां, तो उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

बिजली के ट्रांसफार्मरों का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1977

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैं निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बिजली के ट्रांसफार्मरों का निर्यात (गुण प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 9 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 2275 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं [**ग्रन्थालय में रखा गया** । देखिए संख्या एल० टी० 860/77]

[सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और जीवन बीमा निगम] अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 537(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [**ग्रन्थालय में रखी गई** । देखिए संख्या एल० टी० 861/77]

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 581 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

की एक प्रति जो दिनांक 7 मई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 862/77]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा के महा-सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 19 जुलाई, 1977 को पास किये गये इलायची (संशोधन) विधेयक, 1977 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 25 जुलाई, 1977 को पास किये गये नागालैंड विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

विधेयक पर अनुमति

ASSENT TO BILL

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1977 सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA (Etawah) : I call the attention of the Minister of Education, Social Welfare and Culture to the following matter of urgent public importance and request him to make a statement "Reported resentment among the people and students on account of the use in the 9th and 10th classes in some of the schools in Delhi and other parts of the country of a book entitled "A Modern Approach to English Grammer and Composition" which justifies the imposition of Emergency by the former Prime Minister."

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्दर चन्द्र) : मैं दिल्ली तथा देश के अन्य भागों के कुछ स्कूलों की कक्षा IX और X में 'ए मोडर्न अप्रोच एण्ड कम्पोजीसन' नामक पुस्तक जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा आपात स्थिति के लगाये जाने को औचित्यपूर्ण ठहराती है, के प्रयोग के कारण जनता तथा छात्रों में तथाकथित आक्रोश के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना के सबंध में वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं।

सर्वश्री एम० पी० रूद्र, एस० एस० अग्रवाल तथा देवी दास की उक्त पुस्तक को जिसमें श्रीमति इन्दिरा गांधी पर एक निबन्ध दिया हुआ है, जिस पर माननीय सदस्य द्वारा आपति की गई है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य-विवरण में निर्धारित नहीं किया गया है अथवा न ही ऐसा सुझाव दिया गया है।

SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : I am surprised to here the reply of the Hon. Minister. That book is still being tought in schools. He has been misled by bureaucrats. I don't know whether to-day it has been removed from the course. I request the Ministers to take action against the officers who have given wrong information to him.

DR. P. C. CHUNDER : It is correct that there are certain objectionable passages in the book and they should be changed. But it is not correct that this book has been prescribed.

यह सामान्य प्रकार की पुस्तक है और पाठ्यक्रम के अनुसार सही, मुहावरेदार अंग्रेजी लिखना सिखाने के लिए लिखी गई । प्रकाशक ने लिखा है कि अगले संस्करण में, जो 15 दिन में आ जाएगा, ये अंक निकाल दिए जाएंगे । (**व्यवधान**) क्योंकि पुस्तक पाठ्य पुस्तक के रूप में नहीं लगाई गई है इसलिये इसके हटाने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर प्रकाशक ने उन आपत्तिजनक अंशों को निकाल देने का वादा किया है । (**व्यवधान**)

श्री वयालार रवि (चिरचिंकील) : मैं एक व्यवस्था प्रश्न उठाने खड़ा हुआ है । पिछली बार जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैं बोलने उठा तो मुझसे कहा गया, प्रधान मंत्री भी उस में शामिल थे, कि सदस्य इस समय केवल प्रश्न पूछ सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते । पर अभी अभी माननीय सदस्य 9 मिनट तक बोले । कृपया सभी सदस्यों के प्रति यही व्यवहार किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

डा० प्रताप चन्द्र चंद्र : केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक बोर्ड ने पुस्तक को निर्धारित नहीं किया है । इसे जब्त किए जाने के सम्बन्ध में मुझे गृह मंत्रालय से जांच करने के लिए बात करनी होगी।

सभा की बठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

दूसरा प्रतिवेदन

श्री नटवरलाल बी० परमार (ढढुका) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 1 अगस्त, 1977 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा।

(1) लोकपाल विधेयक, 1977

(विचार तथा पास करना)

(2) वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977

(राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों पर विचार)

(3) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के बीसवें, इक्कीसवें तथा बाइसवें प्रतिवेदनों संबंधी प्रस्ताव पर आगे चर्चा।

(4) "आंतरिक आपात स्थिति के दौरान जन सम्पर्क साधनों के दुरुपयोग के बारे में श्वेत-पत्र" पर चर्चा।

श्री वसन्त साठे : (अकोला) : माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित बैठक में 1 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में निन्दा प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय निकालने का निर्णय किया गया था। परन्तु यहां उसका कोई उल्लेख नहीं है कि कौन सी तारीख निन्दा प्रस्ताव की चर्चा के लिए रखी गई है ।

अध्यक्ष महोदय : हम उसकी सूचना आपको देंगे।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : आप बढ़ते मूल्यों पर बहस की अनमति दे चुके हैं, परन्तु उसके लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : हम उसके लिए अगले सप्ताह नहीं तो उससे अगले सप्ताह समय निश्चत करेंगे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : (गांधीनगर) : हमें दो दिन पहले बताया गया है कि सत्र दो दिन के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस तरह अगले सप्ताह में एक ही दिन हमारे पास होगा। यदि ऐसा है तो उस एक दिन के कार्य की सूचना भी आज क्यों नहीं दी गई। फिर मूल्य वृद्धि पर बहस की अनुमति आप दे चुके हैं, तथा कार्यमंत्रणा समिति ने भी उसके लिए समय निर्धारित किया है वक्तव्य में उसका उल्लेख नहीं है । अत: एक व्यापक वक्तव्य दिया जाए ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : "नई सरकार के कार्य के 100 दिन" नामक पुस्तिका में दल-बदल विरोधी विधेयक इसी सत्र में पेश किए जाने की बात की गई है । परन्तु वक्तव्य में उसका जिक्र नहीं है । क्या सत्र और बढ़ाया जाएगा ?

श्री पी० के० देव (काला हांडी) : सूचना और प्रसारण मंत्री ने अपने मंत्रालय पर एक श्वेतपत्र रखने का वादा किया है । उस पर चर्चा के लिए कब समय दिया जाएगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : चर्चा के लिए समय अगले सप्ताह दिया गया है परन्तु अभी तक श्वेतपत्र नहीं रखा गया है ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : यह श्वेतपत्र जन प्रचार पर होगा या जन प्रचार के दुरुपयोग पर । स्पष्ट किया जाए ।

MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : Anti Defection Bill is ready. It is to be discussed with the opposition. The day it is completed, it will introduced.

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया था। इसलिये मूल्य वृद्धि का जिक्र नहीं किया क्योंकि यह गैर-सरकारी कार्य रूप में लिया जाएगा ।

निन्दा प्रस्ताव का उल्लेख मैंने इसलिए नहीं किया, क्योंकि वह अभी समाचार भाग 2 में नहीं छपा है ।

दल-बदल निरोधक बिल के बारे में गृह मंत्री बता ही चुके हैं ।

जन-प्रचार के दुरुपयोग या सदुपयोग का प्रश्न श्वेतपत्र के ऊपर चर्चा के समय उठाया जाए ।

इस समय सत्र का समय बढ़ाने का हमारा कोई इरादा नहीं है । 6 ता० की बैठक का प्रस्ताव पास हो चुका है ।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTER UNDER RULE 377

(एक) आपात स्थिति के दौरान मिग विमानों के लिये घटिया इंजनों की स्वीकृति दिये जाने का समाचार

डा० सुब्रह्मामणयम स्वामी : (बम्बई उत्तर-पूर्वी) : मैं गत 8 महीनों में बड़ी संख्या में मिग विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

समाचार पत्रों में छपे समाचारों में कहा गया है कि घटिया किस्म के मिग आपात काल में खरीदे गए और ऐसा तकनीकी विकास और उत्पादन निदशालय द्वारा उन्हें स्वीकृति न देने पर भी किया गया। इन मिग इंजिनों के निरीक्षण से सम्बन्धित इन्सपैक्टर को श्री बन्सीलाल के कहने पर घर में बन्द रखा गया और कोरापुर में एच० ए० एल० की फैक्टरी में आने से मना कर दिया गया तथा बाद में उसका स्थानांतरण कर दिया गया।

मैं यह जानना चाहता हूं कि मिग विमानों के सम्बन्ध में यह गड़बड़ी किस स्तर पर हुई। फैक्टरी स्तर पर, मंत्रालय स्तर पर या भूतपूर्व रक्षा मंत्री के स्तर पर।

रक्षा मंत्री, श्री जगजीवन राम के इस वक्तव्य का स्वागत है कि भारत केवल मिगों पर ही निर्भर नहीं रहेगा। मंत्री महोदय हमें दुर्घटनाओं के बारे में बताएं जिससे बहुमूल्य जानें बचाई जा सकें।

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सारे मामले की पूरी जांच करने के बाद मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना वक्तव्य दे सकता हूं।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रक्षा मंत्रालय कोई भी घटिया इंजिन का उपयोग कर देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता।

भूतकाल में मिग विमानों का कार्य अच्छा रहा है। पिछले पाकिस्तानी युद्ध से यह स्पष्ट है। विशेष अधिकारी के सम्बन्ध में, जिसका उल्लेख हुआ है, मैं पूरी जांच करने के बाद व्यापक वक्तव्य दे सकूंगा।

(दो) देश में मद्यनिषेध

SHRI MANI RAM BAGRI (Mathura) : Sir, the habit of drinking has become more harmful and dangerous to the country. It is runing the life of the people. It is an unfortunate tragidy that in a country where the per capita income of 20 crores people is only 3½ annas a day the number of liquor contracts is increasing every day. Today it is twenty times as compared to that of 1968. I congratulate the Prime Minister and the Home Minister who are in favour of prohibition and I hope they will completely abolish this evil.

I will request the Prime Minister to adopt the same strong attitude as he had done at the time of gold control and to introduce total prohibition all over the country so that the dream of Gandhi and Dr. Lohia is realised. I think the House is also agreeable with me.

(तीन) बिहार के वैशाली जिले में काला अजार का फैलना

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur) : Sir, I want to invite the attention of the House and the Government to the incidence of Black Fever and Malaria in the country, particularly in Bihar. This Black Fever is incurable disease so far. In Vaishali district alone 2000 persons have reportedly died of this ghastly disease. If a Parliamentary or Central Government team is sent there you will find that there is not a single village where 10 to 20 persons have not died of this disease. I have discussions with the doctors, Civil Surgeon in the affected areas of Bihar. But they have informed me that there is no cure of this ghastly disease. They are helpless in this matter. Then I had discussions with the Chief Minister, Shri Karpoori Thakur and Health Minister. But they are also helpless. There is no remedy of this problem.

It is now high time that Government should take some concrete steps to check this disease which is spreading like a wild fire in Bihar. In case Government finds itself helpless

let them seek the help from U.N.O. If timely action is not taken the disease can grip the entire country secientific survey and clinical research should be carried out to find the cure of this disease.

(4) बढ़ते हुए मूल्यों के संबंध में प्रधान मंत्री के निवास स्थान के समक्ष प्रदर्शन

श्री वायारल रवि (चियिकील) : मैं सभा का ध्यान उस शान्तिपूर्ण प्रदर्शन की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस लोकतंत्र में जनता की अभिव्यक्ति के अधिकार का मूर्त रूप है। आप जानते हैं कि मूल्य वृद्धि की समस्या बहुत गम्भीर हो गई है। देश की गरीब जनता अपना पेट भरने में असमर्थ हो रही है। ऐसी स्थिति में भी सरकार ने मूल्य वृद्धि रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। केवल व्यापारियों से अपील की है। उन्हें चेतावनी दी है, फिर भी व्यापारी वर्ग मूल्य कम नहीं कर रहा है। ये समाज के सब से बड़े शोषक हैं।

कल प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने मूल्य वृद्धि विरोधी समिति ने शांति पूर्ण प्रदर्शन किया था। यह बताया गया था कि समिति के प्रतिनिधि मण्डल को प्रधान मन्त्री से मिलने का समय दिया गया। लेकिन प्रदर्शन के कारण उसे रद्द कर दिया गया। क्योंकि प्रदर्शन प्रधान मंत्री के निवास स्थान के सामने हुआ था। यह जनता सरकार का रवैया है जो प्रतिनिधियों से भी नहीं मिलना चाहती।

श्री मोरारजी देसाई : मेरा अपने मित्रों से अनुरोध है कि वे बीच में बाधा उत्पन्न न करें। मुझे समझने दें कि वह क्या कहना चाहते हैं ?

श्री वयालर रवि : मैं यह जानाना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीति है कि प्रधान मंत्री या अन्य किसी मंत्री के निवास स्थान के सामने प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों से नहीं मिलेंगे। क्या आप प्रदर्शन के प्रतिनिधि श्री यादव से नहीं मिलेंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : मैं इसके मामले को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब मुझे प्रतिनिधि मण्डल से मिलने के लिए कहा गया तो मैंने उन्हें वाणिज्य मंत्री से मिलने का सुझाव दिया। मैंने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनसे मिल लूंगा।

मैंने नियम बना लिया है कि जो भी प्रदर्शन करेगा मैं उससे नहीं मिलूंगा। जिन्हें कोई शिकायत है तो वह शान्तिपूर्वक मेरे पास आये और यदि वह मेरे उत्तर से सन्तुष्ट नहीं है तो वह प्रदर्शन कर सकते हैं। मैं उन्हें प्रदर्शन करने से नहीं रोक सकता।

कल मैं यह बात नहीं समझ सका। लोग शाम के 4 बजे मेरे निवास के सामने गये, जबकि उन्हें यह पता था कि मैं घर में ही हूं। फिर भी उन्होंने प्रदर्शन किया।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगूसराय) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह आप के विचार करने की बात है कि क्या प्रदर्शन करने से सम्बन्धित मामला नियम 377 के अधीन आ सकता है। यदि पीठासीन अधिकारी ने ऐसे मामले उठाने की अनुमति दी तो इनकी बाढ़ आ जायेगी।

(पांच) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में मजदूरों की छटनी का समाचार

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं इस सदन का और सरकार का ध्यान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के सार्वजनिक निर्माण विभाग

और बिजली विभाग में की जा रही मजदूरों की योजनाबद्ध छंटनी की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्तमान सरकार किसी भी प्रकार की छंटनी के विरुद्ध है। प्रधान मंत्री भी ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्ण हैं। इन परिस्थितियों में मजदूरों की छटनी वर्तमान सरकार की भावना के प्रतिकूल होगी।

अतः मैं गृहमंत्री, जो कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्यक्ष प्रभारी हैं, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक भी कर्मचारी की छंटनी नहीं हो। साथ ही जिन कर्मचारियों की छंटनी हो चुकी है उन्हें पुनः नौकरी पर बहाल किया जाये।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर चार मिनट म० प० पुनः समवेत हुई)।

(*The Lok Sabha re-assembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock*).

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)।

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*].

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित-जन-जातियों के आयुक्त के बीसवें, इक्कीसवें तथा बाईसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव — जारी

Motion Re. Twentieth, twenty-First and twenty-second reports of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes — Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मंगल देव अपना भाषण जारी रखें।

SHRI MANGAL DEO (Akbarpur) : Yesterday I was speaking about agricultural labourers. When the poor people will not get land or employment they are compelled to sell their blood. The Health Minister has admitted that the poor people are selling their blood in order to feed their children. What is planning wherein there is no one purchase-able labour, but there are all arrangements for purchasing blood ? This kind of feudāl system of society must be changed immediately.

During the last 20 years a number of schemes have been formulated for opening cottage and home industries in the villages. But if you have a look on the figures/details you will find that very small amount of money has been given to run the cottage/Home industries.

The Central Government had formulated a scheme in 1972 to allot 100 sq. yds. land to the landless agricultural labour. But in this connection various figures have been given from time to time in regard to the land that would be available as a result of land reform measures. But an information has been created in the countrv that it will be distributed to the landless labourers belonging to Scheduled Castes. But if you go into the list of priority you will find that these people have been given sixth place. This land is distributed to the first five categories of people and after that hardly any land is left for distribution to the sixth category of people despite the crores of acres of land has been taken over by the Government. Therefore the question of the people of 6th cotegory getting any land does not arise. There has been great bungling and malpractice in distributing land to these landless poor. This kind of bungling and fraud has to be checked. Some concrete steps should be taken so that land is given to these people.

श्री कुसुम कृष्ण मर्ति (अमालापुरम) : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यह आयोग 1950 में गठित हुआ था और अब तक इसने 22 प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किए हैं। इन में से 19 प्रतिवेदनों पर तो इस सदन में चर्चा हो चुकी है, शेष तीन प्रतिवेदन वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73 तथा 1973-74 के हैं। ये प्रतिवेदन तथ्यों की दृष्टि से तो बहुत ही कारगर और उचित हैं और इनके तैयार करने में बहुत परिश्रम किया गया है लेकिन इतना सब कुछ करते समय आयोग अपना महान उद्देश्य ही भूल गया है ।

इन प्रतिनेदनों में अनुसूचित जातियों की मूल समस्या पर सम्यक रूप प्रकाश नहीं डाला गया है और ना ही उनका कोई ठोस हल ही बताया गया है जिससे कि सरकार इन समस्याओं को समझ सके और उनको हल करने का प्रयास कर सके। मैं जानता हूं कि इस आयोग का यह संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को दिए गए सभी संरक्षणों की जांच करे और उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आयोग अपने कार्य को मात्र आंकड़े एकत्र करना और उन्हें आरोपित करने तक ही सीमित रखे। आयोग को यह स्वीकार करना होगा कि वह वास्तविक सस्मया को समझे जो आर्थिक समस्या के बजाये सामाजिक अधिक हैं।

जहां तक इसके प्रति सरकार के रवैये का सम्बन्ध है वह ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। इन लोगों की स्थिति बहुत अधिक खराब होती जा रही है। श्रेणी-I और श्रेणी-II के सम्बन्ध में आयोग ने अपनी 1973-74 की रिपोर्ट में यह बताया है कि इनमें अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों की सेवाओं में प्रतिशतता निर्धारित प्रतिशतता से बहुत कम है। निर्धारित प्रतिशतता 15 और 7.5 है। अनुसूचित जातियों के लोग श्रेणी-एक में 3.46 प्रतिशत, श्रेणी-दो में 5.41 प्रतिशत, श्रेणी–तीन में 11.31 प्रतिशत तथा श्रेणी-चार में 18.75 प्रतिशत लोग थे। अनुसूचित जन-जातियों के लोग क्रमश: 68.78, 2.51 और 3.93 प्रतिशत थे। यदि हम श्रेणी–एक और श्रेणी-चार की सेवाओं से सम्बन्धित आंकड़ों की जांच करें तो हमें पता चलेगा कि 1-1-76 को अनुसूचित जाति के 1287 व्यक्ति थे और श्रेणी चार में सफाई कर्मचारियों को छोड़ कर 2,30,723 व्यक्ति थे। अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में यह संख्या क्रमश: 253 और 48,322 थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इन जाति में लोगों को संख्या में वृद्धि उच्च स्तर पर वहीं रुकी हुई है लेकिन निम्नतम या निचले स्तर पर ऐसा नहीं है। आश्चर्य यह है कि इनमें से आधा कोटा भी नहीं भरा जाता है और शेष स्थान भरे ही नहीं जाते। 1-1-1976 को अखिल भारतीय सेवाओं के कुल 3235 अधिकारी थे जिनमें केवल 277 पद अनुसूचित जातियों को मिले हैं जबकि कम से कम 450 पद होने चाहिए थे।

डाकतार विभाग में 500 जूनियर इंजीनियरों को श्रेणी–दो के पदों पर पदोन्नत किया गया जिनमें केवल 12 कर्मचारी अनुसूचित जातियों के थे जबकि 100 से अधिक कर्मचारी पदोन्नति के योग्य थे। पश्चिम रेलवे में एक अनुसूचित जाति का कर्मचारी ट्रैफिक इंस्पैक्टर के पद पर काम करता है। $27\frac{1}{2}$ वर्ष के कार्यकाल के बाद उसे पदावनत कर दिया गया है। उसका कहना है कि उसके साथ यह अन्याय इसलिए किया गया है क्योंकि वह

अनुसूचित जाति का है। इस तरह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के साथ अन्याय हो रहा है।

इसके अलावा नई दिल्ली में सम्पूर्ण सचिवालय एक सचिव भी ऐसा नहीं है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो। केवल एक ही संयुक्त सचिव है।

उपरोक्त तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर मुख्य न्यायाधीश के० सुब्बाराव ने श्री देवदासम बनाम मैसूर राज्य के मामले में अपनी विमति निर्णय में यह कहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या पर स्थान सुरक्षित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपने 1973-74 के प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा है कि वे समय-समय पर होने वाले रिक्त स्थानों के आधार पर भर्ती कर रहे हैं, कुल कर्मचारियों की संख्या के आधार पर नहीं।

फिर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का विशेष उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें अपनी जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिलेगा जब तक संरक्षण की प्रतिशतता न बढ़ाई जाए। लेकिन यहां आयोग एक बात, जो बहुत महत्वपूर्ण है, भूल गया। प्रश्न आरक्षण में प्रतिशतता बढ़ाने का नहीं है वरन प्रश्न है रूकावटों और अवरोधों को दूर करने का जो सुरक्षित स्थान भरने के मार्ग में आती हैं। यह अधिक महत्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 335 हैं जो आरक्षण के पूरा करने के मार्ग में बाधा बना हुआ है। इस अनुच्छेद में एक विशेषता बताने वाला खण्ड है कि "कार्य कुशलता बनाये रखने का ध्यान रखते हुए ये शुद्ध अनुसूचित जातियों और जनजातियों और जनजातियों के विरुद्ध दुरूपयोग किए जाते हैं और इन जातियों के व्यक्तियों का शोषण किया जाता है। ये शुद्ध अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों के हितों के प्रतिकूल जाते हैं। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय "कार्य कुशलता" के नाम में अयोग्य करार कर दिया जाता है। यही स्थिति पदोन्नतियों के मामले में है।

फिर एक अन्य खण्ड है जो उपयुक्तता का खण्ड है। इस खण्ड का भी बड़ा दुरूपयोग किया जा रहा है। कहा जाता है कि इन जातियों के उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। न्यायपालिका बड़ी खामोशी के साथ आरक्षण आदेशों को रद्द कर देती है।

कांफीडेंश्यल रिपोर्ट (गोपनीय रिपोर्ट का एक सिद्धांत होता है)। यह भी प्रतिकल प्रभाव डालती है। इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। इन सभी तथ्यों के आधार पर सुरक्षित पद असुरक्षित कर दिए जाते हैं। अतः डी रिजर्वेशन आरक्षण समाप्त करने का सिद्धांत अपने आप में धोखा है। इससे सभी सुरक्षित पदों का आरक्षण समाप्त कर दिया जाता है।

अतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने इस सम्बन्ध में बहुत चर्चा की है। कि क्या अनुच्छेद 335 अनिवार्य है। यह नितान्त असंगत है। अतः इस अनुच्छेद को या तो समाप्त कर दिया जाये या इसका सम्यक रूप से संशोधन किया जाए। "कार्य कुशलता बनाए रखने का ध्यान रखते हुए इन शब्दों को निकाल दिया जाये"।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग संख्या के अनुसार 180 लाख तथा 140 लाख हैं। इनमें अधिकांश श्रमिक हैं। देश के पूंजी विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। परन्तु उनके कल्याण के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। यदि हम योजनाओं के आंकड़ों को देखें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। पहली पंचवर्षीय योजना में लगभग 2000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसमें से अनुसूचित जातियों के लिए केवल 1.5 प्रतिशत राशि आवंटित की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1.6 प्रतिशत, तीसरी योजना में 1.1 प्रतिशत, चौथी योजना में 1 प्रतिशत तथा पांचवीं योजना में केवल 1 प्रतिशत राशि आवंटित की गई थी। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि इन वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए सरकार का क्या रवैया है।

यह आम धारणा थी कि देश की अर्थ व्यवस्था के विकास के साथ-साथ इन वर्गों की अर्थ व्यवस्था भी अपने आप सुधर जायेगी। परन्तु यह धारणा भी गलत सिद्ध हो गई है। यह बात प्रति व्यक्ति आय पर विचार करने से सिद्ध हो जाती है। 1947 में प्रति व्यक्ति आय 228 रुपये थी जो कि वर्ष 1975-76 में बढ़ कर 1004.9 रुपये हो गई। यह देश में प्रति व्यक्ति 2.75 रुपये प्रति दिन के लगभग होती है। परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के 95 प्रतिशत लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि औसत आय बढ़ाने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है।

इनकी आर्थिक प्रगति में मुख्य बाधा वर्ण व्यवस्था है। कुछ जातियों को किसी एक विशेष कार्य को ही करने की अनुमति है। वे भिन्न-भिन्न प्रकार के धन्धे नहीं अपना सकते। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत के सिद्धान्त को मानते हैं, परन्तु हमारे सामाजिक ढांचे में हर व्यक्ति का मूल्य समान नहीं है। हर व्यक्ति का मल्य इस बात पर निर्भर है कि उसने किस जाति में जन्म लिया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को छोटे काम ही करने पड़ते हैं। वे अन्य कार्य नहीं कर सकते। उन्हें इसकी अनुमति नहीं है। उदाहरण के तौर पर सफाई का काम पूर्णतया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित है। इस काम को किसी अन्य जाति के लोग नहीं करते। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि गन्दगी को सिर पर ले जाने की मनाही करने वाला विधेयक तुरन्त पेश किया जाये तथा ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि यह कार्य मशीनों के द्वारा हो।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने 1969 में भारत भर में 18 क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा था, जिससे वह प्रभावशाली ढंग से काम कर सके। आयुक्त ने इस बात पर जोर दिया था कि उसे अच्छा संगठन बनाने दिया जाये, जिससे वह अपने कर्त्तव्य का पालन अधिक कुशलता से कर सके। जब तक उचित अधिकार नहीं दिए जाते यह आयोग प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर सकता। अतः गृह मंत्री देश भर में कार्यालय स्थापित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकें और इन वर्गों की सच्ची सेवा कर सकें।

सरकार का विचार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कार्यालय को प्रस्तावित नागरिक आयोग में मिला देने का है। परन्तु यह कदम सर्वथा अविवेकपूर्ण

है, क्योंकि पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा अल्प संख्यकों की व्यवस्था में बहुत अन्तर है। यदि यह विलय किया जाता है, तो उनके लिए की गई आरक्षण की यह व्यवस्था सर्वथा समाप्त हो जायेगी।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात है हरिजनों पर होने वाले अत्याचार। अभी भी इन पर अत्याचार की अनेक घटनायें हो रही हैं। सहरसा बिहार में हुए एक काण्ड में चार अनुसूचित जातियों की औरतों को नंगा करके उनके शरीर के अन्य सुवर्ण हिन्दुओं के सामने लोहे की गर्म शलाखों से दागा गया। महाराष्ट्र जिला में परमनी में हुई एक घटना में दो अनुसूचित जाति की औरतों को जमींदार और उसके नौकरों ने नंगा कर दिया, क्योंकि उन्होंने पीने का पानी मांगा था।

यद्यपि आयोग को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, परन्तु इसने कभी भी संवैधानिक भावना के साथ कार्य नहीं किया। इसका कार्य मात्र आंकड़े इक्ट्ठा करना ही रहा न कि हजारों पद दलित लोगों की समस्याओं को निर्भय होकर प्रकट करना। सरकार ने कभी भी आयोग को संविधान की भावनाओं के अनुकूल कार्य करने की अनुमति नहीं दी और न ही आयोग द्वारा दिये गये सुझावों को लागू किया। सरकार इन अपेक्षित लोगों की सस्याओं के प्रति उदासीनता न बरते, क्योंकि उदासीनता बरते जाने के कारण तलवार की तुलना में कहीं अधिक राष्ट्र नष्ट हुए हैं।

SHRI RAMANAND TIWARY (Buxar) : It was declared by Mahatma Gandhi in 1932 that if you want to save India and Hinduism, you must eradicate untouchability. But it it is a matter of great shame for us that even after a long period of thirty years since independence, the conditions of our tribals and Scheduled Castes are almost the same, as it was before independence. The previous Government remained in power for thirty long years and they had been making repeated claims that the standard of living of Harijans and Tribals was being raised. They constitute about 22 percent of our population in the rural sector, but their condition is pitiable even to-day. They are denied entry into most of the temples even now.

The previous Government made tall talks about Harijans and their welfare. They fixed a minimum wages for them. But they were hardly paid that wage anywhere. They are still living a sub-standard life. The true picture about the pitiable condition of Harijans can be seen by visiting the villages.

The lands of Tribals in Chota Nagpur has been grabbed and they have no roofs over their heads. They have not been able to get justice from courts or Government. No machinery has been evolved so far to provide loans to them to meet their urgent expenditure. It is quite fair that legislation has been enacted to protect them from exploitation of rural money-lenders, but at the same time nothing has been done to provide loans to them from banks and other agencies. It is hoped that the Janata Party Government will now take measures to provide credit to Harijans and Tribals at the minimum rate of interest. Measures should also be taken to open fair price shops for them where foodgrains and other essential commodities cannot be supplied to them at cheaper rates. The agricultural landless labourers are still starving even for coarse cloth, because the previous Government had done nothing during the last thirty years to raise their standard of living. When they put forth their demands, they were branded as Naxalites and shot down in Bihar.

Now coming to land ceiling Act, wide publicity was given by the erstwhile Congress Government to the legislation of Land Ceiling Act saying that the surplus land would be allotted to landless Harijans and Scheduled Caste people. But I know very well that in Bihar and Eastern U.P. nothing has been done in this direction.

It is now the responsibility of the Janata Government to take measures to ameliorate the conditions of the poor Harijans and tribals. Fair price shops should be opened in the localities where these people live, to cater to their needs of foodgrains and other essential

commodities. It must be ensured that they are at least paid the minimum wage. Steps should be taken to see that Harijans and tribal students received their scholarships in time and in adequate amounts. The Home Minister should take special steps to see that the quota reserved for them in services must be fulfilled. The talk of providing special opportunities to them is a simple fraud. If something is to be done, then at least 60 per cent posts must be reserved for them in services, as suggested by Dr. Lohia.

***श्री कृष्ण चन्द हाल्दर (दुर्गापुर)** : संविधान की प्रस्तावना में संवि ान के निर्माताओं की यह पावन प्रतिज्ञा उल्लिखित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र को यह वचन दिया गया था। अतः अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस वचन को निभाने में हम कहां तक सफल रहे हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 30 वर्ष बाद भी हमारी जनसंख्या के 20 प्रतिशत लोगों को जिन्हें अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां कहा जाता है, देश की शेष जनसंख्या की तुलना में किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक एव आर्थिक समानता प्राप्त नहीं है। यह हमारे राष्ट्र के माथे पर कलंक है। ये हमारे राष्ट्र के लिए बड़े शर्म की बात है। इन अभागे लोगों की अधिकांश संख्या गांवों में गुजारा करती है। ये खेतिहर मजदूर, बंधुआ मजदूर, बटाईदार, छोटे किसान, कारखाना मजदूर, खान मजदूर, और नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निकायों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर काम करने वाले हैं। यदि आप गांव में जायेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जमींदार इनका हर प्रकार शोषण करते हैं। नगरों में पूंजीपतियों द्वारा इन का शोषण किया जाता है।

हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 21वें, 22वें और 23वें प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं। समीक्षाधीन प्रतिवेदनों में इनके साथ होने वाली छुआछूत, अत्याचारों, उत्पीड़न और ऋण ग्रस्तता, भूमि तथा वन और रोजगार के मामलों पर विचार किया गया है। 30 वर्षों तक तत्कालीन सरकार द्वारा किए गये प्रयासों के बावजूद हम इस सम्बन्ध में अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पाये हैं और इस समस्या पर सफलता प्राप्त नहीं कर पाये हैं। हम इन लोगों के जीवन स्तर को उठाने में नितान्त असफल रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं की असंतोषजनक प्रगति के कारणों को इन प्रतिवेदनों में उल्लिखित नहीं किया गया है। इन योजनाओं को क्रियान्वित करने वालों की उदासीन भावना से ऐसा होता है। कल्याण योजनाओं के लिए बहुत कम वित्तीय सहायता का उपबन्ध हुआ है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इस सम्बन्ध में निम्न प्राथमिकता दी गई है और इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में लोग सहयोग नहीं देते हैं।

सदस्यों ने हरिजनों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों पर किय गये नृशंस अत्याचारों की घटनाओं का उल्लेख किया है। य घटनायें इतनी घिनौनी हैं कि शर्म से सिर नीचा हो जाता है। आपात स्थिति के दौरान भी जमींदारों ने हरिजनों के साथ इतना अधिक अत्याचार किया कि बहुत से हरिजन मर गये और 1976 की प्रैस रिपोर्ट के अनुसार सितम्बर के महीने तक 57 हरिजनों, आदिवासियों तथा अल्प

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर

*Summarised translated version based on the English translation the Speech delivered in Bengali.

संख्यक समुदाय के लोगों की हत्या की गई थी। इन लोगों पर हुए अत्याचारों के 1133 मामले हुए। उसी प्रैस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक 23 वर्षीय देव कुमार माझी को, जो पंजाब में कहीं काम करता था, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि का पट्टा मिला। उसे जान से मारने की धमकी दी गई और एक दिन उस की लाश रेलवे लाइन के पास पड़ी मिली। इसी तरह हरिजनों पर अत्याचार की अन्य अनेक घटनायें हुई हैं।

यदि हम वास्तव में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पद-दलित लोगों की दशा सुधारने चाहते हैं तो भूमि सुधार कार्य आरम्भ करना जरूरी है। जब तक यह कार्य नहीं होगा, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की, जिनमें अधिकांश अनुसूचित जाति के लोग हैं, हालत नहीं सुधरेगी।

माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि चिकित्सा और इंजीनियरी कालेजों में दाखले के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के साथ किस प्रकार भेदभाव किया जाता है। यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार की श्रेणी I, II और III की सेवाओं में इन के आरक्षित कोटे को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद खानों में हरिजनों और आदिवासियों को रोजगार न देने की एक सुनियोजित योजना बनाई गई है। जब धनबाद के निकट कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय वहां हरिजनों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मजदूरों की संख्या 60 प्रतिशत थी, जो घट कर 43 प्रतिशत रह गई है। इससे पता चलता है कि उन्हें किस प्रकार धीरे-धीरे नौकरी से हटाया जा रहा है। सरकार को इस बारे में उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शोषण की समस्या एक भयंकर समस्या है। इसको हल करने के लिए उचित उपाय किए जाने चाहिएं। हमें उत्पादन के सभी साधनों का समाजीकरण करना होगा और केवल इसी से जाति-पाती के शोषण का अन्त हो सकता है।

SHRI SHARAD YADAV (Jabalpur) : The down-trodden class of Harijans and Tribals constitute 22 percent of the total population of the country. It is not the problem of Harijans alone. This problem is related to a significant percentage of women to our country who have been suppressed all these years. They live a life no better than that lived by Harijans and Scheduled Caste people.

The most cause of the present deplorable condition of these people is the introduction of caste system and slavery of females the our society. The question of Tribal and Harijans is very much linked with the development of the country, because our slavery in the past has been mainly due to the condition of these down-trodden people. This problem is quite an old one. Here life sympathy would not bring any relief to those people. It is high time we evaluate as to what extent we have been able to bring about the welfare of this class of people. Whatever expenditure is incurred in this regard it goes into the coffers of a few interested people.

During the last 30 years of Congress rule, nothing has been done to improve the condition of these people. The Congress has committed a fraud against these people.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Yadav, you may now continue on Monday.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकंल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTION

चौथा प्रतिवेदन

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिसौंनी) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति चौथे प्रतिवेदन, से जो 27 जुलाई, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो 27 जुलाई, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 324 का संशोंधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF ARTICLE 324)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

(अनुच्छेद 16 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF ARTICLE 16)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (सशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 326 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(AMENDMENT OF ARTICLE 326)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (सशोधन) विधेयक
(अनच्छेद 81 और 82 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(AMENDMENT OF ARTICLE 81 AND 82)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति डी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

संविधान (सशोधन) विधेयक
(अनच्छेद 16 का प्रतिस्थापन और
अनुच्छेद 320 आदि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(SUBSTITUTION OF ARTICLE 16 AND AMENDMENT OF ARTICLE 320 ETC.)

SHRI MADHU LIMAYA (Banka) : I beg to more for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

SHRI MADHU LIMAYE : I introduce the Bill.

संविधान संशोधन विधेयक
(अनुच्छेद 37, 45 आदि का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(AMENDMENT OF ARTICLE 37, 45 ETC.)

SHRI MADHU LIMAYE : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

13—767LSS/77

उपाध्यक्ष : महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

SHRI MADHU LIMAYE : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 24 और 326 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

AMENDMENT OF ARTICLE 24 & 326)

SHRI MADHU LIMAYE : I beg to more for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

SHRI MADHU LIMAYE : I introduce the Bill.

छावनी (संशोधन) विधेयक

(अनुछेद धारा 13 का संशोधन, धारा 14 आदि का लोप)

CANTONEMENTS (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF SECTION 13, OMISSION OF SECTION 14 ETC.)

SHRI MADHU LIMAYE : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Cantonments Act, 1924.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छावनी अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

SHRI MADHU LIMAYE : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छद 124 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF ARTICLE 124)

श्री पी० के० देव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के सविधान का ओर संशोधन करने वाले वियेयक को तुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

पी० के० देव : मैं विधेयक पुर: स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक
(अनुच्छेद 371 का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
(AMENDMENT OF ARTICLE 371)

श्री पी० के० देव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थपित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वींकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री पी० के० देव : मैं विधयक पुरःस्थापित करता हूं।

अधिवक्ता (संशोधन विधेयक
(धारा 324 आदि का संशोधन)
ADVOCATES (AMENDMENT) BILL
(AMENDMENT SECTION 3, 4 etc.)

श्री राम जेठमलानी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के विधिज्ञ मण्डल के स्वायत्त तथा लोकतन्त्रीय ढांचे का प्रत्यावर्तन करने की दृष्टि से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के विधिज्ञ मण्डल के स्वायत्त तथा लोकतन्त्रीय ढांचे का प्रत्यावर्तन करने की दृष्टि है अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का और संशोधन करने वाल विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री राम जेठलानी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक
[धारा 8(क) का संशोधन]
SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIMENT
[AMENDMENT OF SECTION 18(a)]

श्री जी० नरसिन्हा रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 140-क का अन्त : स्थापन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL
[INSERTION OF NEW ARTICLE 140(A)]

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraid) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का ौर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 335 का संशोधन)

(AMENDMENT OF ARTICLE 335)

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraid) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(अनुच्छेद 222 का संशोधन)

(AMENDMENT OF ARTICLE 222)

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraid) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(सप्तम अनुसूची का संशोधन)

(AMENDMENT OF SEVENTH SCHEDULE)

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraid) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : I introduce the Bill.

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर राष्ट्रीय अवकाश दिन विधेयक

NATIONAL HOLIDAY ON NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE'S BIRTHDAY BILL

श्री समर गुह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन राष्ट्रीय अवकाश दिन के रूप में मनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन राष्ट्रीय अवकाश दिन के रूप में मनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री समर गुह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक

SALARY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

श्री आर० जी० गट्टानी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री आर० जी० गट्टानी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

(नई धारा 7क का अन्तःस्थापन)

REPRESENTATION OF THE PEOPLE (AMENDMENT) BILL

(INSERTION OF NEW SECTION 7A)

SHRI OM PRAKASH TYAGI : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Representation of the People Act, 1951.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

SHRI OM PRAKASH TYAGI : I introduce the Bill.

लोकपाल विधेयक—जारी

LOKPAL BILL—contd.

श्री पी० के० देव (कालहांडी) : 1966 में सरकार इस समस्या की गम्भीरता के प्रति सजग भी और इसने प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। आयोग से अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया कि सार्वजनिक या सरकारी कार्यालयों में कार्यदक्षता और एकता का सर्वोच्च मानक सुनिश्चित करने और नागरिकों की कठिनाइयां दूर करने सम्बन्धी समस्या हल करने की आवश्यकता पर विचार किया जाए। आयोग ने अपनी सर्वसम्मत रिपोर्ट में लोकपाल नियुक्त करने की विशेष सिफारिश की थी।

1967 में मैं ऐसा ही एक विधेयक सदन में पेश करने के लिये लाया था । लेकिन सरकार ने अनेक प्रकार की रुकावटें पैदा कीं । उसने संविधान के अनुच्छेद 117 के अधीन मेरे विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश देने की भी कृपा नहीं की क्योंकि उस विधेयक में कुछ वित्तीय पहलू भी अन्तर्गस्त थे । इसलिये मैंने विधेयक पर जनमत प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव पेश कर इसके तकनीकी पहलू को समाप्त कर दिया । सदन में मतदान होने पर सरकार के विरोध के बावजूद मेरा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । संसद के इतिहास में पहली बार, सरकार को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पराजय हुई। इससे संसद के इतिहास में नई घटना की एक कड़ी जुड़ गई । तब फिर हमें परिचालित किया गया और देश के हर भाग में विधेयक के पक्ष में भारी समर्थन प्राप्त हुआ।

फिर सरकार 1967 में लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक के नाम से अपना विधेयक लाई। इसे संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया जहां श्री के० संथानम, डा० एच० एन० कुंजरू जैसे प्रसिद्ध लोगों तथा सरकार के अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सचिवों के साक्ष्य लिये गये। जब यह विधेयक प्रवर समिति के पास से आया तो इससे प्रत्येक की आकांक्षायें ही समाप्त हो गई क्योंकि सम्पूर्ण मामला ही मिटा दिया गया और प्रधान मंत्री को इस आधार पर इससे पृथक कर दिया गया कि वह गलती नहीं कर सकता।

लोकपाल को जांच करने हेतु अपनी ही एजेंसियां रखने के बजाय उससे यह कहा गया कि उसे इसके लिये सभी सरकारी व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिये। लोक सभा बीच में ही भंग हो गई।

पांचवीं लोक सभा में यह विधेयक पुनः पुरःस्थापित किया गया था किन्तु 1976 के अंत तक यद्यपि पांचवीं लोक सभा का कार्यकाल एक वर्ष और बढ़ाया गया था तो भी इस विधेयक को दिन का प्रकाश देखना नसीब नहीं हुआ । विधेयक में मुख्य रूप से यह

व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह पर, विरोधी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी सुविख्यात व्यक्ति को लोकपाल के रूप में नियुक्त करेगा। वह संसद के प्रति उत्तरदायी होगा और उसका दर्जा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा। प्रस्तावित पदभारी का संसदीय कार्यवाहियों और राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। उसका कार्यकाल केवल पांच वर्ष होगा, किन्तु उसे दुबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। तत्पश्चात् वह पुनः किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा।

लोकपाल, कुप्रशासन से होने वाले अन्याय के मामलों, किसी व्यक्ति के साथ किए गए पक्षपात के मामलों, मंत्री अथवा सचिव को होने वाले लाभों के मामले में लिखित शिकायत के प्राप्त होने पर या स्वेच्छा से जांच करेगा। जांच के दौरान यदि लोकपाल इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि प्रभावित व्यक्ति के साथ कुप्रशासन के कारण अन्याय हुआ है तो वह तत्काल कार्यवाही के लिए निदेश देगा। वह लोक सभा को अपना वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेगा जिस पर सभा में चर्चा होगी।

इस समय नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए केवल दो तरीके हैं। एक तरीका संसद है। लेकिन संसद के पास इतना समय नहीं कि वह प्रत्येक मामले पर विचार कर सके। दूसरा तरीका है न्यायालय। किन्तु न्यायालय में भी हजारों मुकदमे विचाराधीन पड़े हैं। साथ ही यह एक साधारण आदमी की पहुंच से बाहर की बात है क्योंकि अदालती प्रक्रियाओं पर खर्चा बहुत बैठता है।

अतीत में, राज्य की गतिविधियां बहुत ही सीमित थीं। उसका काम केवल राजस्व एकत्रित करना था और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना था लेकिन इस समय राज्य की गतिविधियां आर्थिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में फैली हुई है और इनसे सम्बन्धित सभी मामलों पर प्रशासनिक प्राधिकारियों का निर्णय अंतिम होगा। उनके कार्यों को हमेशा नियमों और विनियमों से नियमित नहीं किया जा सकता। निर्णय लेने के मामले में भ्रष्टाचार की काफी गुंजाइश रहती है। अतः एक ऐसे अधिकारी की व्यवस्था करनी बहुत आवश्यक है जिसके समक्ष नागरिक शिकायतें रखी जा सकें और उनका निराकरण किया जा सके। संस्थान तलवार का काम करने के साथ-साथ ढाल का काम भी करेगा। यह भ्रष्ट मंत्रियों के विरुद्ध तलवार का कार्य करेगा और ईमानदार मंत्रियों, जिनके प्रति झूठे आरोप लगाए जाते हैं, के लिए ढाल का कार्य करेगा।

जनता की शिकायतों को दूर करने के मामले में लोकपाल का यह निश्चय ही संसद की बाजू के रूप में कार्य करेगा। प्रशासनिक कार्यों का बाहुल्य तथा निर्णय लेने के मामले में अधिकारों के दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना से एक ऐसे निष्पक्ष और सार्थक के पद का निर्माण करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है जोकि शिकायतों को दूर कर सके। अतः एक ऐसे विधेयक की नितान्त आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य विधेयक वापस ले लेंगे।

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह): जो सुझाव आपने दिया है, मैं भी उससे सहमत हूं कि माननीय सदस्य अपना विधेयक वापस ले लें। सरकार द्वारा पुरःस्थापित विधेयक बहुत

व्यापक है और उसमें सभी सम्भावनाओं को ध्यान में रखा गया है। यदि श्री देव इस विधेयक को देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा प्रारूप उनके विधेयक से अधिक बेहतर है। अतः मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना विधेयक वापस ले लें।

श्री पी० के० देव : हमारा अतीत का अनुभव बहुत कड़वा रहा है। भूतपूर्व सरकार ने विधेयक पुरःस्थापित किया है लेकिन उस पर विचार कभी नहीं हुआ है। मेरी आशंका यह है कि यद्यपि विधेयक पुरःस्थापित कर लिया गया है, लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि यह पारित कर लिया जायेगा। मैं इस विधयक को केवल तभी वापस ले सकता हूं जब कि गृहमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री मुझे यह आश्वासन दे दें कि उनका विधेयक अगले सप्ताह पारित कर दिया जायेगा। चूंकि गृह मंत्री ने मुझे पूरा आश्वासन दे दिया है, इसलिए मैं सभा से अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति मांगता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि कतिपय मामलों तथा उससे सम्बन्धित मामलों में प्रशासनिक कार्यों की जांच के लिए लोकपाल नामक प्राधिकार की नियुक्ति तथा उसके कार्यकरण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion wos Adopted

श्री पी० के० देव : श्रीमन् मैं विधेयक वापस लेता हूं।

(श्री सोनूसिंह पाटिल पीठासीन हुए)

(SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair*).

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 352 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(AMENDMENT OF ARTICLE 352)

श्री हरि विष्णु कामत : 26 जून 1975 से लेकर 21 मार्च, 1977 तक तानाशाही और आतंक के अंधकारमय दिनों के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी और उनकी सरकार द्वारा लोकतन्त्र को समाप्त करके तानाशाही स्थापित करने की दृष्टि से संविधान के आपात स्थिति उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का बहुत दुरुपयोग किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य अनुच्छेद 352 का उचित संशोधन करके शक्ति के ऐसे दुरुपयोग के विरुद्ध समुचित सुरक्षा प्रदान करना है।

कांग्रेस दल के कुछ सदस्यों ने आपात स्थिति के दौरान हुई ज्यादतियों के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया है। किन्तु उनकी भूतपूर्व नेता ने तानाशाही के दिनों जो कुछ हुआ है, उस पर कभी खेद प्रकट नहीं किया। आपात स्थिति की 20 महीनों की अवधि के दौरान अत्याचारों का जो बोलबाला रहा है, उसकी नित्य प्रति नई-नई कहानियां सुनने को मिलती हैं।

आपात स्थिति लागू कराने वाले अधिकारियों ने शक्तियों का दुरुपयोग किया। कल के "इंडियन एक्सप्रैस" में एक खाली वारंट फ़ार्म की, जिस पर दिल्ली के तत्कालीन जिलाधीश के हस्ताक्षर थे, फोटो स्टेट कापी प्रकाशित की गई है। ऐसे वारंट फ़ार्मों पर मन मर्जी से किसी का भी नाम लिखकर उस व्यक्ति को "आंसुका" के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाता था। इससे स्पष्ट है कि जिलाधीश आपात स्थिति के दौरान खाली वारंट फ़ार्मों पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी थे। हालांकि उन्हें इस बात का तनिक भी पता नहीं था कि यह वारंट किसके विरुद्ध जारी किया जायेगा।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने हाल ही में लंदन के श्री डेविड फोस्ट को दी गई एक दूर-दर्शन भेंट में, उनके पूछे जाने पर कि क्या श्री संजय गांधी अधिकारियों को आदेश देते थे और क्या वे सरकारी बैठकों में भाग लेते थे, उन्होंने कहा कि यह बात "सर्वथा हास्यास्पद" है। उन्होंने कहा संजय गांधी का राजनीति, नीतियों अथवा निर्णय लेने से कोई सम्बंध नहीं था। श्री टी० ए० पाई द्वारा रहस्योद्घाटन करने वाले वक्तव्य के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसा कहा।

उन्होंने कहा कि आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपात स्थिति लागू करनी आवश्यक हो गई थी। आज जबकि उनका दल बुरी तरह परास्त हो चुका है, वह अभी भी इसी की रट लगाए हुई हैं। वह आंतरिक गड़बड़ी क्या थी। केवल यही कि श्री जय प्रकाश नारायण ने अहिंसात्मक आन्दोलन चलाया। उन्होंने कहा कि वह गड़बड़ी युद्ध से भी बदतर थी और इसीलिए आपात स्थिति लागू की गई और आपात स्थिति की उद्घोषणा औचित्यपूर्ण थी। उन्होंने श्री जय प्रकाश नारायण के अहिंसात्मक आन्दोलन को अशांति फैलाने वाले आन्दोलन की संज्ञा दी। यह एक अनुचित वक्तव्य है, जिसकी सर्वत्र भर्त्सना की जानी चाहिए।

बड़े भोलेपन से कहा गया है कि हो सकता है आपात स्थिति के दौरान कुछ ज्यादतियां हुई हों, या शक्तियों का दुरुपयोग हुआ है। लेकिन अगर मुझे इसका पता चल जाता तो मैं इनको रोक लेती। उस समय मैं तो लोक सभा का सदस्य नहीं था किन्तु राज्य सभा के सदस्य, श्री एन० जी० गोरे ने आपात स्थिति के उन 20 महीनों के दौरान ज्यादतियों और अत्याचारों के सम्बन्ध में श्रीमती इन्दिरा गाधी को कम से कम एक दर्जन पत्र लिखे और उन्होंने अपने पत्रों में उनसे अनुरोध किया कि वह इन्हें रोके। किन्तु उनके पत्रों का भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। मैंने भी आपात स्थिति के तुरन्त बाद एक पत्र लिखा था किन्तु उसकी प्राप्ति की भी कोई सूचना नहीं मिली।

श्री पी० राजगोपाल नायडु : आपने अपने संकल्प में जवाहरलाल नेहरू का नाम क्यों नहीं रखा ?

श्री हरि विष्णु कामत : अब यह बात उत्पन्न ही नहीं होती। अन्यथा मैंने कई और नाम सम्मिलित करने थे। श्री राजगोपालाचारी, जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद आदि नाम प्रतीकात्मक हैं **(व्यवधान)**

श्री वी० आर० कृष्ण आयर ने गत सप्ताह त्रिवेन्द्रम में बताया कि उन्हें ऐसी धमकियां दी गई हैं कि यदि तुमने फैसला तत्कालीन प्रधान मंत्री के पक्ष में नहीं दिया तो तुम्हारी जान की खैर नहीं है। आपात स्थिति के दौरान ऐसी हालत थी।

विधेयक में व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को दी गई शक्तियां वास्तव में संसद में विहित की जायेंगी। आपात स्थिति लागू करने से पहले संसद की राय उचित तथा निश्चित रूप में ली जानी चाहिए।

आपात स्थिति के दौरान अधिगृहीत की गई शक्तियों से अनुच्छेद 352 को क्या क्षति हुई। 38वां संशोधन पारित किया गया जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय समेत सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को समाप्त कर दिया गया और उन्होंने अनुच्छेद 352 में एक नया खंड संख्या 5 अन्तःस्थापित कर दिया। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में अनेक संशोधन अन्तःस्थापित किए गए।

यह विधेयक आपात स्थिति उपबन्धों में समुचित संशोधन नहीं करता। मेरी योजना यह है कि सरकार तथा उसके सहयोगी इस पर विचार करें। मैं आपात स्थिति अध्याय की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मामला केवल अनुच्छेद 352 से ही सम्बद्ध नहीं अपितु 356, 358 और 359 से भी सम्बद्ध है। जब तक इन अनुच्छेदों का संशोधन नहीं किया जाता तब तक देश में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता। जब तक सरकार संशोधन नहीं करती और आपात स्थिति उपबन्धों को श्री अम्बेडकर के शब्दों में त्रुटिरहित और कपटरहित नहीं बनाया जाता तब तक लोकतंत्र को खतरा बना रहेगा।

विधेयक में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि विदेशी आक्रमण अथवा आंतरिक अशांति के मामले में आपातस्थिति की घोषणा करने से पहले संसद से उसकी अनुमति एक महीने के भीतर ली जानी चाहिए।

मैंने विधेयक में यह व्यवस्था की है कि आपात स्थिति की उद्घोषणा की स्वीकृति संसद की दोनों सभाओं की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई तथा उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के तीन चौथाई होनी चाहिए। विधि मंत्री इस उपबन्ध पर गहराई से विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में सदन के समक्ष आने वाले सरकारी विधेयक में ये बातें समाविष्ट होंगी। मंत्री महोदय इस मामले में सदन को सरकार के विचार से अवगत कराएं।

अपने मंत्रालय की अनुदानों की मागों पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए गृह मंत्री ने कहा था कि सरकार अनुच्छेद 352 का लोप करना चाहती है। लेकिन ऐसा करना उचित नहीं होगा। अपितु यह एक खतरनाक कदम होगा क्योंकि विदेशी आक्रमण अथवा बाहरी हमला हमारे बस की बात नहीं है। अतः बाह्य आपात स्थिति के लिए भी संविधान में कुछ उपबन्ध होना चाहिए। आंतरिक आपात स्थिति के सम्बन्ध में सदन को विचार करना चाहिए। मैंने यह व्यवस्था की है कि आपात स्थिति सशस्त्र बगावत के सम्बन्ध में "घोषित" की जानी चाहिए न कि आंतरिक अशांति के सम्बन्ध में जैसी कि संविधान में व्यवस्था है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री बसंत साठे (अकोला) : यदि आप विधेयक तथा इसके उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण पर दृष्टिपात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में कोई पारस्परिक सम्बन्ध

नहीं है। मुझे इस समूचे विधेयक में कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मेरी मुख्य आपत्ति उद्देश्यों और कारणों के विवरण के बारे में है। सामान्यतः ऐसा होता है कि यदि आप कोई विधेयक पढ़ते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि विधेयक के उद्देश्य क्या हैं।

विधेयक का उद्देश्य आंतरिक आपात स्थिति लागू करने के लिए "आंतरिक गड़बड़ी" के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्दों का प्रतिस्थापन करके अनुच्छेद 352 के खंड (1) का संशोधन करना है। श्री कामत देश में आपात स्थिति लागू करने के लिए उपबन्ध करने के विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि युद्ध की स्थिति में ही आपात स्थिति लागू होनी चाहिए। इसके विरुद्ध गृह मंत्री ने कहा है कि अनुच्छेद 352 को पूरी तरह हटा दिया जाना चाहिए।

यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि सशस्त्र विद्रोह की पूरी संभावना है तो वह आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह का खतरा है अथवा नहीं। इसका पता कौन लगायेगा ? इसका पता सरकार को लगाना चाहिए। यह काम सरकार का है।

श्री हरि विष्णु कामत : यह काम संसद या उच्चतम न्यायालय का है ।

श्री वसंत साठे : उनके अनुसार यदि संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या का तीन-चौथाई बहुमत भी होगा तो यह इसे पारित करने के लिए पर्याप्त होगा । आज वे लोग यहां बहुमत में हैं और वे तीन-चौथाई बहुमत से इसे आज ही आसानी से पारित कर सकते हैं।

जहां तक उच्चतम न्यायालय का सम्बन्ध है, यह भिन्न मामला है क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय "नहीं" कहने की स्थिति में होगा ।

मुख्य बात तो यह है कि युद्ध से बुरी चीज कोई नहीं है ? यदि लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थिरता प्रभावित होती है और यदि लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को हिंसा के द्वारा सत्ता से हटाया जाना है, जैसा प्रयास बिहार में किया गया है तो इससे बढ़कर बगावत और क्या होगी। जब निर्वाचित व्यक्तियों का घेराव किया जायेगा, उन्हें त्यागपत्र देने के लिए धमकाया जायेगा, और उन्हें गधों पर बिठा कर सड़कों पर घुमाया जायेगा तो इससे बढ़कर और विद्रोह क्या होगा ? क्या आपका यह विचार है कि जब लोग बन्दूकें तथा अन्य हथियार लेकर आयें तभी सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए ? इसमें तो विलम्ब हो जायेगा क्योंकि बगावत तथा एक सफल क्रांति में बहुत कम अंतर है । क्या सेना तथा पुलिस को उकसाना तथा उन्हें गैर-कानूनी आदेशों का पालन न करने के लिए कहना हंसी मजाक है ? यह निर्णय कौन करेगा कि अमुक आदेश गैर-कानूनी है ? सेना या पुलिस ? इन बातों का परिणाम आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। (**व्यवधान**)

कल यदि इस सरकार के शासन काल में पुलिस या सेना कहीं यह कहती है कि इस जनरल या कर्नल का आदेश कानूनी नहीं है और हम इसे नहीं मानते तो फिर क्या होगा ? अगले ही क्षण सारी सरकार समाप्त हो जायेगी। क्योंकि सैनिक का कर्तव्य प्रश्न करने का नहीं बल्कि कर्तव्य का पालन करना है। यह निर्णय करना, कि कौन-सा आदेश कानूनी है तथा कौन सा गैर-कानूनी है, सेना या पुलिस का काम नहीं है। क्या आप चाहते

हैं कि जैसा बंगला देश में हुआ है, यहां भी वैसा ही हो? जब लोग हथियार लेकर आ जायें, केवल तभी उसे दबाने की कोशिश की जानी चाहिए? क्या उसका सामना करने के लिए समय भी होगा?

जब तक लोग शांतिप्रिय हैं, हिंसात्मक कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और यदि वे शांति-पूर्ण ढंग से कोई परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हें प्रदर्शन करने तथा शांतिपूर्ण ढंग से अपना रोष प्रकट करने का अधिकार है। किन्तु यदि लोग हिंसा पर उतर आते हैं तो फिर उनका सामना करने के लिए कदम उठाने ही पड़ते हैं।

कहा गया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनकी सरकार ने हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करके तानाशाही स्थापित करने हेतु संविधान में आपात स्थिति के उपबन्धों का दुरुपयोग किया है। विधेयक में प्रदत्त सभी संरक्षणों का अनुसरण करने के बाद भी यदि इस सरकार द्वारा सशस्त्र विद्रोह के खतरे के कारण आपात स्थिति की घोषणा की जाती है तो विधेयक में ऐसी कौन-सी बात है जो कि इस सरकार को इन्हीं बातों को पुनः करने से रोक सकती है जो बातें पिछली आपात स्थिति के दौरान हुई थीं? अतः इस विधेयक में दुरुपयोग न करने के बारे में किसी प्रकार का उपबन्ध नहीं है इसमें ऐसा उपबन्ध कहां है कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। आप पिछले चार महीनों से यही रट लगा रहे हैं कि ज्यादतियां हुई हैं, आपात स्थिति का दुरुपयोग हुआ है। हममें से प्रत्येक ने यह मान लिया है कि ज्यादतियां हुई हैं। स्वयं श्रीमती इंदिरा गाधी ने इसके लिए क्षमा मांगी है।

श्री कामत ने पुनः कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट करके तानाशाही स्थापित करने का प्रयास किया गया है। उनका यह कहना सही नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी की नेकनियती का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है कि उन्होंने आपात स्थिति की बढ़ाई गई अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव करा लिए और जनादेश को स्वीकार कर लिया (**व्यवधान**) क्या आप इस बात से इन्कार कर सकते हैं? आप इस बात से भी इन्कार नहीं कर सकते कि चुनाव निष्पक्ष और सही रूप से हुए हैं। देश में निष्पक्ष तथा सही ढंग से चुनाव कराने से हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। अतः श्री कामत ने अपने उद्देश्यों और कारणों के विवरण में जो एक प्रकार का हमला सा किया है, वह उचित नहीं है। वह बहुत बड़ा झूठ है। (**व्यवधान**)

विधि मंत्री श्री कामत को यह बता दें कि यह विधेयक ठीक नहीं है। (**व्यवधान**) यदि आप इस विधेयक को पारित करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु मैंने बता दिया है कि इसमें कितनी त्रुटियां हैं और यह कितना खतरनाक है। मेरा श्री कामत से अनुरोध है कि वह इस पर पुनर्विचार करके इसे वापस ले लें। वह कोई दूसरा विधेयक पेश कर सकते हैं।

SHRI NATHU SINGH (Dausa) : The Bill moved by Shri Kamath deserves all support, because it is quite fair to lay down that no individual in this country should be vested with such wide powers as would undermine the democratic structure in this country. It is well known as to how those powers were misused by the former Prime Minister during the emergency. But we have to analyse the causes which were instrumental in the imposition of emergency in this country. It was due to certain lacunae in the constitution that Shrimati Indira Gandhi was preceeding to assume the role of a dictator, and it was the black day of 26th June, 1975 than she took all the essential powers to become a full-fledged dictator.

The emergency powers were misused not only to wipe out the opposition but also to suppress the innocent students studying in colleges or Universities. No class or section of society was spared. The labour Unions were disbanded and it was ordered that only pro-Congress Labour Unions be allowed to function.

It is said that elections were held with a view to expressing their faith in democracy. But the fact is that RAW submitted the report that Congress could win the elections with substantial majority, because all the opposition leaders were behind the bars. It is well known that about one lakh of people were behind the bars when elections were conducted throughout the country. It is a glaring example of the misuse of emergency powers. The Congress party had forcibly collected contributions from traders and businessmen during the emergency. The most partinent question is to what Safeguards have been provided to ensure that these powers, if they are allowed to any one, will not be misused by him in future to satisfy his own fancies. When the erstwhile Prime Minister can suppress the freedom of individual as well as the freedom of press by invoking emergency powers in the name of protecting the constitution and the people, there is no guarantee that they will not be used in future. Therefore, it is quite fair to lay down that such wide powers as would undermine the democracy in the country, should not be allowed to be vested in any individual.

सभापति महोदय : केवल 20-23 मिनट शेष हैं और कई सदस्यों ने अभी बोलना है ।

SHRI HARI VISHNU KAMATH (Hasingabad) : I propose that the time alloted for this Bill be extended by 2 hours.

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : अगले गैर-सरकारी दिवस को समय दिया जाये ।

सभापति महोदय : आज हम 6 बजे तक बैठ सकते हैं ।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : इस विधेयक के प्रस्तावक को देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि क्या इस विधेयक को सरकार का अनुमोदन या समर्थन प्राप्त है । इस बारे में मुझे ज्ञात नहीं है । ऐसा हो भी सकता है और यदि ऐसा है तो फिर इस विधेयक के उद्देश्य के बारे में कुछ शंका होनी स्वाभाविक है ।

जहां तक अनुच्छेद 352 का सम्बन्ध है, गृह मंत्री ने कहा है कि वह इस अनुच्छेद को समाप्त कर देंगे । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, विपक्ष के नेता ने अपने पहले भाषण में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब भविष्य में कभी भी आपात स्थिति लागू नहीं होगी । अत: अनुच्छेद 352 को समाप्त करने के इस उपबन्ध पर पूर्ण मतैक्य है । हम इसके विरुद्ध नहीं हैं ।

सरकार या दल द्वारा कई घोषणाएं की जा रही हैं । वे कह रहे हैं कि वे 42वें संविधान संशोधन के विरुद्ध हैं, उनका कहना है कि जहां तक अनिवार्य जमा योजना का सम्बन्ध है, हम इसके भी विरुद्ध हैं । उन्होंने यह भी कहा कि हम बोनस संशोधन विधेयक के भी खिलाफ हैं । हम विपक्ष वाले भी बोनस संशोधन अधिनियम को रद्द करना चाहते हैं । 42वें संविधान संशोधन विधेयक के निरसन के बारे में हमने कह दिया है कि हम इसके गुणावगुणों पर विचार करने के लिए तैयार हैं और यदि वे समूचे विधेयक का निरसन करना चाहते हैं तो भी हम इसका विरोध नहीं करेंगे ।

जहां तक अनिवार्य जमा योजना का सम्बन्ध है, इस बारे में आप अपने वचन से पीछे हट गए । आप अनिवार्य जमा योजना की राशि अपने ही पास रखना चाहते हैं और सीलिए आपने इस बारे में विधेयक पारित किया है ।

श्री मोरारजी भाई ने कल कहा कि हम किसी प्रतिनिधि मंडल को नहीं मिल सकते। क्योंकि इसे किसी प्रदर्शन का समर्थन प्राप्त होगा। आज सरकार को कुछ वास्तविकताएं महसूस हो रहीं हैं। अब जबकि मूल्य वृद्धि हो रही है, घोषणा की जा रही है कि आंसुका को लागू कर दिया जायेगा। जब आंसुका पारित हुआ था तो इसका विरोध किया गया। आज वे कुछ प्रयोजनों के लिए इसे लागू करने की बात कर रहे हैं।

विधेयक का उद्देश्य, जैसा कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है, अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग रोकना है। इसके दो पहलू हैं। पहला तो यह है कि क्या आपात स्थिति की घोषणा संविधान के उपबन्धों के अनुसार हुई? दूसरा पहलू यह है कि उद्घोषणा के पश्चात् इसका दुरुपयोग हुआ है अथवा नहीं। और यदि हुआ है तो क्या वह न्यायोचित था। जब उनमें से कुछ लोगों ने कहा है कि आपात स्थिति की उद्घोषणा अन्यायपूर्ण ढंग से संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गई तो सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की राय भिन्न-भिन्न थी। किन्तु जब उन्होंने कहा है कि ज्यादतियां हुई हैं तो इसमें हमारी दो राय नहीं थीं। हम स्वीकार करते हैं कि ज्यादतियां हुई हैं। हम उनकी आलोचना करते हैं। ये बातें कुछ ऐसे कारणों से हुई हैं जो किसी भी व्यक्ति के नियंत्रण से परे की बात थी। किन्तु आपात स्थिति का समर्थन किसने किया है? सत्तारूढ़ दल में ऐसे कुछ मंत्री हैं, जिन्होंने आपात स्थिति का समर्थन किया था।

श्री बीजू पटनायक : इस सभा में यह स्पष्ट हो चुका है कि आपात स्थिति के बारे में निर्णय मंत्रि-परिषद् ने नहीं लिया। यह निर्णय केवल प्रधान मंत्री ने लिया था। विपक्ष के नेता ने भी यह स्वीकार किया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : सभा की अनुमति प्राप्त करने के लिए संकल्प पेश करने वाला व्यक्ति हममें से नहीं था। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि बाबू जगजीवन राम ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने वह संकल्प पेश किया था।

SHRI RAM AWADHESH SINGH (Bikramganj) : It shows that how cruel you were and how you terrorised the people. *(interruption)*

श्री सी० एम० स्टीफन : : आपात स्थिति की उद्घोषणा, आपात स्थिति की शक्तियों के कार्यान्वयन और उस दौरान की गई ज्यादतियों में अंतर है। मैं जानता हूं कि आज आप लोगों के साथ कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आपात स्थिति का शुरू से आखिर तक पूरे जोरों से समर्थन किया। राज्य सभा में भी आपके पक्ष के कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने विधान सभा के चुनावों के समय भी आपात स्थिति का समर्थन किया था।

श्री कामत के संशोधन में यह कहा गया है कि यदि "आंतरिक आपात स्थिति" शब्द के स्थान पर "सशस्त्र विद्रोह" शब्द रख दिया जाये तो सब ठीक हो जायेगा। **(व्यवधान)** सशस्त्र विद्रोह का क्या अर्थ है? यदि नक्सलवादी बंगाल, केरल या देश के विभिन्न भागों में अपनी कार्यवाही करने लगेंगे तो क्या इसे सशस्त्र विद्रोह समझा जायेगा? सशस्त्र विद्रोह कुछ विशेषताओं में ही हो सकता है। क्या आपकी नीति यह है कि नक्सलवादी आन्दोलन का सामना आपात स्थिति लागू करके किया जाये? क्या उनकी नीति ऐसी है कि यदि श्रमिक वर्ग अपनी दयनीय स्थिति के कारण हिंसा का सहारा ले तो उसे सशस्त्र विद्रोह समझा जाये? और उसका सामना करने के लिए आपात स्थिति लागू की जायेगी? आप

ऐसी स्थिति में किस तरह सुधार करेंगे। या तो सरकार यह समझे कि इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए सिविल कानून पर्याप्त हैं या फिर वे यह सोचें कि इससे लोकतांत्रिक ढांचे को क्षति पहुंचेगी और इसलिए आपात स्थिति की उद्घोषणा करना न्यायोचित है। यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपात स्थिति लागू करते समय क्या स्थिति थी। उस समय काला बाजारी करने वालों, मुनाफाखोरों तथा पूंजीपतियों आदि के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए ही ऐसा किया गया था यह समय की मांग थी। उस समय पुलिस तथा सेना को गैर-कानूनी आदेशों का पालन न करने के लिए कहा गया। सभा में भूख हड़ताल, संसद का घेराव आदि होने लगा था। ऐसी स्थिति में जब हमें यह यकीन हो गया कि देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो गई है और इससे देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जायेगा तो हमने सोचा कि आपात स्थिति की उद्घोषणा कर दी जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

उस समय बाबू जगजीवन राम ने संकल्प पेश किया और उसका पूरे जोरों से समर्थन किया। आपात स्थिति के औचित्य के बारे में दो राय हैं। आप और हमारे बीच अंतर है। जनता पार्टी की भी आपस में राय भिन्न-भिन्न हैं। (**व्यवधान**) मैं मानता हूं कि आपात स्थिति के नाम पर ज्यादतियां तथा अत्याचार हुए हैं।

हमने अपने मित्रों को लगभग 30 वर्षों के कुप्रशासन के बारे में बातें करते सुना है। उन्हें यह नहीं कहना चाहिए कि उन्हें अतीत से कोई मतलब नहीं है। वे अतीत के अभिन्न अंग हैं। जब वे 30 वर्ष के कुशासन की आलोचना कर रहे हैं तो उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि वे हमला हम पर नहीं बल्कि अपने नेताओं पर कर रहे हैं।

इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा। जब आपात स्थिति लागू की गई थी उस समय संसद में इतना बहुमत था कि यह संकल्प सभी सदस्यों के तीन चौथाई बहुमत से पारित किया जा सकता था। यह निश्चित ही असंभव था। अतः इसमें कोई संरक्षण नहीं है।

———— ————

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 25 जुलाई, 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा की लोक लेखा समिति में 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये सहयोजित करने के लिये राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने सम्बन्धी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने उक्त समिति में निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी:—

(1) श्रीमती सुशीला शंकर अडिवरेकर

(2) श्री सरदार अमजद अली

(3) श्री एम० कादरशाह

(4) श्री प्यारे लाल कुरील उर्फ प्यारे लाल तालिब

(5) श्री एस० ए० खाजा मोहिदीन
(6) श्री बेजवाडा पापी रेड्डी
(7) श्री जावर हुसैन

(दो) कि राज्य सभा 25 जुलाई, 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति में 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्य-काल के लिए सहयोजित करने के लिये राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने सम्बन्धी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई **और** उसने उक्त समिति में निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी :—

(1) डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
(2) श्रीमती कुमुदबेन मणिशंकर जोशी
(3) श्री एम० कमलानाथन
(4) श्री गणेश लाल माली
(5) श्री के० एल० एन० प्रसाद
(6) श्री बीरेन जे० शाह
(7) श्री गुणानन्द ठाकुर

(तीन) कि राज्य सभा 25 जुलाई, 1977 की अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी दोनों सभाओं की समिति में 30 अप्रैल, 1978 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिये सम्मिलित होने सम्बन्धी लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उसने उक्त समिति में निर्वाचित किये गये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों की सूचना भी दी :—

(1) प्रो० एन० एम० काम्बले
(2) श्रीमती सरोज खापरडे
(3) श्री एस० कुमारन
(4) श्री पी० के० कुंजाचन
(5) श्री योगेन्द्र मकवाना
(6) श्री भैयाराम मुंडा
(7) श्री प्रभु सिंह
(8) श्री वी० सी० केशवराव
(9) श्री लियोनार्ड सोलोमन सारिंग
(10) श्री महेन्द्र बहादुर सिंह

इसके पश्चात् लोकसभा सोमावार, 1 अगस्त, 1977/10 श्रावण, 1899 (शक्) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थागित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, the 1*st* ***August,*** 1977/*Sravana* 10, 1899 (*Saka*).

767LSS/77—7-12-77—GIPF.